अष्टम माला, खंड 28, अंक 41

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1987
8 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 28, आठवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 41, मंगलवार, 28 अप्रैल, 1987/8 वैशाख, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 820, 829, 832, 833 और 835 से 839	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25—197
तारांकित प्रश्न संख्या : 821, 823 से 828, 830 और 834	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8171 से 8191, 8193 से 8211, 8213 से 8236, 8238 से 8240, 8242 से 8352 और 8354 से 8401	
दिनांक 31 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5040 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	197—204
सभा पटल पर रखे गये पत्र	205—207
प्राक्कलन समिति	208
47वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	208
89वां, 95वां और 100वां प्रतिवेदन	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ...	208
24वां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	209
15वां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	209—214
कार्यवाही-सारांश	
भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के बारे में वक्तव्य	214
श्री जनार्दन पुजारी	214
नियम 377 के अधीन मामले	215—218
(एक) मलयालम में पालघाट में माइक्रो-वेव के माध्यम से दूरदर्शन संप्रेषण सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री वी० एस० विजयराघवन	215
(दो) देश में औद्योगिक इकाइयों को रेल-गाड़ियों द्वारा कोयले की आपूर्ति करने की प्रणाली को पुनः चालू करने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	215 -216
(तीन) हिमाचल प्रदेश की स्वान नहर निर्माण परियोजना सहित शिवालिक परियोजना का निर्माण कार्य सातवीं योजना के समाप्त होने से पूर्व शुरू करने की आवश्यकता	
प्रो० नारायण चन्द पराशर	216
(चार) तालचेर स्थित भारी जल संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जेना	216—217
(पांच) उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न रोगों के फैलने को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री नित्यानन्द मिश्र	217
(छह) पूर्वी गोदावरी जिले के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने और पोलावरम परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता	
श्री श्रीहरि राव	217—218

विषय	पृष्ठ

(सात) राजस्थान में बसे बंगाली परिवारों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण फार्मूले की पुनः जांच करने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह 218

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88 ... ... 218—297

कृषि मंत्रालय

श्री सैयद मसूदल हुसैन ... ... 219—225

श्री सोमनाथ रथ ... ... 225—228

श्री जुझार सिंह ... ... 228—231

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन ... ... 232—234

श्री राम बहादुर सिंह ... ... 234—237

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ... ... 237—240

श्री योगेन्द्र मकवाना ... ... 240—251

श्री पी० कुलनदईवेलु ... ... 252—255

श्री उमाकान्त मिश्र ... ... 255—258

श्री उत्तम राठोड़ ... ... 258—261

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... ... 261—263

श्रीमती ऊषा चौधरी ... ... 263—365

श्री आर० प्रभु ... ... 265—269

श्री राजकुमार राय ... ... 269—271

श्री शमिन्दर सिंह ... ... 271—272

श्री राम भगत पासवान ... ... 272—274

श्री प्रकाश वी० पाटिल ... ... 274—275

श्री पीयूष तिरकी ... ... 275—276

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... ... 276—277

प्रो० एन० जी० रंगा ... ... 277—278

डा० जी० एस० ढिल्लों ... ... 278—287

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88	289—297
वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, आदि	
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक	298
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	298
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	298
श्री सी० माधव रेड्डी	298—299
श्री जी० एम० बनातवाला	299—300
श्री बी० के० गढवी	183—186
खंड 2 से 4 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढवी	300

लोक सभा

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1987/8 वैशाख, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तशरीफ रखिये हुजूर।

[अनुवाद]

श्री आचार्य वसुदेव : आप तैयार हैं !

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं हमेशा तैयार रहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमेशा तैयार रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ता है क्योंकि मुझे इसकी कीमत मिलती है। श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप खुश रहें, तो मैं भी खुश रहता हूं। आप जरा जोर से न बोलें, तो कोई गडबड़ नहीं होगी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की अन्तरिम रिपोर्ट

*320. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के लिए न्यायमूर्ति आर० बी० मिश्रा की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं : —

(1) इन कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता उसी आधार पर दिया जाना जारी रखा जाय जिस आधार पर कि वे इस प्रकार का मंहगाई भत्ता 1/1/1986 से पूर्व ले रहे थे अर्थात् उसी आधार पर जिस पर कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये तथा उस तारीख तक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जा रहा था। इन कर्मचारियों को 1/1/1986 के उपरान्त विभिन्न तारीखों पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार देय मंहगाई भत्ता, उनको उसी आधार पर ऐसी देय तारीखों से निर्मोचित किया जाय।

(2) इन उपक्रमों के हजार रु० या उससे कम मूल वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत अन्तरिम सहायता, इन उपक्रमों के सभी कर्मचारियों अर्थात् हजार रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों को भी उसी तारीख अर्थात् 1 जनवरी, 1986 से दी जाय, जब से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त सहायता प्रदान की थी।

(3) ये कर्मचारी मद (1) पर मंहगाई भत्ते के बारे में इस सिफारिश से उस समय तक शासित होंगे जब तक कि समिति इस मामले पर विचार करती रहेगी और इसके पश्चात् अपनाये जाने वाले पैटर्न के बारे में सिफारिशें करेगी। जब तक कि मंहगाई भत्ते का नया पैटर्न न अपना लिया जाय, तब तक मद (1) के अनुसार अदा किया गया मंहगाई भत्ता प्रतिलभ्य नहीं होगा। इसमें से कुछ कर्मचारियों के मामले में 1/1/1986 से पूर्व देय मंहगाई भत्ते की किश्तें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार प्रदान की गई थीं तथा उन आदेशों में यह शर्त लगाई गई थी कि यदि उन कर्मचारियों की याचिकायें स्वीकृत न हुई जिनके परिणामस्वरूप संबद्ध कर्मचारी द्वारा प्राप्त ऐसे भुगतानों की राशि जिसके वे हकदार होंगे, उससे अधिक पाई गई तो इस प्रकार की अधिक राशि, उस कर्मचारी को भविष्य में की जाने वाली अदायगियों जिसका वह हकदार होगा, उसमें से वसूल कर ली जायेगी। उपर्युक्त को देखते हुए यह शर्त लागू नहीं की जानी चाहिए।

(4) ऐसे मामलों में जहां या तो माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ कर्मचारियों को 1/1/86 से पहले की तारीखों से अन्तरिम सहायता स्वीकार करने का आदेश दिया गया था, उनके ऐसे भुगतानों में से वसूली के बारे में भी वही शर्त निर्धारित की गई हैं जिसका उल्लेख पिछले पैराग्राफों में किया गया है। चूंकि इन मामलों में 1/1/86 से पूर्व की स्थिति को संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए यह शर्त ऐसे मामलों में 1/1/86 से पहले प्रदान की गई अन्तरिम सहायता के बारे में लागू बनी

रहेगी। किन्तु, 1/1/86 से लेकर मद (2) के अधीन सुझाई गई अन्तरिम सहायता के बारे में ऐसी कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि अन्तिम सिफारिशें होने तक इसे अन्तरिम सहायता के रूप में समझा जाता है। अतः 1/1/86 से आगे कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी अन्तरिम सहायता के मामले में ऐसी कोई शर्त लागू नहीं की जानी चाहिए। यह दोनों ही अर्थात् जिन कर्मचारियों का मूल वेतन हजार रुपये से अधिक है और जो उपर्युक्त मद (2) के अन्तर्गत शामिल है तथा जिन कर्मचारियों का मूल वेतन हजार रुपये अथवा उससे कम है तथा जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के 19/2/86 के आदेशों के अनुसार अन्तरिम सहायता प्राप्त कर ली थी, पर लागू होगी। इन दो श्रेणियों के बीच भेदभाव से बचाव के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेशों में यह मामूली सा संशोधन किया जाना आवश्यक है। इससे सेवा निवृत्त होने वाले अथवा 1/1/86 को सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियो को कोई कठिनाई नहीं होगी।

(ग) उपर्युक्त सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। सरकारी उद्यमों को 19/3/87 को समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने सरकारी उपक्रम हैं, इनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन को अन्तरिम सहायता किस नीति के अन्तर्गत दी जा रही है। केन्द्रीय कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन आयोग के वेतनमानों को लागू कर के सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं लेकिन इनको क्यों वंचित रखा गया है, यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : सर, प्रश्न जो है यह पब्लिक सेक्टर के एम्पलाईज के बारे में है। पब्लिक सेक्टर में, माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं कहूं, लगभग 21 लाख वर्कमेंन है, एम्पलाईज हैं और लगभग 2 लाख हमारे एक्जीक्यूटिव्ज हैं। इन में दो पैटर्न हैं। पे स्केल्स के। एक तो इन्डस्ट्रियल पैटर्न पर डी०ए० से रिलेटेड स्केल्स आफ पे हैं और दूसरे सेन्ट्रल गवर्नमैंट डी०ए० का जो पैटर्न है, उस से संबंधित स्केल्स आफ पे हैं। इन्टेरिम रिलीफ जो हम ने अभी दिया है, उसका एक छोटा सा इतिहास है, जो माननीय सदस्य जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बहाल की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की चेयरमेनशिप में और उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उनके आदेशानुसार पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमैंट पैटर्न आफ डी०ए० पर एम्पलाईज हैं, उनको रिलीफ देने की अनुमति दी गई है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अन्तरिम सहायता की इन्होंने बात कही और अन्तरिम सहायता उन्होंने 75 से 100 रुपये दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1985 के सूचकांक के आधार पर यह दी गई है या वर्तमान सूचकांक के आधार पर दी गई है और 1985 का सूचकांक क्या है और अभी मौजूदा सूचकांक क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैंने कहा है कि एम्पलाईज और आफिसर्स एसोसियेशंस जो हैं, उनके कहने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कमेटी बहाल की गई थी। उस कमेटी ने सारे बिन्दुओं पर विचार किया और सारे बिन्दुओं पर विचार करके जो रिकमेंडेशंस दी हैं, वे काफी काम्प्रीहेंसिव हैं और उसी हिसाब से यह आदेश हुआ है सरकार का कि पब्लिक सैक्टर में हम पैमेंट करें इन्टेरिम रिलीफ का।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सुप्रीम कोर्ट वाली जो बात कही है, तो 19-2-86 का उसका फैसला

हुआ है कि इन्टैरिम सहायता दी जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि औद्योगिक उपक्रमों में जो कर्मचारी हैं, उनको सरकारी कर्मचारी माना जाएगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप के दो सवाल पहले ही हो गये हैं।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले 21 लाख कर्मचारियों के लिए हाल ही में सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि उनके सभी समझौतों का उत्पादकता से सम्बद्ध रखा जायेगा तथा 60 समझौते अभी लम्बित हैं। दूसरी बात है कि विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महंगाई भत्ता भिन्न-भिन्न है जैसे कि रिचर्डसन क्रूडस तथा भारत पैट्रोलियम में ज्यादा है। सरकार ने इस फैसले के पहले एकपक्षीय ही इनके महंगाई भत्ते में कमी कर दी है। भारत पैट्रोलियम जैसे सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अधिक मुनाफे में चल रहे हैं तथा अन्य उपक्रमों को घाटा हो रहा है। अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि गैर-सरकारी उपक्रमों के वर्तमान सर्विस शर्तों में कोई परिवर्तन अथवा कमी नहीं की जाये। अतः सरकार ने उनके मंहगाई भत्ते में कमी करने की कार्यवाही की है। वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। अतः सरकार कामगारों को एकतरफा जो कुछ भी मंहगाई भत्ता देगी उन्हें स्वीकार करना होगा, जब तक उत्पादन में कमी नहीं आयेगी कुछ भी नहीं दिया जाएगा और उसको श्रमिकों को हटाने का अधिकार है। क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे कार्यरत श्रमिकों के प्रति सरकार इतनी कठोरता बरतेगी ? मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। 1-1-86 से पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा था सरकार ने उसमें क्यों परिवर्तन कर दिया है ? अधिकारी संवर्ग की वेतन वृद्धि करने के लिए क्या सरकार ने हाल ही में निदेश दिए हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने सोचा था माननीय सदस्य मजदूर संघ गतिविधियों श्रमिकों तथा अधिकारियों के वेतन तथा सेवा-शर्तों के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। परन्तु उन्होंने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा उससे बड़ी निराशा हुई। प्रारम्भ में, मैं माननीय सदन को जानकारी दूंगा कि सम्पूर्ण सरकारी उपक्रमों में हम दो तरह की पद्धति (पैटर्न) का अनुसरण करते हैं। एक तो महंगाई भत्ते का औद्योगिक पैटर्न। जो सभी व्यक्ति औद्योगिक पैटर्न का महंगाई भत्ता तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं उनके वेतनमानों को प्रत्येक चार वर्षों में संशोधित किया जाता है। 1986 तथा 1987 के मजूरी संबन्धी समझौता अभी किया जाना है। सरकार ने एक पैकेज तैयार किया है जिसे उच्चतम स्तर पर अनुमति भी दे दी गई है तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी भी दूंगा कि 22 लाख श्रमिकों में से 95 प्रतिशत श्रमिक औद्योगिक पैटर्न का महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इन 95 प्रतिशत श्रमिकों के संबंध में हमने मजूरी सम्बन्धी समझौतों के लिए मार्ग निर्देश अनुमोदित कर दिए हैं।

डा० दत्ता सामन्त : महंगाई भत्ते को कम कर के ?

प्रो के० के० तिवारी : इस पैकेज को सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भेज दिया गया है तथा इस पर बातचीत चालू है। दूसरा पैटर्न बाकी बचे 5 प्रतिशत कर्मकारों तथा लगभग 15 प्रतिशत एक्जीक्यूटिवों के लिए है।

डा० दत्ता सामन्त : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह है कि उनके महंगाई भत्ते में कमी कर दी गई है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह महंगाई भत्ते का सरकारी पैटर्न है। सरकार चाहती थी कि इन सभी

हुई श्रेणियों को अर्थात् जो कि सरकारी पैटर्न का महंगाई भत्ता ले रहे हैं,उन्हें औद्योगिक पैटर्न के महंगाई भत्ते में जोड़ दिया जाये। यह आदेश 1984 में हुआ था। चूंकि कामगार तथा अधिकारीगण सरकार के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। कई राज्यों में ये लोग उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में गये। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय लिया कि उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सरकार को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनानी चाहिये। ऐसा हमने किया। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मिश्रा ने की तथा हमने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमने इस वर्ग के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि महंगाई भत्ते का भुगतान समिति के निदेशों के अनुसार किया जाये। हमने उनके महंगाई भत्तों में कोई कमी नहीं की है। यह समिति पर निर्भर करता था कि महंगाई भत्ते के पैटर्न के लिए वह कुछ भी सिफारिशें दे। समिति की सिफारिशें पूरी तरह से स्वीकार कर ली गई हैं। तथा हमने महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिये भी निर्देश जारी कर दिये हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या माननीय मन्त्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि दो तरह के महंगाई भत्ता पैटर्न बनाने का औचित्य क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही सरल है। 1984 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी कामगारों तथा एक्जीक्यूटिवों को औद्योगिक पैटर्न का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अत: हम भी चाहेंगे कि वे औद्योगिक पैटर्न का महंगाई भत्ता स्वीकृत करें क्योंकि 95 प्रतिशत कर्मकार इसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं तथा उसके तहत मजूरी सम्बन्धी संशोधन के लिए प्रत्येक चार वर्ष में समझौता किया जाता है। इस समय हम 95 प्रतिशत श्रमिकों को औद्योगिक पैटर्न पर महंगाई भत्ता देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सरकार वास्तव में ऐसा ही करना चाहती है परन्तु कुछ लोगो को ऐसा स्वीकार नहीं था और वे लोग अदालत में गए। देश में न्याय की सर्वोपरि अदालत उच्चतम न्यायालय ने इस समिति को बनाने का निर्देश दिया था तथा समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने को भी कहा गया था। और हमने उनकी अन्तरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार कार्य किया है। अन्तिम रिपोर्ट 1987 के अन्त तक आयेगी और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरह की सिफारिशें प्राप्त की गई हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि लम्बी अवधि के गतिरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर उनकी मजूरी संशोधन सम्बन्धी बातचीत करनी चाहिए। परन्तु क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि इन वार्ताओं की अभी शुरूआत ही की गई है, इससे पहले ही केवल अधिकारियों, एक्जीक्यूटिवों को अन्तरिम राहत के रूप में अच्छी खासी रकम दे दी गई है। और क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इससे श्रमिकों के बीच काफी असंतोष फैला है ? उन्हें इस बात से कोई नाराजगी नहीं है कि अधिकारियों को अन्तरिम सहायता दी जा रही है परन्तु इस समय सिर्फ अधिकारियों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है जबकि श्रमिकों से कहा जा रहा है कि उन्हें वार्ता समाप्त होने तक इन्तजार करना पड़ेगा। अत: क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इससे औद्योगिक असंतोष होगा और क्या वे अधिकारियों को दी जाने वाली अन्तरिम राहत को कम से कम तब तक स्थगित करेंगे जब तक कि श्रमिकों सम्बन्धी अन्तरिम राहत का प्रश्न हल नहीं हो जाता ?

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मैं माननीय सदस्य का सहयोग चाहता हूं कि जो कि बहुत ही सुलझे हुए प्रख्यात मजदूर संघ के नेता हैं। वे देश में औद्योगिक शांति बनाये रखने में मदद कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करना देश और श्रमिकों दोनों के ही हित में है। अधिकारियों को अन्तरिम राहत काफी पहले

दी जानी चाहिए थी। मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि किन परिस्थितियों में हमें अन्तरिम राहत देनी पड़ती है। श्रमिकों के वेतन में हर चार वर्ष बाद संशोधन किया जाता है। अधिकारीगण के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारे यहां अच्छे एक्जीक्यूटिवों की वास्तव में कमी है तथा अच्छे वेतन तथा उनके लिए भविष्य में अच्छे मौके न होने के कारण हम लोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने में असमर्थ रहे हैं। काफी लम्बे समय से उनके वेतनमान संशोधन नहीं किये गये हैं। वर्तमान में जो वेतनमान हैं वे बहुत ही कम थे और उनमें कुछ असंगतियां भी थीं। बहुत से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक्जीक्यूटिवों को बहुत ही कम वेतन मिलता है। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने उन्हें अन्तरिम राहत देने का निर्णय लिया है। यह उनके वेतनमानों का संशोधन नहीं है क्योंकि यह भी आखिरकार उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति की अन्तिम सिफारिशों से जुड़ा है। सरकार तथा मजदूर संघ के बीच स्थायी समझौते के अनुसार कर्मकारों के लिए एक पृथक पैकेज है। इसलिए मेरे विचार से कामगारों के बीच कोई द्वेष की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु क्या वह इस द्वेष के बारे में जानते हैं अथवा नहीं ?

प्रो० के० के० तिवारी : जी हां, मुझे मालूम है। इसलिए मैंने यह बात स्पष्ट करनी चाही कि दो भिन्न-भिन्न मसले हैं। किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का आन्दोलन ऐसी बात पर नहीं होना चाहिए जिसका कोई अस्तित्व ही न हो।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मद है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मुखोपाध्याय जी सिर्फ एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का नियम है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री एच०बी० पाटिल, श्री राम प्यारे सुमन, डा०ए०के० पटेल, श्री दिग्विजय सिंह, श्री नरसिंह सूर्यवंशी—यह तो बहुत ज्यादा हो गया है। श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति, चौधरी राम प्रकाश, श्री ए० जयमोहन—आज कोई खास प्रोटेस्ट तो नहीं है।

[अनुवाद]

क्या प्रश्नकाल के विरुद्ध विरोध है ?

[हिन्दी]

श्री एच० जी० रामुलु, श्री राधाकान्त डिगाल, श्रीमती गीता मुखर्जी—यह बात मुझे अखरती है।

[अनुवाद]

मुझे बहुत बुरा लगता है। हम अत्यधिक समय, धन और शक्ति खराब करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजना के लिए ठेका

*829. **श्री इन्द्रजीत गुप्त†**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पश्चिम जर्मनी की एक कम्पनी क्राफ्टवर्क्स यूनियन की सहायक ठेका कम्पनी के रूप में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कवाम (गुजरात) में प्रस्तावित गैस पर आधारित विद्युत परियोजना का ठेका प्राप्त करने की इच्छुक थी;

(ख) क्या यह ठेका क्राफ्टवर्क्स यूनियन को प्राप्त हो गया;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इससे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हितों पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा ठेका देने के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कम से कम मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कवास में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना के लिए यह ठेका देने के बारे में तीन विदेशी कम्पनियों से वार्ता चल रही है—मेरे विचार से पहली जापान की मित्सुबिशी, दूसरी फ्रांस की एलस्टन जी० ई० और इसके अतिरिक्त यह जर्मन फर्म क्राफ्टवर्क्स यूनियन है। क्या यह सच है कि जब ठेके के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे तो सबसे कम और सस्ता टेंडर इस जर्मन फर्म क्राफ्टवर्क्स यूनियन का था। हमारे देखने की बात यह है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एक उप-ठेकेदार हैं अथवा इस परियोजना में क्राफ्टवर्क्स के साथ उप-ठेकेदार ही रहना चाहता है। अगर क्राफ्टवर्क्स को ठेका मिलता है तो सरकारी क्षेत्र की कम्पनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को काम का बड़ा हिस्सा मिलेगा जिसका अनुमानित मूल्य कई सौ करोड़ होगा। मैं जो प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्राफ्टवर्क्स द्वारा सबसे कम बोली का ठेके देने के बाद जिससे 'भेल' को फायदा होगा क्या टेंडर, बोली कीमत में परिवर्तन करने के लिए किसी मूल्यांकन समिति द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस मूल्यांकन समिति के सदस्य कौन-कौन हैं जिनके कारण क्राफ्टवर्क्स सबसे सस्ता ठेका होने की बजाय अब सबसे महंगा ठेका हो गया है ? क्या विश्व बैंक ने भी 'अबास्को' नाम के किसी सलाहकार को नियुक्त किया है और वह भी इस क्राफ्टवर्क्स यूनियन के अलावा किसी अन्य कम्पनी का पक्ष ले रहा है। हमें विश्व बैंक की नीति का पता है। वे चाहते हैं कि सरकार सारे ठेके विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को दें तथा काम का कोई भाग किसी भी भारतीय फर्मों को न दे, विशेषकर किसी सरकारी क्षेत्र को। अतः आपने अभी तक ठेके को अन्तिम रूप नहीं दिया है परन्तु मैं चाहता हूं कि आप सभा को फिर से आश्वस्त करें कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हमारी अपनी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी के हितों को विश्व बैंक द्वारा इन दूसरी कम्पनियों के पक्ष में, जिससे 'भेल' इस कार्य में अपना हिस्सा गंवा देगा, दबाव में आकर 'भेल' के हितों का बलिदान नहीं किया जायेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : अनुपूरक प्रश्नों से, जिन्हें मैंने अभी सुना है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह भाग जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। यह ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके सामने बैठे हुए हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : इस बारे में विश्वव्यापी (ग्लोबल) टेंडर या निर्णय ऊर्जा मंत्रालय को

लेना होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि 'भेल' को इस कार्य में हिस्सा मिले। अतः, परियोजना के बारे में विस्तृत सूचना, निर्णय करने की प्रक्रिया, कौन-कौन सी पार्टियां सम्बद्ध हैं, ये सब बातें ऊर्जा मंत्रालय के विचारार्थ भेजनी होती हैं। लेकिन माननीय सदस्य की सूचना के लिए, मैं उन्हें बता सकता हूं कि यह एक बड़ी परियोजना है जिसमें लगभग तीन ,स्थानों पर 1500 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। ये गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। कवास उनमें से एक है और कवास की लागत लगभग 324 करोड़ रुपये है। विशेष आवश्यकताओं के कारण यह एक नया तकनीकी क्षेत्र है— 'भेल' इसमें हिस्सा लेने का बहुत इच्छुक है क्योंकि उसे अनुभव के साथ कम्पनी के लिए आर्डर प्राप्त होते हैं। अतः 'भेल' क्राफ्टवर्क्स यूनियन में उप-ठेकेदार के रूप में भागीदार हैं और ठेके में क्राफ्टवर्क्स यूनियन मुख्य भागीदार है। पूरा मामला सरकार के विचाराधीन है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो अभी किया जाना है और ऊर्जा मंत्रालय के पास विशिष्टियां और पैरामीटर हैं। अतः जब अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा, सभी मामलों को ध्यान में रखा जायेगा। 'भेल' एक स्वदेशी विद्युत उपकरण के रूप में—निर्माण उपकरण यूनिट को नये तकनीकी कार्य में तथा स्वदेशी रूप से निर्माण करने के आर्डर प्राप्त करने में भागीदारी मिल सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार एक है। क्या ऐसा नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए उन्होंने कुछ इसी प्रकार की बात कही है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी को तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से, साठे जी भी हैं···

[हिन्दी]

एक कहावत है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने यह बिलकुल स्पष्ट बताया है कि मूल्यांकन हो रहा है। अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः, माननीय सदस्य के मन में यह आशंका है कि स्वदेशी क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जायेगा, स्वदेशी क्षमता का उचित उपयोग नहीं किया जाता है यह निराधार है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। उद्योग मंत्रालय में, हमने अपना दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और निश्चित ही सरकार एक है और इसलिए सरकार निर्णय लेगी और वह सरकार के उद्देश्यों के पक्ष में होगा जिसमें अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग भी शामिल है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम बहुत परेशान हैं क्योंकि ठीक या गलत खबर यह है कि ऊर्जा मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय इस प्रश्न पर एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। एक गम्भीर मामला है जो सरकार को अस्थिर कर सकता है। यह बहुत बुरा होगा।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय, यह सही नहीं है। हम झगड़ नहीं रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो टोबेस्को ही सुना था, यह एवेस्को आ गया।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस मूल्यांकन समिति में कौन-कौन व्यक्ति हैं जिन्हें अन्तिम मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्व बैंक द्वारा 'एबेस्को' के नाम से नियुक्त सलाहकार अभी भी कार्य कर रहा है और यदि हां, तो हमें इसके बारे में चिन्ता है क्योंकि हम विश्व बैंक की नीति के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की इस कम्पनी को बाहर निकालना चाहेंगे। अतः हम इसके बारे में थोड़े से आशंकित हैं। महोदया, शायद इस पर कुछ प्रकाश डाल सकेंगी।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : यद्यपि यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से नहीं पूंछा गया था—इस कारण से मैं चुप रहने की कोशिश कर रहा था—अब मेरे माननीय सहयोगी तथा सभी ने कहा है कि ऊर्जा मंत्रालय इसमें कार्य कर रहा है। हम इसमें कार्य कर रहे हैं। इन सभी प्रस्तावों की जांच की जा रही है। यह सच है कि विश्व बैंक के परामर्श के साथ एन० टी० पी० सी० द्वारा, न कि विश्व बैंक द्वारा बल्कि हमारे द्वारा, एक सलाहकार नियुक्त किया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो विश्व बैंक द्वारा सुझाया गया था।

श्री वसन्त साठे : एक पैनल था जिसमें से हमने 'एबेस्को' को चुना था। ये सलाहकार थे। महोदय, एन० टी० पी० सी० बोर्ड द्वारा विभिन्न पार्टियों द्वारा भरे जाने के लिए शर्तों का एक पूर्ण मापदंड तैयार किया गया था, छः पार्टियों ने उनके टेंडर भरे थे, उनका मूल्यांकन किया गया है, एन० टी० पी० सी० बोर्ड, समिति, विभिन्न टेंडरों का मूल्यांकन कर रही हैं, इस समय यह मूल्यांकन की प्रक्रिया में हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : बोर्ड में कौन-कौन से सदस्य हैं?

श्री वसन्त साठे : कौन से सदस्य?

प्रो० एन० जी० रंगा : बोर्ड के सदस्य।

श्री वसन्त साठे : एन० टी० पी० सी० बोर्ड के सदस्य—इस समय मेरे पास सबके नाम नहीं हैं।

अतः, जैसा मैंने कहा है, हम सदैव राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हैं। सरकार किसी भी मन्त्रालय के बारे में प्रत्येक निर्णय करते समय राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रूप से ध्यान में रखती है और राष्ट्रीय हित का बलिदान नहीं किया जायेगा।

गैर-सरकारी ठेकेदारों/एजेन्टों के माध्यम से डाक संबंधी कारोबार

*832. **श्री कमल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों के माध्यम से डाक टिकटों की बिक्री बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन से कारण हैं;

(ग) क्या रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं की बुकिंग लाइसेंस शुदा गैर-सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आरम्भ की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या डाक संबंधी कुछ अन्य किस्म के कार्य भी इस प्रकार की लाइसेंस शुदा

गर-सरकारी एजेन्सियों को सौंपे गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से रक्षोपाय किए गये हैं कि ये एजेन्सियां बिना किसी किस्म के कदाचार के कार्य करें ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विभाग द्वारा अलग-अलग समय पर डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री के लिए तीन योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं । ये योजनाएं हैं :—

(i) प्राइवेट एजेन्सियों के माध्यम से डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री के लिए 1969 में एक योजना प्रारम्भ की गई थी उस समय इन मदों की कमी के कारण इस योजना को 1979 में समाप्त कर दिया गया था, फिर भी इस योजना को 1-9-83 से पुन: प्रारम्भ किया गया था । इसके लिए $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत का कमीशन दिया गया । इस योजना के अधीन भूतपूर्व सैनिक, डाकतार पेंशन भोगी मृतक डाक तार कर्मचारियों के आश्रितों, शिक्षित बेरोजगारों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं ।

(ii) पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त लोगों के माध्यम से डाक टिकटों और लेखन सामग्री की बिक्री के लिए 26-6-1980 से एक दूसरी योजना प्रारम्भ की गई थी । इसमें कमीशन की दरें ऊंची थीं जो इस प्रकार हैं :—

(क) प्रतिमाह 100 रु० तक	5 प्रतिशत
(ख) प्रतिमाह 101 रु० से 200 रु० तक	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(ग) 201 रु० से अधिक	10 प्रतिशत

(iii) लाइसेंस शुदा पोस्टल एजेंटों की तीसरी योजना 16-8-1985 से आरम्भ की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत भी लाइसेंस शुदा एजेन्टों के माध्यम से जनता को डाक टिकटें और लेखन सामग्री सुलभ कराई जाती है । 1,000 रु० प्रतिदिन तक की बिक्री पर 3 प्रतिशत और 1,000 से ऊपर की बिक्री पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत सामान्यतया सामाजिक संस्थानों/स्वयंसेवी/एजेंसियों/महिला संगठनों/सहकारी सोसाइटियों को लाइसेंस दिये जाते हैं । युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस देने पर विचार किया जाता है । ये तीनों योजनाएं चल रही हैं और किसी को भी समाप्त नहीं किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित लाइसेंस शुदा डाक एजेन्टों की योजना के अधीन लाइसेंस शुदा एजेन्टों को जनता द्वारा प्रस्तुत पत्र डाक की पंजीकृत वस्तुओं को भी बुक करना होता है ।

(घ) डाक टिकट और लेखन सामग्री की बिक्री और पंजीकृत पत्रों की बुकिंग के अलावा इन एजेन्टों द्वारा कोई अन्य डाक संबंधी लेन देन नहीं किया जाता है। वैसे लाइसेंस शुदा डाक एजेन्टों को अपने अहाते में लगे लैटरबक्स से डाक निकालनी होती है और उसे प्राधिकृत डाकघर को भेजना होता है।

(ङ) लाइसेंस शुदा डाक एजेन्टों के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं।

(1) लाइसेंस शुदा डाक एजेन्टों को बचत पत्रों के रूप में 1000 रु० की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होती है या ईमानदारी का बांड देना होता है ताकि वे अपनी जिम्मेवारी को उचित ढंग से निभा सकें।

(2) विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस एजेन्सी का निरीक्षण/सत्यापन/समीक्षा की जाती है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए एजेन्ट आहते पर जायेंगे कि :

(क) डाक कार्य संतोषप्रद ढंग से चल रहा है।

(ख) डाक टिकटें और लेखन सामग्री को उन पर छपे मूल्य पर बेचा जाता है।

(ग) केवल प्राधिकृत डाकघर द्वारा सप्लाई की गई डाक टिकटें और लेखन सामग्री का ही इस्तेमाल होता है/बेची जाती है।

(घ) जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

(ङ) स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एजेन्ट डाक टिकटों और लेखन सामग्री का पर्याप्त स्टाक रखता है।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी किसी लाइसेंस शुदा डाक एजेन्ट के कार्य/आचरण से संतुष्ट न हो, तो वह एक महीने का नोटिस देकर उसका लाइसेंस समाप्त कर सकता है।

श्री कमल चौधरी : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक टिकटों की बिक्री पहले शुरू की गयी थी और बाद में बन्द कर दी गई।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मूल रूप से एक योजना थी जिसे लाइसेंस शुदा एजेन्ट कहते थे और बाद में इसे एक दूसरी योजना 'लाइसेंस शुदा पोस्टल एजेन्ट' के साथ संबद्ध कर दिया गया था। यह सच है कि 1969 से 1979 तक की थोड़ी सी अवधि के लिए इसे जारी रखा गया था, लेकिन फिर 1983 में संपूर्ण योजना को शुरू किया गया था और यह नई योजना 26-6-1986 से लागू की गई थी।

श्री कमल चौधरी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या जाली टिकटें अथवा प्रयोग की गई टिकटें बड़े स्तर पर कुछ पार्टियों द्वारा बेची गई थीं जिसके कारण राजस्व की भारी हानि हुई ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, डाक से भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु पर लगी जाली टिकटों को स्वीकार नहीं किया जा सकता और मेरे विचार से कोई जाली टिकट नहीं बेची गई थी, सभी टिकटों को सरकार द्वारा जारी किया गया है और बाजार में कोई जाली टिकट नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लोक अदालतें

*833. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985-86 के दौरान मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई और इन लोक अदालतों द्वारा कितने मामले निपटाए गये;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में अब भी बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार :—

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान 51 लोक अदालतें आयोजित की गईं और कुल 82,404 मामलों का निपटारा किया गया।

(ख) अपेक्षित जानकारी, विवरण-1 में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) अपेक्षित जानकारी, विवरण-2 में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-1

उत्तर प्रदेश में लंबित मामलों की संख्या

क्रम सं०	न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या	निम्नलिखित तारीख को यथाविद्यमान
1.	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	2,88,060	30-06-1986
2.	सेशन न्यायालय	66,432	31-12-1983
3.	मजिस्ट्रेट के न्यायालय		
(i)	पुलिस चालान	5,20,357	31-12-1983
(ii)	शिकायत-मामले	2,58,445	31-12-1983
4.	मूल अधिकारिता के सिविल न्यायालय	2,43,047	31-12-1983
5.	अपील अधिकारिता के सिविल न्यायालय	1,02,880	31-12-1983

विवरण-2

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गये कदम

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्य के मुख्य मन्त्रियों और विधि मन्त्रियों के 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 1985 तक हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के विषय में विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजे गये हैं।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सन् 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था (देखिए धारा 100क)।

3. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दण्ड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी।

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 1 फरवरी, 1987 को बढ़ाकर 440 कर दिया गया है।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

   (क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

   (ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

   (ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

   (घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

6. विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के विचारों सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

7. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है।

   विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

   (क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तंत्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

   (ii) उपर्युक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके;

न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को, अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय;

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी विधियां-साधारणत: मामलों के शीघ्र निपटाने अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलंब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क(i) और मद क(ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग।

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण।

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका।

(छ) ऐसे मानदण्डों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है।

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से।

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझें या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा स्पष्ट है कि देश में लोक अदालतों की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई ताकि लिटिगेंट्स को शीघ्र और सस्ता न्याय प्राप्त हो सके परन्तु इन लोक अदालतों के कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसमें

[अनुवाद]

उन्हें समझौता करना पड़ता है। जो जुर्माना उन पर लगाया जाता है उसे मानना पड़ता है। इससे साफ पता चलता है कि मुकदमा लड़ने वालों को वास्तव में न्याय नहीं मिलता। उन्हें समझौता करना पड़ता है। इस संदर्भ में मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्रता के बाद स्थापित की गई ग्राम पंचायतें या न्याय पंचायतें अब अप्रचलित हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या गरीब मुकदमा लड़ने वालों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस पूरक के दो पहलू हैं। पहला इस आरोप के बारे में है कि लोक अदालत में लोगों को मजबूरन समझौता करना पड़ता है। मैं स्पष्ट रूप से इसका विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि लोक अदालतों का आयोजन काफी वरिष्ठ न्यायाधीशों, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों की उपस्थिति में होता है। अदालत के बाहर निपटाए जाने वाले मुकदमों का फैसला सौहार्दपूर्ण होता है क्योंकि उन्हें समझौते द्वारा निपटाया जाता है। मेरे विचार से प्रत्येक के विचारानुसार यह न्याय का सर्वोत्तम रूप है।

जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि निम्न स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में हमें न्यायिक सुधार आयोग न्यायमूर्ति धीरूभाई देसाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमें इस दृष्टिकोण की जानकारी है कि निम्न स्तर पर न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसमें लोग शामिल हो सकें, न्याय स्वयं आसानी से लोगों को उपलब्ध हो। अपनी सलाहकार समति के अनेक सदस्यों के साथ हम इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं और इस दिशा में हम न्यायिक सुधार में मौलिक परिवर्तन करने के प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में 1983 तक की जो फीगर्स हैं, उनसे ज्ञात होता है कि 14 लाख मुकदमें लम्बित अब भी पड़े हैं। 1973 के पूर्व छोटे-छोटे मुकदमें, पेटी केसेस जो होते थे वे एक्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट देख लिया करते थे, लेकिन 1973 में सी०आर०पी०सी० में संशोधन करके या सारे मुकदमें सरकार ने मुन्सिफ और जजों को दे दिए और ये मुकदमें जो समरी ट्रायल के आधार पर 10 दिन, एक दिन, एक घंटा या तत्काल निर्णित किए जा सकते थे, उनको उन्हें देकर उनमें अब तीन-तीन, और चार-चार साल तक तारीखें पड़ने लगी हैं जिससे मुकदमा लड़ने वाले गरीबों को परेशानी होती है और उनके थाली-लोटा तक बिक जाते हैं, तो क्या मंत्री जी 1973 से पूर्व की सिचुएशन क्रिएट करके इन छोटे-छोटे, गैम्बलिंग, पिक-पाकेटिंग, एक्साइज आदि के केसेस को एक्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट को देकर समरी ट्रायल को इफेक्टिव बनाएंगे या ऐसे ही तीन-तीन साल तक इनको चलाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक मामलों के विचारण की शक्ति देना पीछे लौटाने के बराबर है क्योंकि न्याय के सम्बन्ध में गांधी जी के दर्शन के अनुसार न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। जहां तक छोटे-मोटे मामलों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को देश में लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों के आंकड़े देता हूं। आप देखेंगे कि अभी तक इस दिशा में हमने लगभग 70 लाख लोगों की सहायता की है और अपराधों के शिकार व्यक्तियों को देने के लिए हमें 20 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिले हैं। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। हम विचार कर रहे हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट लोक अदालत या ग्राम न्यायालय संक्षिप्त विचारण करें ताकि गरीबों को ज्यादा पैसा खर्च करना और परेशानी का सामना न करना पड़े। हम जानते हैं कि आप गरीब व्यक्ति को काफी पैसा और समय व्यय करना पड़ता है और काफी घूमना भी पड़ता है। इसलिए हम सबसे पहले और सबसे अधिक प्राथमिकता न्यायिक सुधार को दे रहे हैं। बल्कि हम बेहतर किस्म का न्याय उपलब्ध करा रहे हैं, हम इस प्रकार का न्याय उपलब्ध करा सकते हैं जो उससे बेहतर न्याय होगा जो हम आज गरीबों को उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के मामले में आप यह सुनिश्चित नहीं कर

सकते कि वह पूरी तरह प्रशिक्षित होगा या उसे न्यायिक अनुभव होगा। 1973 और उससे पूर्व कार्यकारी मजिस्ट्रेट थे। वे अवैतनिक मजिस्ट्रेट थे जो कि राजा साहब, राय बहादुर हुआ करते थे। जिस तरह से वे मामलों को निपटाते थे उसका विरोध सारे वकील संघ किया करते थे। अतः इस प्रकार के मजिस्ट्रेट बनाने बन्द कर दिए गए। मैं नहीं सोचता कि यह सही विकल्प है। सही विकल्प प्रणाली को बदलना होगा क्योंकि यह एंग्लो-सैक्शन प्रणाली पर आधारित है जोकि देश की विचारधारा से मेल नहीं खाती। हम इसे बदलने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लोक-अदालत का यह कंसैप्ट गांव वालों के ऊपर पुलिस द्वारा चलाए गए छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला करने तक सीमित है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी, जहां के जजेज़ देश को शिक्षा दे रहे हैं लोक अदालत की, उन अदालतों में भी क्या कभी यह कानून और व्यवस्था लागू की जायेगी ? मुझे तो शंका है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज़ और वकील जो लम्बी-चौड़ी फीस लेकर काम करते हैं और जजेज़ जिस तरीके से मुकदमों को वर्षों-वर्षों, दशकों तक लटकाये रहते हैं, यहां क्यों नहीं लोक अदालत कायम की जाती ? सुप्रीम कोर्ट इसमें आदर्श प्रस्तुत करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुकदमों को अनन्त काल तक लटकाता जाता है और गांव वालों को तबाह करने के लिए जो कार्यक्रम आप चलाते हैं और राज्य सरकारें इसका आयोजन करती हैं, जिस जिले में लोक अदालत करनी होती है तो वहां की पुलिस को आदेश होता है कि मुकदमे लाओ और वह तरह-तरह के दफा 34 वगैरह के जितने मुकदमे यहां पर पड़े होते हैं। चकबन्दी के जो मुकदमें 25 बरस से चल रहे हैं, लोक अदालत उनमें सहयोग नहीं दे पाती। जो न्याय की बात आप कर रहे हैं कि हम चलाते हैं, वह एक्सपैरीमेंट कानून आज भी बना हुआ है और उत्तर प्रदेश, बिहार में पंचायत कानून बना था लेकिन मुकदमे वहां जाते नहीं हैं अगर कोई दाखिल भी करे तो लोग तुरन्त ट्रांसफर करा लेते हैं। आपने कहा कि आनरेरी मजिस्ट्रेट नहीं है, मैं समझता हूं कि उस अधिनियम के अन्दर व्यवस्था की गई थी लेकिन वही वकील जो इसके खिलाफ थे उन्होंने बाद में एजीटेशन किया कि आनरेरी मजिस्ट्रेट कायम किये जाएं और आज आनरेरी मजिस्ट्रेट कायम किये गये।

एक माननीय सदस्य : वह स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं।

श्री श्यामलाल यादव : वह आनरेरी मजिस्ट्रेट की तरह ही हैं, उनको भत्ता आप देते हैं। ऐसी सूरत में मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप भी योग्य वकील हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी लोक अदालत के कंसैप्ट को निकट भविष्य में लागू किया जायेगा ? क्या इसके बारे में थिंकिंग है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ की क्या राय है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : यादव जी ने बड़े जज़बात के साथ यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोक-अदालत नहीं है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक लोक-अदालत का ताल्लुक है, तो किसी कानून के अधीन लोक अदालत नहीं है। यह एक स्ट्रेटेजिक लीगल एड है जो हम समझते हैं कि उन गरीब लोगों को जिनको ज्यादा खर्च होने की वजह से न्याय नहीं मिल पाता, उनको तुरन्त एक किस्म की जैसी कि आपने इंटीरियम रिलीफ की बात कही, वह चीज़ की गई है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेज़ काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, कोर्ट्स में काफी केसेज़ आ रहे हैं।

जहां तक लोक अदालत के जरिये जो केसेज़ हमने निपटाये हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं किस तरह से सबसे पहले हमने मोटर एक्सीडेंट्स ट्रिब्यूनल के केसेज़ लिये, जिसके अन्दर किसी परिवार का रोजी कमाने वाला आदमी अगर कोई मारा जाता है तो उनको दो-दो और चार-चार साल तक

कम्पेंसेशन नहीं मिल पाता था, इसलिये सबसे पहले यह अनुभव किया गया है कि कम्पेंसेटरी जस्टिस पहले कराया जाये और मोटर एक्सीडेंट्स के केसेज तुरन्त कम्प्रोमाइज के जरिये तय किये जायें। उसमें हमने इंश्योरेंस के आफिसर्स को भी बुलाया, दूसरों को भी बुलाया और आप देखेंगे कि राजस्थान में कितने मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल के केसेज को हमने मुआवजा दिलाया है। रेगुलर कोर्ट में जो 10 साल में होता है, वह एक साल में हमने दिलाया है। यह एक अच्छा काम किया गया है लोक अदालत ने, इसको सराहना की जानी चाहिये, लेकिन यहां उलटा कहा जा रहा है।

दूसरे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो जमीन जोतते थे, उनके पानी आता था,

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये, मैं आपकी बात भी बताऊंगा। मैं सारी चीज सदन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि जो लोक अदालत का काम हो रहा है, वह यहां बैठकर नहीं आंका जा सकता है। हर एम०पी० जो लोक अदालत में शामिल हुआ है, उससे पूछिये जिसके जिले में लोक अदालत है, उससे पूछिये। आज बड़े-से-बड़ा नेता जाता है, कोई भी आदमी उसका भाषण सुनने को तैयार नहीं। हमारे लोक अदालत में 25, 25 हजार लोग आते हैं। (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां पर कितना मुआवजा दिलाया जा रहा है? अगर मुआवजे के कानून को आप जानते हों, तो उसमें एक सिस्टम दिया हुआ है एक कि आदमी की उम्र कितनी है, उसका व्यवसाय क्या था, उसकी कितनी जिन्दगी बाकी थी और कितना वह कमा सकता था। यह हाई कोर्ट जज सारा जानते हैं। उसके आधार पर ही यह सब निर्धारित करके उसमें 5—10 हजार जोड़कर दिलाया जाता है। इसमें किसी का भी हक तलफी नहीं होता है। लोक अदालतों के जरिये वही चैक दिलाया जाता है और वहीं जमा कराया जाता है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक अदालतों के जरिये कम से कम 50 या 60 हजार ऐसे लैंडलैस लेबर्स के केस किये गये हैं जिनके चालान होते थे। अगर वह थोड़ी सी जमीन दरिया के किनारे से जोत लेते थे तो रेवेन्यू वाले उनका चालान कर देते थे और पैसा ले लेते थे। हमने उन चालानों के आधार पर 5-5 साल के पट्टे दिलाये हैं ताकि वह रोजी-रोटी कमा सकें। अगर आप इस प्रतिक्रिया को सही रूप से देखें तो पता चलेगा कि यही एक सिलसिला है जिसके द्वारा गरीबों की सहायता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस किस्म का महंगा न्याय है कि कोई भी गरीब आदमी वहां जा नहीं सकता है।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान : विधि मन्त्री जी द्वारा की गई व्याख्या से लगता है कि लोक अदालतें न्याय पर आधारित न्यायालय नहीं हैं बल्कि वे समझौता कराने वाली एजेंसियां हैं। तो आप इन्हें लोक अदालतें क्यों कहते हैं ? उन्हें लोक अदालत कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदालत तो है ही नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर बाबा ही घर आ जाता है तो उसको कुछ भी कह दो।

श्री अताउर्रहमान : काम तो सही है लेकिन काम बनता नहीं है।

[अनुवाद]

दूसरी बात यह है कि मान लो समझौते के बाद फिर असहमति हो जाए तो वे क्या कानूनी कार्य-

वाही करेंगे ? इस पर वे क्या कार्यवाही करेंगे ? इन दो पहलुओं के बारे में मैं जानना चाहता हूं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : दुर्भाग्य से लोक अदालतों के पीछे जो भावना है उसे हम समझ नहीं पाए हैं। विश्व में ऐसे देश हैं विशेष रूप से समाजवादी देश जिनमें लोग न्याय प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इसलिए उन्हें वे 'पीपुल्स कोर्ट' कहते हैं। भारत में हमारी भी यही धारणा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

यह गलत बात है कि आप बोलने नहीं देते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अगर हम इस व्यवस्था को देखें—मौजूदा प्रणाली यह है कि व्यक्ति अपना केस ? वकील के चैम्बर में छोड़ आता है। और पैसा देता है पर वह नहीं जानता कि मामले में क्या हो रहा है। वह महसूसकरता है कि मामला निर्णय के लिए न्यायाधीशों पर छोड़ दिया गया है। मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं हूं। लेकिन चाहे भारत हो या अमरीका निर्णय के समय अगर हर लोक-अदालत में न्यायाधीश, स्थानीय मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक न्यायाधीश सहित प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित हो तो हर तरह से न्यायालय से बाहर निर्णय होगा। 70-80 प्रतिशत मामलों में न्यायालय के बाहर निर्णय लिया गया। भारतीय भी यही चाहते हैं। झगड़े की स्थिति में दो पक्ष एक साथ मिलकर बैठते हैं और सौहार्दता से अपने विवादों का निपटारा करते हैं। मेरे ख्याल से यह कहने का सवाल नहीं उठता कि यह न्याय दिलाने की बेहतर व्यवस्था नहीं है। अगर लोग शामिल होते हैं तो मुझे विश्वास है कि निर्णय के बाद अपील नहीं की जाएगी क्योंकि वे मिलजुलकर सौहार्दतापूर्ण ढंग से उसे सुलझाते हैं। इसीलिए इसे लोक अदालत कहा जाता है। लोक मायने जनता और अदालत का अर्थ है न्यायपालिका। यह जनता की अदालत है। वे न्याय-प्रशासन में हिस्सा लेते हैं··· (व्यवधान) उन्हें न्याय मिलता है। इसलिए इसके खिलाफ अपील नहीं की जाती क्योंकि समझौता न्यायालय में हुआ है। इसे अदालत की डिक्री या आदेश के रूप में माना जाता है। इसे लागू कर सकते हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट समझौते को रिकार्ड करता है और मामले को अंतिम रूप से निपटाया जाता है। एक बार समझौता या सौहार्दतापूर्ण ढंग से निर्णय हो जाने के बाद सवाल नहीं उठता कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस पर कभी हम पूरी चर्चा कर सकते हैं। मैं और अधिक की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस पर आधा घंटा खर्च कर चुका हूं।

(व्यवधान)

लम्बी दूरी के स्विचिंग और ट्रांसमिशन उपकरण

*835. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में लम्बी दूरी के स्विचिंग और ट्रांसमिशन उपकरणों के मामले में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी कमी रही है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धि क्या रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. छठी योजना के दौरान, लम्बी दूरी के स्विचिंग और ट्रांसमिशन उपकरणों के मामले में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कमी की स्थिति इस प्रकार है :—

टी०ए०एक्स० क्षमता	50 प्रतिशत
कोएक्सियल केबिल (आर०कि०मी०)	53.3 प्रतिशत
माइक्रोवेव प्रणाली	62.2 प्रतिशत
यू०एच०एफ० प्रणाली (आर०कि०मी०)	74 2 प्रतिशत

2. सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान कार्य निष्पादन की स्थिति इस प्रकार रही :—

क्र०सं०	योजना का नाम	1985-86		1986-87	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज संख्या	2	1	4	4
2	टी०ए०एक्स० (लाइनों) की क्षमता	6000	5600	9500	7400
3.	कोएक्सियल केबिल प्रणाली (आर०कि०मी०)	2200	1507	1115	1032
4.	माइक्रोवेव प्रणालियां (आर०कि०मी०)	1700	2304	2583	1701
5.	यू०एच०एफ० प्रणालियां (आर०कि०मी०)	1500	1605	1685	1605

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, हमें जो आंकड़े दिये गये हैं, उससे स्पष्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय का कार्य-निष्पादन खराब और निराशाजनक रहा। उसके क्या कारण थे ? उसका स्पष्टीकरण क्या है ? इस खराब उपलब्धि का क्या कारण है ? उदाहरण के लिए, कर क्षमता में 50 प्रतिशत गिरावट आई। दूसरी मद में 53.3 प्रतिशत गिरावट आई है। माइक्रोवेव प्रणाली में 62.6 प्रतिशत गिरावट आई तथा यू०एच०एफ० प्रणाली में 74.2 प्रतिशत गिरावट आई ··· (व्यवधान) यह कमी निरन्तर बढ़ रही है। इसका क्या कारण है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कुछ सुधार हुआ है और मैं इस बारे में बाद में कहूंगा।

श्री संतोष मोहन देव : यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। छठी पंचवर्षीय योजना से ही हमने बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने की कोशिश की और साथ ही हमने आई० टी० आई० और बी० ई० एल० जैसे अपने कारखानों में उत्पादों का देशीकरण शुरू किया है। चूंकि हमारे देश में छठी पंचवर्षीय योजना में पहले साल माइक्रोवेव प्रणाली और यू०एच०एफ० प्रणाली और शुरू की गई थी इसलिए हमें प्रारम्भ में कई कठिनाइयां हुई किन्तु जैसा कि आपने भी कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहले दो वर्षों में इसमें सुधार हुआ है और चालू वर्ष में भी उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। जब कभी आप देश में कोई नई तकनीक या उत्पादन शुरू करते हैं तो उसमें कुछ

त्रुटियां रहना सम्भव है। किन्तु हमने उपचारात्मक कदम उठाए हैं। मैं समझता हूं कि सातवीं योजना में हम इस योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे और छठी पंचवर्षीय योजना में बकाया पिछले काम को भी पूरा कर पाएंगे।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : उदाहरण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1985-86 में माइक्रोवेव प्रणाली में 2104 आर० किलोमीटर, उपलब्धि हुई किन्तु वर्ष 1986-87 में उपलब्धि केवल 1701 रही। इसका क्या कारण है? और मंत्री महोदय कैसे कह रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यनिष्पादन अच्छा रहा है?

श्री संतोष मोहन देव : उदाहरण के लिए माइक्रोवेव प्रणाली को लीजिये। मान लीजिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अथवा कश्मीर घाटी या हिमाचल प्रदेश में हमें माइक्रोवेव प्रणाली शुरू करनी है, तो यह बड़ा दुर्गम क्षेत्र है। कुछ स्थानों में हमें केवल उपकरणों में ही नहीं; भूमि अर्जन करने में भी कठिनाई हुई। इस कारण से स्थापन प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। नागालैंड तथा मिजोरम में विद्रोह होने के कारण कई बार दूर-दराज क्षेत्रों में काम करना मुश्किल हो जाता है। अतः इन कठिनाइयों के कारण हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। किन्तु जिन क्षेत्रों में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, हम यह प्रणाली शुरू कर पाए हैं। अब मिजोरम, नागालैंड तथा कश्मीर में स्थिति सामान्य है और मैं समझता हूं कि हम पिछले वर्ष का शेष काम पूरा कर पाएंगे।

श्री मुकुल वासनिक : भारत सरकार ने एक नीति की घोषणा की है कि इस योजनावधि के अन्त तक हर जिला मुख्यालय में एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किन्तु जहां तक छठी पंचवर्षीय योजना में हुई लक्ष्य प्राप्ति का सम्बन्ध है, सरकार अपने लक्ष्य से काफी पीछे रही और ऐसा लगता है कि इस योजनावधि में भी वे लक्ष्य से पीछे रह रहे हैं। जहां तक यू०एच०एफ० प्रणाली का संबंध है, वर्ष 1985-86 में लक्ष्य 1500 था किन्तु उपलब्धि 1605 हुई। यह उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रही किन्तु वर्ष 1986-87 में लक्ष्य 1685 था और उपलब्धि 1605 हुई, जैसा कि पिछले वर्ष था। इससे पता चलता है कि सरकार ऐसी स्थिति में है—जहां सब स्थिर हो गया है। मैं समझता हूं सरकार को अविलम्ब कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने इस दिशा में कुछ कदम उठाने की योजना बनाई है अथवा नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : यह अच्छा सुझाव है। हम हमेशा प्रगति पर ध्यान देते रहे हैं, और देते रहेंगे।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बंगाल की खाड़ी में खुदाई

***836. प्रो० पराग चालिहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बंगाल की खाड़ी के बेसिन में वर्ष 1981 से कितने तेल कुओं की खुदाई की गई है;

(ख) निर्धारित गहराई तक पहुंचने से पहले ही कितने तेल कुओं की खुदाई का कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ग) इस क्षेत्र में कितनी मात्रा में तेल/गैस होने का पता चला है;

(घ) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बंगाल की खाड़ी के बेसिन में खुदाई पर कुल कितना व्यय

किया गया है; और

(ङ) इस क्षेत्र में तट-दूर खुदाई के सम्बन्ध में आयल इंडिया लिमिटेड की भावी योजनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) आठ।

(ख) दो।

(ग) कुछ कुओं में तेल और गैस की विद्यमानता के आशाजनक संकेत मिले थे, परन्तु कोई भी वाणिज्यिक स्वरूप के नहीं थे।

(घ) 31-3-1987 तक करीब 126 करोड़ रुपये।

(ङ) आयल इंडिया लिमिटेड की इस क्षेत्र में चार अन्वेषी कुओं की खुदाई करने को योजना है।

प्रो० पराग चालिहा : उत्तर बड़ा दिलचस्प है, केवल स्वीकारात्मक संकेत दिये गये हैं किन्तु वाणि-ज्यिक स्वरूप के बारे में नहीं बताया गया है। जैसा कि सर्वविदित है ये सभी अन्वेषणकार्य उचित भू-वैज्ञानिक मूल्यां कन के बाद शुरू किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस विशेष मामले में उपयुक्त भू-वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। जबकि पश्चिमी तट-दूर पर हमें काफी सफलता मिली थी और पूर्वी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में 8 कुओं की खुदाई पर 126 करोड़ रुपये बेकार खर्च करने के क्या कारण हैं जिससे कि वाणिज्यिक स्वरूप का कुछ हासिल नहीं होना था ? यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि अन्वेषण पहला कदम है। जब वाणिज्यिक तौर पर तेल मिल जाता है तब तेल निकालने का काम शुरू किया जाता है। आंकड़े तैयार किये जाते हैं और जैसा कि मैंने कहा हाइड्रो कार्बन होने के संकेत भी मिले थे। लेकिन बाद में यह देखा गया कि यह वाणिज्यिक तौर पर नहीं मिला है। अत: मैं इसे पैसा बेकार करना नहीं मान सकता क्योंकि तेल कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे किसी कच्चे माल की सहायता से तैयार किया जा सके। हमें खुदाई करनी होती है और हमें कुओं को अधिक से अधिक गहरा खोदना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है और जब वाणिज्यिक रूप से तेल मिल जाता है तब हमें तेल निकालना होता है। यह भाग्य की बात है।

प्रो० पराग चालिहा : 31-8-87 तक 126 करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च की गई। इससे वाणिज्यिक रूप से कोई उपलब्धि नहीं हुई। महोदय, मुझे मामले की गहराई में जाना होगा। खैर, क्या यह सच है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान अत्यधिक सक्षम और अनुभवी भू-वैज्ञानिकों को आयल इंडिया मुख्या-लय, दुलियाजान से स्थानांतरण किया गया ? क्या यह भी सच है कि यह सब लापरवाही से खर्च किये जाने, जनता के पैसे को लापरवाही से उपयोग में लाने और अन्धाधुन्ध खुदाई के कारण हुआ और केवल यह दिखाने के लिए किया गया कि आयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान प्रबन्ध के अन्तर्गत वे उत्पादन के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मैं समझता हूं माननीय सदस्य को आयल इंडिया लिमिटेड के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है। इन सब तथ्यों की ओर मेरा ध्यान कई बार दिलाया गया और मैंने इनकी जांच की। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तेल के अन्वेषण कार्य में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। जिन चार कुओं का अन्वेषण किया जा रहा है, उनकी भी खुदाई किये जाने का विचार है और यदि एक भी कुएं

में तेल या गैस मिल गई तो उससे सब नुकसान पूरा हो जाएगा।

श्री के० एस० राव : महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया। जैसा कि श्री पराग कह रहे थे 126 करोड़ रुपये केवल यह जानने के लिए खर्च किए गए कि क्या वहां तेल है या नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा उन्नत देशों की नवीनतम प्रौद्योगिकी को न अपनाने के कारण हुआ अथवा अन्य देशों में तेल का अन्वेषण इसी तरह किया जाता है और अन्वेषण पर सैंकड़ों, हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी नवीनतम प्रौद्योगिकी है ? क्या वे अन्वेषण और सर्वेक्षण पर होने वाले व्यय को रोकने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी लाएंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : हमने नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाई है। जब वे खुदाई करते जाते हैं तो उन्हें अनुभव हो जाता है। रूस में एक जगह है जहां वस्तुत: उन्होंने आधी जगह खुदाई की है किन्तु वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां संयोगवश थोड़ी खुदाई करने पर तेल मिल गया। यह भाग्य की बात है। यह काम 1978 में शुरू किया गया था और उस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा था किन्तु अब हम नवीनतम प्रौद्योगिकी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अधिक से अधिक खुदाई कर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : किसी को भी अन्वेषण पर खर्च की जाने वाली राशि पर आपत्ति नहीं है बशर्ते कि आंकड़ों से यह संकेत मिलता हो कि वाणिज्यिक तौर पर कच्चा तेल मिलने की सम्भावना है। अब पहले ही से 8 कुओं की खुदाई की जा चुकी है और इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि वहां वाणिज्यिक तौर पर कच्चा तेल है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि तेल के 4 कुओं के और अन्वेषण करने के क्या कारण हैं ? क्या कुछ ऐसा संकेत मिला है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि तेल के 4 और कुओं का अन्वेषण किया जाएगा ?

श्री ब्रह्म दत्त : यदि 8 कुओं से वाणिज्यिक रूप से तेल या गैस नहीं मिली है तो इस आधार पर हम अपना प्रयास नहीं छोड़ सकते हैं। हमें यह प्रयास जारी रखना होगा और नवीनतम आंकड़ों का विश्लेषण करने का चार नये कुओं से वाणिज्यिक रूप से तेल या गैस मिलने की सम्भावना है। लेकिन मैं पुन: निवेदन करता हूं कि पहला कदम यह उठाना होगा कि हम नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर भू सर्वेक्षण करें और फिर खुदाई करें। अब खुदाई के भी कई तरीके हो गये हैं - सहमत खुदाई, लंब रूप में खुदाई, और कोण पर खुदाई। इसे जारी रखना होगा।

गोवा में भारत-अमरीका संयुक्त उद्योग

*337. **श्री शांताराम नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोवा में एक भारत अमरीका संयुक्त उद्योग स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में, औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) उन प्रस्तावो के ब्योरे लोकहित में नहीं बताए जाते जिनकी सरकार द्वारा अभी जांच की जानी है और जिन पर अभी निर्णय नहीं लिए गये हैं।

श्री शांताराम नायक : मैंने गोवा में भारत-रूस संयुक्त उद्यम स्थापित करने के बारे में प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि लोकहित में इस मामले के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए मैं सभी सहयोगी विदेशी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या वहां भी प्रस्तावों को नियम के तौर पर गुप्त रखे जाने की नीति है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां भी सभी प्रस्तावों को नियमानुसार गोपनीय रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भारत-अमरीका उद्यम की बात कर रहे हैं या भारत-रूस उद्यम की।

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक हमारे विभाग का संबंध है, हम इसे गोपनीय रख रहे हैं।

श्री शांताराम नायक : चूंकि यह एक औद्योगिक इकाई है इसलिए आप सदन को विश्वास में लेते हुए कम से कम यह बता दीजिए कि इस इकाई का स्वरूप कैसा है और इसे गोवा के किस भाग में स्थापित किए जाने का विचार है?

श्री एम० अरुणाचलम : हमें दो प्रस्ताव मिले हैं। पहला प्रस्ताव वीडियो चुंबकीय टेप के निर्माण के लिए विदेशी कंपनी मैसर्स मीडिया इंजीनियरिंग, अमरीका से सहयोग लेने के लिए मैसर्स इकानामिक डिवलेपमैंट कोरपोरेशन आॅफ गोवा, दमन और दीव लिमिटेड से प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रस्ताव मैसर्स फिलट्रेशन साइंसेज कोलेबोरेशन अमरीका के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण निस्पंदन उपकरण के निर्माण के लिए मैसर्स स्पनकॉन फिल्टरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई से प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में टेलीफोन सुविधाएं

*838. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

[अनुवाद]

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र के गढ़ चिरोली जिले में किसी विशिष्ट टेलीफोन सुविधा के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे, दूरसंचार विभाग की कुछेक दूरसंचार सुविधाएं मुहैया कराये जाने की योजना है जिसका ब्योरा इस प्रकार है :—

गढ़चिरोली में इस समय 200 लाइनों की क्षमता का एक मैनुअल एक्सचेंज है जिसमें 196 चालू कनेक्शन हैं एवं प्रतीक्षा-सूची में 31 व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

गढ़चिरोली के 200 लाइनों के मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज के स्थान पर 400 लाइनों के एक आयातित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाये जाने की योजना है।

वर्ष 1987-88 के दौरान, इस जिले में लंबी दूरी के 20 सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का

प्रस्ताव है ।

गढ़चिरोली तथा चन्द्रपुर के बीच 60 चैनल यू०एच०एफ० लिंक प्रदान करने की योजना है ताकि उपभोक्ता डायलिंग सुविधा की व्यवस्था करने की दृष्टि से गढ़चिरोली के प्रस्तावित नए एक्सचेंज को नागपुर ट्रंक-आटोमेटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ा जा सके। सातवीं योजना अवधि के अंत तक इसे प्रदान किए जाने की आशा है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान इस जिले में विभिन्न ग्रामों से संभावित मांग किए जाने पर 2'/50 लाइनों की क्षमता के सात नए कम क्षमता के आटोमेटिक एक्सचेंज उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े इलाके इसलिए पिछड़े हैं, क्योंकि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है । इसलिए सरकार की नीति है कि ऐसे विभागों को अन्य विभागों के साथ लाने के लिए रियायत और कन्सैशन दिए जाते हैं । गढ़चिरोली जिला महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा जिला है, जो नो-इन्डस्ट्री-डिस्ट्रिक्ट है । मन्त्री महोदय ने बताया है कि 1990, सातवीं योजना के अन्त तक ये सब संचार सुविधाएं दी जाएंगी । मेरा मन्त्री महोदय से प्रश्न है, नो-इन्डस्ट्री-डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर एक-दो साल में क्या काम्यूनिकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी ? वह इसलिए कि वहां कोई उद्योगपति इसलिए नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहां पर काम्यूनिकेशन की फैसिलिटीज नहीं है । न वह क्षेत्र चन्दरपुर से जुड़ा हुआ है, न राज्य की राजधानी बम्बई से जुड़ा हुआ है और न नागपुर से जुड़ा हुआ है । इसलिए क्या वहां प्राथमिकता के आधार पर ये सहूलियतें दी जायेंगी ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यह सच नहीं है कि ये सभी योजनाएं वर्ष 1989-90 के लिए बनाई गई हैं । अगला एक्सचेंज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जिसकी सुविधा बहुत से संसद सदस्यों को नहीं मिल रही है, 1987-88 में आपके क्षेत्र में अधिष्ठापित किया जाएगा । वास्तव में मैंने इसका उत्तर नहीं दिया क्योंकि मैं इसका उत्तर अब देना चाहता था ।

गढ़चिरोली और चन्दरपुर के बीच 60 चैनल यू०एच०एफ०, लिंक 1988-89 में लगाये जाने की संभावना है । जैसा कि आप जानते हैं हमने देश को षडभुजों में विभाजित किया है । आपके जिले में हम 51 गांवों को लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के अंतर्गत लाने जा रहे हैं । अत: हमने ध्यान रखा है और हम सब कदम उठा रहे हैं और 1989-90 तक सब काम पूरा हो जाएगा । अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है !

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि वहां के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । गढ़चिरोली जिला और बरसादेसाई गंज के लिए 300 इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज के लिए प्रस्ताव आया है । बरसादेसाई गंज औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है । मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इस विभाग के विकास के लिए क्या बरसादेसाई गंज में 300 लाइनों का इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने में हमें मदद देंगे ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : माननीय सदस्य हमें लिख सकते हैं और हम इसकी जांच करेंगे और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड में उत्पादन लागत

*839. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इन्डिया लिमिटेड में उत्पादन लागत बहुत अधिक है और उसके स्कूटरों का बिक्री मूल्य काफी कम निर्धारित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्कूटरों का बिक्री मूल्य बाजार के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उत्पादन लागत न्यून क्षमता उपयोग तथा ब्याज बोझ के परिणामस्वरूप गैर-अवशोषित निर्धारित उपरिव्ययों के कारण तुलनात्मक रूप से अधिक है।

(ग) एकक को जीव्य बनाने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नई चीनी मिलों की स्थापना

*821. **श्री एच० बी० पाटिल**
श्री राम प्यारे सुमन } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की लाइसेंसिंग नीति के अनुसरण में वर्ष 1986-87 में कितनी नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उनका राज्य-वार और क्षेत्रवार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1986-87 मौसम में (31-3-1987 को स्थिति के अनुसार) नौ नई चीनी यूनिटों ने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1986-87 मौसम के दौरान (31-3-1987 को स्थिति के अनुसार) मौजूदा यूनिटों में विस्तार करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा देने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			
		निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	जोड़
1.	महाराष्ट्र	—	—	2	2
2.	पंजाब	2	—	—	2
3.	तमिलनाडु	—	2	3	5
4.	गुजरात	—	—	1	1
5.	उत्तर प्रदेश	1	—	—	1
	जोड़	3	2	6	11

दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए विशेष वेतनमान

*823. डा० ए० के० पटेल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतत न्यायालय द्वारा दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए विशेष वेतन-मान का प्रावधान किए जाने के बारे में 19 दिसम्बर, 1986 को दिये गये निर्णय और केन्द्रीय सरकार को जिला न्यायपालिका में उच्च पदों के लिए भर्ती नियमों के बारे में दिये गये आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को कोई सलाह दी गई है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम को संशोधित करने वाली अधिसूचना तारीख 17 मार्च, 1987 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। दिल्ली प्रशासन से, दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति में प्रगतिरोध को दूर करने की बाबत प्रस्ताव मांगे गये हैं।

(घ) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, ऐसे अनुदेश जारी नहीं किए गये हैं।

पीतल और तांबे से धातु की वस्तुओं का निर्माण करने वालों को वित्तीय सहायता

*824. श्री दिग्विजय सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतल और तांबे से धातु की वस्तुएं बनाने वाले लघु निर्माताओं के संघ से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उदार ऋण नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता दिये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी हां।

(ख) पीतल और तांबा उद्योग इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सहायता पाने के हकदार उद्योगों की अनुसूची में नहीं हैं। किन्तु ग्रामोद्योग को पुनः परिभाषित करने वाला एक विधेयक इस समय संसद के पास विचाराधीन है।

मंगलोर तेल शोधक परियोजना के लिए किया गया नियतन

*825. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू बजट में मंगलोर तेल शोधक परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कौन से कारण हैं; और

(ग) जहां तक वित्तीय प्रावधान का संबंध है इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा संयुक्त क्षेत्र में एक प्राइवेट सह-प्रवर्तक के साथ मंगलोर रिफाइनरी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। यह संयुक्त उद्यम प्रारम्भ में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक योजना में दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे कि वह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए अपनी लागत शेयर जुटा सके।

विद्युत यूनिटों का प्रबन्ध

*826. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति
चौधरी राम प्रकाश
} : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत यूनिटों का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन में भारी कमी आई है; और

(ख) देश में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान विद्युत यूनिटों का कुशलतापूर्वक प्रबन्ध करने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)

वर्ष 1986-87 में ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 53.2% था जो कि 1977-78 से लेकर अब तक सबसे अधिक है। ताप विद्युत उत्पादन वर्ष 1986-87 में लक्ष्य से 1,000 मिलियन यूनिट से अधिक हुआ। वर्ष 1986-87 में विद्युत का कुल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10 3% अधिक हुआ, यद्यपि जल विद्युत का उत्पादन कार्यक्रम से लगभग 3256 मिलियन यूनिट कम रहा। जल विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन मुख्य रूप से जलाशयों के जल स्तर पर निर्भर करता है।

विद्युत केन्द्रों की कुशल एवं कारगर प्रबन्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं : केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता देना, कोयले और हिस्से पुर्जों की सप्लाई में सुधार करना, प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा संयंत्र और उपस्कर के अनुरक्षण के सुनियोजित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

भारी इंजीनियरी उपकरणों के आयात में विदेशी सहयोग को शामिल करने सम्बन्धी मानदण्ड

*827. श्री ए० जयमोहन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भारी इंजीनियरी उपकरणों के आयात में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की स्वीकृति देने के लिए कौन से मानदण्ड अपनाये जाते हैं?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : उपकरण के आयात वाले विदेशी सहयोगों को मंजूरी देते समय सामान्यत: निम्नलिखित मानदण्ड मोटे तौर पर अपनाये जाते हैं :—

(क) परियोजना की प्राथमिकता;

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपकरण की अनिवार्यता;

(ग) समान या उसी प्रकार के उपकर की देश में उपलब्धता;

(घ) अगर देश में उपलब्ध नहीं हैं तो क्या डिजाइनों, ड्राइंगों तथा तकनीकी विशिष्टियों के आयात से उपकरण को देश में तैयार किया जा सकता है;

(ङ) आयातित उपकरण में लगाई गई प्रौद्योगिकी;

(च) भुगतान की शर्तें तथा वित्त के स्रोत;

(छ) स्वदेशीकरण के लिए चरणबद्ध निर्माणकारी कार्यक्रम।

भारतीय खाद्य निगम को हुआ घाटा

*828. श्री एच० जी० रामुलु
श्री राधाकान्त डिगाल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए किसी आन्तरिक समिति

की नियुक्ति की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो समिति की टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

विवरण

(क) खाद्यानों की हानियों की गणना दो शीर्षों अर्थात् (1) भण्डारण और (2) समुद्री मार्ग सहित मार्गस्थ के अन्तर्गत की जाती है। निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	कुल खरीद जमा बिक्री	कुल हानि	कुल खरीदारियों जमा बिक्री के संदर्भ में हानि की प्रतिशतता
1983-84	319.00	6.74	2.11
1984-85	295.14	5.72	1.94
1985-86	368.40	5.95	1.62

वर्ष 1986-87 के लिए लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों में कार्यकुशलता और किफायत लाने के लिए समिति की प्रमुख सिफारिशें संक्षेप में निम्नानुसार हैं :—

(1) सरकार भारतीय खाद्य निगम को बफर स्टाक रखने के लिए धनराशि प्रदान कर सकती है।

(2) संचालन को युक्तियुक्त करना और भाड़े के भार को कम करना।

(3) श्रमिकों की संख्या में कमी करना।

(4) अलाभकारी गोदामों और क्रय केन्द्रों को बन्द करना।

(5) अपरिहार्य मार्गस्थ और भण्डारण हानियों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

(6) लापरवाही के लिए अधिकारियों पर जिम्मेवारी निर्धारित करना।

(7) डिपुओं पर अचानक छापे मारने के कार्य को तेज करना।

(8) डिपो लेखों को सरल बनाना।

समिति की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

पश्चिम जर्मनी द्वारा नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय सहायता

*830. डा० वी० वेंकटेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन संघीय गणराज्य ने नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को वित्तीय सहायता देना जारी रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सहायता के लिए नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भविष्य में किए जाने वाले सौदों के बारे में कोई शर्त रखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विस्तार परियोजनाओं के लिए के० एफ० डब्ल्यू० के साथ 160 मिलियन मार्क के ऋण समझौते पर जनवरी, 1987 में हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में जो व्यापारिक बातचीत हुई है उसके आधार पर के० एफ० डब्ल्यू० ने 110 मिलियन मार्क की राशि और आरक्षित कर दी है जिसके लिए समझौतों पर यथासमय हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग) और (घ) के० एफ० डब्ल्यू० की यह सामान्य शर्तें हैं कि वित्त व्यवस्था मिश्रित रहेगी और उपकरणों की सप्लाई के टेंडर संघीय जर्मन गणराज्य तक ही सीमित रहेंगे और उनकी यह सामान्य शर्तें इन ऋणों पर भी लागू होंगी।

उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के अतिरिक्त सिलेंडर की सुविधा

*834. श्री परसराम भारद्वाज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से नगरों में उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त सिलेंडर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) एल०पी०जी० की उपलब्धता तथा बाटलिंग क्षमता होने पर तेल कम्पनियों द्वारा जहां भी एल० पी० जी० का विपणन किया जाता है वहां दूसरा सिलिंडर उपलब्ध कराने की सुविधा होती है।

(ख) और (ग) चूंकि अभी तक ग्राम्मीण क्षेत्रों में एल० पी० जी० का विपणन नहीं होता है; इसलिए वहां पर दूसरा सिलिंडर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कटाई तेल यौगिक का निर्माण करने वाले संगठन

8171. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों के क्या नाम हैं जो कटाई तेल यौगिक तथा कटाई तेलों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कारखाने भी इस महत्वपूर्ण औद्योगिक आदान का निर्माण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके वितरण के लिए क्या मानदण्ड और शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र के कई संसाधकों के अतिरिक्त सभी प्रमुख और लघु तेल कम्पनियां कटाई तेलों का निर्माण कर रही हैं। कटाई तेल यौगिकों (एडिटिव्स) का निर्माण सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, मेसर्स लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र के अनेक निर्माताओं द्वारा किया जा रहा है।

ये उत्पाद निर्माताओं द्वारा बाजार में बेचे जाते हैं। ये उत्पाद मूल्य अथवा वितरण नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला कम्पनियों में रिजर्व स्टेशनों का परिवीक्षण

8172. डा० बी० एल० शैलेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित कोयले सम्बन्धी संयुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा स्थापित सुरक्षा और पर्यावरण सम्बन्धी उप-समिति ने सभी कोयला कम्पनियों में रिजर्व स्टेशनों का परिवीक्षण करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पैनल द्वारा रिजर्व स्टेशनों के कुशल प्रबन्ध के लिए अन्य कौन से सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) इस सवाल में शायद "रेस्क्यू" स्टेशन की जगह गलती से "रिजर्व" स्टेशन छप गया है और यह सवाल रेस्क्यू अर्थात बचाव स्टेशनों के बारे में है। कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति ने सुरक्षा और पर्यावरण पर जो उप-समिति बनाई थी उसने कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में बचाव स्टेशनों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

"प्रत्येक कोयला कम्पनी में बचाव स्टेशनों के कुशल प्रबन्ध के लिए उपयुक्त संगठन होना चाहिए।"

बचाव स्टेशन के कर्मचारियों को समर्पित सेवा के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। इस बात के लिए भी समुचित कदम उठाए जाएं कि बचाव कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बचाव नियमा-

वली, 1985 में निर्धारित संख्या तक बढ़ जाए। बचाव स्टेशनों में आधुनिक उपकरण लगाए जाएं। खनिकों का पता लगाने और उनके साथ संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। कोयला कंपनियों के मुख्य बचाव स्टेशनों में बड़े व्यास वाली बोरिंग मशीनें, अधिक क्षमता वाले और अधिक बड़े हैड वाले पम्प, मोबाइल वान्डर आदि उपलब्ध कराए जाएं। बचाव स्टेशन और खानों के बीच भरोसेमंद संचार व्यवस्था होनी चाहिए।"

कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति को उप-समिति की सिफारिशों पर अभी निर्णय लेना बाकी है। सरकार बचाव स्टेशनों के क्रियाकलाप में सुधार के लिए जो भी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे उनका स्वागत और समर्थन करेगी।

चीनी मिलों की क्षमता का उपयोग

8173. श्री आर० एम० मोये : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों की वर्ष 1985-86 की अधिष्ठापित और उपयोग की गई क्षमता कितनी थी;

(ख) देश में चालू वर्ष के दौरान चीनी की कुल अनुमानित मांग और उत्पादन कितना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए निजी और सहकारी सैक्टर में चीनी फैक्ट्रियों की स्थापित क्षमता और उनका क्षमता उपयोग इस प्रकार था :—

सैक्टर	स्थापित क्षमता (लाख मीटरी टन)	क्षमता उपयोग
निजी	25.80	91.12
सहकारी	42.63	96.17

(ख) चालू मौसम 1986-87 के लिए चीनी की कुल आवश्यकता 87 लाख मीटरी टन आंकी गई है। चालू मौसम 1986-87 के दौरान चीनी का उत्पादन, 7 अप्रैल, 1987 तक कुल मिलाकर 70.09 लाख मीटरी टन हुआ था और यह आशा की जाती है कि कुल उत्पादन 75 लाख मीटरी टन के मूल अनुमान से अधिक हो सकता है।

पोलियो टीके का निर्माण

8174. श्री के० प्रधानी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोलियो के टीके के निर्माण के लिए सुविधायें प्रदान की गई हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) उसकी चालू और परियोजनागत मांग कितनी है; और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान उसका कितना आयात किया गया तथा उनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) पोलियो के टीके का निर्माण करने के लिए मै० हाफकिन इंस्टीट्यूट, महाराष्ट्र द्वारा, 10 मि० खुराकों की क्षमता अधिष्ठापित की जा रही है। इसके अलावा, हाल ही में घोषित नये उपायों में पोलियो के टीके का उत्पादन सभी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के लिए 80 मि० खुराकों की मांग का अनुमान लगाया गया है वर्तमान मांग पूर्णरूप से आयात द्वारा पूरी की जा रही है जिसके वर्ष 1985-86 के लिए ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

वस्तु	मात्रा	मूल्य (रुपये)
पोलियो माइलाइटिस टीका (निष्क्रिय किया गया)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन		
(ट्रैवलेंट डोजओरल)	80,80,275	26,83,186
(मोनोवेलेंट डोज)	4,50,0[illegible],000	51,75,813

वर्ष 1986-87 के आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ, ज्वालामुखी और चिन्तपूर्णी में एस० ए० एक्स० एक्सचेंजों को बदलना

8175. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ, ज्वालामुखी और चिन्तपूर्णी में एस०ए०एक्स० एक्सचेंजों को बदलने की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति किस-किस तारीख को दी गई और प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) बदलने का कार्य किस-किस तारीख तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख)	एक्सचेंज का नाम	मंजूरी की तारीख	अनुमानित लागत
(i)	बैजनाथ	3-3-1984	2,49,400.00 रु०
(ii)	ज्वालामुखी	8-8-1986	5,47,743.00 रु०
(iii)	चिन्तपूर्णी	4-2-1987	5,45,170.00 रु०

(ग) (i) ज्वालामुखी और चिन्तपूर्णी के लिए आपरेटरों के पदों की मंजूरी अभी दी जानी है। इनके 1987-88 तक चालू होने की सम्भावना है।

(ii) बैजनाथ के 1987-88 के अन्तिम तिमाही तक चालू होने की योजना है।

निःशुल्क विधिक सहायता

8176. श्री अमर सिंह राठवा
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक राज्य में कानूनी सहायता के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ग) क्या लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) कानूनी सहायता के लिए इस समय कितने आवेदन विचाराधीन हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तारीख 21-4-87 तक 72 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।

(ग) और (घ) विधिक सहायता कार्यक्रम (स्कीम) कार्यान्वयन समिति द्वारा निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए अधिकथित किया गया मानदंड उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी वार्षिक आय, उच्चतम न्यायालय की दशा में 9,000 रु० और अन्य मामलों में 6,000 रु० से अनधिक है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बालकों, विमुक्त जातियों और यायावर जनजातियों की दशा में, कोई धनीय सीमा विहित नहीं की गई है।

(च) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों पर लगभग 80 लाख रुपए की रकम खर्च की है।

उड़ीसा में तेल की खोज

8177. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में तेल की खोज करने के संबंध में कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया की 12.20 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा में आठ अन्वेषी कुंए तथा 89.89 करोड़ रुपए की लागत पर उत्तर-पूर्वी अपतट क्षेत्र में छः अन्वेषी कुंए खोदने की योजना है। भूमि पर पहला कुंआ मार्च, 1987 में पूरा कर लिया गया है तथा दूसरे को अप्रैल, 1987 में खोदा गया।

उत्तर-पूर्वी अपतट क्षेत्र में 1986-87 के दौरान एक कुंआ खोदा गया और 1987-88 के दौरान दो और कुंओं का ड्रिलिंग कार्य आरम्भ होने की संभावना है।

रेरोल बर्न लिमिटेड, कलकत्ता का बन्द होना

8178. **श्री प्रतोश चन्द सिन्हा :** क्या उद्योग मंत्री रेरोल बर्न लिमिटेड, कलकत्ता के बन्द होने के बारे में 24 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4021 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी को बन्द करने की सूचना जारी करने से पहले कम्पनी को नकद घाटा होने के कारणों की कोई जांच की गई थी;

(ख) कम्पनी को अन्तरिम उपाय के रूप में कुछ वित्तीय सहायता देने के अलावा क्या उसे फिर से चालू करने के लिए और क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) कम्पनी के प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) यह बताया गया है कि बन्द होने का नोटिस जारी होने से पूर्व इस मामले पर रेरोल बर्न लिमिटेड (आर० बी० एल०) के बोर्ड में विचार विमर्श किया गया था।

(ख) आर० बी० एल० न तो सरकारी कम्पनी है और न ही सरकारी उपक्रम की एक सहायक कम्पनी है। बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) के आर० बी० एल० में 50% शेयर हैं। बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के अनुरोध पर सरकार ने अन्तरिम उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया था। फिर भी संसाधन रुकावट की दृष्टि से यह मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए बी० एस० सी० एल० को कोई वित्तीय सहायता देने की स्थिति में नहीं है।

(ग) यह आर० बी० एल० का एक आन्तरिक मामला है।

ऊर्जा अनुसंधान पर व्यय

8179. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा अनुसंधान पर कितना व्यय हुआ;

(ख) अनुसंधान संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि इस्तेमाल की गई;

(ग) विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा कितनी धनराशि इस्तेमाल की गई; और

(घ) अनुसंधान के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड द्वारा मछुआरों को हाई स्पीड डीजल आयल की बिक्री

8180. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड ने मंत्रालय के अनुदेशों पर महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र में माल्लेट बन्दर के मछुआरों को हाई स्पीड डीजल आयल की बिक्री बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका मछुआरों के कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उन्हें कितना नुकसान हुआ है तथा उक्त तेल की बिक्री बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी क्षेत्र में राज्यों में ग्राम-विद्युतीकरण और विद्युत चालित पम्प

8181. **श्री बाजू बन रियान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितने विद्युत-चालित पम्प लगाये गये ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विद्युतीकृत किए गए गांव व ऊर्जित किए गए पम्पसेटों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की संख्या			ऊर्जित पम्पसेटों की संख्या		
		1984-85	1985-86	1986-87	1984-85	1985-86	1986-87
1.	बिहार	603	2127	3605	4410	9743	11000*
2.	उड़ीसा	1242	1141	947*	3611	2615	123 *
3.	पश्चिम बंगाल	881	1330	1350	7768	8064	4842
4.	सिक्किम	35	35	30	शून्य	शून्य	शून्य

* 1-4-1986 से 28-2-1987 की अवधि के दौरान हुई प्रगति।

आंध्र प्रदेश में नए कोयला क्षेत्र

8182. श्री एस० पलाकोंड्रायुडु : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 से आंध्र प्रदेश में कितने नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाया गया है और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) इन क्षेत्रों का विदोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1983 से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए क्षेत्रीय समन्वेषण के फलस्वरूप, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) में निम्नलिखित 15 कोयलाधारी क्षेत्रों का पता लगा है :—

जिला : आदिलाबाद

1. बुधरम (चिन्नूर नार्थ)
2. चिन्नूर ईस्ट

जिला : वारंगल (मुलुग बेल्ट)

3. सम्मागपल्ली
4. सतरजपल्ली
5. भोपालपल्ली-बेलपुर
6. ताड़चेरला
7. लक्षीदेवीपेट
8. चेलवाई-पसरा
9. लिंगाला

जिला : खम्माम

10. मानुगुरु
11. अनसेट्टीपल्ली
12. मईलारम
13. कोयागुडेम
14. अयनपल्ली-गंगेवरम-सत्तीपल्ली सेक्टर
15. आरावरम

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों में खनन योग्य भंडारों और बिजली की उपलब्धि और सीमा का निर्धारण करने के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड ने विस्तृत समन्वेषण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

बिहार में डाकघर खोलना

8183. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल कितने डाकघर खोले गए; और

(ख) उन डाकघरों का श्रेणीवार अथवा ग्रेड वार अलग-अलग ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) बिहार में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 761 डाकघर खोले गए थे।

(ख) ये सभी डाकघर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर स्तर के हैं।

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में तार उप-घरों का बन्द किया जाना

8184. श्री सोमनाथ रथ : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा सर्किल में हाल ही में 100 तार उप घर बन्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

तामलुक (जिला मिदनापुर) पश्चिम बंगाल में एस० टी० डी० सुविधा

8185. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तामलुक जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को एस० टी० डी० सुविधाओं सहित स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी हां। एक्सचेंज के आटोमेटिक बनाए जाने तथा माध्यम उपलब्ध होने के बाद एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध हो सकेगी जिसके 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उपलब्ध होने की उम्मीद है।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिए आशय-पत्र पर डब्ल्यू० एम० आई० और मैसर्स एम० ए० एन० को दिया गया अग्रिम धन

8186. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या ऊर्जा मंत्री नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की द्वितीय खान विस्तार परियोजना के लिए आशय पत्र हेतु पश्चिमी जर्मनी की डब्लू०एम०आई० और मैसर्स एम०ए०एन० को दिए गये अग्रिम धन के बारे में 31 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन दोनों कंपनियों में से प्रत्येक को किस-किस तारीख को ठीक-ठीक कितनी-कितनी धन-राशि दी गई और पश्चिमी जर्मनी को एम०ए०एन०जी०एच०एच० द्वारा दी गई गारंटी का स्वरूप और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डब्ल्यू० एम०आई० के अधीन यूनिटें वित्तीय कठिनाइयों सहित विभिन्न कारणों से पूर्णतः बन्द होने की स्थिति में है;

(ग) क्या उक्त कंपनी ने आशय-पत्र में अपेक्षित कोई भी कार्य नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने अपनी परियोजना के तकनीकी परामर्शदाताओं से डब्ल्यू०एम०आई० की तकनीकी क्षमता के बारे से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मैसर्स एम०एम०एन० को 23-1-1987 को 5.015 मार्क की राशि, इतनी ही राशि की बैंक गारन्टी के आधार पर, भुगतान की गई थी। मैसर्स डब्ल्यू०एम० आई० को रु० 20 108 मिलियन की राशि 17-7-1985 को पहली पेशगी के रूप में और रु० 20.108 की राशि 27-12-1986 को दूसरी पेशगी के रूप में दी गई थी। यह दोनों पेशगियां उतनी ही राशियों की बैंक गारंटी के आधार पर दी गई थीं। यह गारंटियां बम्बई के हांगकांग एन्ड शंघाई बैंकिंग कार-पोरेशन ने दी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) डब्ल्यू० एम० आई० का कार्यनिष्पादन सहमत समय अनुसूची के अनुसार रहा है।

(ङ) और (च) डब्ल्यू०एम०आई० की तकनीकी क्षमताओं का पूरी तरह आकलन कर लिया गया था। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के इस निर्णय पर परियोजना के तकनीकी परामर्शदाताओं ने सहमति दे दी थी कि 20,000 टन/घंटा स्प्रेडरों की सप्लाई का ठेका एम०ए०एन०/डब्ल्यू०एम०आई० को दिया जाए।

त्रिवेन्द्रम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

8187. श्री टी० बशीर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिवेन्द्रम टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) प्रत्येक एक्सचेंज में कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ग) प्रतीक्षा-सूची में एक्सचेंज वार कितने लोग हैं;

(घ) प्रतीक्षा-सूची में एक्सचेंज वार कितने लोग तीन वर्षों से अधिक समय से हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा-सूची निपटाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) त्रिवेन्द्रम दूर संचार जिले में आज की स्थिति के अनुसार (इक्कतीस) टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

(ख) से (ङ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-3-1987 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या, तीन वर्ष अथवा अधिक अवधि से प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की संख्या तथा प्रतीक्षा-सूची निपटाने के लिए विस्तार कार्यक्रम

क्र० संख्या	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता (लाइनों की सं०)	चालू कनेक्शनों की संख्या	प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	तीन वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षारत व्यक्तियों की सं०	विस्तार योजनाएं (बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हैं)
1	2	3	4	5	6	7
1.	त्रिवेन्द्रम (क्रासबार)	9000	8669	2145	248	1988-89 में मुख्य क्रासबार एक्सचेंज का 1000 लाइनों तक (9000-10,000) तक विस्तार।
2.	त्रिवेन्द्रम (कैथामुक्कू)	10000	9193	2410	139	1990-91 में मैडिकल कालेज में 10,000 लाइनों वाले नए डिजिटल एक्सचेंज की संस्थापना।
3.	श्रीकरियाम	1300	[illegible]	[illegible]	240	1987-88 में 100 लाइनें

1	2	3	4	5	6	6
4.	कनरामपुरम	200	197	124	47	1988-89 में 100 लाइनें
5.	कनियापुरम	300	276	123	4	विस्तार कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
6.	नय्ठाट्टीनकारा	300	295	171	2	—वही—
7.	विझींजम	200	192	88	49	—वही—
8.	अट्टींगल	400	368	220	79	1989-90 में 300 लाइनें
9.	किलीमानूर	200	188	59	6	विस्तार कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
10.	नेडूमंगद	300	263	130	6	—वही—
11.	वरकला	400	398	248	77	—वही—
12.	विथूरा	90	87	106	47	1988-89 में 110 लाइनें
13.	मेंजारामुन्दू	90	89	30	10	विस्तार कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।
14.	वक्कूमि	90	89	66	18	—वही—
15.	कल्लामबलम	90	90	124	12	—वही—
16.	चिराईनकील	90	90	133	47	1989-90 में 110 लाइनें
17.	कट्टाकाडा	[illegible]0	90	103	31	1988-89 में 110 लाइनें

1	2	3	4	5	6	7
18.	कंजीरामकुलम	90	87	9	—	विस्तार कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
19.	मलाईनकील	90	63	38	—	—वही—
20.	परास्सला	90	90	16	2	—वही—
21.	पूवार	90	84	2	—	—वही—
22.	वेल्लाराडा	90	90	52	—	—वही—
23.	कोराकोनम	45	43	4	4	—वही—
24.	कल्लारा	45	38	10	—	—वही—
25.	कन्या-कोलेंगरा	90	89	46	—	—वही—
26.	मदाबूर-पल्लीकाल	90	84	103	—	—वही—
27.	आर्यानग्ड	45	40	29	—	1987-88 में 45 लाइनें
28.	मदनवील्ला-पेजूएथूरा	45	43	14	3	1987-88 में 45 लाइनें
29.	पच्चा-पलोडे	45	45	7	—	विस्तार कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
30.	ओट्टासेखरमंगलम्	35	26	8	1	—वही—
31.	पेरींगामाला	35	27	10	—	1987-88 में 10(35—45) लाइनें

केरल में तिरुवेला में ट्रैंको केबल फैक्टरी की स्थापना

8188. श्री मुल्लापली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में तिरुवेला में स्थापित की जा रही ट्रैंको केबल फैक्टरी के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) यह एक राज्य सरकार का सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। केन्द्र सरकार इसे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। तथापि, केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गये एकक केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र हैं।

राजस्थान में झालावाड़ शहर में गैस कनेक्शन

8189. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री राजस्थान के झालावाड़ शहर में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के बारे में 4 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए जिन आवेदकों ने अपने नाम दर्ज कराये थे, उन सभी को ये कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं और नये गैस कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी, नहीं। एच०पी०सी०एल० द्वारा राजस्थान में 1986-87 के दौरान जारी किए गये 23083 नए एल० पी० जी० कनेक्शनों में झालावाड़ नगर में जारी किए गये नए गैस कनेक्शनों की संख्या 200 है। वर्तमान प्रतीक्षा सूची को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नए आवेदन नहीं लिए गये थे। क्षेत्र में बाटलिंग क्षमता की रुकावटों के कारण झालावाड में और अधिक संख्या में कनेक्शन जारी नहीं किए जा सके।

लाइनर एल्काइल बेंजीन के लिये समान भाड़ा दर के निर्धारण के संबंध में इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड का निर्णय

8190. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने पूर्वी क्षेत्र के डिटर्जेंट यूनिटों को सप्लाई किये गये लाइनर एल्काइल बेंजीन के लिए समान भाड़ा-दर के निर्धारण के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पैनसिलीन ट्रिबाइड्रेट आई० पी० के उत्पादन के लिये कच्चे माल का उपलब्ध न होना

8191. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह बताया गया है कि पेनसिलीन ट्रिवाइड्रेट आई०पी० जोकि एक आवश्यक ऐंटिबायोटिक और जीवन रक्षक औषधि है, के अनेक लघु निर्माताओं ने इसके प्रमुख कच्चे माल 6 एमीनों पैनसिलीन ए०सी०सी०डी० की कमी के कारण इसका उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में 6 एमीनों पैनसिलीनिक ए०सी०सी०डी० का इस समय कितना उत्पादन होता है और इसकी कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कच्चे माल की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) ऐसे कोई लघु निर्माता नहीं हैं।

(ख) और (ग) 6 ए०पी०ए० की कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

असम में नये टेलीफोन एक्सचेंज

8193. **श्री हरेन भूमिज** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सर्किल कार्यालय का कुछ भाग अभी भी दिल्ली में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) असम में खोले जाने के लिये प्रस्तावित नये टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या कितनी है और उन जिलों का ब्यौरा क्या है, जहां डी०ई०टी० कार्यालय है/स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का डिब्रूगढ़ में टेलीफोन व्यवस्था को उन्नत बनाने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार पूर्वोत्तर सर्किल को सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम में परिवर्तित करने का भी विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उत्तर पूर्व दूरसंचार सर्किल का मुख्यालय शिलांग में है। सर्किल कार्यालय का कोई पोस्ट दिल्ली में स्थित नहीं है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान नए एक्सचेंज का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(i) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज-6

जिला कछार-3 एक्सचेंज

,, कामरूप-1 ,,

,, कारबी आंगलांग-1 एक्सचेंज

,, उत्तर कछार हिल्स-1 ,,

(ii) एम० ए० एक्स० —11-12 एक्सचेंज

जिला दारांग	1 एक्सचेंज
,, बरपेटा	1 एक्सचेंज
,, उत्तरी लखीमपुर	1 एक्सचेंज
,, ग्वालपाड़ा	2 एक्सचेंज
,, धुबरी	1 एक्सचेंज
,, सिबसागर	1 एक्सचेंज
,, कामरूप	2 एक्सचेंज
,, डिबरूगढ़	2 एक्सचेंज
,, जोरहाट	1 एक्सचेंज

(iii) प्रतिवर्ष लगभग 10 एम०ए०एक्स०-11 एक्सचेंज बशर्ते कि टेलीफोनों की मांग उपलब्ध हो। असम के जिन जिलों में मंडल इंजीनियर तार कार्यालय स्थित है/स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(I) दूरसंचार जिला इंजीनियर धुबरी (फिलहाल गुवाहाटी में स्थित है)

(II) दूरसंचार जिला इंजीनियर, तेजपुर

(III) दूरसंचार जिला इंजीनियर सिलचर

(IV) —वही— डिबरूगढ़

(V) —वही— जोरहाट

(VI) —वही नौगांव

उपर्युक्त के अलावा गुवाहाटी में एक दूरसंचार जिला प्रबन्धक है।

(ग) और (घ) मौजूदा पी०आर०एक्स०/ए० कंटेनराइज्ड इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को आठवीं योजना अवधि के दौरान डिजीटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है।

(ङ) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अमरीका में छोटी कारों की मांग

8194. श्री हरिहर सोरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित छोटी कारों की अमरीका और अन्य बहुत देशों में बहुत मांग है;

(ख) यदि हां, तो छोटी कारों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन देशों को छोटी कारों के निर्यात के लिये पता लगाई गई संभावना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग मे राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कुछ यूरोपीय देशों तक पड़ोसी देशों ने मारुति कारें आयात करने में रुचि दिखाई है। मारुति

उद्योग लि० द्वारा नेपाल और बांगलादेश को पहले ही वाहनों की आपूर्ति की जा चुकी है और अभी हाल ही में हंगरी को 500 कारें बेचने का करार भी किया है।

उड़ीसा में दूर-संचार के लक्ष्य और उपलब्धि

8195. **श्री अनादि चरण दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आम तौर पर उड़ीसा और विशेषकर जाजपुर (कटक जिला) में स्विचिंग क्षमता की व्यवस्था सीधी एक्सचेंज लाइनों, टेलीफोन एक्सचेंज, यू०एच०एस० प्रणाली, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों और तारघर के मामले में वास्तविक लक्ष्य क्या थे और कितनी उपलब्धि हुई है और इसे किन स्थानों पर कार्यान्वित किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1986-87 के दौरान उड़ीसा में लक्ष्य एवं उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मदें	1986-87 के लिए लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणी
1.	स्विच क्षमता (लाइनों की संख्या)	3930	3480	जयपुर उपमंडल में 10 सीधी एक्सचेंज लाइनें और
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	2000	3147	9 लम्बी दूरी सार्वजनिक/संयुक्त डाकतार घर
3.	टेलीफोन एक्सचेंज लाइनें (संख्या)	29	32	1986-87 के दौरान गिरगामली, माझीपाड़ा,
4.	लंबी दूरी के सार्वजनिक/संयुक्त तारघर (संख्या)	100	114	गोबरधनपुर, बरठिंगम, मिर्जापुर, मामिया,
5.	डाक तारघर (संख्या)	100	111	बारगोडिया, बालीपाल,
6.	यू०एच०एफ० प्रणाली	शून्य	शून्य	और मरकंडपुर में खोले गए।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना का पूरा किया जाना

8196. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के पहले चरण का कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख).

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2 × 500 मेगावाट) की पहली यूनिट को वर्ष 1987 की चौथी तिमाही में चालू करने का कार्यक्रम है, जिसे मूलत: जून, 1987 में चालू किया जाना था। परियोजना प्रबन्ध सम्बन्धी संसाधनों को लगाने में प्रमुख ठेकेदार की ओर से विलम्ब होने तथा डिजाइन और इंजीनियरी कार्य पूरा होने और सप्लाई आदि में विलम्ब होने से चालू करने का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।

उड़ीसा में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की मांग

8197. श्री निस्यानन्द मिश्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खाना पकाने की गैस की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो मांग के जिला वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) प्रत्येक जिले में अब तक खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन मंजूर किये गये हैं; और

(ग) खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की, विशेषकर आदिवासी बहुल जिलों में, मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) उड़ीसा के सभी जिलों में एल० पी० जी० की सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। तेल उद्योग के वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अधीन इन बाजारों में नए कनेक्शन जारी किए जाते हैं। इसका निर्धारण एल० पी० जी० की उपलब्धता, बाटलिंग क्षमता में वृद्धि और आधारभूत प्रबन्धों पर निर्भर करता है। जिन नए स्थानों पर वितरण केन्द्र के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य मांग तत्व उपलब्ध हैं, उनको तेल उद्योग द्वारा चरणबद्ध रूप से हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) 1-4-1987 को जारी किए गए जिला वार कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	गंजम	—	14714	7.	समबलपुर	—	12835
2.	धेनकेनल	—	5593	8.	कटक	—	19362
3.	बोलनगीर	—	3906	9.	कोरापुट	—	10038
4.	बालसोर	—	5913	10.	केनझार	—	1777
5.	मयूरभंज	—	1266	11.	फूलबानी	—	521
6.	पुरी	—	29957	12.	सुन्दरगढ़	—	19143
				13.	कलहन्डी	—	2056

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधायें

8198. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम में लघु उद्योगों के पंजीकरण के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ख) निगम द्वारा पंजीकृत उद्योगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, डी० एस० आई० डी० सी०, अपनी विपणन गतिविधियों के लिये लघु उद्योगों का केवल व्यापारिक सहायकों के रूप में पंजीकरण करती है। निम्नलिखित श्रेणियों के एकक व्यापारिक सहायकों के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं :—

(1) उद्योग निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में पंजीकृत संघ शासित प्रदेश में स्थित लघु औद्योगिक एकक।

(2) दिल्ली के निर्माणकारी एककों के थोक विक्रेता एकक/एजेंट जिनका निर्माणकारी एककों के साथ कानूनी तौर पर समझौता है।

(3) ऐसी वस्तुयें जिनका निर्माण संघ शासित प्रदेश दिल्ली में नहीं किया जा रहा है लेकिन इसके बाहर किया जा रहा है, उनके लिए दिल्ली से बाहर स्थित लघु औद्योगिक एककों के बारे में भी पंजीकरण हेतु विचार किया जाता है।

(4) डी० एस० आई० डी० सी० के औद्योगिक कम्पलेक्सों के उद्यमी तथा डी० एस० आई० डी० सी० के सामूहिक कार्य केन्द्रों के कारीगर।

(ख) दिल्ली तथा बाहर दोनों के सरकारी विभागों, अर्धसरकारी संगठनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है और इन संगठनों से प्राप्त क्रयादेशों को डी० एस० आई० डी० सी० में पंजीकृत व्यापारिक सहायकों के जरिये पूरा किया जाता है।

दिल्ली में लघु एककों तथा अन्यों को डी० एस० आई० डी० सी० द्वारा निम्नलिखित अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं :—

(1) अपने व्यापार केन्द्र, दिल्ली एम्पोरियम तथा दिल्ली और बाहर आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों के जरिये उनके उत्पादों की प्रदर्शनी/बिक्री।

(2) तकनीकी परामर्शदायी सेवायें।

(3) अपनी प्रयोगशाला के जरिये कच्चे-माल तथा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण।

(4) सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कुछ कच्चे-माल की व्यवस्था।

(5) उद्योग शुरू करने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों के लिए निर्मित औद्योगिक शेडों तथा प्लाटों की व्यवस्था।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उपभोक्ताओं के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण

8199. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 अप्रैल, 1987 को दिल्ली में दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए कार्यक्रम में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों का ब्योरा क्या है; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली विद्युत

प्रदाय संस्थान के अनुसार, 12 अप्रैल, 1987 को दूरदर्शन पर कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयां मुख्य रूप से उपभोक्ता सेवा से संबंधित थी, जैसे वसूली केन्द्रों की कम संख्या, जिससे लम्बी लाइनें लग जाती हैं, बिल बनाने सम्बन्धी समस्याएं, बैंकों के माध्यम से बिलों के भुगतान की सुविधा उपलब्ध न होना, मीटर रीडिंग कार्डों की शुरूआत न करना, अस्थाई कनेक्शनों के सम्बन्ध में प्रतिभूति जमा राशि की वापसी में विलम्ब और नामों को ठीक करने में विलम्ब।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार, बिल बनाने आदि से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने तथा उपभोक्ता सेवा में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान के वितरण जिला मुख्यालयों में इन हाऊस कम्प्यूटर टर्मिनल स्थापित करके परवर्ती बिलों में भुगतान कर दिए गए बिलों की बकाया राशि को शामिल करने, अधिक राशि के बिलों, प्रतिभूति जमा राशि की वापसी में विलम्ब तथा नामों को ठीक करने में विलम्ब आदि से सम्बन्धित कुछ एक मामलों पर ध्यान दिया जाएगा।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बैंकों के जरिए बिजली के बिलों के भुगतान की सुविधा भी शुरू कर रहा है। तथापि, प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण मीटर रीडिंग कार्ड शुरू करना सम्भव नहीं हैं।

महाराष्ट्र में ऊर्जा और बिजली प्रशिक्षण संस्थान

8200. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ऊर्जा और बिजली के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए अब तक कितने प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार के एक संस्थान की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित पांच प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं :—

1. ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
2. ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, दुर्गापुर
3. ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, बदरपुर (नई दिल्ली)
4. ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान, नेवेली
5. विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान, इसमें गरम लाइन प्रशिक्षण केन्द्र भी शामिल है, बंगलौर।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के नागपुर में एक ताप विद्युत केन्द्र कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान पहले ही स्थापित किया जा चुका है। बिजली के क्षेत्र में महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार का एक और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोयले की रायल्टी में संशोधन सम्बन्धी अध्ययन दल

8201. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984 में कोयले की रायल्टी में संशोधन करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है?

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) वर्ष 1980-81 से 1986-87 तक हुए कोयले के उत्पादन और भुगतान की गई रायल्टी का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कोयले की रायल्टी के संशोधन के बारे में इस बीच कोई निर्णय ले लिया है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) और (ङ) कोयले पर स्वामित्व की दरों में और संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल बनाया गया था। इस दल ने विभिन्न राज्य सरकारों के मंतव्यों/प्रस्तावों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वनस्पति घी के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण

8202. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कानूनी नियंत्रण लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का बढ़ते हुए मूल्यों पर किस प्रकार नियंत्रण रखने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) मूल्यों को उचित स्तर पर नियंत्रित रखने हेतु उपचारात्मक कार्यवाही, जिसमें आयातित तेलों का कारगर आपूर्ति-प्रबंध करना भी शामिल है, की जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के चावल की खरीद

8203. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में चावल मिलों से खरीदा गया चावल घटिया किस्म का पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1985-86 के दौरान अधिप्राप्त कुल 10.67 लाख मीटरी टन चावल और 1986-87 के दौरान (21-3-1987

तक) अधिप्राप्त 9.05 लाख मीटरी टन की मात्रा में से केवल 2357 मीटरी टन की मात्रा अत्यधिक टोटा चावल होने के कारण घटिया पायी गई थी।

(ख) इसके लिए जिम्मेदार स्टाफ के विरुद्ध अनुशासकीय कार्यवाही शुरू की गई है।

सुपर बाजार की वसंत विहार शाखा

8204. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसंत बिहार स्थित सुपर बाजार शाखा और इसके पट्टादाताओं के बीच मुकदमा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या होटल वसंत कांटीनेंटल के सामने, जहां बड़ी संख्या में क्वार्टरों/फ्लैटों का निर्माण किया गया है, सुपर बाजार की एक नई शाखा खोलने अथवा वर्तमान शाखा को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी हां। सुपर बाजार, दिल्ली ने सूचित किया है कि वसंत बिहार में सुपर बाजार शाखा के परिसर के पट्टादाता ने सुपर बाजार के विरुद्ध उक्त परिसर को खाली करने के लिए किराया नियंत्रक, दिल्ली की अदालत में सिविल वाद दायर किया है। मामला न्यायाधीन है।

(ग) जी नहीं।

भाड़ा समकरण नीति के कारण पश्चिम बंगाल के वनस्पति निर्माताओं को नुकसान

8205. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के वनस्पति निर्माताओं को भाड़ा समकरण नीति के कारण नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में वनस्पति उपभोक्ता प्रति किलो कितने रुपये अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) वनस्पति के मूल्यों पर कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है और इसलिए भाड़ा समकरण नीति, जिसमें बिक्री कर तथा चुंगी की प्रतिपूर्ति भी शामिल है, की वजह से कोई नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की गई जांच

8206. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने हाल ही में कुछ जानी-मानी

उत्पादन कम्पनियों के विरुद्ध जांच करायी है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग मामलों में जांच किस-किस आधार पर की गई;

(ग) इसमें शामिल कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में जांच कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अभी हाल ही में विभिन्न विनिर्माता कम्पनियों के विरुद्ध काफी संख्या में जांचों की स्थापना की है। इस प्रकार के सभी मामलों को संकलित करने में लगने वाला प्रयास सम्भवत: प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुकूल नहीं हो सकेगा।

(घ) मामले से मामले में लिया गया विविध समय उन मामलों की प्रकृति पार्टियों के सम्पन्न करने आदि पर निर्भर करता है।

उद्योगविहीन जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों को आशय पत्र जारी करना

8207. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों को उद्योग विहीन जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु वर्ष 1985 में जारी किये गये आशय पत्रों की तुलना में कितने आशय पत्र जारी किये गये;

(ख) इन वर्षों में कितने प्रतिशत आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंसों में बदले गये;

(ग) क्या उद्योगविहीन जिलों में इकाइयों की स्थापना के लिए उत्साह की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वर्तमान प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा करना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन पंजीकृत उपक्रमों को "उद्योग रहित जिलों" में उद्योगों की स्थापनार्थ, दिये गये आशय पत्रों की संख्या तथा उन आशय पत्रों की संख्या, जो औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किये जा चुके हैं, नीचे की तालिका में दर्शाई गई है :—

वर्ष	"उद्योग रहित जिलों" के लिए एम० आर० टी० पी० कम्पनियों को दिये गये आशय पत्रों की संख्या	कालम (2) में उल्लिखित आशय पत्रों में से उन आशय पत्रों की संख्या जो 28-2-87 तक औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किये जा चुके हैं।	
1	2	3	
		संख्या	प्रतिशत
1985	11	2	18.2
1986	5	—	—

(ग) और (घ) क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के फैलाव को बढ़ावा देना सरकार की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापनार्थ अनेक प्रोत्साहन और राहतें दी जा रही हैं जैसे कि केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त और परिवहन राजसहायता आदि। पिछड़े क्षेत्रों और विशेष रूप से "उद्योग रहित जिलों" के औद्योगीकरण के मार्ग में आने वाली एक बाधा आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी है, इस तथ्य को समझते हुए प्रत्येक "उद्योग रहित जिले" में एक या दो चुने हुए विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने की एक योजना आरम्भ की गई है।

पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में और तेजी लाने के लिए यह निर्णय भी लिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "ख" तथा "ग" में अनुसूची-I से भिन्न उद्योगों के संदर्भ में एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों के निर्यात दायित्व को 25% तक घटाया जाए "क" श्रेणी के पिछड़े क्षेत्रों में यह दायित्व पूर्णतया समाप्त कर दिया जाए।

नई कोयला खान परियोजनाओं में उत्पादन

8208. श्री प्रकाश चन्द्र
श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित नई कोयला खनन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या प्रत्येक परियोजना में उत्पादन संतोषजनक है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना की कमियों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में 1-4-1984 से 31-3-1987 तक रु० 5 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली 44 नई कोयला खनन परियोजनाएं मंजूर की गईं। उनकी उत्पादन क्षमता और खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

विवरण

	क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड़)	अन्ततः क्षमता (मि० ट० प्रतिवर्ष)	31-3-87 तक व्यय (रु० करोड़) अनंतिक	विलम्ब यदि कोई हो (महीने)
	I	2	3	4	5	6
1984-85		**ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०**				
	1.	चौरा (सोफरा खान) 10 पिट	6.41	0.24	0.56	समय से
	2.	चिनाकुरी भू० ग० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	45.54	0.69	16.61	समय से
		भारत कोकिंग कोल लि०				
	3.	11/12 सीम बदरूचक का तरलीकरण	8.95	0.21	0.54	समय से
	4.	बागदीगी आगमेन्टेशन	7.10	0.15	1.19	समय से
	5.	लोडना कोलियरी	7.94	0.24	0.97	समय से
		सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०				
	6.	स्याल "डी" ओपनकास्ट	9.75	0.35	3.36	समय से
		साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	7.	चुरचा वेस्ट भूमिगत	32.64	0.60	1.81	समय से
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	8.	सिलेवारा विस्तार भूमिगत	38.06	1.00	26.12	समय से
	9.	बंसी भूमिगत	6.81	0.15	1.20	समय से
		सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०				
	10.	मानुगुरू ओ० का० II	132.00	2.75	35.49	12
	11.	बेलमपल्ली ओ० का०	11.28	0.35	9.31	समय से

	1	2	3	4	5	6
1985-86		ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	12.	सोदेपुर बाजारी "ए" ओ० का०	192.96	3.00	26.76	समय से
	13.	पाण्डवेश्वर भू० ग०	9.25	0.30	—	समय से
	14.	रतिबती स्कीम नारायनकारी	6·57	0.21	—	समय से
	15.	गिरिजा ओ० का०	6.28	0.24	3.60	समय से
	16.	अमृतनगर भू० ग० फेज-II (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	65.45	1.14	17.03	समय से
	17.	सोदेपुर भू० ग० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	9.81	0.40	5.35	समय से
		भारत कोकिंग कोल लि०				
	18.	हुरूलाडीह की अपर सीम का तरलीकरण	5.74	0.27	0.50	समय से
	19.	भुरूंगिया भू० ग० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	9.47	0.30	6.82	समय से
1985-86		नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०				
	20.	खांदिया ओ० का० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	400.00	4.00	26.84	समय से
	21.	बीना ओ० का० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	240.55	4.50	113·61	12
		सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०				
	22.	संगम ओ० का०	9.87	0.30	1.48	समय से
	23.	गिडी कोलियरी भू० ग०	9.03	0.60	3.90	समय से
	24.	न्यू स्वांग ओ० का०	9·78	0.30	2.86	समय से

	1	2	3	4	5	6
		साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	25.	बंगवार भू० ग०	25.14	0.65	1.89	समय से
	26.	दिपका ओ० का०	56.05	2.00	21.82	24
	27.	गेवरा ओ० का० विस्तार	224.39	10.00	101.03	समय से
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	28.	टांडसी भू० ग०	51.58	0.90	1.20	समय से
	29.	नन्दन भू० ग० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	17.89	0.60	15.01	12
		सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०				
	30.	गोदावरी खानी 10-ए भूमिगत	27.31	0.57	1.46	समय से
	31.	रविन्द्रा खानी 1-ए भू० ग०	29.78	0.54	3.74	समय से
	32.	श्रीरामपुर 3 और 3-ए भू० ग०	10.46	0.30	0.75	समय से
1986-87		ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	33.	कालीदासपुर भूमिगत	47.95	0.96	3.44	समय से
	34.	चिनाकुरी भूमिगत (दिशेरगढ़ सीम की टॉप लिफ्टिंग खुदाई)	9.63	0.18	—	समय से
	35.	मधुसूदनपुर भू० ग०	10.34	0.36	0.39	समय से
		सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०				
	36.	पिपराडीह ओ० का०	9.84	0.40	0.91	समय से
		साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	37.	ओरिएन्ट नं० 3 खान में साइड डिस्चार्ज "लोडर" लागू करने की योजना	5.32	0.50	—	समय से

	1	2	3	4	5	6
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	38.	सेथिया ओ० का०	9.70	0.22	8.91	समय से
1986-87		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०				
	39.	घूपतला ओ० का०	9.45	0.25	—	समय से
	40.	बेल्लोरा ओ० का०	19.30	0.45	—	समय से
	41.	सोदेपुर भू० ग० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	20.72	0.60	20.59	समय से
		सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०				
	42.	रामागुंडम ओ० का०-II	147.16	2.00	—	समय से
	43.	काकातिया 1 और 1-ए भू० ग०	13.27	0.30	—	समय से
		भारत कोकिंग कोल लि०				
	44.	बेगुनिया भू० ग० (संशोधित परियोजना रिपोर्ट)	9.47	0·18	4.70	पूरी हो गई

चीनी के उत्पादन की कमी

8209. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने के प्रति हैक्टेयर उत्पादन और उसकी प्राप्ति की प्रतिशतता में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद गत पांच वर्षों में भारत में चीनी के उत्पादन में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) चीनी एक कृषि पर आधारित उद्योग है और इसका उत्पादन वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता रहता है। इसके कई कारण हैं जिनमें जलवायु परिस्थितियां, वर्षा, आदि शामिल हैं। गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल में मामूली गिरावट आने के बावजूद देश में पिछले दो वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई है। इसका कारण सरकार द्वारा साकारात्मक नीति सम्बन्धी उपाय अपनाया जाना है।

1983-84 मौसम में गिरावट आने के बाद, चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आई है। चालू मौसम 1986-87 के दौरान 7-4-1987 की स्थिति के अनुसार कुल 70.09 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था, जो कि 1983-84 (59.16 लाख मीटरी टन), 1984-85 (61.44 लाख

मीटरी टन) और 1985-86 (70.03 लाख मीटरी टन) के वार्षिक चीनी उत्पादन से अधिक है।

कीटनाशक दवाइयों का निर्यात

8210. डा० जी० विजयरामाराव
श्री श्रीहरि राव
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनी हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड जो कि भारतीय कीटनाशक संघ की सदस्य है, कीटनाशक दवाइयों के निर्यात का समर्थन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कीटनाशक दवाइयों के निर्यात की अनुमति देने का है; और

(ग) कीटनाशक दवाइयों के निर्माताओं को नये लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी हां, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि देश में अतिरिक्त निर्माण क्षमता है।

(ग) कीटनाशक उद्योग को औद्योगिक नीति विवरण, 1973 (यथा संशोधित) के परिशिष्ट-1 में शामिल किया गया है। सभी कम्पनियां औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तथापि कीटनाशक सूत्रयोगों के लिए नये लाइसेंस, सरकारी, राज्य क्षेत्र या सहकारी उपक्रमों के सिवाय, जब तक कि वे तकनीकी ग्रेड के निर्माण से जुड़े हुए न हों, जारी नहीं किये जाते हैं।

[हिन्दी]

फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग

8211. श्री स्वामी प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग इस समय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) फिर भी फिरोजाबाद एककों को घटिया किस्म का कोयला भेजे जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। रानीगंज और दक्षिणी करनपुर कोयला खानों से वाष्प-कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण बेहतर किस्म के कोयले की मांग अन्य कोयला खानों से पूरी की जाती है। कोयले का सही आकार सुनिश्चित करने तथा उसमें से विजातीय तत्व निकालने की दृष्टि से कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा एक कोल हैण्डलिंग संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। कोयला कम्पनियों को भी यह निदेश दिये गये हैं कि वे बड़े आकार के कोयलों को श्रमिकों से तुड़वाने और उनमें से

विजातीय तत्व निकलवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करें। प्रत्येक कोयला कम्पनी में गुणवत्ता नियंत्रण सेल स्थापित किये जा चुके हैं।

[अनुवाद]

डिजिटल स्विचिंग प्रणाली तैयार करने के सम्बन्ध में उच्चाधिकार समिति

8213. श्री वी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गोडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिजिटल स्विचिंग प्रणाली तैयार करने के सम्बन्ध में एक उच्चाधिकार समिति की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इस समिति का कार्य-क्षेत्र क्या है; और

(ग) इसकी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) डिजिटल स्विचन प्रणाली के लिए आवश्यक विनिर्माण क्षमता तथा आई० टी० आई० की मौजूदा संरचना का सर्वोतम उपयोग करने के बारे में एक योजना तैयार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

(क) (i) समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री वी० कृष्णमूर्ति — अध्यक्ष
अध्यक्ष एम० ए० आई० एल०

2. श्री वी० एम० सुंदरम,
सदस्य (दूरसंचार प्रौद्योगिकी)
(दूरसंचार)

3. डॉ० एन० शेशागिरी,
अपर सचिव,
इलेक्ट्रानिक विभाग

4. श्री बी० एल० के० राव
महाप्रबन्धक, बी० ई०एल०,
मछलीपट्नम

5. डॉ० कृष्ण सोंधी,
सलाहकार (सी० एण्ड आई०),
(योजना आयोग)

6. श्री जी० एन० टंडन,
संयुक्त सचिव (पी०एफ०)
व्यय विभाग

7. श्री बी० आर० प्रभाकर
संयुक्त सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग
उद्योग मंत्रालय

8. डॉ० बी० के० मिश्र
निदेशक (टी० एस० जी०)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

9. श्री ए० के० गंगोपाध्याय
महाप्रबन्धक (आर० एंड डी०)
एच० एम० टी० बेंगलूर

10. श्री एस० के० गिरि,
निदेशक अप्रेन्टिस शिप ट्रेनिंग,
श्रम मंत्रालय

11. श्री डी० वी० गुप्ता
कार्यकारी प्रबन्धक निदेशक
आई० टी० आई०

12. श्री माइकल फर्नांडीज
आई० टी० आई० बेंगलूर

13. वाई मुथ्युस्वामी सदस्य सचिव
उप-महानिदेशक (ई० पी०)
दूरसंचार विभाग

समिति का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :—

(क) (ii) वर्ष 2000 तक देश में इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली के लिए अपेक्षित विनिर्माण क्षमता का उत्तरोत्तर मूल्यांकन करना। इसमें देश में उत्पन्न मांग और सम्भावित निर्यात भी शामिल है तथा इलेक्ट्रानिक स्विचिंग, ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज के विभिन्न आकार और प्रयोग तथा माध्यम और बड़े आकार के स्वचल एक्सचेंज तथा ट्रंक एवं ट्रांसिट एक्सचेंज भी शामिल हैं।

(ख) विभिन्न आकार के एक्सचेंजों के लिए इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली का विनिर्माण करने के लिए निजी फैक्टरी के लिए अधिकतम आकार निर्धारित करना तथा प्रयोग पर सलाह देना।

(ग) देश में आई० टी० आई० और इलेक्ट्रानिक्स में अन्य विनिर्माताओं की मौजूदा संरचना की पुनरीक्षा करना और भविष्य में इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली की फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करना।

(घ) आई० टी० आई० की विभिन्न मौजूदा स्विचन फैक्ट्रियों में सुलभ मौजूदा संरचना, जनशक्ति आदि के समुचित उपयोग और तैनाती के बारे में सिफारिश करना। ई० एस० एस० उपस्कर का विनिर्माण और वैकल्पिक निर्माण भी इसमें शामिल है।

(ग) उम्मीद है कि समिति 31-7-87 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

हरियाणा में चुनाव कराना

8214. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
: क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान हरियाणा विधान सभा की अवधि 23 जून, 1987 को समाप्त होनी है और इस लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

महर्षि दधीचि तथा अन्य संतों की स्मृति में डाक टिकट

8215. श्री मदन पांडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महर्षि दधीचि की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के सुझाव के पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का महर्षि दधीचि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ अन्य भारतीय संतों की स्मृति में निकट भविष्य में डाक टिकट जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी करने और अन्य संबद्ध मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए विभाग में एक फिलैटली सलाहकार समिति कार्य कर रही है। इस प्रस्ताव को फिलैटली सलाहकार समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

(घ) और (ङ) उन महानुभावों को जिन्हें संत और द्रष्टा कहा जा सकता है तथा जिनपर 1987 के दौरान डाक टिकटें जारी करने का अस्थायी प्रस्ताव है, उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

संत जिन पर स्मारक/विशेष डाक टिकटें जारी करने का अस्थायी प्रस्ताव है

1. श्री श्री मां आनन्दमयी
2. जे० कृष्णमूर्ति
3. गुरु घासीदास
4. संत हरचंद सिंह लोंगोवाल
5. श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्र

[अनुवाद]

सिहोरा और जबलपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा

8216. श्री अजय मुशरान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सिहोरा और जबलपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, इस कार्य के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सिहोरा और जबलपुर के बीच सातवीं योजना के दौरान एस० टी० डी० सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

8217. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री उत्तम राठौड
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्रीमती जयन्ती पटनायक
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री चीनी प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के बारे में 24 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 227 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों को प्रोत्साहन देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रोत्साहनों को देने का बुनियादी उद्देश्य क्या है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक शुरू किये जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन प्रोत्साहनों के देने का मूलभूत उद्देश्य चीनी फैक्ट्रियों को सक्षम बनाने में इस तरह मदद करना है जिससे वे वित्तीय संस्थानों को आवधिक ऋणों की अदायगी कर सकें।

(घ) यह मामला अभी भी विचाराधीन है और बहुत जल्द निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

तमिलनाडु द्वारा इन्नोर ताप बिजली घर के लिए कोयले का आयात

8218. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास के निकट स्थित इन्नोर ताप बिजली घर के लिए प्रतिमाह 60,000 टन कोयला आयात करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) तमिलनाडु में मैत्तूर ताप विद्युत केन्द्र की 210 मेगावाट की पहली यूनिट को कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के अपवर्तित सिंगरैनी कोयलीरीज कम्पनी लिमिटेड से लिंकेज के स्थान पर इन्नोर ताप विद्युत केन्द्र के लिए तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने प्रतिमाह 50,000 रुपए मीट्रिक टन कोयले के आयात की अनुमति हेतु अनुरोध किया है। इन केन्द्रों के लिए कोयले के आयात की अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि तमिलनाडु बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों की कोयले की आवश्यकताओं को फिलहाल स्वदेशी स्रोतों से पूरा किया जा सकता है।

तालचेर ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति देना

8219. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर ताप विद्युत परियोजना पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के लिए रुकी पड़ी है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) क्या इस परियोजना में पूंजी लगाने के लिए विदेशों से कोई पेशकश प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने प्रस्तावित तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना को "सिद्धान्त रूप में" स्वीकृत दे दी है। इसे वित्तीय सहायता हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैसर्स स्टील इंडस्ट्री आफ फ्रांस के सहयोग से, जिसने समुचित वित्तीय पैकेज की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है, टावर-टाइप बायलरों का निर्माण करेगा।

नेवेली लिग्नाइट निगम के श्रमिकों को वेतन

8220. **डा० पी० वल्लल पेरूमन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट निगम में कितने मजदूर ठेके पर काम कर रहे हैं;

(ख) यह मजदूर कितनी अवधि से ठेके पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन अधिकांश ठेका मजदूरों को अनुमत्य वेतन का केवल 50 प्रतिशत दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें नैमित्तिक श्रमिक बनाने और तत्पश्चात् नियमित आधार पर खपाने के

लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) मजदूरों को ठेकों आधार पर वह ठेकेदार नियोजित करते हैं जिन्हें नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन काम देता है। ऐसे मजदूरों की संख्या 7,800 है। ठेकों की अवधि सामान्यतया एक वर्ष होती है।

(ग) जी नहीं। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है कि ठेका मजदूरों को न्यूनतम सांविधिक मजदूरी अवश्य मिले।

(घ) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन पर ठेका मजदूरों को नियमित आधार पर खपा लेने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है।

[हिन्दी]

देवीधुरा (पिथौरागढ़) उत्तर प्रदेश में स्वचालित टैलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8221. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देवीधुरा (जिला पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश) में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या उक्त एक्सचेंज ने कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक चालू होने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) अभी भी न्यूनतम अपेक्षित मांग की शर्तं पूरी नहीं होती।

औद्योगिक एककों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

8222. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक एककों को उनके औद्योगिक प्रयोजनों में इस्तेमाल के लिए मिट्टी का तेल सप्लाई कर रही है: और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल का प्रयोग मुख्यत: घरेलू प्रयोजनों अर्थात् खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाता है। मिट्टी का तेल (प्रयोग निर्बंधन और मूल्य निर्धारण), आदेश 1966, समय-समय पर यथा संशोधित, के अधीन मिट्टी के तेल के प्रयोग की अनुमति अनिवार्य औद्योगिक प्रयोजन के लिए केवल प्रौद्योगिकीय आधार और आवश्यकता के लिए ही दी जाती है और राज्य सरकारें राज्य के कोटे में से ऐसी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए आबंटन करने के लिए सक्षम है। केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल का अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी

8223. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उद्योगों के विस्तार करने या नए उद्योग स्थापित करने संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) उन्हें मंजूरी देने में विलम्ब के कौन से कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) तमिलनाडु में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के अन्तर्गत प्राप्त हुए 70 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन 21-4-87 को विभिन्न अवस्थाओं में थे।

(ख) सरकार का यह निरंतर प्रयत्न रहता है कि लम्बित पड़े सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों का यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए क्रियाविधि को सुप्रवाही बनाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में बहु ईंधन ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

8 24. श्री बी० तुलसीराम : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश में बहु ईंधन ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता और लागत कितनी है;

(घ) परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) इससे राज्य की आवश्यकता की कितनी पूर्ति हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में बहु-ईंधन ताप-विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारी विद्युत उपकरणों के लिये क्रयादेश

8225. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने सरकार से अनुरोध किया है कि विदेशी कम्पनियों को भारी विद्युत उपकरण के लिए क्रयादेश न दिए जाएं क्योंकि इन उपकरणों का शीघ्र ही अधिक मात्रा में निर्माण होगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) "भेल द्वारा देश में उत्पादित ऐसे उपकरणों का अब प्रति वर्ष कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) क्षमता के बेहतर उपयोग का सुनिश्चित करने के लिए बी०एच०ई०एल० सरकारी सहयोग के लिए अनुरोध करता रहा है। यह सरकार की नीति है कि देशी क्षमता के अधिकतम उपयोग का सुनिश्चय किया जा सके। परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर केवल चयनात्मक रूप में आयात का सहारा लिया जाता है।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमेंट उत्पादन

8226. **श्रीमती प्रभावती गुप्त :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक सीमेंट की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ख) उक्त अवधि तक सीमेंट का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) सीमेंट की यदि कोई कमी है, तो उसे पूरी करने और सीमेंट उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग म राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में सीमेंट की मांग लगभग 49 मिलियन मी० टन होने की संभावना है। 7वीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य भी 49 मिलियन मी० टन निर्धारित किया गया है जिसे सम्पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने की सम्भावना है जिससे देश को सीमेंट में आत्म-निर्भर बनाया जा सके।

कर्नाटक में बिजली का उत्पादन और खपत

8227. **श्री डी० के० नायकर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जल बिजली और ताप बिजली का अलग-अलग कुल कितने मेगावाट उत्पादन हुआ; और

(ख) राज्य में बिजली की कुल खपत (घरेलू और वाणिज्यिक) और आवश्यकता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष वर्ष 1986-87 के दौरान कर्नाटक में विद्युत का कुल उत्पादन 7788 मिलियन यूनिट था, जिसमें 1267 मिलियन यूनिट ताप विद्युत और 6521 मिलियन यूनिट जल विद्युत था।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान कर्नाटक में विद्युत की कुल उपलब्धता 10350 मिलियन यूनिट थी, जिसकी तुलना में आवश्यकता 14163 मिलियन यूनिट थी।

पनबिजली परियोजनाओं को स्वीकृति

8228. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में कार्यान्वयन के लिए बड़ी संख्या में प्रस्तावित परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है और उन्हें स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन पनबिजली परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रीय पन-बिजली निगम ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में पांच, तमिलनाडु में चार, केरल में तीन और कर्नाटक में एक जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में विद्युत परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई हैं। कुछ रिपोर्टों की तकनीकी. आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है तथा अन्य रिपोर्टों के संबंध में टिप्पणियां संबंधित राज्य प्राधिकारियों के पास भेज दी गई हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे इन प्रस्तावों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम शामिल नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी

8229. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी है;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय पूल से आपेक्षित मात्रा में विद्युत सप्लाई करने जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1986-87 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश अपनी विद्युत की मांग पूरी करने में समर्थ था। तथापि, अप्रैल, 1987 में राज्य को विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसका मुख्य कारण जलाशयों में कम जल स्तर होने के फलस्वरूप जल-विद्युत उत्पादन में कमी होना है।

(ख) और (ग) जहां तक संभव है, आन्ध्र प्रदेश को दक्षिण क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित भाग में से विद्युत प्रदान की जा रही है।

सोडियम वेपोर इलेक्ट्रिक लैम्पों का निर्माण

8230. **श्री एन० डेनिस :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सोडियम बेपोर इलैक्ट्रिक लैम्पों का निर्माण किया जाता है;

(ख उनका निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें कितने लैम्पों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। उच्च दबाव वाले सोडियम वेपर इलैक्ट्रिक लैम्पों का भारत में निर्माण किया जा रहा है। तथापि, कम दबाव वाले सोडियम वेपर इलैक्ट्रिक लैम्पों का देश में अभी तक निर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) मै० पिको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बम्बई और मै० जेमैलेक लि०, बम्बई इन लैम्पों का निर्माण कर रही हैं और इनकी लाइसेंस प्राप्त वार्षिक क्षमता क्रमशः 1,50,000 नग और 50,000 नग है।

सुपर बाजार और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा पामोलीन आयल की सशर्त बिक्री

8231. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार के माध्यम से वितरित किए जाने के लिए पामोलीन खाद्य तेल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1987 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की गाड़ियों से पामोलीन खरीदने के इच्छुक लोगों को जबरदस्ती गाड़ियों से "फियरनेश क्रीम" खरीदने के लिए कहा गया या कई बार खाद्य तेल लेने से पहले बख्शीश की मांग की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के रुख के कारण उपभोक्ताओं ने पामोलीन के प्रति अधिक अभिरुचि दिखाई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति, देशीय खाद्य तेलों की सप्लाई की अनुपूर्ति करने के लिए की जाती है। दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वे आवंटित किए गए रेपसीड तेल को उठाने में सुधार लाएं, ताकि संघ राज्य क्षेत्र को किए गए पामोलीन के आवंटन की अनुपूर्ति की जा सके।

(ग) और (घ) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 3-4-87 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित खबर में कोई सच्चाई नहीं है।

हाजीरा-जगदीशपुर-विजयपुर गैस पाइप लाइन का देश के दक्षिणी भागों का विस्तार

8232. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन का देश के दक्षिणी भागों तक विस्तार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीग्राफ सर्किट के किरायों में परिवर्तन

8233. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राफ सर्किट के किरायों में परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप बन्द कर दिये गये सर्किटों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस कारण राजस्व की कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(घ) इन हानियों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

भोपाल डिवीजन के जिलों में टेलीफोन सेवाएं

8234. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल डिवीजन के जिलों—विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में टेलीफोन सेवाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रायसेन—विदिशा, उदयपुर—रायसेन, विदिशा—शायसाबाद, बुदनी—सिहोर, बुदनी—भोपाल, भोपाल—दीवानगंज और नसरुल्लागंज—भोपाल टेलीफोन लाइनें अधिकांशतः खराब पड़ी रहती हैं ?

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) उक्त लाइनों की टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं । भोपाल डिवीजन के जिले में टेलीफोन सेवाएं संतोषप्रद हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । विदिशा, रायसेन और सिहोर की विभिन्न ट्रंक लाइनों का कार्यकरण संतोषप्रद है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कड़े रख-रखाव और दोषों का सुधार करके ट्रंक लाइनों के कार्यकरण को संतोषप्रद स्तर पर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

भुवनेश्वर और भद्रक के बीच एस०टी०डी० सुविधा

8235. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान भुवनेश्वर और भद्रक के बीच एस०टी०डी० टेलीफोन सुविधा का विस्तार किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई; और

(ग) यदि यह कार्य नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लंबी दूरी के सर्किट बढ़ा देने के बाद भुवनेश्वर और भद्रक के बीच एस०टी०डी० सुविधा सम्भव हो जाएगी। इस दिशा में कार्य शुरू किया जा रहा है।

सम्पत्ति-उत्तराधिकार के संबंध में एक ही कानून

8236. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पत्ति-उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विद्यमान कानून में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में पुत्रों और पुत्रियों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी लोगों के लिए, उनके धार्मिक विश्वास को नजर अन्दाज करते हुए उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक ही कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) एक स्वैच्छिक समान सिविल संहिता बनाने के प्रस्ताव में, जो कि सरकार के विचाराधीन है, उत्तराधिकार की एक ही विधि का उपबंध किया गया है। किन्तु इस पर अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

8238. श्री राम पूजन पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, जबकि विश्व बाजार में इनके मूल्य नीचे गिरे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित मूल्य निर्धारण नीति के अन्तर्गत सामान्यत: अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन के अनुसार मूल्यों में संशोधन नहीं किया जाता है। तथापि, फरवरी, 1986 से मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति

8239. श्री दौलत सिंह जी० जडेजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पद को कब भरा जाएगा;

(ग) क्या सरकार को पिछले 7 वर्षों के दौरान इंजीनियर्स इंडिया लि० के व्यावसायिक स्तर के धीरे-धीरे गिरते जाने के बारे में जानकारी है; और

(घ) सरकार इंजीनियर्स इंडिया लि० की पिछली प्रतिष्ठा फिर से कायम करने के लिए कौन से उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक में पूर्णकालिक पद को पूर्णकालिक प्रबन्ध-निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष के पद में बांट दिया गया है। पूर्णकालिक प्रबन्ध-निदेशक होने पर पूर्णकालिक अध्यक्ष रखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

(ग) और (घ) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने देशी टेक्नोलोजी के विकास, जनशक्ति आदि के अधिक उपयोग को उच्च प्राथमिकता देते हुए कम्पनी की प्रगति पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। सरकार ई०आई०एल० की गतिविधियों की लगातार समीक्षा करती रहती है ताकि यह उच्च स्तरीय परामर्शदात्री संगठन बना रहे।

[हिन्दी]

बिजली का उत्पादन और उसकी मांग

8240. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया**
श्री तेजा सिंह दर्दी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में बिजली के उत्पादन और उसकी मांग में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बिजली के उत्पादन और उसकी मांग के वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा प्रयास किये जाने के बावजूद बिजली के वितरण और पारेषण में होने वाली हानि की प्रतिशतता में कमी नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत का उत्पादन और मांग निम्नानुसार रही है :—

वर्ष	कुल विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)	आवश्यकता (मिलियन यूनिट)
1984-85	156633	155432
1985-86	170037	170746
1986-87	187568	192356

(ग) और (घ) प्रणाली सुधार स्कीमों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक उपायों के जरिए ऊर्जा की चोरी को रोकने से देश में पारेषण और वितरण हानियां धीरे-धीरे कम हो जाने की आशा है। अत्यधिक पारेषण और वितरण हानियों के लिए मुख्य कारण ये हैं; कमजोर एवं अपर्याप्त पारेषण और

वितरण प्रणाली, निम्न विद्युत गुणांक प्रचालन, बड़े पैमाने पर गांवों का विद्युतीकरण, अत्यधिक ट्रांस-फार्मरों का स्थापित होना, ऊर्जा की चोरी, समुचित भार प्रबन्ध का न होना, मीटर के जरिए विद्युत सप्लाई न किया जाना तथा वित्तीय बाधाएं।

[अनुवाद]

डीजल इंजन आयल के स्थान पर प्लांट आयल

8242. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "डीजल इंजन आयल" के स्थान पर "प्लांट आयल" का प्रयोग किये जाने के लिए कुछ अनुसंधान कार्य हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "प्लांट आयल" के स्रोत क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पेट्रो-फसलों पर कई अध्ययन आरम्भ किये गये हैं जिससे बाटनो-केमिकल्स की प्राप्ति हुई है जो पेट्रो-केमिकल्स का सम्भव प्रतिस्थापना/पूरक हो सकता है। उनके महत्व के कारण, पेट्रो-फसलों की उन विभिन्न किस्मों पर एक सर्वेक्षण किया गया था जो पिटोस्पोरिसया, पालमी, यूफोरबाइशिया, कुकुर्बिटासिया, सिमोनडसियासिया, एसक्लेडायडेशिया के छ: परिवारों से सम्बन्धित थे। इन्हें ऊर्जा तेलों/ईंधनों के उत्पादन के लिए मान्यता दी गई है।

सर्वेक्षण से पता चला है कि पौधों का विभिन्न कृषि-जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रसार किया जाता है और ये अंडमान और निकोबार द्वीपों, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों, गुजरात और राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क इलाकों, पहाड़ों की चोटियों, रेतीले टीलों और मैदानी इलाकों में पाये जाते हैं।

पौधों के तेल यथा, पोगोबा तेल और कटंजी तेल/सालसीड तेल/राइस ब्रांड के दो स्ट्रोक के इंजन के लिए बेस स्टाक के रूप में और डीजल तेल को प्रतिस्थापक/पूरक के रूप में प्रयोग में लाये जाने पर देहरादून स्थित आई०आई०पी० और मद्रास स्थित आई०आई०टी० में कुछ अन्वेषण किये गये हैं। चूंकि इन पौधों के तेलों में डीजल तेल के प्रतिस्थापक/पूरक की सम्भावना है, अत: आगामी वर्षों में इनके उत्पादन, निष्कर्षण, वर्गीकरण, संसाधन और उपयोग के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास कार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली के जिला न्यायालयों में रजिस्ट्रार के पदों का सृजन

8243. **श्री रामभगत पासवान :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बम्बई की तरह दिल्ली के न्यायालयों में रजिस्ट्रार का पद बनाने और निकट भविष्य में दिल्ली के जिला न्यायालयों के अधीक्षकों के ग्रेड संशोधित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान व्यवस्था संतोषप्रद रूप से काम कर रही है।

राजघाट विद्युत गृह को अन्यत्र ले जाना

8244. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट स्थित विद्युत गृह को हटाकर अन्यत्र कहीं ले जाने का विचार है ताकि इस क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार किया जा सके;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजघाट में 15 मेगावाट की यूनिट में इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जा रहे हैं तथा कार्य 1987 के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है। इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित हो जाने के बाद ही यूनिट को वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन में लगाया जाएगा।

रिगों का आयात

8245. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रिगों का उत्पादन होने के बावजूद उनका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रौद्योगिकी विकास महानिदेशक ने सरकार को इस अप्रयुक्त स्वदेशी क्षमता के बारे में अवगत कराया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) तेल क्षेत्र के उपकरणों तथा सेवाओं के स्वदेशीकरण की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तेल रिगों के आयात पर विचार किया जाता है जिसमें तकनीकी विकास महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व है। समिति द्वारा तेल रिगों तथा अन्य उपकरणों के आयात की अनुमति, स्वदेशी निर्माताओं की वस्तुओं के निर्माण करने तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० द्वारा निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार उन्हें आपूर्ति करने की क्षमता के आंकलन के बाद ही दी जाती है। इसके अलावा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० द्वारा दी जाने वाली विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेने वाले स्वदेशी निर्माता कुछ रियायतें जैसे मूल्य अधिमान्यता, रियायती आयात-शुल्क तथा माने गये निर्यात के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। स्वदेशीकरण की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई

8246. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में प्रति दिन खाना पकाने की गैस के कुल कितने सिलेण्डरों की मांग है; और

(ख) उक्त राज्य को खाना पकाने की गैस के प्रति दिन कितने सिलेण्डर सप्लाई किए जाते हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पश्चिमी बंगाल में कुकिंग गैस सिलिंडरों की औसत मांग करीब 15,000 की प्रति दिन है।

(ख) पश्चिमी बंगाल में एल० पी० जी० बार्टलिंग संयंत्रों की वर्तमान क्षमता करीब 20,000 सिलिंडर प्रति दिन है। पश्चिमी बंगाल में मांग को केवल बार्टलिंग संयंत्रों में कभी-कभी संचालन सम्बन्धी समस्याओं/औद्योगिक संबंधों की समस्याओं के उत्पन्न होने की स्थितियों को छोड़कर पूर्णतः पूरा किया जाता है।

बिहार में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

8247. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छपरा में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पूर्ण विकसित एक कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने में कब तक कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शनों के अंतरण के लिए मानदंड

8248. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी के विद्यमान टेलीफोन कनेक्शनों को रक्त नातेदारों, दूर के रिश्तेदारों और अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) मृत्यु के मामलों में प्रत्येक श्रेणी के मौजूदा कनेक्शन अन्तरित करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(ग) सभी मामलों में कनेक्शन हेतु पंजीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण अन्तरित करने के लिए प्रत्येक श्रेणी हेतु मानदण्ड क्या हैं;

(घ) प्रत्येक श्रेणी के मौजूदा कनेक्शनों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(ङ) 31 मार्च, 1987 को दिल्ली के किन-किन इलाकों में प्रत्येक श्रेणी के मौजूदा कनेक्शनों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी; और

(च) प्रत्येक श्रेणी में कनेक्शन की स्वीकृति हेतु प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में

क्या मानदण्ड हैं और ऐसे मामलों में निवास पते में परिवर्तन के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार किया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) 31 मार्च, 1987 को जनपथ, जोरबाग, राजपथ, सेना भवन, लोदी रोड, बादली, तीस हजारी, नरेला, शक्ति नगर, दिल्ली गेट, ईदगाह, शाहदरा (जी० टी० रोड के उत्तर के क्षेत्र के अलावा), चाणक्यपुरी, हौजखास, ओखला, कैंट, करोल बाग और नजफगढ़ एक्सचेंजों द्वारा सेवित क्षेत्रों को उनके स्थानांतरण की पात्रता पर टेलीफोन शिफ्ट करने की अनुमति थी।

(च) एक्सचेंज क्षमता सुलभ होने पर, टेलीफोन कनेक्शन निम्नलिखित प्रतिशत में रिलीज किये जाते हैं :—

ओ० वाई० टी०	40 प्रतिशत
गैर-ओ० वाई० टी०/सामान्य	40 प्रतिशत
गैर-ओ० वाई० टी०/विशेष	20 प्रतिशत

यदि कोई आवेदक प्रतीक्षा सूची से अपना नाम और पता किसी अन्य मल्टी एक्सचेंज प्रणाली के अन्तर्गत एक्सचेंज मे बदलने का अनुरोध करता है तो उसका नाम उस नये एक्सचेंज को विशेष श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा और उसकी प्राथमिकता की तारीख मूल रजिस्ट्रेशन की तारीख से गिनी जाएगी।

विवरण

मौजूदा टेलीफोन कनेक्शन के अन्तरण, रजिस्ट्रेशन के अन्तरण और मौजूदा टेलीफोन कनेक्शनों को शिफ्ट करने से संबंधित मानदंड दर्शाने वाला विवरण

(क) किसी उपभोक्ता के जीवित रहते हुए, किसी भी श्रेणी के टेलीफोन कनेक्शन का अन्तरण उसके सम्बन्धी अर्थात् पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, (इसमें सौतेला भाई और सौतेली बहन शामिल हैं, परन्तु चचेरा शामिल नहीं है) के नाम करने की अनुमति है। इस प्रकार के अन्तरण के लिए यह आवश्यक है कि मूल किराएदार के नाम टेलीफोन कम से कम एक वर्ष तक काम किया हो। विशेष श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन के अन्तरण के मामले में मूल किराएदार उस विशेष श्रेणी के अन्तर्गत, अन्तरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

(ख) किराएदार की मृत्यु के पश्चात् किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत टेलीफोन का अन्तरण उसके कानूनी रूप से उत्तराधिकारी/हकदार के नाम किया जा सकता है, यदि सम्पत्ति किसी एक आदमी के नाम से वसीयत की गई हो तो टेलीफोन उस व्यक्ति के नाम अन्तरित किया जाएगा। उस स्थिति में यदि सम्पत्ति एक से अधिक व्यक्ति के नाम वसीयत की गई हो तो टेलीफोन का अन्तरण उस विशेष व्यक्ति के नाम किया जाएगा जिसके नाम का उल्लेख इस उद्देश्य से विशेषरूप से वसीयत में किया गया हो। किसी प्रकार का विशेष उल्लेख न होने के कारण अन्य लाभभोगियों की आम सहमति से किसी भी एक लाभभोगी के नाम टेलीफोन अन्तरित किया जा सकता है।

वसीयत न होने पर जीवित पति/पत्नी के नाम टेलीफोन अन्तरित किया जा सकता है। एक से

अधिक पति/पत्नी होने पर अन्यों की सहमति से किसी एक के नाम में टेलीफोन अन्तरित किया जा सकता है। यदि पति/पत्नी जीवित न हो या टेलीफोन अपने नाम न रखना चाहें तो टेलीफोन परस्पर सहमति से किसी एक संतान के नाम पर अन्तरित किया जा सकता है। पति/पत्नी या संतान के जीवित न रहने पर टेलीफोन वैध उत्तराधिकारी के नाम अन्तरित किया जा सकता है। एक से अधिक वैध उत्तराधिकारी होने पर उनमें से किसी एक के नाम पर, अन्य की परस्पर सहमति से, टेलीफोन अन्तरित किया जा सकता है।

(ग) रजिस्ट्रेशन का अन्तरण :

(i) "ओ०वाई०टी० स्पेशल", "गैर-ओ०वाई०टी० स्पेशल" और "गैर-ओ०वाई०टी०-एस० एस० श्रेणियों के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के अन्तरण की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ii) आवेदक के जीवित रहने की अवधि में "ओ० वाई० टी० सामान्य" और "गैर-ओ० वाई० टी० सामान्य" श्रेणियों के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के अन्तरण की अनुमति निकट सम्बन्धियों अर्थात—पिता, माता, पत्नी, पति, पुत्र एवं पुत्री, भाई और बहिन (सौतेले भाई और बहिन सहित परन्तु चचेरे भाई/बहिन को छोड़कर) के नाम अन्तरित किया जा सकता है। आवेदक की मृत्यु होने पर वैध उत्तराधिकारी के नाम में रजिस्ट्रेशन के अन्तरण की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) शिफ्टिंग :

एक ही एक्सचेंज क्षेत्र के भीतर टेलीफोन के कार्य करने की अवधि पर ध्यान दिए बिना शिफ्टिंग की अनुमति दे दी जाती है।

मल्टी एक्सचेंज प्रणाली में एक एक्सचेंज क्षेत्र से अन्य एक्सचेंज में शिफ्टिंग की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि :—

(i) शिफ्ट किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रारम्भिक आवेदन की पंजीकरण तारीख उस एक्सचेंज क्षेत्र की विशेष श्रेणी की रिलीज अवधि के भीतर पड़ती हो जिसमें उसे शिफ्ट किया जाना है, या

(ii) शिफ्ट किए जाने वाले टेलीफोन उस एक्सचेंज क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य कर लिया हो जहां से उसे शिफ्ट किया जाना है।

इसके अलावा शिफ्ट किए जाने वाले एक्सचेंज में क्षमता उपलब्ध होने पर शिफ्टिंग की अनुमति दे दी जाती है। टेलीफोन की शिफ्टिंग तभी की जाएगी जब वह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो और मामला सही हो।

डिस्टलरियों द्वारा क्षमता का उपयोग

8249. श्री एम० जी० घोलप : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी डिस्टलरियां हैं;

(ख) वास्तविक उत्पादन की तुलना में उनकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : (क) और (ख) पिछले अल्कोहल वर्ष 1985- 6 (दिसम्बर, 1985, नवम्बर, 1986) में अल्कोहल की आसवन क्षमता और उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

(ग) और (घ) मुख्यत शीरे की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण गत वर्ष के दौरान आसवन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका।

विवरण

(लाख लीटर में मात्रा)

क्र० सं०	राज्य का नाम	डिस्टलरियों की संख्या	आसवन क्षमता (लाख लीटर)	अल्कोहल वर्ष 1985-86 (दिसम्बर 1985, नवम्बर 1986) के दौरान वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	791.68	469.70
2.	असम	01	16.00	3.12
3.	बिहार	10	412.00	175.26
4.	गुजरात	8	767.00	273.95
5.	हिमाचल प्रदेश	1	11.00	3.28
6.	जम्मू-कश्मीर	3	75.00	19.11
7.	हरियाणा	3	187.50	142.86
8.	केरल	4	71.50	55.60
9.	कर्नाटक	15	1396.14	401.50
10.	महाराष्ट्र	32	3218.65	1547.66
11.	नागालैंड	01	13 50	3.53
12.	उड़ीसा	05	97.70	19.40
13.	पंजाब	04	303.00	145.67
14.	राजस्थान	04	103 00	116.12
15.	पांडिचेरी	01	20.00	25.49
16.	मध्य प्रदेश	09	243.22	142 36

1	2	3	4	5
17.	तमिलनाडु	09	969.30	768.40
18.	पश्चिम बंगाल	05	111.00	25.00
19.	उत्तर प्रदेश	28	3705.65	1[illegible]62.97
20.	गोवा, दमन और दीव	8	[illegible]8.27	--

कृषकों को बिजली सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों को राज सहायता

8250. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कृषकों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को राज सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-परम्परागत तरीकों से विद्युतीकरण

8251. **श्रीमती बसवराजेश्वरी**
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-परम्परागत तरीके से गांवों के विद्युतीकरण के लिए गैर-सरकारी पूंजी आकर्षित करने हेतु और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के तरीकों द्वारा, ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए केवल गैर-सरकारी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधाओं को देने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा प्रस्ताव है कि सभी सम्बन्धितों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में विविध ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा उत्पादन का विकास एवं उसकी वृद्धि की जाए।

पोलिस्टर फिलामेंट धागे का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा मशीनों का आयात

8252. **श्री नारायण चौबे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलिस्टर फिलामेंट धागे का निर्माण करने वाली कम्पनियों को इस शर्त पर मशीनों के आयात की अनुमति प्रदान की गई थी कि वे इसके लिए धनराशि का प्रबन्ध पोलिस्टर कपड़े और धागे के निर्यात से करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अब तक कितने

मूल्य की मशीनों का आयात किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इन कम्पनियों के निर्यात के सम्बन्ध में किये गये अपने वायदों को पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अब तक कुल कितने मूल्य का निर्यात किया है; और

(ङ) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित पालिएस्टर फिलामेंट यार्न (पी० एफ० वाई०) निर्माता कम्पनियों को इस शर्त पर मशीनों के आयात की अनुमति दी गई थी कि वे आयातित पूंजीगत माल के दोगुना मूल्य के फैब्रिक/पालिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्यात करेंगी :—

क्र० सं०	एकक का नाम	आयातित पूंजीगत माल का सी०आई०एफ० मूल्य
1.	मै० आर्के सिल्क मिल्स लि०, बम्बई	16,58,26,800
2.	मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई	21,61,17,880
3.	मै० जे० के० सिंथेटिक लि०, नई दिल्ली	13,74,60,100
4.	मै० इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, बम्बई	8,89,58,600

(ग) से (ङ) इन एककों के निर्यात दायित्व को हटाने के लिए मुख्यत: इस आधार पर अभ्यावेदन दिया है कि अधिक उत्पादन लागत के कारण भारत में निर्मित पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा-योग्य नहीं है। इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

8253. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : सामग्री और वित्तीय स्रोतों के सुलभ होने पर सातवीं योजना के दौरान गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में 420 लम्बी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोन लाइनें और एक्सचेंज क्षमता में लगभग 11500 लाइनों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में दिहाड़ी कामगार

8254. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कामगार दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए उनकी सेवाओं को नियमित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी अर्हता के अनुसार पदोन्नत किया जा रहा है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेवा की निर्धारित न्यूनतम अवधि के बाद ही नियमित ग्रेडों में नियुक्ति के लिए अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल मजदूरों की सेवाओं पर विचार किया जाता है।

(घ) बी० एच० ई० एल० में कर्मचारियों का ऐसा कोई समूह नहीं है जिसे वर्ग-4 कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

[अनुवाद]

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

8255. **श्रीमती मनोरमा सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने गांवों का अब तक विद्युतीकरण किया गया है और कितने आदिवासी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है;

(ख) बिहार में 1986-87 में विद्युतीकृत किये गये आदिवासी गांवों के पृथक आंकड़े सहित ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में राज्य और अन्तर राज्य क्षेत्रों में असंतुलन को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार बिहार में 39129 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसमें 4681 आदिवासी गांव भी शामिल हैं।

(ख) 1986-87 के दौरान बिहार में 3605 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1987 तक विद्युतीकृत किए गए गांवों में 623 आदिवासी गांव भी शामिल हैं।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण से संबंधित अन्तर्राज्यीय तथा राज्य के अन्तर्गत असंतुलन को कम करने के लिए, 1-4-1985 की स्थिति के अनुसार वे सभी राज्य जिनमें ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 65% से कम है, इन सभी राज्यों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन राज्यों में निर्धारित समय-सूची के भीतर विद्युतीकरण का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए इन राज्यों के प्रयासों की पूर्ति के लिए उदार शर्तों पर निधियां आबंटित की जाती हैं। नई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को तैयार करते समय ऐसे जिले जिनमें ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता कम से कम है, इन जिलों को दूसरे जिलों की अपेक्षा प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा पूर्वी क्षेत्र में रक्षित विद्युत संयंत्र

8256. श्री मानिक रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कमी को दूर करने के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा वर्ष 1987-88 में कोयला क्षेत्र को बिजली की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु कोई आश्वासन दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, हां। तीन ग्रहीत बिजली घर मंजूर किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2 × 10 मे० वा० है। यह कठारा (से० को० लि०), मूनीडीह (भा० को० को० लि०) तथा चीनाकुरी (ई० को० लि०) में स्थापित किए जाएंगे। इनके अलावा कोल इण्डिया लि० गैस टरबाइन सैट लगाकर भी बिजली की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कारंवाई कर रहा है। इनके अलावा, कोल इण्डिया लि० ने झरिया कोयला क्षेत्र के मुकन्दा स्थान पर एक 5 × 210 मे० वा० तापबिजलीघर लगाने के लिए साध्यता अध्ययन शुरू कर दिया है।

(घ) दामोदर घाटी निगम से कोयला क्षेत्र के लिए 1987-88 में बिजली के आवंटन की पुनरीक्षा के लिए कारंवाई शुरू की गई है।

आंध्र प्रदेश में कानीगिरि में इलेक्ट्रानिक क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8257. श्री सी० सम्बु : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के प्रकाश जिले में कानीगिरि में इलेक्ट्रानिक-क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज का विकास अथवा उसकी स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त एक्सचेंज के किस तारीख तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

लाइसेंस मुक्त औषधों की सूची में संशोधन

8258. श्री कृष्ण सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषध नीति से अन्तर्गत उन औषधों की वर्तमान सूची में, जिनके लिए लाइसेंस व्यवस्था नहीं है, कब संशोधन किये जाने की संभावना है;

(ख) पिछली सूची कब घोषित की गई थी और लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने की योजना के अंतर्गत प्रत्येक औषध के लिए कुल कितनी क्षमता की अनुमति है;

(ग) उन औषधों के नाम क्या हैं जिनके लिए नई क्षमता स्थापित की है;

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक औषध के उत्पादन सहित कितना पूंजीनिवेश किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) लाइसेंस-मुक्त औषधों की सूची को संशोधित करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) अन्तिम लाइसेंस-मुक्त सूची 12 जून, 1985 को अधिसूचित की गई थी लाइसेंस-मुक्त योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किए गए पंजीकरणों के ब्यौरे, औषधों के नामों सहित तथा इसके साथ ही स्वीकृत की गई क्षमताएं, इंडिया इंवेस्टमेंट सैंटर द्वारा अपने मासिक सूचना पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) 31-3-1987 तक लाइसेंस-मुक्त योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश 385.53 करोड़ रु० का है। मानीटर की गई 87 प्रपुंज औषधों के उत्पादन के ब्यौरे इस मंत्रालय के कार्यनिष्पादन बजट में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। लाइसेंस-मुक्त औषधों के उत्पादन को अलग मानीटर से नहीं किया जाता है।

पवन शक्ति

8259. **श्री श्रीहरि राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 तक पवन शक्ति के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया है तथा यह कुल क्षमता का कितना प्रतिशत होगा;

(ख) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सरकारी संस्थाओं में आजादी से पूर्व लगाई गई विभिन्न पवन चक्कियों के संचालन से मिले अनुभव का उपयोग किया है;

(ग) क्या इस प्रकार के पूर्व परीक्षणों के परिणामों का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) क्या निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त करने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (घ) ऐसा प्रस्ताव है कि पवन विद्युत से सन् 2001 तक 5000 मेगावाट का एक लक्ष्य संस्थापित किया जाये बशर्ते कि इसके लिए अपेक्षित नीति एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाए।

(ख) आजादी से पूर्व देश में पवन चक्कियों की स्थापना संबंधी कोई वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में विदेशों के लिए एस० टी० डी० सुविधायें

8260. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों पर विदेशों के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88 के दौरान लगभग 300 एस० टी० डी० पे-फोन जिनके जरिए एस० टी० डी० और विदेशों के लिए उपभोक्ता डायल काल की अनुमति प्रदान की जाएगी आयात किए जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र कनर्टाक और उड़ीसा में डाकघर बन्द करना

8261. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ डाकघर शाखाएं वित्तीय घाटे के कारण हाल ही में बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय पर पुन: विचार किया जाएगा और बन्द कर दी गई डाक शाखाएं फिर से खोल दी जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) महाराष्ट्र सर्किल में 1986-87 के दौरान कुछ शाखा डाकघर बंद कर दिए गए थे। एक ओर तो पर्याप्त सीमा तक आर्थिक हानि होने के साथ अन्य कारण जैसे डाक का लेन-देन और प्रस्तावित डाकघर से निकटतम डाकघर से दूरी की शर्त पर भी विचार किया जाता है। उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई शाखा डाकघर बंद नहीं किया गया था। कर्नाटक सर्किल से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं। इस समय, महाराष्ट्र सर्किल में की गई कार्रवाई का पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह विभागीय मानदंडों और प्रक्रिया पर आधारित थी। कर्नाटक सर्किल से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन

8262. **श्री कुंवर राम** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य न्यायाधीशों के विगत सम्मेलन में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) मामलों के शीघ्रता से निपटान किए जाने में इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी; और

(ग) कार्यान्वित न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) मुख्य न्यायमूर्तियों के 7 अक्टूबर, 1985 को हुए सम्मेलन में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं :—

(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने के प्रश्न पर, न्यायिक सुधार आयोग द्वारा, मुख्य न्यायमूर्तियों के विचार जानने के पश्चात्, विचार किया जाए।

(ii) 10,000 रु० तक के दावों की बाबत कोई न्यायालय फीस नहीं होनी चाहिए और विधिक सहायता के मामलों को न्यायालय फीस से न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन अधिसूचना जारी करके सशर्त छूट दी जानी चाहिए। इन बातों पर विचार

करते समय उपर्युक्त सिफारिशों पर भी ध्यान दिया गया था और इस संबंध में स्थिति निम्नलिखित है :—

(क) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (भारतीय न्यायिक सेवा) के गठन से संबंधित मामला विधि आयोग को अध्ययन के लिए भेजा गया था। विधि आयोग ने इस विषय पर अपनी 116वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर इस समय सरकार विचार कर रही है।

(ख) न्यायालय फीस से संबंधित मामला विधि आयोग को उसके अध्ययन के लिए मुकदमा खर्च से सम्बन्धित विचारार्थ विषय के संदर्भ में भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों का निर्माण करने वाली फैक्टरी की स्थापना

8263. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नदी-घाटियों में पन-बिजली परियोजनाएं

8264. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी की नदी घाटियों में कितनी पन-बिजली परियोजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या उक्त तीन नदी घाटियों की पन-बिजली क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए कोई संदर्शी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी बेसिन की शक्यता पर आधारित 39 प्रस्तावित बृहत/मध्यम जल-विद्युत स्कीमें विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) इन नदी बेसिनों की जल-विद्युत शक्यता का सोपानबद्ध रूप से विकास किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा :—विद्युत की क्षेत्रीय मांग, प्रस्तावित परियोजनाओं की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति, राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई पारस्परिक प्राथमिकता, वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा अन्तर्राज्यीय दृष्टि से स्वीकृतियों की उपलब्धता।

महाराष्ट्र में पाइपलाइन बिछाना

8265. **श्री अरविन्द तुलसीराम कांबले :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नई पाइपलाइन किन-किन स्थानों में बिछानी हैं; और

(ग) क्या इस कार्य में शोलापुर—औरंगाबाद नानदेड को भी शामिल किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन का बम्बई से मनमाड़ तक पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है।

(ग) जी, नहीं।

उद्योगों में गोबर गैस का उपयोग करना

8266. **श्री ए० सी० षण्मुख :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में कोयला, लिग्नाइट और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के स्थान पर, जो विदेशों में प्रदूषण मुक्त सिद्ध हुई हैं; गोबर गैस का प्रयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र में गोबर गैस ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकती है बशर्ते कि यह ग्रामीणों को खाना बनाने के लिए गोबर गैस के उपयोग से वंचित न करे। अथवा इससे गोबर की कीमत न बढ़े। तथापि औद्योगिक बहिस्रावों की तरह के अन्य स्रोतों से बायोगैस पहले ही अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की गई प्रायोगिक यूनिटों में कोयले अथवा तेल के स्थान पर प्रयुक्त की जा रही है। यदि विभाग को पर्याप्त वित्तयी नियतन किया जाए तो इस गतिविधि को महत्वपूर्ण रूप से तेज करने और बहुविध करने का विचार है।

हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम सर्किल में एस० ए० एक्स० टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

8267. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश टेलीफोन सर्किल के तीन टेलीग्राफ इंजीनियरी प्रभागों में प्रत्येक के उन एस०ए०एक्स० टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिन्हें आज तक स्वीकृति तो मिल गई लेकिन उन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जिला पुस्तकालयों को सभी एम०ए०एक्स० के साथ सीधा जोड़ दिया जाएगा जिससे कि टेलीफोन सेवाओं की किस्म में सुधार किया जा सके और इन

जिलों से की जाने वाली ट्रंक कालों के मिलने में लगने वाली देरी को कम से कम किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कौन-सी तारीख तक कर दिये जाने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में चरणबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन एक्सचेंजों का संस्थापन उत्तरोत्तर किया जाएगा बशर्ते कि मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० से उपस्कर उपलब्ध हो।

(ग) परियात, औचित्य और माध्यम उपलब्ध होने पर इसकी जांच की जाएगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

हिमाचल प्रदेश दूरसंचार सर्किल के प्रत्येक तार इंजीनियरी मंडल में
एस०ए०एक्स० के नाम

1. **धर्मशाला मंडल :**

1. बोहना
2. जोरबार
3. बारोलीकलां
4. कालोल
5. नकरोट
6. थानाकलां
7. बरारी
8. पंचरूखी
9. दुलेहार
10. मैर
11. अवाहदेवी
12. कोहाला
13. लदरोर
14. ऋषिकेष
15. पटलनधार
16. कश्मीर
17. संसारपुर-टेर्रास
18. लथानी
19. धंगर

2. **मंडी मंडल :**

1. कटोला
2. झांझेली
3. जाच्छ
4. छैलचोक

3. शिमला मंडल :

1. नउराधार
2. फागू
3. बरेउन
4. कुफारगढ़
5. बिच्चूंच

कर्नाटक की जल विद्युत परियोजनाएं

8268. श्री एच० बी० पाटिल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितनी जल विद्युत परियोजनाओं पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) अब तक स्वीकृत परियोजना की क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कुल 241.5 मेगावाट की स्थापित क्षमता की कर्नाटक में दो जल विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी हैं।

बिजली की वोल्टता में उतार-चढ़ाव की वजह से अत्याधुनिक उपकरणों को हुई क्षति

8269. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की वोल्टता में उतार-चढ़ाव से अत्याधुनिक उपकरणों को पहुंची क्षति के लिए राज्य बिजली बोर्डों को उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कौन-से विशेष कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई भारतीय बिजली नियम, 1956 के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती है, जिसमें वोल्टता की स्वीकार्य सीमाओं और नियमों के उल्लंघन के लिए दण्ड की व्यवस्था है। समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि विद्युत सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विद्युत पारेषण और वितरण तारजाल को सुदृढ़ करने हेतु कार्यवाही करें।

टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक प्रणाली में बदलना

8270. श्री अमर सिंह राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को अब तक इलेक्ट्रानिक प्रणाली में बदला गया है और किन स्थानों पर बदला गया है;

(ख) क्या इस समय कार्य कर रहे एक्सचेंजों की तुलना में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की तुलना में

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज अधिक सफल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान टेलीफोन प्रणाली को इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली में बदलने के बारे में निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रणाली को बदलने के इस कार्यक्रम के लिए कितनी अवधि निश्चित की गई है;

(ङ) एक टेलीफोन एक्सचेंज को बदलने में कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(च) जिन टेलीफोन एक्सचेंज में प्रणाली बदलने का कार्य चल रहा है उनकी संख्या कितनी है और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अब तक 51 स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों को, नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाकर और कुछ मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलकर (स्वचलीकरण, कार्य अवधि समाप्त/घिसे-पिटे उपस्कर को बदलने के आधार पर) धीरे-धीरे नेटवर्क में लागू किया जा रहा है। इस प्रकार के परिवर्तनों में उत्तरोत्तर समय लगेगा।

(ङ) ऐसे परिवर्तनों की लागत उपस्कर के आकार और किस्म तथा संस्थापना के स्थान पर निर्भर करती है। महानगरीय शहर में 10,000 लाइनों के विशिष्ट एक्सचेंजों पर परिवर्तन की लागत लगभग 11 करोड़ बैठती है।

(च) संलग्न विवरण-II में उल्लिखित स्थानों पर 1987-88 के दौरान लगभग 80 स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की सम्भावना है।

विवरण-I

उन स्थानों के नाम, जहां स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है

दिल्ली	कारूर
कलकत्ता	गुड़गांव
मद्रास	गुल्बर्गा
कानपुर	चंगनचेर्री
पठानकोट	पालीमारवाड़
श्री-गंगानगर	उद्विपी
कलपेट्टा	पोरबन्दर
इडयामपेरूर	तिनसुकिया

अमरूर
कोठागुदाम
ढेनकनाल
डूंगरपुर
हाफलोंग
नैनीताल
अल्मोड़ा
कोसीकलां
उज्जैनी
सिरसा
गांधीधाम
कुरनूल
वेरावल
डिबरूगढ़
इम्फाल

ब्यावर
मेहसाना
गया
खन्ना
मारगायो
अलवर
जोरहाट
गांधीनगर
अबोहर
हेबागुड्डी
कित्तूर और
बाजपे

विवरण-II

उन स्थानों के नाम जहां 1987-88 के दौरान स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों को बदले जाने की सम्भावना है

कलकत्ता	भिण्ड	ललितपुर	रुद्रपुर
बेंगलूर	गूना	पौड़ी	और
सिलचर	शिवपुरी	पिथौरागढ़	किच्छा
पोर्ट ब्लेअर	मनमेड	उरई	
रामचन्द्रपुरम	घाताव	सुलतानपुर	
दुमका	भनगांव	बांदा	
हाजीपुर	लुंगलेह	रानीखेत	
मधुबनी	न्यू इटानगर	सैविया	
नवादा	बिलासपुर	अलीपुर द्वार	
पूर्णिया	हमीरपुर	वयक्कम	
कोडिमार	नाहन	बाड़मेर	

कठुआ	ऊना	बायतू
येलवाल	चम्बा	पंचपद्रा
मन्नार	कूलू	समधारी
बेतूल	क्योंझर	सिवाना
दतिया	कोरापुट	सिन्धरी
धार	फुलबनी	मोकोकचुंग
खरगोन	सुन्दरगढ़	त्वेनसांग
माण्डला	बारीपडा	खिमरे
शाजापुर	छत्तरपुर	पारेन
टीकमगढ़	जालोरा	चुमूकदीमा
अम्बिकापुर	जैसलमेर	वृन्दावन
	झालावाड़	
बालाघाट	सवाई माधोपुर	गोबरधन
	सवाई माधोपुर	सैदाबाद
	(आर०एस०)	रामनगर
	सिरोही	काशीपुर
	टोंक	
	बूंदी	
	झुनझुनू	
	फतेहपुर	
	गाजीपुर	

मारुति उद्योग लिमिटेड के डीलरों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्याशित वाहनों के लिए भुगतान की वसूली

8271. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिकृत डीलरों को जारी किये जाने वाले प्रत्याशित वाहनों के लिए पूरा भुगतान वसूली करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरी अदायगी के बाद वास्तविक सुपुर्दगी में 5-6 महीने तक का समय लग जाता है;

(ग) क्या विक्रेता इस प्रकार की वसूली पर ऊंची दर पर ब्याज कमाते हैं;

(घ) क्या पूरा मूल्य जमा कर दिये जाने के बाद भी मूल्यों, शुल्कों और करों में हुई वृद्धि उपभोक्ता से वसूली की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ङ) जिन व्यक्तियों को आवंटन नम्बर सुपुर्दगी के लिए आ जाता है डीलर उनसे वाहनों के लिए पूरा भुगतान इस शर्त पर ले लेता है कि सुपुर्दगी की तारीख को प्रचलित मूल्य ही लागू होगा। सामान्य रूप से भुगतान के 10—15 दिनों के बाद वास्तविक रूप से डिलीवरी की जाती है और अगर सुपुर्दगी में 21 दिनों से ज्यादा का विलम्ब हो जाता है तब सुपुर्दगी की तारीख से पूर्ण भुगतान की जमा राशि की तारीख तक की 21 दिनों से अधिक की अवधि के लिए डीलरों द्वारा 12% की दर से ब्याज दिया जाना है। जबकि कुछ मामलों में दो महीनों तक का विलम्ब हुआ है, मारुति उद्योग लिमिटेड ने ऐसी राशियों पर डीलरों द्वारा उच्च दर पर ब्याज कमाए जाने से इन्कार किया है।

[वर्ष 1979-80 में मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य]

8272. **श्री बाजू बन रियान :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 से 1986-87 तक प्रत्येक वर्ष में मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल तेल का प्रति-लीटर मूल्य कितना था;

(ख) वर्ष 1979-80 से 1986-87 तक खाना पकाने की गैस के सिलेंडर का मूल्य कितना था;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त पदार्थों में से प्रत्येक का मूल्य घटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति तेल उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त साधन जुटाती है तथा समाज के संवेदनशील वर्गों को रियायती दरों पर उत्पाद उपलब्ध करवाने, अंतर-ईंधन प्रतिस्थापन के संवर्धन तथा हाइड्रोकार्बन साधनों के प्रयोग को नियंत्रित करने जैसे कुछ सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर देती है।

विवरण

1-4-79 से अब तक दिल्ली में खाना पकाने की गैस, पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल (प्रति गैस सिलिंडर और प्रति लिटर) की खुदरा बिक्री कीमतें

प्रभावी तारीखें	पेट्रोल (रुपये/लीटर)	डीजल (रुपये/लीटर)	मिट्टी का तेल (रुपये/लीटर)	एल॰पी॰जी॰ (कुकिंग गैस) (रुपये/15 किलोग्राम सिलिंडर)
1-4-79	4.04	1.47	1.43	34.98
17-8-79	4.41	1.66	1.61	40 23
11-9-79	—वही—	1.58	1.54	—वही—
8-6-80	5.11	2.28	—वही—	—वही—
13-1-81	5.50	2.67	1.65	45.53
11-7-81	6.07	3.02	1.81	50.78
1-4-82	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
1-9-82	—वही—	—वही—	—वही—	(रुपये/14.2 कि॰ग्रा॰) 44 58
15-2-83	5.90	3.18	1.77	—वही—
18-3-83	—वही—	—वही—	1 88	—वही—
1-4-83	5.99	3.19	—वही—	45.09
1-4-84	6 09	3.20	1.89	—वही—
1-6-84	6.12	3.22	1.92	45.47
17-3-85	7.01	3.47	2.18	51.35
26-3-85	—वही—	3.39	2.11	—वही—
1-2-86	7.54	3.58	2.34	61.79
6-2-86 (तक)	7.43	3.50	2.25	57.61

पुन-प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना

8273. **डा॰ बी॰ एल॰ शैलेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए तथा पुन-प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके

मंत्रालय में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक पुनः प्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस एजेंसी को, विशेष रूप से उद्योगों और वैयक्तिक प्रयोक्ताओं को विभिन्न प्रणालियों और तकनीकों के निर्माण और उपयोग के लिए उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में, क्या कार्य सौंपे गए है; चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस धनराशि के सही उपयोग और ऊर्जा स्रोतों के विकास पर यह एजेन्सी किस प्रकार निगरानी रखेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय नवीकरणीय विकास एजेन्सी के मुख्य ये कार्य होंगे, नए एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक आवर्ती निधि चलाना, नवीकरणीय सामग्री एवं स्रोतों से ऊर्जा सृजन करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं, स्कीमों के लिए उदार शर्तों पर आंशिक रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (एन०आर०एस०ई०) की प्रणालियों तथा युक्तियों के निर्माताओं को उदार शर्तों पर आंशिक रूप से ऋण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना, व्यक्तियों और संस्थाओं को एन० आर० एस० ई० के उपकरणों को उदार शर्तों पर पट्टे पर देना, एन०आर० एस० ई० की ओर से वित्तीय संस्थाओं के साथ, वित्तीय बिचौलिया के रूप में कार्य करना और इसके द्वारा समर्थित परियोजनाओं एवं स्कीमों का मूल्यांकन करना चालू वर्ष के दौरान एजेन्सी के लिए, 2 25 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

(ग) एन०आर०एस०ई० के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से व्यवहारिक स्कीमों/परियोजनाओं/प्रणालियों आदि की लागत को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लगाने के लिए, एजेन्सी के फंड को उदार शर्तों पर ऋण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एजेन्सी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का सामयिक रूप से, एजेन्सी के कर्मचारियों तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की या किसी अन्य विशेषता प्राप्त संस्था/संगठन की सेवाओं को प्राप्त कर मानीटरिंग किया जायगा।

टायरों का आयात

8274. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में टायरों की उपलब्धता बढ़ाने और इस प्रकार उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये टायरों का आयात करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस देश से कितना आयात किये जाने की संभावना है और कौन से टायरों का आयात किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश में आटोमोटिव टायरों की वर्तमान अधिष्ठापित और स्वीकृत क्षमता को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक टायरों की स्वदेशी आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है। तथापि, उत्पादक-संघ के गठन और प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार को टायर उत्पादकों द्वारा अपनाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे बाजार में विद्यमान व्यापारियों (शक्तियों) को खुलकर कार्य करने की अनुमति नहीं मिल पाती। इन शिकायतों की एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार

आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

सरकार का यह मत है कि नई क्षमता को बढ़ावा देने से घरेलू बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और टायर उत्पादकों के कथित कदाचारों को रोका जा सकता है। आवश्यकता होने पर सरकार टायरों के आयात के प्रश्न पर विचार कर सकती है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गये जापानी येन ऋण

8275. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लि० ने अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार की गारंटी के अन्तर्गत 3.50 बिलियन जापानी येन का अपना प्रथम विदेशी वाणिज्यिक ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो आयल इण्डिया लि० ने इस येन ऋण का किस प्रकार उपयोग करने की योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) क्या उक्त ऋण की शर्त के अन्तर्गत आयल इंडिया लि० इस ऋण के बदले में जापान से ही संयंत्र, उपकरण और मशीनें खरीदने के लिए वचनबद्ध है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड की संयंत्र और मशीनरी कच्चा माल तथा सेवाओं के लिए आयात की आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए।

(ग) जी, नहीं।

जीवन रक्षक औषधियों का स्वदेशी उत्पादन

8276. **श्री आर० एम० भोये : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष भारी मात्रा में करोड़ों रुपए मूल्य की जीवन रक्षक औषधियां का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के आयात पर गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विदेशी कंपनियों सहित औषध उद्योग इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने इन्हें आशय पत्र जारी करने में अपनी रुचि दिखाई है, इन आवश्यक औषधियों का उत्पादन करने का इच्छुक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों का कुल आयात/वर्षवार,

नीचे दिया जाता है :

	(रु०/करोड़ों में)
1983-84	163.34
1984-85	215.62
1985-86	2[illegible]7.40

(ग) और (घ) किसी कंपनी द्वारा औषध का उत्पादन विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे मांग और पूर्ति, उत्पादन के अनुसार बचत, औषध-अप्रचलन और कंपनी की कारपोरेट योजना यद्यपि अनेक प्रपुंज औषधों का देश में ही उत्पादन करने की आवश्यकता स्पष्ट है लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि कोई भी देश सब औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। प्रपुंज औषधों के आयात में वृद्धि, नई औषधों की शुद्धी करने, निर्यात हेतु उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंसों पर आयातित अंतर्वस्तुओं के कारण हुई है।

बिहार में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम

8277. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में स्थापित किए गये नये केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान बिहार में वर्तमान उपक्रमों के निवेश में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) अप्रैल, 1984 और 1 अप्रैल, 1987 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कुल कितना निवेश किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोई नया केन्द्रीय सरकारी उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) 1/4/1983 को बिहार में वर्तमान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसंपत्ति के रूप में पूंजी-निवेश जो 4692.33 करोड़ रु० था, बढ़कर यह 1/4/1986 को 6308.81 करोड़ रु० हो गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसंपत्ति के रूप में कुल लगी पूंजी 1/4/1983 को 31968.69 करोड़ रु०, 1/4/1984 को 38844.42 करोड़ रु० और 1/4/1986 को 56695.30 करोड़ रु० थी। 1/4/1987 के ये आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिए 1983 से 1986 तक की अवधि के तीन वर्षों के आंकड़े सूचित किये गये हैं।

बिहार में आवश्यक वस्तुओं का आबंटन

8278. **श्री सैयद शाहबुद्दीन**
श्री राम भगत पासवान } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और मद-वार आवश्यक वस्तुओं का कुल कितनी मात्रा में आबंटन किया गया;

(ख) प्रत्येक मामले में वास्तव में उठाई गई वस्तुओं की तुलनात्मक मात्रा कितनी है; और

(ग) आबंटन और सामान उठाने की मात्राओं में अन्तर होने का क्या कारण है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की गई सात आवश्यक वस्तुओं के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा के आंकड़े दिए गये हैं।

(ग) विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के आबंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा के बीच असंगति मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा आबंटित कोटा न उठा सकने के कारण है, जो समय-समय पर मांग में कमी होने, परिचालन सम्बन्धी अड़चनें होने तथा परिकलन सम्बन्धी समस्याएं होने के कारण नहीं उठाया जा सका।

विवरण

चावल, गेहूं तथा चीनी

(हजार मी॰ टनों में)

वर्ष	चावल		गेहूं		चीनी*	
	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1984	222.0	83.7	1257.54	461·7	384.1	354.0
1985	237.0	27.7	1508.91	575.9	404.2	379.3
1986	300.0	50.7	1577·78	487.9	389.1	371.3

*भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिए गये आंकड़े

नोट : गेहूं के आवंटन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा रोलर आटा मिलों के लिए किया गया आवंटन भी शामिल है। रोलर आटा मिलों के लिए गेहूं का आवंटन अक्तूबर, 1986 से बन्द कर दिया गया है।

खाद्य तेल

(मी॰ टनों में)

तेल वर्ष (नवम्बर—अक्तूबर)	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1984-85	14200	4954
1985-86	6550	6093
1986-87 (मार्च, 1987 तक)	3000	3000

मिट्टी का तेल

		(मी० टनों में)
वर्ष	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1984-85	306120	306321
1985-86	327200	322779
1986-87	370440	3689 7

नियंत्रित कपड़ा

		(10 लाख वर्ग मीटरों में)
	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1984-85		उपलब्ध नहीं
1985-86	आवंटन	
(क) सूती कपडा	283.220	262.530
(ख) पोलिस्टर शटिंग	008.170	008.170
1986-87		
(क) सूती कपडा	168.850	085.250
(ख) पोलिस्टर शटिंग	019 660	001.880
		(30-9-86 तक)

साफ्ट कोक (हजार मी० टनों में)	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1984-85	उ० न०**	—
1985-86	600.00	528.00
1986-87	720.00	543.00 (अनन्तिम)

**कोयला विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साफ्ट कोक का आवंटन वर्ष 1985-86 से ही किया गया है।

विदेशी सहयोग

8279. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 के दौरान विदेशी सहयोग की मंजूरी दिये गये ऐसे मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है जिनमें 5 प्रतिशत से अधिक रायल्टी देना तय हुआ है, और सहयोग कर्ताओं के नाम क्या हैं, प्रत्येक परियोजना के प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों द्वारा कितना-कितना पूंजी निवेश किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : रॉयल्टी की दर प्रौद्योगिकी के प्रकार पर निर्भर करती है और यह सामान्यतया 5 वर्षों की अवधि के

लिये 5 प्रतिशत तक सीमित होती है। जहां निहित प्रौद्योगिकी जटिल प्रकार की है अथवा अधिकांश उत्पादन का निर्यात किया जाता है उन विशेष मामलों में उच्च रॉयल्टी को अनुमति दी जाती है। नीति के रूप में, अलग-अलग कम्पनियों से सम्बन्धित विशिष्ट सूचना, विशेष रूप से वित्तीय ब्यौरे, प्रस्तुत की गई शर्तें, स्वीकृत शर्तें जन हित में नहीं बताई जाती। तथापि, सभी स्वीकृत विदेशी सहयोगों के बारे में भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग का प्रकार जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूजलेटर के परिशिष्ट के रूप से मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

संयुक्त क्षेत्र को बढ़ावा देना

8280. **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में संयुक्त क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं;

(घ) इन उपक्रमों की साभय पूंजी में कुल कितना निवेश किया गया है और उनमें सरकार का अंशदान कितना है; और

(ङ) इन उपक्रमों की कुल परिसम्पत्ति कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संयुक्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली नीति का उद्देश्य निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के मामले में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य उद्योग विकास निगमों को सक्षम गैर-सरकारी पार्टियों के अपने साथ सम्बद्ध करने की सुविधा देना और साथ ही जब कहीं आवश्यक हो राज्य उद्योग विकास निगम की निधियों के आवर्तन को सरल बनाना है।

(ख) हालांकि इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, तथापि संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देकर विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में मूल क्षेत्रों में निवेशों को लगाना सम्भव हो गया है। संसाधनों की बाधाओं के कारण और साथ ही कई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य निगम संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में अपनी इक्विटी को कम करने का अनुरोध कर रहे हैं। ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) राज्य उद्योग विकास निगमों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों की संख्या नीचे दी गई है : -

वर्ष	स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	स्वीकृत किए आशय-पत्रों की संख्या
1984	44	117
1985	44	118
1986	45	127

(घ) और (ङ) इक्विटी पूंजी में कुल निवेश और कुल परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

त्रिवेन्द्रम में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

8281. **श्री टी० बशीर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट में कितने टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार किया गया है; और

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कितने टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) त्रिवेन्द्रम दूरसंचार जिले में 1986-87 के दौरान सात (7) टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया।

(ख) त्रिवेन्द्रम दूरसंचार जिले में 1987-88 के दौरान पांच (5) टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को विश्व बैंक की सहायता

8282. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ख) क्या नेशनल थर्मल कारपोरेशन ने उस ऋण को पूर्णतः उपयोग किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं के संबंध में 485 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अभी तक ऋण राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया है। ऋण मार्च, 1987 से प्रभावी हुआ था और इसका उपयोग दिसम्बर, 1991 तक किया जा सकता है।

चीनी का आवंटन

8283. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1987 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का कितना आवंटन किया गया और प्रत्येक राज्य ने वास्तव में कितना स्टाक प्राप्त किया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, फरवरी, 1987 मास के लिए सीधे आवंटी राज्यों को, वितरण करने के लिए आवंटित लेवी चीनी की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

समूची आवंटित मात्रा को वैधता अवधि के अन्दर उठाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सीधे आवंटी राज्यों की है।

12 राज्यों के मामले में भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के नामितों को लेवी चीनी भेजने और उसकी डिलीवरी करने की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम जिन राज्यों में इस संबंध में कार्य करता है, उन राज्यों के बारे में फरवरी, 1987 मास के लिए लेवी चीनी के आवंटन और उसके उठान के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, फरवरी, 1987 मास के लिए सीधे आवंटी राज्यों को, वितरण करने के लिए आवंटित चीनी की मात्रा बताने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए आवंटित मात्रा (मीटरी टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	25,281
2.	चण्डीगढ़	372
3.	दादर और नगर हवेली	51
4.	गोआ, दमन तथा दीव	539
5.	गुजरात	16,194
6.	हरियाणा	6,386
7.	हिमाचल प्रदेश	2,019
8.	कर्नाटक	17,769
9.	केरल	11,953
10.	मध्य प्रदेश	25,031
11.	महाराष्ट्र	29,938
12.	मणिपुर	694
13.	नागालैण्ड	426
14.	पाण्डिचेरी	292
15.	पंजाब	7,945
16.	राजस्थान	16,914
17.	तमिलनाडु	22,547
18.	त्रिपुरा	1,001
19.	उत्तर प्रदेश	52,926

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जिन राज्यों में परिचालन किया जाता है, उन राज्यों को फरवरी, 1987 मास के लिए लेवी चीनी की आवंटित की गई और उनके द्वारा उठायी गई मात्रा बताने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आवंटित की गई मात्रा*	राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई सूचित की गई मात्रा
1.	असम	9,647.9	7,593.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	323.2	274.9
3.	बिहार	33,468.1	29,228.3
4.	दिल्ली	7,736.6	6,019·0
5.	जम्मू तथा कश्मीर	2,904.2	2,346.0
6.	मेघालय	673.2	643.0
7.	मिजोरम	273.9	323.0£
8.	उड़ीसा	12,397.8	12,064.7
9.	सिक्किम	165.5	165.5
10.	पश्चिम बंगाल	25,928.0	20,320.0
11.	अण्डमान**	247.0	—
12.	लक्षद्वीप@	71.0	—

*राज्य में तैनात सी० आर० पी० एफ०/बी० एस० एफ० के कार्मिकों के लिए आवंटित थोड़ी सी मात्रा शामिल है।

£ दुर्गम क्षेत्रों में भण्डारण के लिए अग्रिम रूप से उठाई गई मात्रा।

**तिमाही आधार पर आवंटन किया जाता है।

@ अर्द्ध-वार्षिक आधार पर आवंटन किया जाता है।

नोट : कम निर्गम का कारण राज्य सरकारों द्वारा लेवी चीनी न उठाना है।

'पे-फोन' लगाना

8284. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने 'पे-फोन' लगाये जाने हैं जिनमें प्रयोक्ताओं को सिक्के या मूल्य-अंकित मैगनेटिक कार्ड डाल कर देश में अथवा देश से बाहर डायल घुमा कर टेलीफोन करने की सुविधा होगी; और

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान केरल में कन्नानोर में कोई 'पे-फोन' लगाया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान सिक्के वाले लगभग 300 "पे-फोन" आयात किए जाने की संभावना है जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल कालें की जा सकेंगी।

(ख) चूंकि इस तरह के एस० टी०डी० "पे-फोन" प्रारम्भ में सीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे अत: चालू वर्ष के दौरान केरल के कन्नानोर में एस० टी० डी० "पे-फोन" स्थापित करना संभव नहीं हो सकेगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के जनजातीय और पिछड़े जिलों में चीनी मिलों की स्थापना

8285. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में भंडारा, चन्दरपुर और गढ़छिरोली जिलों में सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन लोगों को कोई रियायतें और सुविधाएं दी जाएंगी जो चीनी मिल स्थापित करने के इच्छुक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट, दिनांक 2-1-1987 द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस प्रदान करने की नीति की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के भंडारा, चन्द्रपुर और गढ़छिरोली जिलों में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अब तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये यूनिट जब उत्पादन करना शुरू कर देंगे तब वे उस समय लागू प्रोत्साहन योजना के उपबंधों के अन्तर्गत शासित होंगे।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चीनी मिलें

8286. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना के लिए कितने आशय पत्र जारी किए गए;

(ख) उन मिलों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक उत्पादन शुरू हो गया है;

(ग) शेष चीनी मिलों में कब तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) उत्पादन शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सहकारी सैक्टर में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए पांच आशय-पत्र जारी किए गए थे।

(ख) धामन गांव, तालुक चन्दूर रेलवे, अमरावती में स्थित एक चीनी मिल ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) 1986-87 मौसम में एक मिल और अन्य तीन मिलों के 1987-88 मौसम में उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है।

(घ) जैसाकि राज्य सरकार ने सूचित किया है, उत्पादन प्रारम्भ करने में विलम्ब का मुख्य कारण समय पर अपेक्षित धनराशि की अनुपलब्धता है।

[अनुवाद]

बाल विवाह

8287. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैमिली प्लैनिंग फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन में यह बताया गया है कि कानून के अन्तर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किये जाने के बावजूद देश में किसी भी विनिर्दिष्ट समय में ग्यारह वर्ष से कम आयु की एक करोड़ कन्याओं का विवाह कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन में, विशेषकर भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में, बाल विवाह को रोकने के बारे में अन्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) फैमिली प्लैनिंग फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि भारतीय परिवेश में जहां विवाह सार्वभौमिक है और कम आयु में विवाह सामान्य बात है, यदि विवाह के लिए आयु में वृद्धि करने संबंधी किसी विधि से कोई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करना है तो बड़े पैमाने पर ऐसे प्रभावशाली सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया की जानी चाहिए जिसमें विशेष बल, लड़कियों की शिक्षा और उन्हें नौकरी दिलाने पर दिया जाए।

(ग) बाल विवाह की कुप्रथा के परिणामों के बारे में संचार माध्यमों के द्वारा जनता को शिक्षित करने के लिए, इस काम में स्वैच्छिक संगठनों को जुटा कर और अन्य कदम उठा कर कई उपाय किए जा रहे हैं जिनमें शिक्षा पर जोर देना भी सम्मिलित है। इस कार्य के अंतर्गत, पोस्टर लगाना, आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना, सिनेमा स्लाइडें दिखाना, दूरदर्शन के माध्यम से टेलीविजन पर लघु वृतचित्र दिखाना, समाचार पत्रों में पोस्टर छपवाना, ग्रामीण महिलाओं के साथ सामूहिक चर्चा करना, आदि भी है।

बिना ओटी कपास के लिए वायदा क्रय-विक्रय ठेके

8288. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिना ओटी कच्ची कपास के वायदा ठेके पुनः दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या वायदा बाजार आयोग ने उक्त प्रस्ताव के संबंध में हाल में सुरेन्द्रनगर, गुजरात में स्थ पर अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) नागरिक पूर्ति विभाग को सुरेन्द्रनगर काटन आयल एण्ड आयलसीड्स एसोसिएशन, सुरेन्द्रनगर से जून, 1985 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें कपास (बिना ओटी हुई-कच्ची कपास) में भावी सौदा व्यापार को आरम्भ करने का अनुरोध किया गया था। जनवरी, 1987 में भारत सरकार ने ईस्ट इण्डिया काटन एसोसिएशन बम्बई के तत्वावधान में कपास की चार किस्मों में, शुरू में 3 वर्षों की अवधि के लिए, भावी सौदा व्यापार आरम्भ करने की अनुमति दी थी।

(ख) फरवरी, 1987 में सुरेन्द्रनगर काटन आयल एण्ड आयलसीड्स एसोसिएशन सुरेन्द्रनगर के प्रतिनिधियों ने सुरेन्द्रनगर में वायदा बाजार आयोग के साथ मुलाकात की और कपास में भावी सौदा व्यापार आरम्भ करने के लिए अनुरोध किया। एसोसिएशन ने सौराष्ट्र क्षेत्र के कपास उत्पादकों के प्रतिनिधियों से भी आयोग की एक बैठक तय कराई, जहां उन्होंने इस बात की वकालत की कि कपास में भावी सौदा व्यापार आरम्भ करना कपास उत्पादकों के हित में होगा।

(ग) सरकार को इस बारे में वायदा बाजार आयोग से कोई नई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

पेंसिलीन का आयात

8289. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री संतोष कुमार सिंह } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1986 में इस बात के सुस्पष्ट मार्गनिर्देश जारी किए गए थे कि एककों द्वारा स्वदेश में निर्मित पेंसिलीन की 30 प्रतिशत तक खरीद किए बिना पेंसिलीन के आयात की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्गनिर्देशों का उल्लंघन कर वर्ष 1986-87 में पेंसिलीन के आयात की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मेरे मंत्रालय ने अभी तक मार्गनिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी व्यक्तियों को बेतार संचार सेवाएं प्रदान करना

8290. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों को बेतार संचार सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधायें किस आधार पर मंजूर अथवा प्रदान की जाती हैं;

(ग) सम्पूर्ण देश में ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों के पद और पते सहित नाम क्या हैं जिन्हें ये सुविधायें दी गई हैं;

(घ) क्या ये बेतार उपकरण किन्हीं टेलीफोन एक्सचेंजों से किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन, यातायात (ढुलाई), कृषि, खेतीबाड़ी, विद्युत लाइनों का अनुरक्षण, संयंत्रों की सुरक्षा, एयरलाइन्स, प्रेयानुशीलो रेडियो प्रचालक, शौकों आदि-आदि की बेतार संचार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) यह जानकारी, जोकि प्रमात्रा में बहुत अधिक है, एकत्रित की जा रही है और इसे एकत्रित करने के बाद सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बालेश्वर में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की सप्लाई

8291. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के जिला मुख्यालय बालेश्वर नगर में खाना पकाने की गैस के कितने प्रयोक्ता हैं; और

(ख) क्या इस नगर को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की नियमित सप्लाई की जाती है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस शहर को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों को नियमित उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उड़ीसा राज्य में बालेश्वर नगर में एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 5775 है।

(ख) जबकि बालेश्वर नगर को को एल० पी० जी० की सप्लाई इस समय सामान्य है, फिर भी हल्दिया और विशाखापतनम स्थित शोधनशालाओं में परिचालन सम्बन्धी समस्याओं के कारण पिछले 4-5 महीनों में कभी-कभी बैकलाग रहा था।

पारेषण के दौरान बिजली की हानि

8292. **डा० ए० के० पटेल**
श्री शांताराम नायक
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारेषण के दौरान कितने प्रतिशत बिजली की हानि होती है; और

(ख) विकसित देशों की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत में कुल मिलाकर पारेषण और वितरण हानियां 21-22% के बीच हैं। विकसित देशों में ये हानियां 7 से 10% तक के बीच भिन्न-भिन्न हैं।

नई औषध नीति की समीक्षा

8293. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई औषध नीति के सम्बन्ध में औषध उद्योग और व्यापारियों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) क्या इस नीति में औषध उद्योग की लाभ-सीमा का कोई उल्लेख नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का इन प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए नई नीति की समीक्षा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दिसम्बर, 1986 में घोषित नये उपायों का उद्योग और व्यापारियों द्वारा कुल मिलाकर स्वागत किया गया है। नये उपायों में औषध उद्योग के सभी पहलू शामिल हैं किन्तु मूल्य निर्धारण के बारे में विस्तृत उपबन्ध नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में दिये जायेंगे।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रुग्ण औद्योगिक एकक

8294. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन रुग्ण औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने एकक दो वर्षों से अधिक समय से रुग्ण हैं; और

(ग) इनमें से कितने एकक बन्द होने वाले हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 15 औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध अधिग्रहण किया गया है तथा इनका प्रबन्ध सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। 15 औद्योगिक उपक्रमों में से 11 के सम्बन्ध में राज्य सरकारें प्राधिकृत संस्था हैं शेष 4 उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इससे देखा जा सके कि इनमें से अधिकांश उपक्रम स्थिति को बदलने में अभी तक सफल नहीं हो पाये हैं।

इन औद्योगिक उपक्रमों के भावी निपटान के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

एकक का नाम	अधिग्रहण की तिथि और इसकी वैधता	उत्पादन की वस्तु	कर्मचारियों की संख्या	लाभ (+)/हानि (—) नकद (लाख रुपये में) 1984-85,	1985-86
1	2	3	4	5	6
1. कृष्णा शिलिकेट एंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड	5-3-75 से 4-6-87	ग्लासवेयर	1178	(—) 71.24	(—) 69.32
2. ऐंजल इंडिया मशीन्स एंड टूल्स लिमिटेड	5-8-75 से 30-6-87	इंजक्शन मोल्डिंग मशीनरी	317	(—) 63.96 (जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई 1984)	(—) 61.24 (जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई 1985)
3. ग्लूकोनेट लि०	22-7-75 से 30-9-87	औषधियां और भेषज	561	(—) 34.75 (1984)	(—) 34.26 (जिसकी लेखा परीक्षा नहीं की गई)
4. इंडियन हैल्थ इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी लि०	4-9-79 से 31-3-87	अषधियां और भेषज	370	(—) 20.44 (1984)	(—) 30.71 (1985)
5. डा० पाल लोहमन (आई) लि०	10-11-78 से 8-10-87	रसायन	158	(—) 07.88	(—) 06.69
6. आलोक उद्योग बनस्पति एंड प्लाइवुड लि०	29-3-78 से 30-9-87	प्लाइवुड	526	(+) 0.36	(+) 0.26
7. अपोलो जिप्सर कम्पनी लि०	26-5-79 से 31-3-88	मेटेलिकजिप फास्नर्स	310	(—) 60.10	(—) 52.50
8. इंडिया बैल्टिंग एंड कॉटन मिल्स	6-9-74 से 31-3-88	हेयर एंड कॉटन बैल्टिंग	119	(—) 13.86	(—) 14.83

1	2	3	4	5	6
9. लिली बिस्कुट प्राइवेट लि०	27-3-79 से 31-3-88	बिस्कुट	387	(—) 86.54	(—) 93.38
10. लिली बार्लो मिल्स प्रा० लि०	27-3-79 से 31-3-88	बार्लो पाउडर	34		
11. एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज (असम) लि०	8-7-74 से 30-11-87	सल्फयूरिक एसिड सिंगल सुपर फास्फेट एंड मिक्स्डफर्टी-लाइजर्स	172	(—) 9.33	(—) 29.18
12. बंगाल पाटरीज लि०	15-9-76 से से 30-6-87	पाटरीज एंड इंसूलेटर्स	4066	(—) 434.81	(—) 542.36
13. मोहिनी मिल्स	23-10-81 से 21-5-87	वस्त्र (मार्किट यार्न एंड क्लाथ)	2036	(—) 270.00	(—) 273.00
14. इंडिया मशीनरी कंपनी लि०	25-11-72 से 24-5-87	भार तोलने वाली मशीन, वेब्रिजिज मशीन, औजार आदि	508	(—) 57.12	(—) 20.31
15. क्रैटफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लि०	26-2-79 से 25-11-87	इलेक्ट्रिक मोटर्स आदि	207	(—) 20.78	(—) 0.44

कृषि क्षेत्र के लिए बिजली शुल्क की दरें

8295. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री कृषि कार्यों के लिए बिजली शुल्क की दरों के बारे में 24 फरवरी, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1981 को तथा 31 दिसम्बर, 1986 को कृषि क्षेत्र के लिए बिजली शुल्क की राज्यवार कौन-कौन सी दरें लागू थीं।

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : 31-12-1981 और 31-12-1986 की स्थिति के अनुसार 21 राज्यों के सम्बन्ध में कृषि टैरिफ की राज्यवार अनुमानित औसत दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम के सम्बन्ध में सूचना

एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

विभिन्न राज्यों में, जिनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है, कृषि टैरिफ की अनुमानित औसत दरें दिखाने वाला विवरण

(अनुमानित औसत दरें— पैसे प्रति यूनिट)

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग का नाम	31-12-1981 की स्थिति के अनुसार	31-12-1986 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश*	29.68	10.99
2.	असम	30.00	50.00
3.	बिहार	26.00	36.00
4.	गुजरात	30.90	36.51
5.	हरियाणा*	22.96	30.92
6.	हिमाचल प्रदेश	10.94	21.94
7.	जम्मू और कश्मीर	11.50	11.50
8.	कर्नाटक*	16.82	20.18
9.	केरल	15.22	15.22
10.	मध्य प्रदेश	16.00	16.00
11.	महाराष्ट्र*	18.81	15.05
12.	मेघालय	14.00	21.00
13.	उड़ीसा	19.95	22.71
14.	पंजाब*	11.28	13.18
15.	राजस्थान*	18.35	29.00
16.	तमिलनाडु*	12.00	14.87
17.	उत्तर प्रदेश*	14.86	29.70
18.	पश्चिम बंगाल	35.00	35.00
19.	नागालैंड	50.00	50.00

1	2	3	4
20.	सिक्किम	40.00	64.00
21.	त्रिपुरा	30.00	35.00

टिप्पणी : *जिन राज्यों में कृषि टैरिफ फ्लैट दर पर लगाए/प्रभारित किए जाते हैं उनके सम्बन्ध में आंकड़े प्रचलित औसत सम्बद्ध भार और खपत के स्तर पर आधारित हैं।

नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

8296. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में और इस समय नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : छठी योजना के प्रारम्भ में आवेदकों की संख्या 3.36 लाख थी और 1-3-87 को 11.48 लाख की प्रतीक्षा-सूची थी।

महानगरों के लिए दूरसंचार उपस्कर

8297. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार महानगरों में पुराने दूरसंचार उपस्करों को बदलने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से चार महानगरों की कुल लगभग 2 लाख लाइनों को बदला जाना है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में तेल की खोज

8298. **प्रो० पराग चालिहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लि० ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कितने कुओं की खुदाई की है;

(ख) उनमें से कितने कुओं की खुदाई निर्धारित गहराई तक की गई थी और कितने कुओं की खुदाई का काम निर्धारित गहराई तक पहुंचने से पहले ही छोड़ दिया गया था;

(ग) इस क्षेत्र का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किस एजेंसी के माध्यम से कराया गया था, और कब कराया गया था; और

(घ) क्या खुदाई कार्य फिर शुरू करने के लिए इस क्षेत्र का दोबारा सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) अण्डमान अपतट में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा एक कूप की खुदाई उसकी भूगर्भीय लक्ष्यांकित गहराई तक की गई थी।

(ग) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग।

(घ) इस समय कोई नहीं है।

"धारक कम्पनियों" योजना के अन्तर्गत रुग्ण एककों को शामिल करना

8299. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रुग्ण एककों को "धारक कम्पनियों" से सम्बन्धित योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रुग्ण एककों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत रुग्ण उद्यमों से है। सरकार ने हाल ही में दो नई धारक कम्पनियां स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है तथा इनमें कुछ अलग-अलग कम्पनियां शामिल हैं जो निरन्तर घाटा उठाती चली आ रही हैं और जिन्हें रुग्ण समझा जा सकता है।

धारक कम्पनियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) भारत यंत्र निगम लि०

1—भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०

2—रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि०

3—त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०

4—तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०

5—भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लि०

6—ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लि०

(2) भारत भारी उद्योग निगम लि०

1—बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि० (भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि० सहित)

2—ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०

3—जैसप एण्ड कम्पनी लि०

4—भारत वेगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०

5—भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०
(वेबर्ड इण्डिया लि० सहित

6—संगम जूट मशीनरी कम्पनी लि०

[हिन्दी]

पत्र-पत्रिकाओं का मुद्रण करने वाली यूनिटों को लघु उद्योग घोषित करना

8300. श्री स्वामी प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का मुद्रण करने वाली यूनिटों को लघु उद्योग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक प्रेषण विचाराधीन है जिसमें अनुरोध किया गया है कि जॉब के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर समाचारपत्रों के मुद्रण तथा प्रकाशन में लगे प्रिंटिंग प्रेसों को लघु औद्योगिक एककों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाये।

गणेश वैज्ञानिक अनुसंधान फाउंडेशन

8301. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में गणेश वैज्ञानिक अनुसंधान फाउंडेशन का स्वरूप बदलकर उसे वनस्पति तेल अनुसंधान संस्थान बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) यह महसूस किया गया कि गणेश साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के रूप में विकसित करना अधिक उपयुक्त होगा।

उत्तर प्रदेश की बिजली की आवश्यकता

8302. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश की अनुमानित विद्युत आवश्यकता कितनी होगी; और

(ख) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सातवीं योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश की विद्युत की आवश्यकता 6052 मेगा० होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) मांग और पूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए अनेक उपायों की शुरूआत की गई है। इनमें

अन्य बातों के साथ-साथ सातवीं योजना के दौरान 1794 मेगावाट की नई विद्युत उत्पादन क्षमता को जोड़ना, विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करके ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना तथा पारेषण और वितरण हानियों को कम करना शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से इसके हिस्से की विद्युत भी प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

प्रमुख टेलीफोन जिलों में भारी परियात को निपटाने के लिए डिजिटल स्विचिंग प्रणाली

8303. **श्री बी० एस० बसवराजू**
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने आठ प्रमुख टेलीफोन जिलों में भारी परियात को निपटाने के लिए डिजिटल स्विचिंग प्रणाली अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्यम आकार के ट्रंक एक्सचेंजों का भी कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से आठ जिलों में डिजिटल स्विचिंग प्रणाली आरम्भ की जाएगी और कौन-कौन से एक्सचेंजों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा; और

(घ) किन देशों से डिजिटल प्रणाली सप्लाई करने के लिए कहा गया है और इन पर कुल कितनी लागत आएगी और इससे देश में टेलीफोन व्यवस्था की कार्यकुशलता में कितना सुधार होगा?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। आठ स्टेशनों पर ट्रंक परियात के निपटान के लिए डिजिटल ट्रांजिट स्विच प्राप्त करने के लिए विश्वजनीन टेंडर आमंत्रित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां। ट्रंक कार्यों के विशेष प्रचालनों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए देशी उपस्करों को 26 मध्यम आकार के ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों में संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) संलग्न विवरण में उन एक्सचेंजों के नाम जहां डिजिटल ट्रांजिट स्विचों और उन एक्सचेंजों के नाम जहां देशी उपस्कर संस्थापित करने का प्रस्ताव है, दिए गए हैं।

(घ) चूंकि 8 डिजिटल ट्रांजिट स्विचों को प्राप्त करने के लिए विश्वजनीन टेंडर आमंत्रित किए गए हैं, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि कौन देश इन डिजिटल प्रणालियों की सप्लाई करेगा। इस स्थिति में व्यय की कुल लागत का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

इससे निम्नलिखित सीमा तक टेलीफोन प्रणालियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।

(1) ट्रंक काल बुकिंग आपरेटरों को पेपर ट्रंककाल टिकट तैयार करने की जरूरत नहीं होगी।

(2) समय तथा ट्रंककालों के प्रभार को आटोमेटिक बनाया जाएगा।

(3) ट्रंक कालें मिलाने की गति बढ़ेगी।

(4) पर्यवेक्षण कार्य और तेजी से करना सम्भव हो सकेगा।

(5) ट्रंक प्रचालन कार्य में गति आएगी।

विवरण

(क) उन आठ एक्सचेंजों के नाम जहां डिजिटल ट्रांजिट स्विचों के संस्थापन का प्रस्ताव है : –

1.	बम्बई	5.	अहमदाबाद
2.	कलकत्ता	6.	बंगलूर
3.	दिल्ली	7.	हैदराबाद
4.	मद्रास	8.	पुणे

(ख) उन 26 विशेष एक्सचेंजों के नाम जहां कि ट्रंक प्रचालन कार्य को कंप्यूटरीकृत किया जाता है।

1.	अमृतसर	14.	जयपुर
2.	आगरा	15.	जालंधर
3.	इलाहाबाद	16.	कानपुर
4.	भोपाल	17.	लुधियाना
5.	भुवनेश्वर	18.	लखनऊ
6.	बड़ौदा	19.	मदुरै
7.	चण्डीगढ़	20.	नागपुर
8.	कोयम्बटूर	21.	पटना
9.	कालीकट	22.	राजकोट
10.	एर्नाकुलम	23.	सूरत
11.	गुवाहाटी	24.	शिलांग
12.	गाजियाबाद	25.	वाराणसी
13.	इन्दोर	26.	विजयवाड़ा

सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरी कम्पनियों को हुई हानि

8304. श्री जी० एस० बसवराज
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की चौदह इंजीनियरी कम्पनियों के कार्यनिष्पादन का दो धारक कम्पनियों के गठन के पश्चात से कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान उससे पूर्व के वर्ष की तुलना मे हुए लाभ/हानि के रूप में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दो धारक कम्पनियां हाल ही में निगमित की गई हैं—भारत यंत्र निगम लिमिटेड जुलाई, 1986 में और भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड सितम्बर 1986 में। दोनों धारक कम्पनियों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों ने जनवरी, 1987 में कार्यभार सम्भाल लिया। धारक कम्पनियां प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं। चूंकि दोनों धारक कम्पनियों ने हाल ही में कार्य करना प्रारम्भ किया है इसलिए उनके कार्यों का अर्थपूर्ण मूल्यांकन करना समय से पूर्व समझा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिहोरा टेलीफोन एक्सचेंज के बोर्ड को बदलना

8305. श्री अजय मुशरान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिहोरा (जिला जबलपुर) का टेलीफोन एक्सचेंज बहुत बुरी स्थिति में है और वह उपभोक्ताओं को संतोषजनक स्थानीय सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बेहतर सेवाओं के लिए सरकार का विचार वर्तमान बोर्ड के स्थान पर उच्चतर क्षमता वाला नया बोर्ड नियुक्त करने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी नहीं। सिहोरा में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं। वैसे इसकी क्षमता 120 लाइनों से बढ़ाकर 150 लाइन करने के लिए कारंवाई की जा रही है ताकि प्रतीक्षा-सूची निपटाई जा सके।

सीमेंट उद्योग को सहायता

8306. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री एस० एन० गुरड्डी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय ने सीमेंट उद्योग को अतिरिक्त सहायतायें देने के लिए वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायताएं दिए जाने के लिए उद्योग मन्त्रालय ने कौन-कौन से प्रमुख कारण बताये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कुछ अतिरिक्त राजकोषीय राहतों के बारे में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और एकैक सीमेंट एककों से अभ्यावेदन मिले हैं। सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पेट्रोल रसायनों और एल्कोहल के इस्तेमाल सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति

8307. श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रो रसायनों और एल्कोहल के इस्तेमाल सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा किए गए आकलन का ब्योरा क्या है; और

(ख) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन दूसरा सिंथेटिक आर्गेनिक रसायनों और प्लास्टिक के वितरण के लिए तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) पेट्रो-रसायन उद्योग की परिप्रेक्ष्य योजना सम्बन्धी समिति ने पेट्रो-रसायन उद्योगों के समेकित विकास के लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं जिनमें सन् 2000 तक के मांग-अनुमान भी शामिल हैं। सिफारिशों का सम्बन्ध प्रौद्योगिकी के विकल्पों, फीडस्टाक की उपलब्धता, स्थान सम्बन्धी बातें, डिजाइन और इंजीनियरी गतिविधियों, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रक्रिया/परिवर्तन उद्योग और उपकरणों, आयात की नीति और पेट्रो-रसायन संवर्धन और विकास प्राधिकरण की स्थापना करने से है। जहां तक पेट्रो रसायन वस्तुओं के उत्पादन के लिए अल्कोहल के प्रयोग का सम्बन्ध है, एक विशेषज्ञ दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए अल्कोहल की अनिश्चित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकार्बन रूट को अपनाया जाए और विद्यमान संयंत्रों को यदि वे ऐसा चाहें तो हाइड्रोकार्बन फीड-स्टाक का प्रयोग करने की अनुमति दी जाये।

(ख) इस समय, मै० इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई०पी०सी०एल०) पालिमर, केमिकल्स, फाइबर और फाइबर इन्टरमीडिएट्स का विपणन कर रहा है। प्लास्टिक के लिए नीति यह होगी कि अन्तिम उपभोक्ता क्षेत्रों जैसे कृषि, मोटरगाड़ी, भवन तथा निर्माण, इंजीनियरी और टेलिट्रानिक्स में इसके प्रयोग का लक्ष्य बनाया जाये। रसायनों के क्षेत्र में नये उत्पादों के विकास, मूल्य परिवर्धन उत्पाद की गुणवत्ता आदि पर ध्यान केन्द्रित करने की नीति होगी। सिंथेटिक फाइबर और फाइबर इंटरमीडिएट्स में यह लक्ष्य, शुष्क स्पन फाइबर्स और अन्य नये संभाव्य क्षेत्रों में प्रयोग के विकास पर बल देकर, प्राप्त किया जाएगा। प्रतिक्रिया काल में सुधार करके, विश्व के संदर्भ में परिवर्तनों से अवगत रहते हुए, लाजिस्टिक/वितरण नीतियों के निर्धारण हेतु वृद्धि केन्द्रों की पहचान करके, आई०पी०सी०एल० विपणन में पुन: दिशा निर्देश प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी धारचूला में उपग्रह संचार केन्द्र की स्थापना

8308. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ जिले में सीमान्त क्षेत्र धारचूला में मुनस्यारी में एक भू-उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मुनस्यारी और धारचूला पहले से ही ओपेन वायर ट्रंक लाइनों द्वारा पिथौरागढ़ के साथ जुड़े हुए हैं। भू-केन्द्र की व्यवस्था करने में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। सीमित संसाधनों के कारण, इन स्थानों पर भू-केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

8309. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 31-3-1987 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पिथौरागढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) की स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के बारे में ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण (अनुबंध) संलग्न है। ये स्कीमें क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

31-3-1987 की स्थिति के अनुसार पिथौरागढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में स्वीकृत स्कीमों का ब्योरा।

क्र०सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपए)	विद्युतीकृत करने के लिए शामिल गांव
1	2	3	4	5
1.	पिथौरागढ़	7/73	27	133*
2.	बारकोट	12/76	64	100*
3.	मुनसियारी	3/78	56	37*
4.	बारीनाग	3/78	81	87*
5.	पिथौरागढ़	3/81	78	94
6.	कमलछिनाई	1/82	96	163
7.	मूनाकोट	1/82	88	117
8.	पट्टी	8/82	97	127
9.	डिडीहट	3/83	95	122
10.	धारचुला	3/83	91	56
11.	लोहाघाट	3/85	65	40
12.	चम्पावत	3/85	65	38

13.	बारकोटा	3/85	65	40
14.	बारीनाग	3/85	76	80
15.	गंगोलीहट-I	3/86	78	77
16.	गंगोलीहट	3/86	60	46
17.	मुनसियारी-III	3/87	77	56
18.	मुनसियारी-I	3/87	66	39
19.	मुनाकोट	3/87	49	21
20.	चम्पावत-I	3/87	85	40
21.	मुनसियारी	3/87	66	40
22.	चम्पावत-II	3/87	75	44
23.	बारीनाग	3/87	66	41
24.	बारीनाग-II	3/87	79	51
25.	बारीनाग I	3/87	63	46
26.	कमलछिना	3/87	49	13
27.	बाराकोट	3/87	45	24
28.	लोहाघाट	3/87	69	57
29.	डिडीहट	3/87	49	19
30.	गंगोलीहट-III	3/87	75	44
31.	गंगोलीहट-चार	3/87	26	40
32.	गंगोलीहट-पांच	3/87	107	37
	जोड		2228	1968

*स्कीम बन्द कर दी गई है/स्कीम को बन्द करने के लिए निर्धारण कर लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में ताप बिजलीघरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सहायता

8310. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के अन्तर्गत चल रहे सभी ताप बिजलीघरों में बिजली का उत्पादन उनकी बिजली उत्पादन क्षमता के पचास प्रतिशत से भी कम है;

(ख) क्या राज्य-सरकार ने उक्त बिजलीघरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के ओबरा और हरदुआगंज स्थित ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 1986-87 के दौरान 50% से कम था।

(ख) और (ग) हरदुआगंज, पनकी और ओबरा ताप विद्युत केन्द्रों में उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कुल 177.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से इस कार्यक्रम के लिए 82.68 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

रामनगर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

8311. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रामनगर (नैनीताल) उत्तर प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां।

(ख) उपस्कर प्राप्त होने के तत्काल बाद मार्च, 1988 में एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।

चुने गये विकास केन्द्रों को केन्द्रीय सहायता

8312. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को चुने गये विकास केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सहायता कब तक उपलब्ध किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) "उद्योग रहित जिलों" के चुने गये विकास केन्द्रों में अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास के लिए सभी राज्य सरकारों, जिन्होंने दावे सभी दृष्टियों से पूरे प्रस्तुत किए हैं, को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर दी गई है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को 1,092.41 लाख रुपये की राशि दी गई है।

वीर सिंहपुर और सतना के बीच किलोवाट लाइन डालने की मंजूरी

8313. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 235 कि०मी० लम्बी लाइन में से वीर सिंहपुर और सतना के बीच जंगल से गुजरने वाली 43.95 किलोमीटर लम्बी 220 किलोवाट लाइन डालने की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या सतना क्षेत्र की विद्युत सप्लाई को सुधारने के लिए इस लाइन का डाला जाना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन काटने से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी केन्द्रीय सरकार को भेज दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा वनों को काटने के बारे में आवश्यक अनुमति कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने वीरसिंहपुर और सतना के बीच 220 के०वी० लाइन के निर्माण के लिए निवेश संबंधी स्वीकृति दे दी है जिससे सतना के क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में सुधार होगा।

(ग) और (घ) वन क्षेत्र में इस लाइन के निर्माण के लिए केन्द्रीय वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने मार्च, 1977 में स्वीकृति दे दी थी।

[अनुवाद]

पश्चिमी जर्मनी के एम० ए० एन० जी० एच० के अधिकारियों के दल द्वारा नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड का दौरा

8314. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के एम०ए०एन०-जी० एच०एच० के अधिकारियों के एक दल ने पिछले चार महीनों के दौरान नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० का दौरा किया था और नैवेली लिग्नाइट निगम के साथ उसके प्रस्तावित ठेके से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार से बातचीत की थी:

(ख) यदि हां, तो एम०ए०एन० के प्रतिनिधियों के साथ स्प्रेडर्स प्रोजेक्ट के संबंध में हुई बातचीत का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन पक्षों के मध्य ठेके पर अंतिम रूप से बातचीत पूरी होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) "एम०ए०एन०" के प्रतिनिधि नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन आए थे और उन्होंने केवल नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के अधिकारियों से चर्चा की थी।

(ख) से (घ) "एम०ए०एन०" और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा, विशिष्ट खनन उपकरणों के लिए उनको पहले दिए जा चुके आदेशों के संबंध में थी। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की परियोजनाओं के लिए अगले आदेशों पर चर्चा नहीं हुई।

अंकीय डिजीटल स्विचिंग प्रणालियों का आयात

8315. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रमुख जिलों में भारी संचार यातायात के संचालन के लिए अंकीय डिजीटल स्विचिंग प्रणालियों का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित प्रणालियां कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और इससे उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी हां। आठ शहरों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलूर, हैदराबाद और पुणे के लिए डिजिटल ट्रंक स्विच आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्तावित प्रणालियां वर्ष 1990 तक उत्तरोत्तर संस्थापित किये जाने की संभावना है। इनके चालू हो जाने से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ होगा :—

(i) ट्रंक कालें वरीयता और बुकिंग समय के अनुसार ही मिलाई जायेंगी।

(ii) ट्रंक कालों के निपटान में तेजी लाई जाएगी।

(iii) इससे ट्रंक कालों की स्थिति और कालों से संबंधित किसी भी पूछताछ का उत्तर तुरंत दिया जा सकेगा।

(iv) बिल बनाने के लिए ट्रन्क काल टिकटों के मूल्यांकन में तेजी आएगी।

नागपुर में बिजलीघर के उपस्करों की मरम्मत के लिए कार्यशाला की स्थापना

8316. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में बिजलीघर के उपस्करों की मरम्मत के लिए एक कार्यशाला स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला की स्थापना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और प्रस्तावित कार्यशाला कब तक स्थापित कर दी जाएगी और कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। किस एजेंसी के जरिए प्रस्तावित वर्कशाप स्थापित की जाए और अन्य संबंधित मामलों के बारे में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

लेवी सीमेंट के कोटे में कटौती

8317. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लेवी सीमेंट के कोटे में कटौती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लेवी सीमेंट के कोटे में कटौती करने का उद्योगों और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 15-12-86 से सभी सीमेंट एककों के लेवी दायित्व में 10% की कमी की गई थी। तत्पश्चात्, 1-4-86 को या उसके पश्चात् उत्पादन शुरू करने वाले सभी नये एककों के लेवी दायित्व में 1 मार्च, 1987 से 15% की और कमी की गई थी। परिणामत:, सीमेंट एककों का लेवी दायित्व अब निम्न प्रकार है :—

(1) एकक जो 1-1-82 को वाणिज्यिक उत्पादन में थे	: वास्तविक उत्पादन का 50%
(2) (क) नये एकक या विस्तार जिन्होंने 1-2-82 के बाद से 31 मार्च, 1986 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। (ख) 1-4-86 को या उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाले पर्याप्त विस्तार (ग) रुग्ण घोषित कर दिये गये एकक	वास्तविक उत्पादन का 30%
(3) 1-4-86 या उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाले नये एकक	: वास्तविक उत्पादन का 15 प्रतिशत

(ग) लेवी कोटे में कटौती से, संबंधित सीमेंट एकक खुले बाजार में गैर-लेवी सीमेंट की अधिक मात्रा में बिक्री कर सकेंगे और उस सीमा तक उनकी लाभदेयता में सुधार होगा। जहां तक उपभोक्ताओं पर असर का संबंध है, गैर-लेवी सीमेंट की अधिक उपलब्धता से, खुले बाजार में और विशेषकर सीमेंट संयंत्रों के समीप के क्षेत्रों में सीमेंट का मूल्य गिरने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश में दूरसंचार जिले खोलना

8318. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में और अधिक दूरसंचार जिले खोलने और कुछ मौजूदा डिवीजनों का दर्जा बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है;

(घ) इससे जनता को कितना फायदा पहुंचेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) सेकंडरी स्विचन क्षेत्र (एस०एस०ए०) के आधार पर शुरू की गई प्रबंध व्यवस्था के अन्तर्गत एक या अधिक सेकेंडरी स्विचन क्षेत्रों को मिलाकर दूरसंचार जिले बनाए गये हैं। यह कार्य-भार के आधार पर किया गया है। इन क्षेत्रों का कार्यक्षेत्र राजस्व जिलों की सीमा के भीतर ही होता है। तदनुसार आंध्र प्रदेश में सभी दूरसंचार

इंजीनियरी मंडलों को दूरसंचार जिलों में पुनर्गठित किया गया है मौजूदा मंडलों का दर्जा बढ़ाकर और अधिक दूरसंचार जिले बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि कार्यभार औचित्य सिद्ध होने पर नवगठित दूरसंचार जिलों का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) चूंकि ए०एस०ए० के भीतर होने वाला दूरसंचार परियात उसी क्षेत्र के लिए होता है अतः दूरसंचार जिलों के स्थान पर मंडल स्तर पर प्रबंध की मौजूदा प्रणाली को अपनाने से दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिये प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण संभव हो सकेगा और एक क्षेत्र में जनता के लिए सेवाओं के रख-रखाव और प्रचालन के लिये समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा।

आंध्र प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना

8319. **श्री वी० तुलसीराम :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी नई नीति घोषित किये जाने के बाद आंध्र प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना की अनुमति दिये जाने के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) शेष आवेदनपत्रों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की आशा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस देने संबंधी नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा करने के बाद नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन का विस्तार कार्यक्रम का चरण-एक और चरण-दो

8320. **श्री सतीश चन्द्र सिन्हा**
चौधरी राम प्रकाश } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम के चरण-I और II के अंतर्गत खानों के विस्तार की परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर आयात की गई कुछ मशीनें और उपकरण विनिर्दिष्ट रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं और इससे विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्रियान्वित किये जा रहे खान विस्तार कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है और 31 मार्च, 1987 तक उनके कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) द्वितीय लिग्नाइट खान की क्षमता 4.7 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की जा रही है। ऊपरी मलबा हटाना, उपकरणों के लिए आदेश, आदि विभिन्न कार्य इस प्रकार चल रहे हैं कि विस्तार परियोजना समय से पूरी हो जाएगी।

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित मदों का उत्पादन बड़े उद्योगों द्वारा किया जाना

8321. **श्री पी० एम० सईद**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के औद्योगिक एककों द्वारा उत्पादन के लिए मूल रूप से निर्धारित मदों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मदों का आरक्षण समाप्त किया गया;

(ख) क्या बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा उपरोक्त मदों का उत्पादन करना तेजी से शुरू कर दिया है;

(ग) क्या सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसी मदों के बड़ी संख्या में नाम बदल कर केवल लघु एककों द्वारा उत्पादन के लिए मदों के आरक्षण को समाप्त करने की प्रक्रिया के बारे में शिकायत की गई है, बड़े एककों द्वारा उत्पादन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रक्रिया अपनाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से निर्माण हेतु वस्तुओं का आरक्षण/अनारक्षण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। 1 जनवरी, 1984 से 34 वस्तुओं (3 उप-वस्तुओं सहित) को अनारक्षित किया गया है, 34 वस्तुओं के संबंध में नामतंत्र को बदला गया है तथा 9 नई वस्तुओं को आरक्षित वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से विनिर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं के आरक्षण/अनारक्षण या नामतंत्र में परिवर्तन के प्रस्तावों पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत गठित आरक्षण पर परामर्शदायी समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए बनाये गये मानदण्डों के ढांचे के अन्तर्गत यह समिति कार्य करती है और सरकार को अपनी सिफारिशें देती हैं। अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं के अनारक्षण पर विचार करते समय, निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) उद्योग जहां बड़ी मात्रा में आयात की अनुमति दी जाती है और/या जहां बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है।

(2) उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के उद्योगों या जिन पर निर्यात हेतु प्रोत्साहन देने के लिये अधिक बल देने की आवश्यकता है जो आवश्यक रूप से बड़े आकार के होने चाहिएं जिससे लागत कम की जा सके और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाया जा सके।

(3) उद्योग जहां आकार की अड़चनों के कारण, लघु क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का सुनिश्चय करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी लगाने में असमर्थ है।

लघु क्षेत्र के हितों तथा अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

सीमेंट उद्योग में अनुसंधान और विकास संसाधनों का प्रबन्ध

8322. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद के मामले में सार्वजनिक और गैर सरकारी क्षेत्र में अब तक अनुसंधान तथा विकास संसाधनों के प्रबंध में गम्भीर त्रुटियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी त्रुटियों का पता चला है; और

(ग) खामियों को दूर करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/सुझाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के अनुसंधान और विकास संसाधनों का प्रबन्ध संबंधित एककों द्वारा किया जाता है। जहां तक सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री संबंधी राष्ट्रीय परिषद का सम्बन्ध है, ऐसी कोई गम्भीर त्रुटियां सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में दूरसंचार स्थापित करने की मांग

8323. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में दूरसंचार कायम करने की मांग बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो वर्ष 1984-85 की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान इनकी संख्या कितनी बढ़ी है;

(ख) क्या विदेश संचार निगम इसे संतोषजनक ढंग से पूरा कर रहा है; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी हां। विदेशों को किए जाने वाले टेलीफोन कालों की मांग में वर्ष 1984-85 की तुलना में 1985-86 में 20% तक की वृद्धि हुई है और वर्ष 1986-87 में 20% वृद्धि हुई है। टेलेक्स सेवाओं की मांग वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 में 11.6% तक और वर्ष 1986-87 में 10% बढ़ी है। अब उपलब्ध की जा रही टेलेक्स और आंकड़ा संचार सेवाओं जैसे तेज गति के और अधिक कुशल संचार सम्पर्क सुलभ करने वाली नई और बेहतर प्रौद्योगिकियों के कारण तार सेवा में विश्वव्यापी गिरावट का रुझान देखा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोन परिपथों की संख्या में वर्ष 1984-85 के 864 के मुकाबले 1986-87 में 1090 की वृद्धि हुई है और टेलेक्स की संख्या में 1984-85 के 945 के मुकाबले 1986-87 में 1124 की वृद्धि हुई है। भविष्य में परियात में होने वाली संभावित वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश संचार निगम ने कई योजनाएं बनाई हैं, नामत:—बम्बई, नई दिल्ली और मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता का विस्तार, 1380 स्पीच-बैंड परिपथों

वाली भारत-संयुक्त अरब अमीरात अन्त: समुद्री टेलीफोन केबल परियोजना, 960 अतिरिक्त सरणियां सुलभ करने के लिए बम्बई तथा आर्वी के विक्रम उपग्रह भू-केन्द्र के बीच डिजिटल सूक्ष्म तरंग संचार सम्पर्क। इन सभी को चालू वर्ष में पूरा करने की योजना है। इनके अलावा, इस योजना की अवधि के अन्त तक विश्व के अधिकांश देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोक्ता डायल टेलीफोन सुविधा खोलने की योजना है और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सीधे काम करने के लिए अटलांटिक महासागर उपग्रह के लिए एक भू-केन्द्र खण्ड तैयार करने की भी योजना है।

बुकिंग रद्द किये जाने के पश्चात जमा राशि की वापसी

8324. **श्री पी० एम० सईद :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो पहिए वाले स्कूटरों के निर्माताओं द्वारा बुकिंग रद्द किये जाने के पश्चात जमाराशि को वापसी में अत्याधिक विलम्ब किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो जमा-राशि की समय से वापसी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ग्राहकों की जमा राशि लौटाने में कई बार देर हुई है। जमा राशि शीघ्र लौटाने का प्रबंध करने की सलाह देते हुए सरकार ने सभी आटोमोबील उत्पादकों को दिशानिर्देश जारी किये हैं। व्यक्तिगत मामलों में प्राप्त शिकायतें भी सरकार ने उत्पादकों तक भेजी हैं।

कर्नाटक में चीनी मिलों की स्थापना

8325. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए जारी किए गये आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या कितनी है; और

(ख) ये मिलें किन-किन स्थानों में स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए थे। इन फैक्ट्रियों को निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

(1) तहसील अलंद, जिला गुलबर्गा।

(2) तहसील और जिला बीजापुर।

बिजली संयंत्रों का आयात

8326. **श्री श्रीकान्तदत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली संयंत्रों का आयात करती रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी बिजली उत्पादन

क्षमता के संयंत्रों का आयात किया जाएगा;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियां भी बिजली संयंत्रों का आयात करती रही है;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों के क्या नाम है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यद्यपि विद्युत उपस्कर प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से स्वदेशी स्रोतों पर ही निर्भर किया जा रहा है तथापि समग्र संसाधन बाधाओं को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक मामले के आधार पर कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता का भी सहारा लिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए किस सीमा तक आयात किया जाता है, इस मात्रा का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रभावी कार्यकरण के लिए कदम

8327. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की निगरानी प्रारम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उपक्रमों को होने वाली हानि के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) इसमें होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण को प्रभावी बनाया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सरकार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन का निरन्तर परिवीक्षण कर रही है।

(ख) सरकारी उद्यमों के घाटे के निर्धारित कारण एक उद्यम से दूसरे उद्यम में भिन्न-भिन्न हैं। सामान्यतः छांटे गये प्रमुख कारणों में शामिल है—मुख्यतः काम में आने वाली अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं जैसे—बिजली, बढ़िया कोयला आदि की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता के उपयोग में कमी तथा विशेष रूप से इंजीनियरी, नौवहन, कपड़ा आदि के अन्तर्गत मांग की कमी ; काम में आने वाली सामग्री की लागत में निरन्तर मूल्य-वृद्धि जिसमें शामिल है आवधिक मजदूरी परिशोधनों का प्रभाव; अलाभकर मूल्य, फालतू श्रमिक, पुराने संयंत्र एवं मशीनें और अप्रचलित प्रौद्योगिकी, विशेषतः रुग्ण अधिग्रहीत उद्यमों के मामले में, प्रबन्ध में खामियां, श्रमिक समस्याएं, विगत कालीन संचित घाटे के कारण बढ़ता हुआ वित्तीय भार आदि।

(ग) घाटे के वास्तविक कारणों के आधार पर एक उद्यम से दूसरे उद्यम में इन गतिरोधों को दूर करने के लिए किये गये उपाय भी भिन्न-भिन्न हैं। किन्तु, सामान्य रूप में किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है—अति उच्च स्तरों पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य-निष्पादन का परिवीक्षण एवं आवधिक समीक्षा करना तथा ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर तेजी से अनुवर्ती कार्रवाई करना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, जहां कहीं आवश्यक समझे जाने पर संयंत्र एवं उपस्कर का आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन करना, जहां कहीं आवश्यक प्रतीत होने पर निजी उपयोगार्थ विद्युत

सुविधाओं की व्यवस्था करना; धारक कंपनियों के गठन एवं पूंजी-पुनर्गठन सहित संरचनात्मक पुनर्गठन करना, प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना; लागत नियंत्रण एवं लागत में कमी पर बल देना; कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण करना आदि।

आदिवासी लोगों को घटिया किस्म के चावल की सप्लाई

8328. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम राजसहायता योजना के अंतर्गत आदिवासी लोगों को घटिया किस्म के चावल की सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में कोठागुडम तथा विद्युत केन्द्र का नवीकरण

8329. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र (आंध्र प्रदेश) को बेहतर बनाने और उसके नवीनीकरण के लिए अनुदान अभी तक मंजूर नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मनुगुरु में सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना

8330. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान भद्राचलम के निकट मनुगुरु में सुपर ताप विद्युत-केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश में मानुगुरु में एक सुपर ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सम्भाव्यता सुनिश्चित हो जाने तथा

निधियों सहित सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद अनुमोदन हेतु परियोजना पर विचार किया जा सकेगा।

राजस्थान और गुजरात को गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल और चीनी आदि का आवंटन

8331. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान राजस्थान और गुजरात को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का कुल कितनी मात्रा में आवंटन किया गया; और

(ख) राज्य सरकारों ने आवंटन की तुलना में वास्तव में इनकी कितनी मात्रा उठाई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गेहूं और चावल (हजार मी०टन में)

राज्य का नाम	1984-85		1985-86		1986-87	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
राजस्थान						
आवंटन	12.0	404.0	19.0	529.0	24.0	778.5
उठाई गई मात्रा	4.4	28.1	7.3	4[illegible]6.7	11.5 (अ)	705.3 (अ)
गुजरात						
आवंटन	90.0	483.98	182.5	774.43	320.0	804.16
उठाई गई मात्रा	39.5	180.6	123.6	447.6	272.8 (अ)	365.1 (अ)

अ = अनन्तिम

नोट : गेहूं के आवंटन में रोलर आटा मिलों को आवंटित की गई मात्रा भी शामिल है। रोलर आटा मिलों को गेहूं का आवंटन अक्तूबर, 1986 से समाप्त कर दिया गया।

चीनी

(मी०टन में)

	निम्नांकित को आवंटित लेवी चीनी का मासिक कोटा	
	राजस्थान	गुजरात
1984-85, 1985-86 तथा	15832	15361
1986-87 (31-1-1987 तक)		
फरवरी, 1987 से आगे	16914	16194

उपर्युक्त के अलावा राजस्थान और गुजरात सरकारों को त्यौहार कोटा के रूप में सितम्बर, 1984, जून, 1985, अगस्त से नवम्बर, 1985 और सितम्बर – अक्तूबर, 1986 के दौरान क्रमश: 2531 और 2456 मी०टन मात्रा का आवंटन किया गया था। ये दोनों राज्य सीधे आवंटिती राज्य हैं और ये राज्य आवंटित की गई लेवी चीनी का कोटा सीधे चीनी कारखानों से उठाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

मिट्टी का तेल

	1984-85		1985-86		1986-87	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
गुजरात	546500	54[illegible]084	577460	577561	613290	[illegible]07364
राजस्थान	179000	177450	185110	183997	175110	165681

खाद्य तेल

(मी० टन में)

तेल वर्ष	गुजरात		राजस्थान	
(नवम्बर—अक्तूबर)	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1984-85	61,500	65,297*	8,380	6,395
1985-86	1,21,700	97,356	5,250	3,160
1986-87	35,700	52,360*	2,250	2,178

*इसमें पिछली अवधियों की बकाया पड़ी उठाई गई मात्रा शामिल है।

नाथपा झाकड़ी पन-बिजली परियोजना का कार्यान्वयन

8332. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाथपा-झाकड़ी पन-बिजली परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट) को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। ये लागत और लाभों का बंटवारा 75:25 के अनुपात में करेंगी।

राजस्थान की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

8333. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के किन-किन खंडों के लिए अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है; और

(ख) विलम्ब के कौन-से कारण हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत राजस्थान के बाड़मेर जिले के सभी खण्डों को पहले ही शामिल कर लिया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत जैसलमेर के एक जिले नामश: पंचायत समिति को अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

(ख) 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की कोई स्कीम स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं पड़ी थी।

शहद का उत्पादन

833?. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने शहद के उचित दोहन और विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) देश में शहद का लगभग कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय मे औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं और मधुमक्खी पालने वाले सहकारी समितियों को मधुमक्खी पालन उद्योग का विकास करने हेतु मधुमक्खी पालकों से शहद की खरीद के लिए कार्य संचालन पूंजी ऋणस हित विपणन सम्बन्धी सुविधाएं और मझोले और अर्द्ध-वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन गृहों की स्थापना करने के लिए उपकरणों के वितरण और वित्तीय सहायता सहित तकनीकी सहायता प्रदान करता है। केन्द्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान, पुणे मधुमक्खी पालन क्षेत्रों में अवस्थित एककों की सहायता के जरिये मधुमक्खियों की नस्लों और उत्पादकता में अच्छे प्रबन्ध तकनीकों द्वारा सुधार करके उपयोगी संयंत्रों आदि के अध्ययन सम्बन्धी कार्य करता है।

(ख) देश में वर्ष 1985-86 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत शहद का उत्पादन लगभग 62 लाख कि०ग्राम था जिसका मूल्य 12 करोड़ रु० से अधिक था। इसके अलावा, उसी वर्ष में 29,000 कि०ग्राम मोम भी प्राप्त किया गया, जिसका मूल्य 9 लाख रु० था।

नैवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड के सूचीबद्ध सप्लाईकर्ताओं के सम्बन्ध में कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

8335. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उसके अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं में नैवेली लिग्नाइट निगम के सूचीबद्ध सप्लाईकर्ताओं, जर्मनी के मैसर्स एन०ए०एम०-जी०एच०एच० और डब्ल्यू०एम०आई० क्रेन्स लिमिटेड के संबंध में व्यापक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या उक्त दोनों उपक्रमों ने समय पर और उपकरण सप्लाई के हिसाब से कभी भी अच्छा कार्यनिष्पादन नहीं किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का और कौन-सी कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन देश में प्रमुख विशिष्ट लिग्नाइट खनन उपकरणों का एकमात्र उपभोक्ता है। इसलिए देश की अन्य सरकारी परियोजनाओं से सूचना एकत्र करना आवश्यक नहीं था।

(ख) से (घ) द्वितीय खान चरण-I के लिए उपकरणों की सप्लाई में एम०ए०एन०/डब्ल्यू०एम०आई० ने कुछ देरी की थी। इसके अलावा एक उस मशीन की मरम्मत भी करनी पड़ी थी जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी। देरी के लिए प्रभार लगाने और मशीनरी की पुनर्वासन लागत की वसूली के लिए बातचीत चल रही है।

भोपाल में डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज और भू-उपग्रह केन्द्र की स्थापना

8336. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में भोपाल में एक डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज और भू-उपग्रह केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) (i) भोपाल के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 4000 लाइनों की क्षमता का एक डिजिटल स्थानीय इलेक्ट्रानिक रिमोटलाइन यूनिट प्रदान करने का कार्यक्रम है।

(ii) इस अवधि के दौरान भोपाल में किसी उपग्रह भू-केन्द्र की स्थापना करने की सम्भावना नहीं है।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

अरेरा में 2000 लाइनों की रिमोट लाइन यूनिट नगर में 1000 लाइनों की रिमोट लाइन यूनिट, और मेल में 1000 लाइन की रिमोट लाइन यूनिट। लगभग 6.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इन 4000 लाइनों का संस्थापन किया जाएगा।

(ग) इन 4000 लाइनों के 1988-89 के दौरान चालू होने की सम्भावना है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स की विविधीकरण और विस्तार योजना

8337. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड की विविधीकरण और विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड ने अभी तक कम्पनी के विविधीकरण और विस्तार की कोई विशिष्ट स्कीम/परियोजना तैयार

नहीं की है। अलबत्ता, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड आंकड़ा संचार और कार्यालय स्वचलन प्रणाली के क्षेत्रों में विविधता तथा विस्तार की योजना बना रहा है जो टेक्स्ट संचार जैसे हैं और जिस क्षेत्र में हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड अपने उत्पादों का अब विनिर्माण कर रहा है। मोडेमों के अतिरिक्त डिजिटल फैक्स, ग्राफिक अन्तस्थ (टर्मिनल्स), प्रिंटर्स (मुद्रक) और अन्य अन्तस्थ उपस्कर बनाने के उद्देश्य से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है।

जल विद्युत, ताप विद्युत और डीजल विद्युत उत्पादन केन्द्र

8338. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित जल विद्युत, ताप विद्युत और डीजल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) इस समय प्रत्येक विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन की निर्धारित क्षमता कितनी है और वास्तविक उत्पादन कितना होता है;

(ग) विद्युत केन्द्रों में यदि कम उत्पादन हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन संयंत्रों का विद्युत उत्पादन गैर-सरकारी संयंत्रों के उत्पादन की तुलना में कैसा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यूनिट की भारी मन्दी के कारण वर्ष 1986-87 के दौरान दामोदर घाटी निगम के चंद्रपुरा और बोकारो ताप विद्युत केन्द्रों ने लक्ष्य से कम विद्युत उत्पादन किया था।

(घ) निजी क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की तुलना करने के लिए विद्युत उत्पादन समुचित पैरामीटर नहीं है क्योंकि विद्युत का उत्पादन स्थापित क्षमता पर निर्भर करता है। वर्ष 1986-87 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 64.9 प्रतिशत था जबकि निजी क्षेत्र की युटिलिटीज में विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 61.1 प्रतिशत था।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा

केन्द्र का नाम	क्षमता/प्रणाली	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन 1986-87 (मेगावट आवर)
1	2	3	4
क. ताप-विद्युत			
बदरपुर	रा० ता० वि० नि०	720	3290
सिंगरौली	" " " "	1550	6879
कोरबा सु० ता० वि० केन्द्र	" " " "	630	4451
रामागुण्डम	" " " "	600	4313
फरक्का	" " " "	420	552

1	2	3	4
नेवेली	रा० ता० वि० नि०	1020	5104
चन्द्रपुरा	दा० घा० नि०	780	2779
दुर्गापुर	,, ,, ,,	460	1561
बोकारो	,, ,, ,,	415	981
चोला	आर० एल० वाई०	40	112
ख. जल-विद्युत			
भाखड़ा नागल	भा० व्या० प्र० बो०	1355	6840
देहर	,, ,, ,, ,,	990	3127
पोंग	,, ,, ,, ,,	360	1737
बैरास्यूल	रा० ज० वि० नि०	180	805
लोकतक	,, ,, ,, ,,	105	394
मैथोन, पंचेत और तिलैया	दा० घा० नि०	109	370
खानडोंग	निपको	50	146

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या

8339. **श्री टी० बशीर**
श्री बनवारी लाल बैरवा } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की प्राधिकृत संख्या, संसदीय विधान द्वारा 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है।

इस समय सभी उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों में 410 और अपर न्यायाधीशों के 31 स्वीकृत पद हैं। कुछ उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों के 25 नये पद और अपर न्यायाधीशों के 56 नये पद सृजित करने का निश्चय किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण में उपदर्शित है।

विवरण

तारीख 24-4-87 को यथाविद्यमान

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
1.	इलाहाबाद	—	2	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	6	4	10
3.	मुम्बई	2	10	12
4.	कलकत्ता	3	5	8
5.	दिल्ली	—	6	6
6.	गुवाहाटी	—	1	1
7.	गुजरात	5	4	9
8.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1
9.	जम्मू-कश्मीर	1	3	4
10.	कर्नाटक	4	2	6
11.	केरल	—	7	7
12.	मध्य प्रदेश	—	2	2
13.	पटना	4	—	4
14.	पंजाब और हरियाणा	—	3	3
15.	राजस्थान	—	6	6
	योग :	25	56	81

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

8340. श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा-सूची में इस समय कितने लोगों के नाम हैं;

(ख) जामनगर जिले में कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(ग) उपर्युक्त प्रतीक्षा-सूची को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार गुजरात में टलीफोन की वर्तमान प्रतीक्षा-सूची में 88510 नाम दर्ज हैं।

(ख) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार जामनगर जिले की प्रतीक्षा-सूची में 225 नाम दर्ज हैं।

(ग) गुजरात में टेलीफोन की प्रतीक्षा-सूची को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और जामनगर जिले की प्रतीक्षा-सूची को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निपटा दिया जाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित तेल और किया गया व्यय

8341. **श्री दौलत सिंहजी जदेजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तेलगवेषण पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोजे गए कुओं से इसी अवधि के दौरान तेल की कितनी मात्रा निकाली गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	अन्वेषण पर खर्च मूल्यह्रास को छोड़कर (करोड़ रुपये)	कच्चे तेल का उत्पादन (मिलियन मी० टन)
1984-85	335.99	26.25
1985-86	367.96	27.51
1986-87	624.16	27.86
	(प्रत्याशित)	(अस्थायी)

[हिन्दी]

डीजल और पेट्रोल पम्पों के स्थान के चयन और उनके आवंटन के लिए मानदण्ड

8342. **श्री डाल चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल और पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिए स्थानों और व्यक्तियों के चयन हेतु क्या मानदण्ड और प्रक्रिया निर्धारित है;

(ख) मध्य प्रदेश विशेषकर पन्ना जिला के ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है जिनमें पेट्रोल और डीजल पम्पों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और इन्हें कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके एजेंसी और स्टोरों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और लम्बित आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है और इन्हें कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) ये आवेदन पत्र कब से लम्बित पड़े हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल उद्योग द्वारा राज्यवार आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं और जो स्थान मात्रा

और दूरी के मानदण्ड पूरा करते हैं उनके नये डीजल और पेट्रोल पम्प खोलने के लिए चुना जाता है।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में 83 खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलर शिपों के चयन के लिए तेल उद्योग द्वारा दिए गए विज्ञापनों के संदर्भ में प्राप्त आवेदन अभी तक लम्बित हैं। पन्ना जिले के अजयगढ़ में प्रस्तावित डीलरशिप के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। चूंकि डीलरशिप का चालू होना अनेक औपचारिकताओं को पूरा करना अर्थात विज्ञापन देने, तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन और सांविधिक अनुमतियों सहित आधार भूत प्रबन्धों को जुटाने पर निर्भर करता है इसलिए इसके लिए समय सीमा बताना व्यवहार्य नहीं होगा।

खाना पकाने की गैस एजेंसियों और पेट्रोल डीजल के फुटकर बिक्री केन्द्रों का आवंटन

8343. **श्री डाल चन्द्र जैन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के फुटकर बिक्री केन्द्र और स्टोर के आवंटन संबंधी ऐसे मामले भी हैं जो स्थान पहली बार विज्ञापित किये जाने और आवेदन पत्र मांगे जाने के समय से (एक) तीन वर्ष, (दो) पांच वर्ष से अधिक समय से निर्णय के लिए लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन लम्बित मामलों के निपटाने और भविष्य के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) 3/5 वर्षों से अधिक समय से बकाया मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वितरण केन्द्र/डीलरशिप के चयन को अन्तिम रूप देने या उन्हें चालू करने में होने वाली देरी के अनेक कारण हैं, जैसे मुकदमा, जिसमें न्यायालयों के स्थगन आदेश शामिल हैं, शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता, कुछ आरक्षित श्रेणियों में आवेदकों अथवा 'उपयुक्त आवेदकों का न मिलना, जिला कलेक्टरों से इच्छुक पात्र व्यक्तियों के नाम प्राप्त करने की परिणामी आवश्यकता, अनेक महीनों तक तेल चयन बोर्डों का न होना आदि।

(ग) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कार्यवाही को तेज करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

पिछले तीन और पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक बकाया मामलों का राज्यवार एल० पी० जी० वितरणशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपों का विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	पिछले 3 वर्षों से अधिक बकाया मामले		पिछले 3 वर्षों से अधिक बकाया मामले	
		एल० पी० जी०	आर० ओ०	एल० पी० जी०	आर० ओ०
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	9	—	5
2.	असम	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	—	—
4.	बिहार	2	28	—	6
5.	गुजरात	2	15	—	2
6.	हरियाणा	7	2	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	1	2	—	1
8.	जम्मू और कश्मीर	2	3	—	—
9.	कर्नाटक	1	6	3	3
10.	केरल	2	2	—	3
11.	मध्य प्रदेश	5	30	—	2
12.	महाराष्ट्र	2	24	—	2
13.	मेघालय	—	2	—	—
14.	उड़ीसा	2	8	—	2
15.	पंजाब	2	i	—	3
16.	राजस्थान	4	17	—	3
17.	सिक्किम	—	1	—	—
18.	तमिलनाडु	1	5	2	3
19.	त्रिपुरा	1	2	—	—
20.	उतर प्रदेश	5	21	2	4
21.	पश्चिम बंगाल	3	11	—	7
संघ शासित राज्य					
1.	दिल्ली	1		1	
2.	गोवा, दमन और दीव	1		—	
		47	192	8	46

लाइसेंस जारी करना

8344. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री तेजा सिंह दर्दी
श्रीमती बसवराजेश्वरी
} : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष उससे पूर्व वर्ष के दौरान जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की औसत संख्या से कम लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरेवार जानकारी क्या है; और

(ग) इस अधोमुखी प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान (वर्षवार) जारी किए गए आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1984	1064	905 (417 कार्य चालू रखने के आधार पर लाइसेंसों सहित)
1985	1457	985 (544 कार्य चालू रखने के आधार पर लाइसेंसों सहित)
1986	1130	618 (107 कार्य चालू रखने के आधार पर लाइसेंसों सहित)

उपर्युक्त आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के अलावा, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा वर्ष 1986 में लाइसेंस मुक्त उद्योगों से सम्बन्धित 2387 पंजीकरण पत्र जारी किए गए थे जबकि 1985 के दौरान जारी किए गए ऐसे पत्रों की संख्या 1167 थी। इस प्रकार पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक उद्योगों को मुख्यतया लाइसेंस मुक्त करने के कारण 1986 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम थी।

थीन बांध का निर्माण

8345. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया }
श्री तेजा सिंह दर्दी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुदासपुर जिले में थीन बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) अब तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई है और इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(घ) क्या इस बांध के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितताओं के बारे में सरकार को पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) 1986 के मूल्यों के आधार पर परियोजना की वर्तमान अनुमोदित लागत 760 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों को सूचित किए गए अनुसार, 31-3-1987 तक किया गया कुल व्यय 238.24 करोड़ रुपये है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, परियोजना की पहली जल विद्युत यूनिट सितम्बर, 1991 में तथा परवर्ती 3 यूनिटें उसके बाद चार-चार महीने के अन्तराल पर चालू किए जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरसंचार मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य

8346. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार मिशन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या वर्तमान वृद्धि दर से ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस योजनावधि के दौरान गांवों/शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन प्रदान करने के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1-4-1990 तक स्थानीय टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 40 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है।

(ख) जी, हां। बशर्ते कि पर्याप्त निधि उपलब्ध हो जाए।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में 4010 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के आधार पर ग्रामों में 9000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और देश के 11 लाख स्थानीय टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अधिक संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में इस लक्ष्य को क्रमश: 15000 और 16 लाख तक बढ़ाया जा सकता है।

कारों से निकलने वाले धुएं को निष्प्रभावित करने वाले यन्त्रों से युक्त कारों का उत्पादन

8347. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देशों में ऐसी कारों का उत्पादन हो रहा है, जिसमें उनसे निकलने वाले धुएं को निष्प्रभावित करने की विशेष प्रणाली लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए देश में आटोमोबाइल संयंत्रों में इन कारों की प्रौद्योगिकी अपनाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क)

पश्चिम के कुछ उन्नत देशों में उच्च शक्ति इंजन युक्त अच्छी कार्य क्षमता वाली कारों में उत्सर्जन मानकों को संतुष्ट करने के लिए एक ऐसी प्रणाली लगी हुई है जिसके इग्जॉस्ट बर्नर कहते हैं।

(ख) और (ग) इस समय इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि हमारे देश में यात्री कारें अधिकतर छोटे आकार की होती हैं।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा स्प्रेडर परियोजनाओं के लिये एम०ए०एन०-जी० एच०एच० को अग्रिम धनराशि देना

8348. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड ने नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की किसी विस्तार परियोजनाओं के लिये "स्प्रेडर" सप्लाई कर्ता के रूप में एम० ए० एन०-जी० एच० एच० का पता लगाने के लिए, धनराशि देने वाली पश्चिम जर्मनी की के०एफ०डब्ल्यू० से शुरू में सहमति नहीं ली थी जब तक कि उस नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के बोर्ड द्वारा ऐसा करने पर जोर नहीं दिया गया था;

(ख) क्या गत चार महीनों के दौरान एम०ए०एन०-जी०एच०एच० को विस्तार परियोजनाओं के लिये और अग्रिम धनराशि दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(घ) भविष्य में एम०ए०एन०-जी०एच०एच०/डब्ल्यू०एम०आई० से सप्लाई के मामले में गत समय की तरह असफल रहने पर नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड के सभी सदस्यों की अलग-अलग जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) प्रारम्भ में स्प्रेडरों के सप्लायरों की शार्ट लिस्ट में नैयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के जिन तकनीकी परामर्शदाताओं के नाम थे उनमें एम०ए०एन० शामिल नहीं थे। परन्तु आगे चलकर, एम०ए०एन० ने अन्य देशों को और भारत को जो विविध प्रकार के और जितने उपकरण बनाकर सप्लाई किये उनके आधार पर, शार्ट लिस्ट में एम०ए०एन० का नाम भी शामिल कर लिया गया। इस निर्णय पर के०एफ०डब्ल्यू० ने सहमति दे दी थी।

(ख) और (ग) स्प्रेडरों की सप्लाई के लिये एम०ए०एन० को स्थापित क्रियाविधि के अनुसार, संविदा मूल्य की केवल 10% राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) आशय पत्र में, संविदा के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए एक खण्ड शामिल कर दिया गया है। नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी या जवाबदेही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं की व्यवस्था के लिये निवेश

8349. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (1985-87) के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त धनराशि न होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में (एक) अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार शाखा डाकघरों को खोलने; (दो) ई०डी०बी०ओ०/ई०डी०एम०ओ०/डी०एम०ओ० का दर्जा बढ़ाने (तीन) डाक प्रबंधों

में सुधार (चार) विभागीय और रिहायशी भवनों के निर्माण और (पांच) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की परिलब्धियों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस धनराशि की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में निवेश में कमी किये जाने के क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पदों के सृजन पर पाबन्दी होने के कारण वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का कोई भी नियमित कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। तथापि, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं मुहैया कराने पर किया गया व्यय अपर्याप्त था। 31-12-1986 को विभाग ग्रामीण सेक्टर में 1,28,370 डाकघर चला रहा था जिस विभाग के कार्यकारी व्यय का प्रमुख हिस्सा खर्च हुआ।

(ख) डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना एक योजना कार्यक्रम नहीं है, अत: इस कार्यकलाप पर किया गया निवेश योजना के अधीन किया गया व्यय नहीं माना जाता। इसी तरह, ग्रामीण डाक प्रबंध में सुधार सामान्य प्रचालन का एक अंग माना जाता है। जहां-कहीं भी पैदल मार्ग को मोटरमार्ग द्वारा बदल कर डाक में गति लाई जा सकती है, इसे सेवा स्तर में लगातार सुधार के बतौर किया जा रहा है। जहां तक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की परिलब्धियों का प्रश्न है, संपूर्ण व्यय को प्लान व्यय के अंतर्गत नहीं दर्शाया जाता। एक विशेष पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गये डाकघरों से संबद्ध कर्मचारियों की परिलब्धियों को ही प्लान व्यय के बतौर माना जाता है जबकि पूर्व की योजनाओं में खोले गये डाकघरों पर व्यय को गैर-योजना व्यय के बतौर माना जाता है। इन टिप्पणियों के लागू होते हुए, वांछित जानकारी निम्नलिखित है :—

(रु० करोड़ों में)

	1985-86	1986-87
(i) शाखा डाकघरों का खोला जाना (प्लान)	0.C2	1.30
(ii) विभागीय और आवासीय भवनों का निर्माण (प्लान)	31.86	29 49
(iii) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की परिलब्धियां (प्लान और नान-प्लान दोनों)	74.29	78.06

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं में सुधार से संबंधित व्यय को एकत्र किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के खोलने पर व्यय में 36.?3% की कमी हुई है परन्तु डाक भवन और स्टाफ आवास के निर्माण पर व्यय में 99.64% वृद्धि हुई है। यह तुलना अस्थाई है क्योंकि 1986-87 के लिए व्यय संशोधित प्राक्कलन पर आधारित हैं न कि वास्तविक पर। शेष तीन मदों के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक सेवाओं पर कुल 149 करोड़ रु० का खर्च हुआ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा 295 करोड़ रु० की कुल व्यवस्था की गई है जिसमें से 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए संचयी आबंटन 120 करोड़ रु० का है। यदि आखिरी दो वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा शेष 175 करोड़ रु० में से आधा भी सुलभ करा दिया जाता है तो सातवीं योजना के दौरान समूचा खर्च छठी योजना से कहीं अधिक होने की संभावना है। अतः इस समय दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में तुलना करना उचित नहीं होगा।

शिमला में हिमाचल प्रदेश के डाक और दूरसंचार सर्किलों के मुख्यालयों के लिए भवन उपलब्ध कराना

8350. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के डाक और दूरसंचार सर्किलों के मुख्यालयों के लिए भवनों अथवा भूमि की व्यवस्था के लिए डाक और दूरसंचार विभागों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार की और कितनी धनराशि की सहायता दी गई है तथा शिमला में उक्त कार्यालय कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भवनों/भूमि आदि की व्यवस्था के लिए स्वयं तथा अपने व्यय पर प्रयास करना शुरू किया है और कार्यालयों के शिमला में स्थानान्तरण की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क और (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार शिमला में ऐसा समुचित निर्मित आवास उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पाई है जहां हिमाचल प्रदेश सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय स्थापित हो सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने स्टाफ क्वार्टरों या हिमाचल प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के लिए भवन के निर्माण के लिए शिमला में भूमि भी उपलब्ध नहीं कराई है।

महाप्रबंधक, दूरसंचार, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के लिये भवन निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार समुचित प्लाट प्राप्त करने में मदद कर रही है। शिमला में उपयुक्त स्थान सुलभ होने पर ही महाप्रबंधक दूरसंचार के कार्यालय को स्थानांतरित करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) भूमि प्राप्त करने के डाक विभाग के प्रयास अभी इसलिए सफल नहीं हो सके हैं क्योंकि शिमला में पहले ही काफी भीड़भाड़ है। इसके विकल्प की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। तथा शिमला में पोस्टमास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश सर्किल कार्यालय के लिए किराये का आवास लेने का प्रयास किया जा रहा है।

बिहार में डाक और दूरसंचार सुविधाएं

8351. श्री राम भगत पासवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अस्थाई डाक वितरण केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे

हैं तथा गांव के लोगों को मनीआर्डर और पत्र समय से नहीं मिलते;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय डाकघरों की स्थिति सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में कितने अस्थायी डाक वितरण केन्द्र हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) डाक : बिहार सर्किल के ग्रामीण क्षेत्रों में 1987-88 के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किए गए सर्वेक्षण के बाद ग्रामों के 55 समूहों का पता लगाया गया है। वैसे पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को ध्यान में रखते हुए खोले जा सकने वाले डाकघरों की वास्तविक संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में किस सीमा तक मंजूरी दें।

दूरसंचार :

जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में 1140 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने की योजना है बशर्ते कि सामग्री और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाएं। इसके अलावा सातवीं योजना में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4000 लाइनें (एम०ए०एक्स० 111 किस्म) जोड़ने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए उपस्कर और अपेक्षित मांग उपलब्ध हों।

(ख) विभाग में डाक वितरण केन्द्र के रूप में किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सामान्य प्रक्रिया यह है कि विभाग के आर०एम०एस० विंग के डाक कार्यालय और पारगमन सैक्शन हैं जो राज्य में विभिन्न केन्द्रों में स्थित हैं या विभिन्न रेल मार्गों पर चलाये गये हैं जहां से प्रधान और उप-डाकघरों के लिए डाक थैलों का अन्तरण किया जाता है। ये प्रधान और उप-डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा डाकघरों के लिए बन्द थैले तैयार करते हैं और हरकारे/अतिरिक्त विभागीय डाक वाहकों या बस द्वारा इन्हें भेज देते हैं, यद्यपि बस सेवाओं के अनियमित रूप से चलने या अन्य कारणों के फलस्वरूप ग्रामीण डाक को भेजने में विलम्ब होता है। फिर भी, एक सामान्य दृष्टि से यह सही नहीं है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र की डाक वितरण प्रणाली उचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है।

(ग) सभी डाक-घरों और डाक कार्यालयों के कार्यकरण का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है और साथ ही अधीक्षक और निरीक्षकों जैसे सुपरवाइजरी अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है इसके अलावा बिहार सहित सभी सर्किलों में ग्रामीण सेवाओं के कार्य की जांच करने के लिए विशेष दस्ते बनाए गये हैं जो सुधार लाने के लिए नियमित सुपरवाइजरी अधिकारियों को किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करेंगे। वास्तव में यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

(घ) बिहार में स्थापित रेल डाक सेवा में निम्नलिखित यूनिटें शामिल हैं :–

(i) छंटाई डाक कार्यालय—37 (जिला छंटाई कार्यालय सहित)

(ii) पैकेट छंटाई कार्यालय—2 (पटना/गोमाहे)

(iii) जी०पी०ओ० छंटाई – 1

(iv) प्रमुख पार्सल सेकेन्द्रण केन्द्र—5 (आरा कटिहार, क्यूल, धनबाद, गया)

(v) पारगमन सैक्शन—69

(vi) पारगमन डाक कार्यालय—11

(vii) एयरपोर्ट छंटाई कार्यालय—2 (पटना/रांची)

(viii) यात्रावैन, पीयन, सैक्शन —9

(ix) पारगमन डाक पीयन
सेवा—12

जहां तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डाक परिचालन का संबंध है। उपर्युक्त यूनिट (i) (v), (vi) और (ix) का अन्य यूनिटों से अधिक महत्व है। इनमें से कितनी यूनिटें अस्थाई हैं इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी तट-दूर तेल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ना

8352. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट-दूर तेल क्षेत्रों को पाइप लाइन द्वारा एक दूसरे से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उरान में स्थित वर्तमान टर्मिनल के अतिरिक्त तट-दूर तेल को तट पर लाने के लिए एक और टर्मिनल बनाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) फिलहाल, सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना नहीं है।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग को राजस्व की हानि

8354. **श्री रेणुपद दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता टेलीफोन को वर्ष 1980-81 और 1984-85 के बीच राजस्व की हानि होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ख) कुल कितनी धनराशि की हानि हुई; और

(ग) उक्त अवधि में कितने प्रतिशत नये कनेक्शन दिए गये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1980-81 और 1984-85 के बीच वास्तव में राजस्व, में कोई हानि नहीं हुई। अपितु, इस अवधि के दौरान प्रति लाइन राजस्व में वृद्धि हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उक्त अवधि में दिए गए नये टेलीफोन कनेक्शनों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण				
वर्ष	सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या (औसत)	प्रदान किए गए नए कनेक्शनों की संख्या	राजस्व (करोड़ों में) रुपए	प्रति सीधी एक्सचेंज लाइन राजस्व
1980-81	170176	6427	रु० 48.3	रु० 2217
1981-82	177150	6105	रु० 52.5	रु० 2563
1982-83	182144	3884	रु० 59.0	रु० 3159
1983-84	186180	4192	रु० 62.2	रु० 3250
1984-85	192030	7609	रु० 68.4	रु० 2612

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा ग्राम स्थापित करना

8355. **श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) ऊर्जा ग्राम योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य से ऊर्जा ग्राम के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में एक ऊर्जा ग्राम स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव काफी लम्बे समय से सरकार के पास लम्बित पड़ा है जबकि इस सम्बन्ध में सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ग्राम स्तर पर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संयोजन पर आधारित एक एकीकृत ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसे "ऊर्जाग्राम" कहते हैं जिसका उद्देश्य ग्रामों में ऊर्जा आत्मसम्पन्नता प्राप्त करना है। अब तक 37 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और देश के विभिन्न भागों में 46 अन्य कार्यान्वयन की विभिन्न भागों में अवस्थाओं में है। लगभग 200 गांवों में ऊर्जा सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं तथा 300 और गांव सर्वेक्षण अनुमोदित किए जा चुके हैं। इन सर्वेक्षणों के आधार पर और परियोजनाओं को बनाने का विचार है।

(ख) और (ग) ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश से अब तक 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी मंजूर किए जा चुके हैं। वास्तव में, 19 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं जबकि 7 अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) जी, नहीं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन

क्षेत्र के सिंगराहा गांव के लिए ऊर्जा ग्राम परियोजना पहले ही मंजूर कर ली है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा जिलों के गांवों का विद्युतीकरण

8356. श्री रामभगत पासवान : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) बिहार में समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ग) वर्ष 1983 के पश्चात् जारी किये गये मंजूरी आदेशों के बावजूद अभी कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में 6335 गांव विद्युतीकृत किए गये हैं। इन्हीं वर्षों के दौरान 31-1-1987 तक समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्रमश: 182 और 168 है।

(ग) 1-4-1983 से लेकर ग्राम विद्युतीकरण निगम ने समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में वित्तीय सहायता हेतु 23 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। सभी स्कीमें प्रचालन में हैं।

दिल्ली से अन्य नगरों के लिए सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सेवा

8357. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1987 की स्थिति के अनुसार दिल्ली से किन-किन नगरों के लिए सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सेवा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार किन-किन स्थानों से दिल्ली के लिए "डिमांड सेवा" शुरू की गई है;

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान किन-किन स्थानों को दिल्ली के साथ सीधी ट्रंक डायल टेलीफोन सेवा से जोड़ा जाएगा;

(घ) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान दिल्ली के साथ "डिमांड सेवा" से किन-किन नगरों को जोड़ा जाएगा;

(ङ) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान गंगटोक और दिल्ली के बीच डिमांड सेवा शुरू करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार जिन शहरों को दिल्ली के साथ जोड़ा जा चुका था उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार जिन शहरों को दिल्ली के "डिमांड सेवा" के साथ जोड़ा गया था उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

(ग) 1987-88 और 1988-89 के दौरान जिन नगरों को दिल्ली के साथ एस०टी०डी० सुविधा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है उनके नाम संलग्न विवरण-III में दिए गये हैं;

(घ) 1987-88 और 1988-89 के दौरान जिन नगरों को दिल्ली के साथ डिमांड सेवा के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है उनके नाम संलग्न विवरण-IV में दिए गये हैं।

(ङ) जी हां।

(च) गंगतोक से दिल्ली के लिए डिमांड सेवा जून, 1987 तक चालू किए जाने की संभावना है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

31-3-87 तक एस०टी०डी० द्वारा दिल्ली से जुड़े हुए स्थानों के नाम

1. अबोहर
2. एदिलाबाद
3. अडोनी
4. आदूर
5. अगरतला
6. आगरा
7. अहमदाबाद
8. एजल
9. अजमेर
10. अलीगढ़
11. इलाहाबाद
12. अल्लेपी
13. अलवर
14. अलवाये
15. अम्बाला
16. अमरावती
17. अमृतसर
18. अनकापल्ली
19. अनन्तपुर
20. अन्देल
21. अंगामल्ली
22. आरा
23. आसनसोल
24. अत्तिंगल
25. आतूर
26. औरंगाबाद
27. अलगप्पानगर
28. आम्बूर
29. अरिकोनम
30. अमरेली
31. अकोला
32. बागलकोट
33. बाहुला
34. बेंगलूर
35. बाराकेर
36. बरेली
37. बड़ौदा
38. ब्यावर

39. बेलगाम
40. बेल्लारी
41. भदरावती
42. भरतपुर
43. भटिण्डा
44. भावनगर
45. भवानी
46. भीमावरम
47. भिवानी
48. भोपाल
49. भुवनेश्वर
50. बिलासपुर
51. बम्बई
52. बुलन्दशहर
53. बुलसार
54. बर्दवान
55. बुरहानपुर
56. बर्नपुर
57. बडागरा
58. बालीपटनम
59. बिदार
60. कलकत्ता
61. कन्नानोर
62. चंडीगढ़
63. चालकुडी
64. चेंगान्नूर
65. छपरा
66. चिदम्बरम
67. चिगावनम
68. चिगलपेट
69. चित्रदुर्ग
70. चौघाट/गुरुवयूर
71. कोयम्बतूर
72. कूचबिहार
73. कुडापेह
74. कटक
75. चन्द्रपुर
76. चिलाकुलुरपेंट
77. डालमियानगर
78. दार्जिलिंग
79. दाबनगीरि
80. देहरादून
81. दरभंगा
82. धनबाद
83. धरमपुरी
84. डिबरुगढ़
85. दीमापुर
86. डिंडीगुल
87. दिसपुर
88. दुर्ग
89. दुर्गापुर
90. धुवरी
91. धारवाड़
92. एर्नाकुलम
93. इरोद
94. एटा
95. फिरोजपुर
96. फैजाबाद
97. मदाग
98. गांधीनगर

99. गांतोक
100. गुवाहाटी
101. गोरखपुर
102. गुदिवाड़ा
103. गुडूर
104. गुलबर्गा
105. गुंटकल
106. गुंटूर
107. गुड़गांव
108. ग्वालियर
109. गोविचेट्टीपालयम
110. हल्दिया
111. हापुड़
112. हरीहर
113. हासन
114. हिसार
115. होसूर
116. हुबली
117. हैदराबाद
118. हानुमकोंडा
119. इदुकी
120. इंदौर
121. इरिंजालकुडा
122. इटानगर
123. जबलपुर
124. जयपुर
125. जालंधर
126. जम्मू
127. जामनगर
128. जमशेदपुर
129. जमूरिया
130. जोधपुर
131. जोबई
132. काकीनाडा
133. कलीमपोंग
134. कल्याण
135. कांचीपुरम
136. करायकुडी
137. कानपुर
138. करीमनगर
139. करनाल
140. कनवार
141. खन्नम
142. खहाडवा
143. खुजीतुराल
144. कोडिकनाल
145. कोहिमा
146. खड़गपुर
147. कोल्हापुर
148. कोसीकला
149. कोटा
150. कटिहार
151. कोट्टायम
152. कोबेईयट्टी
153. कोजीकोड
154. कोट्टारकारा
155. कुण्डारा
156. कुन्नमकुलम
157. कुम्बकोनम
158. कलपेट्टा

159. कलपक्कम
160. करनूल
161. कोठामंगलम
162. लामफेलपेट
163. लखनऊ
164. लुधियाना
165. लिंगमपल्ली
166. मछलीपट्टनम
167. मद्रास
168. मदुरई
169. मेहबूबनगर
170. मालदा
171. मालापुरम
172. मंगलौर
173. मनजेरी
174. मन्नारगुडी
175. मावेलीकारा
176. मयूरम
177. मेहसाना
178. मेरकारा
179. मेरठ
180. मेतूपालयम
181. मोदीनगर
182. मोतीहारी
183. मुरादाबाद
184. मसूरी
185. मुजफ्फरनगर
186. मुजफ्फरपुर
187. मैसूर
188. मथुरा
189. महाबलीपुरम
190. मोरबी
191. मुबट्टपुझा
192. नदियाद
193. नागपट्टनम
194. नागरकोइल
195. नागपुर
196. नलगोंडा
197. नारक्कल
198. नंदियाल
199. नामक्कल
200. नासिक
201. नेल्लोर
202. नेयातिंकारा
203. नेयामतपुर
204. नेवेली
205. ओंगोल
206. ऊटी
207. पलाई
208. पालकेले
209. पालघाट
210. पानीपत
211. पंजिम
212. परमाकुडी
213. पाटनचेरु
214. पटियाला
215. पटना
216. पीलीभीत
217. पुलाची
218. पांडिचेरी

219. प्रोद्दातूर
220. पुडुकेट्टई
221. पुणे
222. पुत्तूर
223. पल्लाडम
224. पोरबंदर
225. पोरंकी
226. पेरमबबूर
227. कीलोन
228. रायबरेली
229. रायचूर
230. रायपुर
231. राजामुंदरी
232. राजापालयम
233. राजकोट
234. राजपुरा
235. रामपुर
236. रांची
237. रानीपेट
238. रानीगुंज
239. रासीपुरम
240. रिवाड़ी
241. रोहतक
242. रूपनारायणपुर
243. राउरकेला
244. रानीवेन्नूर
245. सहारनपुर
246. सलेम
247. समस्तीपुर
248. सागर
249. संगरूर
250. सासाराम
251. सांगली
252. सत्तूर
253. संगारेड्डी
254. शाहजहांपुर
255. शिलांग
256. मोगा
257. सिलीगुड़ी
258. शिमला
259. सिरसा
260. सीतापुर
261. सोनीपत
262. श्रीकाकूलम
263. श्रीनगर
264. सूरत
265. सावरकुण्डला
266. शोलापुर
267. शेरतलाई
268. तेनाली
269. थंडुपालीकुडम
270. थेनी
271. थिरुमंगलम
272. तिरुनेलवेली
273. तिरुन्चगोडी
274. त्रिची
275. तिरुपति
276. तिरुपुर
277. तिरुवेल्ला
278. तिरुवारूर

279. त्रिचूर
280. त्रिवेन्द्रम
281. तमकुर
282. तूतीकोरिन
283. तिरुवल्लूर
284. तुरमे
285. तूरा
286. थोडुपुझा
287. तनाकु
288. उदयपुर
289. उडिपी
290. उदुमलपेट
291. उज्जैन
292. उन्नाव
293. ऊधमपुर
294. वाराणसी
295. काशी
296. बेल्लूर
297. विजयवाड़ा
298. बिल्लूपुरम
299. विरुधुनगर
300. विशाखापटनम
301. विजयनगरम
302. वारंगल
303. वर्धा
304. यमुनानगर
305. यवतमाल

विवरण-II

31-3-1987 की स्थिति के अनुसार जिन स्थानों को दिल्ली के साथ डिमांड सेवा द्वारा जोड़ा गया था उनके नाम

1. बम्बई
2. कलकत्ता
3. मद्रास
4. अगरतला
5. इम्फाल
6. जयपुर
7. जोधपुर
8. देहरादून
9. मोदीनगर
10. मुरादाबाद
11. चण्डीगढ़
12. बंगलूर
13. त्रिवेन्द्रम
14. लखनऊ
15. अहमदाबाद
16. मेरठ
17. हैदराबाद
18. अमृतसर
19. कानपुर
20. आगरा
21. ग्वालियर
22. लुधियाना
23. गुड़गांव
24. हिसार
25. रोहतक
26. मुजफ्फरनगर

27. सहारनपुर
28. अम्बाला
29. जगाधरी
30. भटिंडा
31. पटियाला
32. इलाहाबाद
33. वाराणसी
34. पटना
35. भुवनेश्वर
36. जालंधर
37. श्रीनगर
38. गुवाहाटी
39. शिलांग
40. नागपुर
41. इन्दौर
42. रायबरेली
43. फरीदाबाद
44. शिमला

विवरण-III

1987-88 और 1988-89 के दौरान दिल्ली के साथ जिन स्थानों को एस०टी०डी० सुविधा द्वारा जोड़ा जाना है उनके नाम

1987-88 के दौरान

1. अलीपुरद्वार
2. गोगईगांव
3. भागलपुर
4. गांगरपेट
5. बेहरामपुर
6. बालासोर
7. बीकानेर
8. बूंदी
9. बागडोगरा
10. भुसावल
11. बोलेपुर
12. कंगनोर
13. चिलसुरा
14. चेरपुर
15. चंकनचेरी
16. चित्तुर
17. धार
18. धुलिया
19. डाल्टेनगंज
20. धरगोधरा
21. हाफ्लौंग
22. होशियारपुर
23. हजारीबाग
24. इम्फाल
25. जोरहाट
26. जलना
27. जलगांव
28. जावरा
29. कपूरथला
30. कोवारत्ती
31. कोलार
32. कालाडीह
33. कृष्णनगर
34. कबोल

35. कारूर
36. कांगयम
37. लुंगलेह्
38. मुरैना
39. मिदनापुर
40. मरगोवा
41. मंदसौर
42. महुआ
43. नाहरलागांव
44. नामजनगुड
45. नागौर
46 लेलीकुप्पम
47. नैनीताल
48. उल्लूर
49. प्रदीप
50. फगवारा
51. पुरी
52. पेनमबूर
53. प्रतापगढ़
54. रऊलापलम
55. रायगढ़
56. रेवा
57. रेनीगुंटा
58. सेंथिया
59. शिवसागर
60. सम्भलपुर
61. श्री बिल्लुकुपुर
62. श्रीरामपुर
63. सांवलकोट
64. सुरेन्द्रनगर
65. सूरी
66. सिरसी
67. शतारा
68. तुनो
69. तिनसुकिया
70. तालोर
71. त्रिवेनी
72. बलपराई
73. पासको
74. विशनगर
75. व्हाइट फिल्ड
76. बिराबल
77. पोरबीसगंज
78. गांधीधाम

1988-89 के दौरान

1. भदरग
2. बालीपाड़ा
3. बरसी
4. भादोही
5. बटलिया
6. बिलासपुर
7. भींड
8. छतरपुर
9. धेनकनाल
10. धर्मशाला
11. दतिया
12. एटावा

13. गोंडा
14. गुरुदासपुर
15. हाजीपुर
16. हमीरपुर
17. होसंगाबाद
18. जगदलपुर
19. कोलनचेरी
20. काराड
21. लाटुर
22. मण्डीया
23. मधुबनी
24. नाहन
25. मिलेश्वर
26. ओरई
27. ओसमानाबाद
28. फलवनी
29. पुणिया
30. रत्नगिरी
31. सुल्तानपुर
32. श्री गंगानगर
33. सेहोरे
34. विदिसा

विवरण-IV

1987-88 और 1988-89 के दौरान जिन स्थानों को दिल्ली के साथ डिमांड सेवा द्वारा जोड़ा जाना है उनके नाम

1987-88 के दौरान

1. अलीगढ़
2. जम्मू तवी
3. गंगलोट

1988-89

1. बीकानेर
2. बड़ोदा
3. करनाल
4. जबलपुर
5. हापुड़
6. मंसूरी
7. मथुरा
8. पठानकोट
9. पुणे
10. पानीपत
11. रांची
12. सोनीपत
13. उदयपुर
14. इटानगर
15. एजवाल
16. कोहिमा
17. पोर्टब्लेयर
18. शिलबासा
19. पंजोम
20. हजाराठी
21. भोपाल

करनाल तेल शोधक कारखाना

8358. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करनाल में तेल शोधक कारखाना खोलने के लिए गैर-सरकारी उपक्रम का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ?

(ग) इस परियोजना के वित्तपोषण से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) करनाल रिफाइनरी की स्थापना के लिए मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड को निजी क्षेत्र के सह-प्रवर्तक के रूप में चुना गया है।

(ग) मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन और मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड दोनों इक्विटी का 26-26 प्रतिशत भाग रखेंगे। आवश्यकता की शेष राशि को जनता से एकत्र किया जाएगा।

सुपर बिजलीघरों से सरकारी उपक्रमों के लिए बिजली की सप्लाई

8359. श्री कमल चौधरी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा स्थापित सुपर बिजली घरों से बिजली मिल रही थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को उनकी आवश्यकतानुसार बिजली की सप्लाई की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार को कम बिजली सप्लाई किए जाने की सूचना दी है और इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या सरकार का उत्पादन की हानि से बचाने के लिए बिजली की सप्लाई में सरकारी उपक्रमों के हिस्से में वृद्धि करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की विद्युत की मांग को पूरा करने का दायित्व मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों/संगठनों का है। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई समय-समय पर विद्युत की कुल उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य बिजली बोर्डों/संगठनों द्वारा विनियमित की जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से केन्द्र सरकार के उपक्रमों को विद्युत की सप्लाई के लिए अभी तक कोई निश्चित हिस्सा निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, केंद्रीय सरकार के केंद्रों से विद्युत के आबंटन हेतु विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मामले पर विचार किया जा रहा है।

दोपहिया वाहनों का निर्माण

8?60. श्री कमल चौधरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं, जो देश में दोपहिया वाहनों के निर्माण के क्षेत्र से सम्बद्ध है और वे कब से सम्बद्ध हैं;

(ख) क्या वर्ष 1980 में दोपहिया वाहनों के निर्माण के लिए ये लाइसेंस जारी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या नये यूनिटों के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) दुपहिया गाड़ियां बनाने और ईंधन की बचत करने वाले वाहनों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का अभ्युत्थान करने की दृष्टि से विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है।

(घ) अधिकांश उत्पादकों के लिए विशिष्ट प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम (प्रा०उ०का०) अनुमोदित कर दिये गये हैं और प्रा०उ० कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उसकी प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईंधन बचाने वाले वाहनों को राजकोषीय राहतें देने के लिए उनकी ईंधन क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1980 के बाद विदेशी सहयोग से उत्पादन कार्य दुपहिया गाड़ियां बनाने वाली कम्पनियों के नाम निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	विदेशी सहयोग के अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4
1.	मे० एनफील्ड इण्डिया लि०	मे० जुन्डप, प० जर्मनी	28-7-1982
2.	मे० लोहिया मशीन्स लि०	मे० पिआजिओ, इटली	2-6-1982
3.	मे० आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०	—वही—	16-10-1982
4.	मे० वेस्पा कार कं० लि०	—वही—	6-7-1984
5.	मे० चामुण्डी मोपेड्स लि०	मे० प्युजिओट फ्रांस	11-1-1982
6.	मे० हीरो होण्डा मोटर लि०	मे० होण्डा मोटर्स जापान	4-4-1983
7.	मे० काइनेटिक होण्डा लि०	मे० होण्डा मोटर्स जापान	4-5-1983
8.	मे० एस्कार्ट्स लि०	मे० यमाहा मोटर्स जापान	6-4-1983

1	2	3	4
9.	मे० आडियल जावा लि०	मे० पोलिटेक्ना प्राहा चेकोस्लोवाकिया	3-12-1983
10.	मे० बजाज आटो लि०	मे० कावासाकी हेवी इण्ड० लि० जापान	29-6-1984
11.	मे० केलविनेटर आफ इण्डिया लि०	मे० अग्रती गरेली इटली	13-7-1982
12.	मैजेस्टिक आटो लि०	मे० पी०यू०सी०के० आस्ट्रिया	21-3-1986
13.	मे० टी०वी०एस० सुजूकी लि०	मे० सुजूकी मोटर्स जापान	3-2-1 83
14.	मे० बुक ब्रांड इण्डिया लि०	मे० बी०एस०ए० लि० यू०के०	28-1-1981

उपभोक्ता संरक्षण में लागत-लेखाकारों की भूमिका

8361. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण में लागत लेखाकारों की भूमिका के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) हां, श्रीमान जी। 1985 के प्रारंभ में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। इस ज्ञापन में सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 में किसी प्रकार के उपबन्धों के विनिगमन के लिए सांविधिक लागत लेखांकन उपबंधों के अन्तर्गत अधिक उद्योगों को सम्मिलित करने के लिए सांविधिक लागत लेखा परीक्षा उपबंधों के अंतर्गत सम्मिलित उत्पादनों के विषय में नियमित लागत लेखा परीक्षा सम्पन्न कराने के उद्देश्य के लिए कम्पनी कार्य विभाग और औद्योगिक विकास विभाग के साथ वार्तालाप करने के लिए पहल करें। आयोग ने सुझावों को स्वीकार किया और प्रस्ताव ज्ञापन भेज दिया।

इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया के नाम में परिवर्तन

8362. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया के नाम में परिवर्तन करने और तदनुसार संस्थान के व्यवसायियों का पदनाम बदलकर कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटट्स के स्थान पर कास्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स करने की मांग के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों में की गई मांग की विषय-वस्तु क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह मांग मानने से इंकार कर दिया है; और यदि हां, तो मांग अस्वीकार

किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मांग पर पुनर्विचार करेगी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इन अभ्यावेदनों में की गई मांगों के समर्थन में विषय-वस्तु अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :—

(i) "कास्ट एकाउंटेंट्स" का नाम वर्तमान संदर्भ में सीमित प्रासंगिकता रखता है क्योंकि लागत लेखा विधि विभिन्न क्षेत्रों में प्रबन्ध के लिए केवल सहायक हैं;

(ii) इन दिनों में लागत लेखापाल फैक्ट्री और उत्पादन स्तर से परे है तथा प्रबन्ध के रूपांकन और नियंत्रण आदि से सम्बन्धित है।

(iii) इन दिनों लागत लेखाशास्त्र प्रबन्ध लेखाशास्त्र का समानार्थ है।

(iv) कुछ अन्य राष्ट्रों में भी उन्होंने इसी प्रकार के इंस्टिट्यूटों को इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटेंट्स आदि नाम दिया है।

(ग) यह प्रस्ताव मानने से इंकार कर दिया गया था, क्योंकि इंस्टिट्यूट के नाम में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया।

(घ) इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट्स से पत्र प्राप्त होने पर इस मामले का पुनः परीक्षण किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन

8363. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और 1986-87 में एच०एम०टी० लिमिटेड का कार्य निष्पादन कैसा रहा;

(ग) सरकार ने एच०एम०टी० लिमिटेड के कार्यनिष्पादन के सुधार के लिए क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां। सरकार ने एच०एम०टी० के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की है।

(ख) (मूल्य करोड़ रुपये में)

		1985-86	1986-87
1.	उत्पादन	383.48	434.78
2.	बिक्री	374.45	444.91
3.	लाभ	7.62	5.02 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) एच०एम०टी० के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा दिये गये सुझाव संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं :—

(1) आन्तरिक संसाधनों के जनित्रण में वृद्धि करना।

(2) हैदराबाद क्षेत्र में एच०एम०टी० की यूनिटों के कार्यकरण में सुधार। फालतू जनशक्ति की समस्या पर काबू पाने के लिए स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करने की योजना तैयार करने की जरूरत।

(3) उत्पादन में वृद्धि तथा लाभदेयता की रुकावटों का पता लगाने के लिए यूनिटों में कम्पनी के निदेशकों द्वारा दौरा करना।

(4) वस्तु-सूची स्तर में कमी करना।

(5) प्रबन्ध में प्रभावशाली सुधार करना।

(6) अच्छी उत्पादिता का सुनिश्चय करने के लिए कार्यबल को तैयार करके समस्त एककों में मूल्य प्रबन्ध को प्रारम्भ करना।

(7) मांग के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन के साथ परम्परागत किस्म के मौजूदा उपकरणों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ठोस प्रयास करते समय उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विविधीकरण करना।

पश्चिमी अफ्रीका में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड का कार्य बन्द करने का प्रस्ताव

8364. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने पश्चिमी अफ्रीका में अपना निर्माण कार्य बन्द कर दिया है अथवा बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने पश्चिमी अफ्रीका में अपना कार्य किस वर्ष शुरू किया था; और

(घ) शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (घ) चूंकि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड ने पश्चिमी अफ्रीका में कभी कोई निर्माण कार्य नहीं किया था। इसलिए निर्माण कार्य बन्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उत्पादों की संभाल के लिए मूलभूत सुविधा और प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास

8365. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों की फसल की कटाई के पश्चात् उनकी संभाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्नों की पैदावार में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत (मूल्य सहित) नुकसान हो जाता है और इन

सुविधाओं की कमी के कारण वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान हुए नुकसान की तुलना में वर्ष 1986 में लगभग कितना नुकसान हुआ; और

(ख) सरकार ने कृषि उत्पादन में हो रही वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादों की फसल कटाई के पश्चात् उनकी संभाल सम्बन्धी मूलभूत सुविधा तथा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं और इस सम्बन्ध में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कटाई-उपरान्त हैंडलिंग सुविधाओं की कमी के कारण खाद्यान्नों की हानि का जायजा लेने के लिए कोई व्यवस्थित/व्यापक अध्ययन नहीं किए गए हैं। तथापि, भारत सरकार की कटाई-उपरान्त हानियों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने 1966 में अनुमान लगाया था कि कटाई-उपरान्त परिचालनों और भंडारण के दौरान लगभग 9 प्रतिशत खाद्यान्नों को हानि पहुंची थी।

(ख) भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़ और उसके देश में पांच फील्ड स्टेशनों में खाद्यान्नों की भंडारण हालत में सुधार करने के लिए अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसके अलावा, फार्म-स्तर पर खाद्यान्नों का बेहतर परिरक्षण करने के लिए राज्यों को नेतृत्व प्रदान करने और उन्नत भंडारण पद्धतियों का प्रसार करने के लिए उत्प्रेरक भूमिका निभाने हेतु 17 क्षेत्रीय केन्द्रीय अनाज सुरक्षा दल नियुक्त किए गए हैं। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य ये हैं: चुनिन्दा जिलों में प्रशिक्षण देना, निदर्शन और प्रचार करना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अधिकांशत: इंजीनियरिंग के पहलुओं पर कटाई-उपरान्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान करती है।

इन संगठनों की मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खाद्यान्न पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलाजी में अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण में हुई प्रगति

1. **भारतीय अनाज संचयन संस्थान की उपलब्धियां**

(1) भारतीय अनाज संचयन संस्थान द्वारा धात्विक बिनों के विकसित 40 डिजाइनों में से 29 डिजाइनों को अपनाने के लिए सिफारिश की गई थी। इस समय देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए 7 डिजाइनों को अपनाया गया है।

(2) गैर-धात्विक भण्डारण ढांचों के 29 डिजाइन विकसित किए गए, इनमें से 9 डिजाइनों को बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाने के लिए सिफारिश की गई है। पक्का कोठी, रिंग बिन और पुरी के डिजाइन किसानों में अत्यधिक लोकप्रिय हुए।

(3) कीट नियंत्रण के लिए ई० डी० बी० प्लस के नाम से विख्यात प्रधूमक मिश्रण का विकास किया गया है।

(4) इनके अलावा अल्यूमीनियम फोस्फाइड, इथीलेन, डिब्रोमाइड, मलाथियन, डी०डी०वी०पी० जैसी कीटनाशक दवाइयों का मूल्यांकन किया गया और भारतीय परिस्थितियों के अधीन उनकी खुराक का मानकीकरण किया गया। इन्हें भारतीय खाद्य निगम, सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन/राज्य भण्डागार निगमों और अन्य अनाज सम्भालने वाली एजेंसियों ने अपना लिया है।

(5) मूषकनाशक दवाइयों के 42 मिश्रणों का परीक्षण किया गया और उनकी खुराक निर्धारित की गई है। उनमें कुछेक जैसे वारफ़ेन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

(6) विभिन्न गैस प्रूफ सामग्रियों के बारे में संस्थान द्वारा व्याप्त परीक्षण किए गए जिनके परिणामस्वरूप भारत में कैप (कवर और प्लिथ) स्टोरेज का विकास हुआ।

(7) खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण करने के लिए कई व्यवहार संहिताएं तैयार की गई हैं।

2. अन्न सुरक्षा अभियान दलों द्वारा 1984-85 से 1986-87 के दौरान किये गये कार्य

	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	
		1984-85	1988-86
क. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम			
1. वृत्तिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (व्यक्तियों की संख्या)	4650	4893	4650
2. ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए गैर-वृत्तिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों की संख्या)	186	212	245
3. स्वयंसेवकों के लिए गैर-वृत्तिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रमों की संख्या)	1116	1336	1374
ख. प्रदर्शन कार्यक्रम			
1. खाद्यान्नों को प्रधूमन (प्रधूमनों की संख्या)	37,200	56,500	49,133
2. मूषक नियन्त्रण के लिए चूहों के बिलों में प्रधूमन	11,16,000	30,11,025	12,08,646
3. कितने घरों में मूषक नियंत्रण उपचार किया गया	74,400	1,16,909	1,25,813
4. रोग निरोधीक उपचार (परिसरों की संख्या)	74,400	94,829	89,374

ग. 1986-87 के दौरान उपलब्धियां

	लक्ष्य	उपलब्धियां (मार्च, 87 तक)
1. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या	1395	2257
2. कितने गांवों में प्रदर्शन कार्यक्रम किए गए	800	1025

3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियां

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम (18 केन्द्र) सोयाबीन के विधायन और उसके उपयोग के बारे में भारत-अमरीका उप-परियोजना (2 केन्द्र) केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, एन० ई० एच० क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान समूह, शिलांग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई खाद्यान्नों की पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलाजी की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी जाती है :—

1. उत्तर भारत में वर्षा से क्षतिग्रस्त अनाज की हानि को बहुत कम करने के लिए टेक्नोलाजी का विकास।
2. मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, अनाज मिल और पीयरलरों का विकास।
3. कम लागत के भण्डारण के ढांचों के बारे में अध्ययन और तारकोल ड्रमों, उदयपुर बिन, पी० ए० यू० एयरटाइट बिन, पी० के० वी० बिन, बेड-एवं-बिन, हापुड़ कोठी का विकास, आदि।
4. ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर, कृषि सम्बन्धी कूड़ा-करकट और भूसी का प्रयोग कर ड्रायरों का विकास।
5. कम लागत के चावल पार-बायलिंग, पर्किग मशीन, कम लागत के नमी मीटर का विकास।
6. जन्तु-पीड़क धान के लिए सौर उष्ण उपचारक का विकास।
7. दाल विधायन और सहोत्पादन उपयोग।
8. हाथ से चलाए जाने वाले मेज शैलर का विकास।

ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति

8366. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 5 लाख गांवों में से लगभग दो तिहाई गांवों में उचित दर की दुकानें नहीं हैं और इस प्रकार इन गांवों के लोग सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर दी जाने वाली भारी राज-सहायता का फायदा नहीं उठा पाते;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई आकलन किया गया है कि सस्ती दरों पर खाद्यान्नों के वितरण का लाभ वास्तव में कितने गांवों/ग्रामीणों को मिल रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को भी सस्ती दरों पर खाद्यान्नों का लाभ उसी प्रकार मिलना चाहिए जिस प्रकार शहरों में रहने वाले गरीबों को इस समय मिल रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) 31-12-1986 को देश में 3.33 लाख उचित दर की दुकानें थी, जिनमें से लगभग 78 प्रतिशत दुकानें

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। यद्यपि, सरकार का उद्देश्य प्रत्येक गांव में उचित दर की दुकान खोलने का कभी नहीं रहा। तथापि, समूचा देश उचित दर की दुकानों के तंत्र के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की पहले ही सलाह दी है कि उचित दर की दुकानें इस तरह से स्थापित की जाएं कि लाभानुभोगियों को इन दुकानों तक पहुंचने के लिए कम से कम दूरी तय करनी पड़े। नई उचित दर की दुकानें खोलने के लिए सामान्य प्रतिमान यह है कि इनके जरिए लगभग 2000 व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की जाएं। इस प्रतिमान में दूर-दराज तथा छितरी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में और छूट दी जानी चाहिए। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए बल दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी उपभोक्ता को अपनी उचित दर की दुकान तक पहुंचने के लिए 3 कि० मी० से अधिक न चलना पड़े। पहाड़ी, दूरस्थ तथा दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों के लिए मोबाइल वैनें खरीदने हेतु वित्तीय सहायता देती रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के बिल जारी करना

8367. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने राजधानी के कई भागों में कम्प्यूटरीकरण के बहाने से "मीटर रीडिंग" करना बन्द कर दिया है और उसके बजाय पिछले 4 महीनों से पिछली रीडिंग के आधार पर अन्तरिम बिल भेज रहा है;

(ख) क्या ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के प्रति कानून सम्मत और उचित है;

(ग) क्या कई मामलों में बिल भी नहीं भेजे जा रहे हैं और विलम्ब से अदायगी किये जाने के लिये अर्थ दंड की वसूली की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत की हानि

8368. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की भारी हानि के लिए उत्तरदायी कारणों की जांच की है;

(ख) क्या लम्बी दूरी की पारेषण लाइनें डालना इसके लिए उत्तरदायी कारणों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो विद्युत की हानि की गणना किस प्रकार की जाती है; और

(घ) विद्युत की हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत की हानि अनेक घटकों पर निर्भर करती है जिसमें पारेषण और वितरण लाइनों की लम्बाई भी शामिल होती है।

(ग) उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली और उत्पादित की गई बिजली के बीच अन्तर से समग्र विद्युत की हानि का पता लगाया जाता है।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे अत्यधिक हानि के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाएं और पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए स्कीमें तैयार करें, उप केन्द्रों को भार केन्द्रों के समीप प्रतिष्ठापित करें तथा उप-पारेषण और वितरण लाइनों की लम्बाई को कम करें।

ऊर्जा की चोरी को पकड़ने के लिए बिजली बोर्डों ने आकस्मिक छापे डालने के लिए सतर्कता दलों का गठन किया है। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 में संशोधन करके ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। हानियों को कम करने के लिए सरकार ने एक प्रोत्साहन स्कीम लागू करने का भी निर्णय लिया है।

लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

8369. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान लारेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन दो एक्सचेंजों से कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे; और

(ग) ये प्रस्तावित एक्सचेंज कब तक काम करना शुरू कर देंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ?

नये अनुपात मानदण्डों का पालन रेशोपेरामीटर का पालन न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

8370. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन औषध कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है जो अब तक औषधियों और फार्मूलेशनों के उत्पादन में नये अनुपात मानदण्डों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में घोषित नीति संबंधी नये उपायों के अनुसार कम्पनियों को संशोधित मानदण्डों का पालन करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता है। जब भी कोई कम्पनी एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाएगी तो नये अनुपात मानदण्डों का पालन करने के लिए उसे तीन वर्ष का समय दिया जाएगा।

बिहार में पनबिजली केन्द्र

8371. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पनबिजली केन्द्रों के नाम क्या हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) बिहार में निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ग) बिहार में स्थापित किये जाने के लिए विचाराधीन पनबिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

स्कीम का नाम	स्थापित क्षमता	
(क) बिहार में प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं		
(1) कोसी	20	
(2) स्वर्णरेखा	130	
(3) तिलैया	4	बिहार में बंगाल-बिहार की सीमा पर स्थित दामोदर घाटी निगम की परियोजनाएं ।
(4) पंजेत हिल	40	
(5) मैथोन	40	
(ख) निर्माणाधीन परियोजनाएं		
(1) पूर्वी गण्डक नहर	15	
(2) नार्थ कोइल	24	
(3) सोन पश्चिमी लिंक नहर	6.6	
(4) सोन पूर्वी लिंक नहर	3.3	
(5) कोइल कारो	710.0	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय परियोजना ।
(6) पंचेत हिल	40	बिहार में/बिहार बंगाल की सीमा पर दामोदर घाटी निगम की परियोजना ।
(ग) विचाराधीन परियोजनाएं		
(1) शंख	316	
(2) कीता नाला	4	
(3) त्रिवेनी लिंक नहर	3 3	
(4) चांदिल बांध परियोजना	8	

सुपर बाजार की शाखाओं में आवश्यक वस्तुओं की कमी

8372. श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री हाजिब मोहम्मद सिद्दीकी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार की शाखाओं में महीने के पहले सप्ताह में ही नागरिक पूर्ति की अधिक तर वस्तुएं स्टाक में नहीं रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सुपर बाजार की शाखाओं में पूरे महीने सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उनके स्टाक रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। सुपर बाजार दिल्ली ने सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सभी शाखाओं में सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हों, सभी प्रयास करते हैं। तथापि, सुपर बाजार क्योंकि बहुत सी वस्तुओं का व्यापार कर रहा है, अतः विनिर्माताओं के पास कोई उत्पाद विशेष उपलब्ध न होने अथवा उत्पाद की आपूर्ति कम होने अथवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति अपेक्षित गुणवत्ता की न होने के कारण महीने के पहले सप्ताह में कुछ वस्तुओं के स्टाक में न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखाओं में सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हों, शाखाओं के लिए क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों को साप्ताहिक वस्तु-सूची, जिसमें तत्काल आपूर्ति हेतु आकस्मिक वस्तु-सूची भी शामिल है, भेजने के लिए एक अलग सारणी व्यवस्था मौजूद है। महाप्रबन्धक, आपूर्ति केन्द्रों पर आवश्यक वस्तुओं की स्टाक की स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए साप्ताहिक बैठकें बुलाते हैं, ताकि जिन वस्तुओं का स्टाक चुक गया है उनका पता लगाया जा सके तथा उपचारात्मक कार्यवाही की जा सके। सुपर बाजार के निरीक्षण अधिकारी शाखाओं के अपने नियमित साप्ताहिक दौरों में आवश्यक वस्तुओं का स्टाक न होने के बारे में रिपोर्ट देते हैं, ताकि उनकी तत्काल आपूर्ति का प्रबन्ध किया जा सके।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समेकित संचार नेटवर्क की स्थापना

8373. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का समेकित संचार नेटवर्क की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना करने के क्या उद्देश्य हैं और इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस नेटवर्क के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है और यह परियोजना कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

(श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का अन्तर क्षेत्रीय और इंट्रारीजनल संचार नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वायस, टेलिप्रिंटर, फैसिमिल और डेटा ट्रैफिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) प्रबन्धकीय निर्णयों के लिए लाइव आपरेशनल आंकड़ों को उपलब्ध कराना इस परियोजना का ध्येय है और इस पर करीब 40 करोड़ रुपये के खर्च आने की सम्भावना है।

(घ) अधिकतम वांछित आंकड़े देशीय आधार पर जुटाये जाते हैं। इस परियोजना के 1987-89 के दौरान चालू हो जाने की सम्भावना है।

स्वदेशी फर्मों से तट-दूर तेल की खुदाई का कार्य कराना

8374. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी फर्मों से तट-दूर की खोज के लिए खुदाई कार्य करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं;

(ख) उन भारतीय फर्मों और उनके विदेशी सहयोगकर्ताओं यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है जिन्हें खुदाई-कार्य के ठेके के लिए स्वीकृति प्रदान की गई और ऐसी प्रत्येक फर्म को कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गए हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 में किराये के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान देय था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपतटीय खुदाई सेवाओं के देशीकरण को प्रोत्साहन देने के बिचार से सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अभी तक आठ संयुक्त उद्यम की कम्पनियों के निर्माण की स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोग कर्ता का नाम	रिग का स्थान	1986-87 में भुगतान योग्य राशि	टिप्पणी
1. ग्रेट एटवूड लि०, बम्बई	मैसर्स एटवूड ओसियनसिज इंक, यू० एस० ए०	बम्बई हाई	6,83,100 डालर (अमरीकी)	मैसर्स एटवूड ओसियनसिज यू०एस०ए० के साथ किया गया करार जो 12.3.87 को जे० वी० सी० को सौंपा गया।
2. हाईवेक, ड्रिलिंग सर्विसेज इंडिया लि०, बम्बई	मैसर्स फोरेक्स नेपटून इंट० ड्रिलिंग इंक, यू० एस०ए०	बम्बई हाई	—	अप्रैल, 1987 को कार्य आरम्भ किया गया।
3. अबन लायड चिलिस ओफशोयर लि०, मद्रास	मैसर्स इंडिया ओफसोयर इंक, यू० एस० ए०	—	—	कार्य आरम्भ किये जाने है।
4. इसार कंसट्रेक्शन लि० बम्बई	—	—	—	—वही—

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की शाखा स्थापित करना

8375. **श्री हरेन भूमिज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषरूप से असम में टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की एक शाखा स्थापित करने और स्विचिंग क्षमता सीधी एक्सचेंज लाइनों, टेलीफोन केन्द्रों, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी प्रणाली, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों, तारघर, भू-केन्द्रों, टेलेक्स केन्द्रों के सम्बन्ध में निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और अब तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985—87 के दौरान उत्तर पूर्व सर्किल में दूरसंचार के क्षेत्र में लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मद	1985—87 के लिए लक्ष्य	उ० पू० सर्किल के लिए 1985—87 के दौरान उपलब्धि	1987—87 के दौरान असम के लिए लक्ष्य
1.	स्विचिंग क्षमता (लाइनों की सं०)	11480	7325	3555
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें (सं०)	8540	5825	2620
3.	टेलीफोन एक्सचेंज (सं०)	40	20	23
4.	यू० एच० एफ० प्रणाली (रूट कि० मी०)	985	897	400
5.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (सं०)	100	50	34
6.	टेलीग्राफ कार्यालय (सं०)	100	1	1
7.	भूमिगत स्टेशन (सं०)	शून्य	शून्य	शून्य
8.	टेलेक्स एक्सचेंज (सं०)	शून्य 2	शून्य 2	शून्य

उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारतीय फोन उद्योग की शाखा खोलने के संबंध में	आई०टी०आई० ने नवम्बर, 1986 में आई०टी०आई० और एक्ट्रान के बीच प्रतिवर्ष एक लाख टेलीफोन उपकरण जुटाने के लिए असम इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन लि० के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे बशर्ते कि सरकार द्वारा इस यूनिट को औद्योगिक लाइसेंस मिल जाए। इस प्रस्ताव का ब्यौरा आई०टी० आई० द्वारा तैयार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे एककों का वित्तीय पुनर्गठन

8376. श्री हरिहर सोरन
श्री तेजा सिंह दर्दी
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे एककों का वित्तीय पुनर्गठन करने के लिए कदम उठाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ग) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार इनमें से प्रत्येक सरकारी उपक्रम में कितना संचयी घाटा हुआ है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में सरकारी उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे एककों के विषय में वित्तीय पुनर्गठन प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(ख) से (घ) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

ताप विद्युत परियोजनाओं का पूरा किया जाना

8377. डा० टी० कल्पना देवी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना अधिक समय लगा है।

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	लागत (करोड़ रुपए में)		चालू करने की तारीख	
			मूल	संशोधित	मूल	संशोधित
1	2	3	4	5	6	7
1.	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक	600 मेगावाट	290.60	603.33	3/86	7/87
2.	कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक	1100 मेगावाट	450·80	742.50	9/84	8/87

1	2	3	4	5	6	7
3.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो	1400 मेगावाट	494.37	798.77	3/86	1/88
4.	रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक	1100 मेगावाट	459.14	916.72	12/84	7/88

सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सीमेंट कारखाने

8378. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1987 तक सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के अन्तर्गत कितने सीमेंट कारखानों की स्थापना की गई है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान इन कारखानों में क्षेत्रवार कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान हुए सीमेंट उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

मार्च, 1987 तक उत्पादन कर रहे सीमेंट संयंत्रों की संख्या	कुल उत्पादन (लाख मी० टन में)		
	1984-85	1985-86	1986-87 अनंतिम
सरकारी क्षेत्र (बड़े) (केन्द्र और राज्य) —20	44.66	46.12	46.38
गैर-सरकारी क्षेत्र (बड़े) —66	251.39	274.26	301.70
सफेद सीमेंट संयंत्र सहित मिनी और लघु संयंत्र —99	5.84	10.90	16.49
योग 185	301.89	331 28	364·57

डीलरों द्वारा पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाया जाना

8379. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी का तेल पेट्रोल में आसानी से मिलाया जा सकता है, यदि हां, तो पेट्रोल पम्प के मालिकों को मिट्टी के तेल की डीलरशिप भी रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ख) इन मालिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोल पम्प और मिट्टी के तेल की डीलरशिप कब से अलग-अलग कर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ग) जी, हां। 1977 में प्रतिबन्ध लगने के बाद एक उत्पाद (एल०पी०जी०, किरासन अथवा एम० एस०/एच० एस० डी०) की डीलरशिप रखने वाले को अन्य उत्पाद की डीलरशिप नहीं दी गई है। तथापि, 1977 के प्रतिबन्ध से पूर्व अनेक उत्पादों की ठेके वाली डीलरशिप उसके उपबंधों के आधार पर काम जारी रख सकती है। बहु-उद्देश्यीय वितरण केन्द्रों द्वारा किरासन तेल रखने की सुविधा हटा दी गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

खुदरा बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा जिनके पास केरोसीन डीलरशिप भी है।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	192
2.	असम	137
3.	बिहार	70
4.	गुजरात	476
5.	हरियाणा	65
6.	हिमाचल प्रदेश	10
7.	जम्मू और कश्मीर	13
8.	केरल	83
9.	कर्नाटक	112
10.	मध्य प्रदेश	140
11.	महाराष्ट्र	131
12.	मणिपुर	39
13.	मेघालय	8
14.	नागालैंड	7

1	2	3
15.	उड़ीसा	53
16.	पंजाब	112
17.	राजस्थान	74
18.	सिक्किम	34
19.	तमिलनाडु	156
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	279
22.	पश्चिम बंगाल	67
23.	अरुणाचल प्रदेश	9
24.	अण्डमान और निकोबार	—
25.	चण्डीगढ़	2
26.	दादर नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	17
28.	गोवा, दमन और दीयू	7
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	3
	योग	2297

दूरसंचार परामर्शदात्री समितियों का गठन

8380. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर के लिए सभी दूरसंचार परामर्शदात्री समितियां गठित कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक समिति किस-किस तारीख से गठित की गई है और उनकी रचना (सदस्यों के नाम तथा पते) क्या हैं;

(ग) समिति के निदेय पद क्या हैं और उनका कार्यकाल कितना है; और

(घ) यदि नहीं, तो शेष परामर्शदात्री समितियां किस तारीख तक गठित कर दिये जाने की आशा है और गठित की गई समितियों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है।

(घ) हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए सलाहकार समितियों के गठन की प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही इनका पुनर्गठन कर दिया जाएगा।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए दूरसंचार सलाहकार समितियों तथा अमृतसर, जालंधर, लुधियाना एवं फरीदाबाद के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है।

उपर्युक्त समितियों के पुनर्गठन एवं समाप्त होने की तारीख एवं उनके स्वरूप के संबंध में जानकारी अनुबंध में दी गई है।

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य इस प्रकार है :—

1. दूरसंचार सेवाओं के कार्य निष्पादन को मानीटर करना और उनमें सुधार लाने के लिए विभाग को सलाह देना।

2. टेलीफोन उपभोक्ताओं और दूरसंचार विभाग के बीच निकट संपर्क स्थापित करना।

3. जनता को यह आश्वासन देना कि उनकी समस्याओं को उचित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और उन पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है।

4. टेलीफोन सेवा में सुधार लाने और उनका विकास करने के लिए विभाग द्वारा की जाने वाली कारंवाई का व्यापक प्रचार करना।

5. जनता के धैर्य और सहयोग से टेलीफोन उपस्कर और लाइनों की कमी का निपटान करने में विभाग की सहायता करना।

6. ओ० वाई० टी० और गैर ओ० वाई० टी० स्पेशल श्रेणियों के अंतर्गत प्रतीक्षा-सूची में विभिन्न आवेदकों की गुणावगुणों का नियमों के अनुसार निष्पक्ष एवं समान मूल्यांकन करके बगैर बारी के कनेक्शन प्रदान करने में विभाग की सहायता करना।

अनुबन्ध

हिमाचल प्रदेश की दूर संचार सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

1. उप सचिव (जी० ए० डी०)
   हिमाचल प्रदेश सरकार
   शिमला

2. श्रीमती आशा सिंह
   विधायक, चम्बा, हिमाचल प्रदेश

3. श्री सिंघी राम, विधायक
   रामपुर, बुशेहर, हिमाचल प्रदेश

4. श्री बाबू राम गौतम, विधायक
   गांव व डाकघर पजगई, तहसील, सदर, जिला बिलासपुर

5. श्री के० डी० सुल्तानपुरी, संसद सदस्य
गांव व डाकघर सुल्तानपुर, तहसील व जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)

6. श्री रोशन लाल, संसद सदस्य
गांव व डाकघर सोनावर, तहसील कसौली, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)

7. श्री के० एस० तोमर
हिन्दुस्तान टाइम्स

8. डॉ० डी० एस० पुरी
प्रो० चिकित्सा, मेडिकल कालेज, शिमला

9. श्री जिम्मी जॉनसन
जॉनसन ऑरचर्ड्स, पोस्ट रायसेन
जिला कुल्लु (हिमाचल प्रदेश)

10. श्री राम लुभाया
ग्राम व पोस्ट-गारग्रेट
जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)

11. मेजर (कुमारी) कृष्णा मोहिनी
सोलन (हिमाचल प्रदेश)

12. श्री स्वरूप सिंह
ग्राम व डाकघर-कटोहर कलां
बाया अम्ब
जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)

13. श्री गुलाब सिंह, भूतपूर्व मंत्री, जोगिन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश

14. श्री अमर सिंह सकलानी,
ग्राम व पोस्ट नागचल्ला, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश)

15. श्री अर्जुन सिंह, ग्राम व पोस्ट लोहार घाट, नालागढ़, सोलन (हिमाचल प्रदेश)

16. प्रो० एन० सी० पाराशर, संसद सदस्य (लोक सभा) 9 महादेव रोड, नई दिल्ली

27-4-1986 को पुनर्गठित 30-4-88 तक दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब की दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

1. श्री इन्द्रजीत सिंह जैजी,
एम० एल० ए०, ग्राम व पोस्ट-चुराल कलां
जिला संगरुर (पंजाब)

2. मास्टर मोहन लाल
एम० एल० ए०
728 बी, तिलक नगर, पठानकोट
जिला गुरदासपुर (पंजाब)

3. श्री पी० के० बंसल,
संसद सदस्य (राज्य सभा)
43 मीना बाग, नई दिल्ली

4. श्री सतपाल बागची
पत्रकार, फिरोजपुर (पंजाब)

5. डा० (श्रीमती अशी सरीन
प्रो० स्त्री रोग
स्त्री रोग विभाग, राजिन्दर मैडिकल कालेज एंड हास्पिटल पटियाला

6. श्री सुन्दर गुरमुख सिंह
एडवोकेट, भटिण्डा (पंजाब)

7. श्री सुरेश वशिष्ट
मार्फत मैसर्स वशिष्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज
जी० टी० रोड, खन्ना (पंजाब)

8. श्री एस० परमवीर सिंह चहल
मकान नं० 12 माडल टाउन, फगवाड़ा
जिला कपूरथला (पंजाब)

9. श्री इन्दरजीत सिंह, 343/बी-8 मोचपुरा
लुधियाना (पंजाब)

10. श्री बृजलाल गोयन, भूतपूर्व एम० एल० ए०, सुमानियो गेट
पटियाला (पंजाब)

11. श्री आर० एस० बागी, भूतपूर्व एम० एल० ए०, पठानकोट (पंजाब)

12. श्री सुखदेव गुप्त, धूरी, संगरुर (पंजाब)

28-6-85 को पुनर्गठित 30-6-1987 तक दो वर्ष की अवधि के लिए जम्मू व कश्मीर की दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम।

1. श्री एस० डी० पंजाबी
निदेशक सम्पदा, जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर

2. श्री शेख अब्दुल रशीद, एम० एल० ए०

3. श्री ओमप्रकाश चोपड़ा, एम० एल० ए०

4. श्री जी० एल० डोगरा, संसद सदस्य (लोक सभा)
6 डुप्ले लेन, नई दिल्ली

5. श्री गुलाम रसूल कर, संसद सदस्य
15 तीन मूर्ति लेन, नई दिल्ली

6. श्री ए० एन० जलाली, पत्रकार
पी० टी० आई०, श्रीनगर

7. श्री विजय अग्रवाल, अध्यक्ष
वाणिज्य मंडल, कांडी मंडी, जम्मू

8. श्री एम० वाई० खान, एम० डी०
सिदको, श्रीनगर

9. श्री रवि अंग्राल, सचिव
जम्मू व कश्मीर, एस० टी०/एस० टी० कक्ष
कांग्रेस (आई) वीर मार्ग डिवीजन, जम्मू

10. श्री मिर्जा अब्दुल रशीद,
अध्यक्ष ज़िला कांग्रेस कमेटी
राजौड़ी

1-2-1986 को पुनर्गठित 29-2-1988 तक दो वर्ष की अवधि के लिए अमृतसर की टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

1. अपर उपायुक्त, अमृतसर

2. डा० रतन सिंह, एम० एल० ए०
ग्राम व पोस्ट अजनाला, अमृतसर

3. आयुक्त, नगर निगम, अमृतसर

4. श्री आर० एल० भाटिया, संसद सदस्य
25 केनिंग लेन, नई दिल्ली

5. श्री आर० एस० स्पेरो, संसद सदस्य
18 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली

6. श्री के० एल० कमलेश, दैनिक अजीत
गली नं० 2, मोहन नगर, अमृतसर

7. प्रो० डा० पुरी, मार्फत जी० टी० बी० मेडिकल कालेज अमृतसर

8. श्री बृज मोहन मुंजल
19 रेसकोर्स रोड, अमृतसर

9. श्री नरिन्दर जैन,
प्रतिनिधि अमृतसर पीस गुड्स एसोसिएशन, अमृतसर

10. श्रीमती रतना, 262-ए रणजीत एवेन्यू
पीछे जिला कोर्ट, अमृतसर

11. श्री किशन गोपाल शर्मा, एडवोकेट, अमृतसर

12. श्री मनिन्दर सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए० अमृतसर

28-6-85 को पुनर्गठित 30-6-1987 तक दो वर्ष की अवधि के लिए जालंधर टेलीफोन जिला सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

1. उपायुक्त, जालंधर
2. सरदार स्वर्ण सिंह, एम० एल० ए०
3. श्रीमती अमरजीत कौर, संसद सदस्य (राज्य सभा)
   23 इन्दिरा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
4. श्रीमती सुखवंस कौर, संसद सदस्य (लोक सभा)
5. कार्यकारी अधिकारी, एम० सी०, जालंधर
6. श्री यश, एम० एल० ए०, मिलाप भवन, जालंधर
7. डा० विजय महाजन, टैगोर अस्पताल, बांदा
   बहादुर नगर, जालंधर सिटी
8. श्री के० एस० जौली, जौली इण्डस्ट्री
   प्रीतनगर, जालंधर
9. श्री सतगुर बहल, अध्यक्ष, मार्केट, कपूरथला
10. श्री राजिन्दर सुगंध, 51/35 मोहल्ला
    मखदुनपुरा, जालंधर
11. श्री आर० एस० स्पैरो, भूतपूर्व संसद सदस्य
    द मॉल, जालंधर
12. श्री विजय कटारिया, अध्यक्ष
    भारतीय एसोसिएशन, सब्जीमंडल, जालंधर

1-2-1986 को पुनर्गठित 29-2-1988 तक दो वर्ष की अवधि के लिए लुधियाना की टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

1. उपायुक्त, लुधियाना
2. श्री जगदेव सिंह ताजपुरी, विधायक,
   विलेज ताजपुर, पोस्ट आफिस कलां, लुधियाना।
3. सचिव, नगर निगम, लुधियाना
   श्री एच० एस० हंसपाल, संसद सदस्य (राज्य सभा)
   40-अशोक रोड, नई दिल्ली
4. श्री मेवा सिंह गिल, संसद सदस्य (लोक सभा)
   160, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
5. श्री आर० धीमन, पी० टी० आई० संवाददाता
   733, पटेल नगर, लुधियाना

6. श्री केवल धीर, इंचार्ज,
सरकारी औषधालय, लुधियाना

7. श्री बी० पी० चोपड़ा, चोपड़ा इण्डस्ट्रीज
जी० टी० रोड, मिल्लरगंज, लुधियाना

8. श्री जगजीत सिंह शाद, अध्यक्ष
औद्योगिक व वाणिज्य मंडल पंजाब, लुधियाना

9. श्री जरनैल सिंह शर्मा
54, अशोक नगर, लुधियाना

10. श्रीमती करुणा शर्मा
विलेज नरपुर वेट, जिला लुधियाना

11. श्री महेन्द्र सिंह कल्याण, अध्यक्ष
दि पंजाब स्टेट स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर एसोसियेशन,
54, सतगुरु नगर, लुधियाना

12. श्री जत्थेदार कुलवंत सिंह दुखिया
महा सचिव, शिरोमणि अकाली दल (मास्टर तारा सिंह),
665, खुद मोहल्ला, लुधियाना

13. श्री तरसेम लाल अदया, सेना क्लॉथ हाउस, लुधियाना

14. श्रीमती आशा कैले, एम० ए०
संयुक्त संयोजक, पंजाब कांग्रेस वूमेन्स सेक्शन, लुधियाना

26-2-1987 को गठित 28-2-1989 तक दो वर्ष की अवधि के लिए फरीदाबाद टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम

1. अपर उपायुक्त तथा सी० आर० डी० आर० डी० ए०, फरीदाबाद

2. श्री कल्याण सिंह, विधायक, पलवल

3. श्री बलवान सिंह, एच० सी० एस०, प्रशासक,
म्यूनिसीपल कमेटी, गुड़गांव (हरियाणा)

4. श्री रहीम खान, संसद सदस्य (लोक सभा), गुड़गांव

5. श्री हरी सिंह नलवा, संसद सदस्य (राज्य सभा), करनाल (हरियाणा)

6. श्री अमर नाथ बाघी, एडिटर, शेरे-हरियाणा, फरीदाबाद

7. डा० सुशीला खुराना, अवैतनिक सचिव, इण्डियन मैडिकल
एसोसियेशन, गुड़गांव

8. श्री चन्द्र सागर गुप्ता, लौल्स (प्रा०) लिमिटेड
33 बी, एन० आई० टी० फरीदाबाद

9. श्री हरप्रीत सिंह सेठी, 15/3 मथुरा रोड, फरीदाबाद
10. श्री कुशी राम, सामाजिक कार्यकर्ता, रिवाड़ी
11. श्री ए० एल० भाटिया, कोषाध्यक्ष, लायन्स क्लब,
गुड़गांव सिटी, गुड़गांव
12. श्री राजेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र सिंह
सैक्टर 28, लिंक रोड, फरीदाबाद
13. श्री बी० आर० ओझा, ओझा निवास, मथुरा रोड,
पुराने बस स्टैण्ड के पास, फरीदाबाद
14. श्रीमती सुशील त्यागी, ई० एस० आई०, कोठी नं०-1
फरीदाबाद
15. श्री बी० डी० गुलाटी, अध्यक्ष, फरीदाबाद स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
एसोसियेशन्स, फरीदाबाद।

तपेदिक-रोधी औषधि के निर्माण के लिए मध्यवर्ती उत्पादों के आयात के सम्बन्ध में आरोप की जांच करने वाली समिति

8381. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तपेदिक-रोधी औषधि के निर्माण के लिए मध्यवर्ती उत्पाद का आयात किसी दूसरे मध्यवर्ती उत्पाद के नाम पर किए जाने के आरोप की जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, यदि हां, तो कब; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। डी०एल०-2 अमीनोबुटानोल के नाम से डी-2 अमीनोबुटानोल आयात किये जाने के आरोप की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक तकनीकी दल का गठन किया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट 5 सितम्बर, 1984 को दी।

(ग) दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रथम दृष्टि में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि डी०एल-2 अमीनोबुटानोल के नाम से डी-2 अमीनोबुटानोल का आयात किया गया था। सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।

उद्योगों का लघु उद्योग क्षेत्र के लिए श्रेणीकरण और आरक्षण

8382. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उद्योगों के श्रेणीकरण और आरक्षण के प्रयोजन हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं और सुझाव दिये हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन आरक्षण से संबंधित सलाहकार समिति का गठन किया है। लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए मदों का आरक्षण/अनारक्षण करना सतत चलने वाली प्रक्रिया है। समिति की बैठकें केवल मात्र लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए मदों के आरक्षण/अनारक्षण से सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने हेतु समय-समय पर आयोजित की जाती हैं और यह सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं।

(ग) अनारक्षित सूची से मदों को जोड़ने/हटाने से सम्बन्धित निर्णय सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

कोचीन तेल शोधनशाला की बेनजीन परियोजना

8383. **श्री टी० बशीर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधनशाला की प्रस्तावित बेनजीन परियोजना की वर्तमान अवस्था क्या है;

(ख) क्या परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) यह परियोजना अगस्त, 1984 में स्वीकृत की गई थी और यह कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) परियोजना के 1989 की प्रथम तिमाही तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

केरल में टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार

8384. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान केरल में कितने टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार किया गया है;

(ख) उस पर कितना व्यय किया गया है; और

(ग) वर्ष 1987-88 में टेलीफोन एक्सचेंजों के विकास के लिए कौन से प्रस्ताव हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1986-87 के दौरान 40 नए एक्सचेंज खोले गए तथा 135 मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार किया गया।

(ख) अनुमानतः 25 (पच्चीस) करोड़ रुपए।

(ग) केरल में 1987-88 के दौरान 40 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलकर तथा 132 मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करके एक्सचेंज क्षमता में 12,400 लाइनों तक विस्तार करने की योजना है।

प्रोद्दतूर (आंध्र प्रदेश) में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8385. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पोद्दतूर में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) 8वीं योजना के दौरान 2000 लाइनों की क्षमता का एक क्रासबार एक्सचेंज चालू किए जाने की योजना है। इस एक्सचेंज के लिए भवन 1990 तक बनकर तैयार हो सकेगा।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा पारेषण लाइनों को बिजली प्रदान करना

8386. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम ने देश में पारेषण लाइनों को बिजली प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान निगम द्वारा कुल कितने के०वी० पारेषण लाइनों को बिजली प्रदान की गई;

(ग) उपर्युक्त वर्षों के दौरान निगम द्वारा अन्य कौन-कौन से राज्यों में यह कार्यक्रम शुरू किया गया; और

(घ) उपर्युक्त दो वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में निगम द्वारा जिन पारेषण लाइनों को बिजली प्रदान की गई है उनका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कर्नाटक में कोई पारेषण लाइन ऊर्जित नहीं की गई थी। वर्ष 1986-87 के दौरान 241 किलोमीटर लम्बी 400 के०वी० कुडप्पा—बंगलौर पारेषण लाइन ऊर्जित की गई थी।

(ग) और (घ) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में ऊर्जित की गई विभिन्न पारेषण लाइनों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान ऊर्जित 400 के०वी० की पारेषण लाइनें

विवरण	लाइन की लम्बाई (सर्किट किलोमीटर)	शामिल राज्य
1	2	3
1985-86		
1. उत्तरी क्षेत्र		
1. सिगरौली —लखनऊ (400 के०वी०)	400	उत्तर प्रदेश
उप-जोड़	402	
2. दक्षिणी क्षेत्र		
1. हैदराबाद—नागार्जुनसागर 400 के०वी०	150	आन्ध्र प्रदेश
2. नागार्जुनसागर—कुडाप्पा-I 400 के०वी०	318	आन्ध्र प्रदेश
उप-जोड़	468	
3. पूर्वी क्षेत्र		
1. फरक्का – जरहाट (400 के०वी०)*	237	पश्चिम बंगाल
कुल जोड़ (1925-86)	1107	
1986-87		
1. उत्तरी क्षेत्र		
1. कानपुर—जयपुर 400 के०वी०	499	उत्तर प्रदेश और राजस्थान
2. सिगरौली—कानपुर-II	384	उत्तर प्रदेश
3. लखनऊ – मुरादाबाद 400 के०वी०	322	उत्तर प्रदेश
4. मुरादाबाद—मुरादनगर 400 के०वी०	132	उत्तर प्रदेश
उप-जोड़	1337	

1	2	3
2. पश्चिमी क्षेत्र	शून्य	
3. दक्षिणी क्षेत्र		
1. कुडाप्पा —बंगलौर-400 के०वी०	241	आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक
उप-जोड़	241	
कुल जोड़ (1986-87)	1578	

*यह लाइन 220 के०वी० पर ऊर्जित की गई थी क्योंकि पश्चिम बंगाल की 400 के०वी० प्रणाली तैयार नहीं थी। तदुपरान्त, इस लाइन को 1986-87 में 400 के०वी० पर ऊर्जित किया गया था जब पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड की 400 के०वी० प्रणाली तैयार हो गई थी।

जम्मू और कश्मीर में लेह पनबिजली परियोजना

8387. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में लेह पन-बिजली परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या पन-बिजली परियोजना पूरी हो चुकी है तथा बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परियोजना के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जम्मू और कश्मीर में लेह (सतकना जल विद्युत) परियोजना की स्थापित क्षमता 4 मेगावाट है, जिसमें 2-2 मेगावाट की दो यूनिटें हैं।

(ख) और (ग) यूनिट-एक दिसम्बर, 1986 में चालू की गई थी। जनवरी, 1987 में बिजलीघर में बाढ़ आ जाने के कारण, जिससे दोनों यूनिटों के विद्युत उत्पादन उपस्कर प्रभावित हो गए थे, इस यूनिट से विद्युत का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं के लिए एल०पी०जी० के मूल्य में वृद्धि

8388. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं के लिए एल०पी०जी० के मूल्य में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) 20-3-1987 से लागू गैर-घरेलू उपयोग के लिए सिलिंडरों में सप्लाई की गई एल०पी०जी० की भंडारण पाइंट की कीमतें इस प्रकार हैं :—

गैर-घरेलू आवश्यक (पैक की गई)	5001.10 रुपए/प्रति मी० टन
गैर घरेलू गैर आवश्यक (पैक की गई)	6151.39 रुपए/प्रति मी० टन

गैर घरेलू औद्योगिक प्रयोग के लिए एल०पी०जी० की कीमतों पर कभी भी सहायता नहीं दी जाती और ये कीमतें घरेलू कीमतों से अधिक होती हैं। उद्योग पहले सिलिंडरों में सप्लाई की गई एल०पी०जी० की गैर-रियायती कीमतों को नहीं ले रहा था। अब उन्होंने केवल घरेलू उपयोग के लिए सहायता प्राप्त एल०पी०जी० की सप्लाई के लिए अलग व्यवस्था की है।

भारतीय खाद्य निगम के भंडारण डिपों में ठेका मजदूर प्रणाली की समाप्ति

8389. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम कामगार यूनियन ने भारतीय खाद्य निगम के सभी डिपो में ठेका मजदूर प्रणाली की समाप्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या इस समस्या का समाधान निकालने के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय और भारतीय खाद्य निगम कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ द्वारा दायर की गई रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न भंडारण डिपों में ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

सोवियत संघ के वी०/ओ० टैक्नों एक्सपोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में हाइड्रोकार्बन की खोज

8390. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के वी०/ओ०टेक्नो एक्सपोर्ट ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ हुए समझौते के अनुसार पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में हाइड्रो-कार्बन की खोज का कार्य प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) ओ०एन०जी०सी० ने पश्चिमी बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों के एक आपस में सहमत क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन के गहन समेकित अन्वेषण के लिए 19 दिसम्बर, 1986 को सोवियत संघ की वी०/ओ० टैक्नो एक्सपोर्ट के साथ एक सामान्य करार पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना का काम 1988 की चौथी तिमाही में आरम्भ होने की सम्भावना है।

सोवियत संगठन विभिन्न करारों के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में पहले से ही भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को पृथक निगम के रूप में गठित करना

8391. **श्री जी० एस० बसवराजू**
श्री एस० एम० गुरड्डी } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज को तीन पृथक निगमों में त्रिभाजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में कोई कार्यपद्धति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यह दूरसंचार उद्योग के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को तीन अलग-अलग कम्पनियों में पुनर्गठित करने के लिए एक प्रस्ताव पर अब भी उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार के नवादा जिले में डाकघर खोलना

8392. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के नवादा जिले में कितने डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) इन प्रत्येक आवेदन-पत्रों पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पार्वती ग्राम में एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) सभी सर्किलों में, नए डाकघर खोलने के लिए प्रस्तावों का औचित्य निश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार के प्रस्तावों को नए पदों के सृजन और मंजूरी पर लगी रोक को देखते हुए वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा और उस मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर करेगा। पार्वती ग्राम के मामले में भी स्थिति ठीक है।

[अनुवाद]

मध्यवर्ती स्तर से औषधों का निर्माण

8393. श्री महेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई वर्षों से उपान्तिम और मध्यवर्ती स्तर से कई औषधों का निर्माण किया जा रहा है जब कि अन्य देशों में इन्हीं औषधों का आधारभूत स्तर से निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधों के नाम क्या हैं और उनका इन स्तरों से कब निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) उनकी उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत विदेशी मुद्रा होती है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) देश में उपांतिम मध्यवर्ती स्तरों से अनेक औषधों का उत्पादन किया जा रहा है। किन्तु अन्य देशों में उनके निर्माण-स्तर के बारे में आंकड़े इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) ऐसी औषधें, मुख्य रूप से जिनका उत्पादन मध्यवर्ती उपांतिम स्तरों से किया जाता है, के नाम उपलब्ध सीमा तक, नीचे दिए जाते हैं :—

1. अमोडीक्वीन
2. क्लोरोक्वीन
3. क्लोफाजाइमाइन
4. डेक्सा मेथासोन
5. डी०ई०सी० सिट्रेट
6. डिफाइनहाइड्राइमाइन एच०सी०एल०
7. इन्टस्टोपेन सबस
8. फेनरामाइनमिलीट
9. पिपेराजाइन एण्ड साल्ट
10. टरबुटालाइन
11. विटामिन डी-3
12. इथाम्बुटोल

अन्य ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं किए जाते हैं इसके अलावा ऐसी जानकारी इकट्ठा करने और संकलित करने और संकलित करने में लगने वाला समय व श्रम उन परिणामों के अनुरूप नहीं है, जिनके प्राप्त होने की संभावना है।

हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से गैस के लिए नये उपभोक्ता

8394. श्री के० राममूर्ति
श्री प्रताप भानु शर्मा } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से नये उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जिन छः उर्वरक संयंत्रों और तीन विद्युत संयंत्रों को एच०बी०जे० पाइपलाइन से प्राप्त गैस देने की वचनबद्धता की गई है, उसके अतिरिक्त उस गैस में से एल०पी०जी० और पेट्रो-रसायन भंजनों (फ्रैक्शन) को निकालने का प्रस्ताव है। इसी बीच, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड फाल बैंक आधार पर गैस के उपयुक्त उपभोक्ताओं का पता लगाने की कार्रवाई कर रही है।

तटवर्ती क्षेत्रों में नये सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना

8395. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के पेनल ने समुद्री मार्गों से कोयले की सप्लाई की सुविधा सहित तटवर्ती क्षेत्रों में नये सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की सलाह दी है;

(ख) क्या पेनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में नये सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापना के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) क्या गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो उनकी स्थापना किन स्थानों पर की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ तटवर्ती ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के संबंध में तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करने का प्रस्ताव है, जिसमें 2000 ईस्वी तक स्थापित किए जाने वाले इस प्रकार के ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या और आकार, इस प्रकार के केन्द्रों के लिए कोयला लिंक, कोयले की ढुलाई के लिए कम से कम लागत के विकल्प तथा तटवर्ती ताप विद्युत केन्द्रों एवं पिट हैड केन्द्रों के तुलनात्मक गुण-दोष शामिल हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

फार्मूलेशंस और बल्क औषधियों के अनाधिकृत उत्पादन को
विनियमित करने का प्रस्ताव

8396. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार "फार्मूलेशंस" और बल्क औषधों के अनाधिकृत उत्पादन को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित विनियमन के अंतर्गत अधिक से अधिक 2 प्रतिशत बल्क औषध आयेंगी क्योंकि शेष औषधियां तैयार फार्मूलेशंस हैं; और

(ग) किन किन बल्क औषधों के अनाधिकृत उत्पादन को विनियमित किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार संलग्न-विवरण में सूचीबद्ध प्रपुंज औषधों का उत्पादन अनधिकृत समझा गया था।

विवरण

क्रम सं०	प्रपुंज औषध का नाम
1.	आयरन डेक्सट्रान
2.	डेक्सट्रानस
3.	अयानुरोनिडेज
4.	लिवर कन्सन्ट्रेट
5.	डिस्टेज
6.	कोलाइडल आयरन
7.	सिनकोपाम
8.	थाइलाइल सल्फासिटामाइड
9.	निकीथामाइड
10.	एण्टीनोमनी हेक्सीनेट
11.	एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल
12.	डाइक्लोरोहाइड्रोक्सीक्वीनोमाइन
13.	पेरासिटामोल

कर्नाटक विधान परिषद् की सदस्य संख्या बढ़ाना

8397. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने 2 सितम्बर, 1986 को विधान परिषद् में सदस्यों की

संख्या बढ़ाने के लिए कर्नाटक विधान सभा का संकल्प भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी अभी तक नहीं।

(घ) इस विषय पर सभी पहलुओं से विचार किया जा रहा है।

गुजरात की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

8398. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की उन प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का जिन्हें 31 दिसम्बर, 1986 को योजना आयोग द्वारा अन्तिम मंजूरी दी जानी थी या रेलवे द्वारा लिंक किया जाना शेष था, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना का अनुमानित व्यय कितना है तथा उपर्युक्त परियोजनाएं कौन-कौन सी तारीख से लम्बित पड़ी है; और

(ग) मंजूरी दिये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) गुजरात राज्य की उन प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, परन्तु जिनके संबंध में योजना आयोग द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रदान की जानी है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम तथा क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	के० वि० प्रा० की स्वीकृति	लम्बित रहने के कारण
1	2	3	4	5
1.	गांधी नगर ता०वि० केन्द्र विस्तार यूनिट संख्या 4 (1 × 210 मेगावाट)	163.88	3/84	स्कीम के सम्बन्ध में योजना आयोग की निवेश संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा थी जोकि अब प्रदान कर दी गई है।

1	2	3	4	5
2	कच्छ लिग्नाइट विस्तार (1 × 70 मेगावाट)	69.75	12/82	1987-88 की वार्षिक योजना में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।
3.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र (दूसरी यूनिट— 1 × 120 मेगा०)	102.70	2/86	एस० एल० सी० द्वारा कोयलालिंकेज सुनिश्चित किया जाना है।

चूंकि निवेश संबंधी स्वीकृति; परियोजना की आर्थिक दृष्टि से उपयुक्तता, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पारस्परिक प्राथमिकता तथा पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता जैसे कई पहलुओं पर निर्भर है, अतः योजना आयोग द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में स्वीकृति दिए जाने के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

संसाधित खाद्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग

8399. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधित खाद्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग के लिए दीर्घावधिक नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विधायित खाद्य उद्योगों, जो इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं, के विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गये महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फल तथा सब्जी विधायन उद्योग

(1) कुछ मामलों को छोड़कर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा को खत्म कर दिया गया है।

(2) उद्योग के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की कुछेक मदों के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अधीन ला दिया गया है। मशीनरी/उपकरणों और पैकेजिंग सामग्री की कुछेक मदों पर आयात शुल्क को भी कम कर दिया गया है।

(3) संशोधित मूल्य जमा कर (मोडवाट) योजना को फल तथा सब्जी उत्पादों पर भी लागू कर दी गई है।

(4) फल तथा सब्जी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि०, जोकि इस मंत्रालय का एक उपक्रम है, ने अपनी गतिविधियों का विविधीकरण कर फल और सब्जी विधायन का कार्य भी शुरू कर दिया है। एक अलग निगम अर्थात् उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना गुवाहाटी में की गई है ताकि उक्त क्षेत्र में उत्पादित फलों तथा सब्जियों के विधायन को बढ़ावा दिया जा सके।

खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

(1) कुछेक मामलों को छोड़कर रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के उपबन्धों से छूट दे दी गई है।

(2) गेहूं के उत्पादों पर मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रण को हटा दिया गया है और लाइसेंस शुदा क्षेत्र के यूनिटों को लाइसेंस शुदा क्षमता के 50 प्रतिशत तक अधिक पिसाई करने की अनुमति दी गई है।

(3) उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम करने के लिए भी उपाय किये गये हैं।

(4) चावल मिलिंग यूनिटों को कानूनन प्लांट और मशीनरी का आधुनिकीकरण करना होगा।

(5) आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम शुरू किए गये हैं।

चीनी उद्योग

(1) नये यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने में उत्पादकों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई है जैसाकि छठी और पिछली योजनावधियों के दौरान भी दी गई थी।

(2) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जोकि 1984-85 में 14/- रुपये प्रति क्विंटल था, को 1986-87 मौसम के लिए बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत चीनी की रिकवरी पर 17/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 1987-88 के लिए भी पेशगी घोषणा कर दी गई है जोकि 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 18/- रुपये प्रति क्विंटल होगा।

(3) चीनी मिलों को पुनर्वासन/आधुनिकीकरण के लिए और उनके आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का विकास करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण सहायता सुलभ की जाती है।

(4) परिमाण मूलक सुलाभ का फायदा उठाने के लिए नयी चीनी फैक्ट्री के न्यूनतम आर्थिक आकार को 1,250 टी०सी०डी० से बढ़ाकर 2,500 टी०सी०डी० (एक दिन में पेरा गया मीटरी टन में) कर दिया गया है।

(5) उद्योग की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाने के लिए लेवी मुक्त चीनी के अनुपात को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(6) देशी उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शीघ्र (अक्तूबर/नवम्बर) और देर तक (मई/जून)

पिराई करने के लिए 1986-87 मौसम के दौरान उत्पादन शुल्क में रिबेट दिया गया है। (चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक होता है)।

परिष्कृत खाद्य तेल

(1) तिलहनों/तेलों, जिनमें खाद्य तेल भी शामिल हैं, के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को नयी गति दी गई है।

(2) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है। प्रौद्योगिकी और तेलों की अच्छी रिकवरी तथा वनस्पति सहित खाद्य तेलों के उत्पादन की आधुनिक विधियों पर अधिक बल दिया गया है।

ड्रग इक्वीलाइजेशन फण्ड अकाउण्ट को समाप्त करने का प्रस्ताव

8400. श्री कृष्ण सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "ड्रग इक्वीलाइजेशन फण्ड अकाउण्ट" को समाप्त करने और उसकी बजाय "रेवन्य लिंकेज' प्रारम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1987 को औषध उद्योग पर इस लेखे की कुल कितनी धनराशि बकाया थी और यह कब तक एकत्रित की जाती है;

(ग) "रेवन्य लिंकेज'' के लिए औषधियों का चयन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, औषध औषधियों की सूची किस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाती है; और

(घ) औषधियों के चयन सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं; और इस सूची को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार ने प्रतिधारण और पूल्ड मूल्य निर्धारण की प्रणाली को समाप्त करने और प्रशुल्क क्रियाविधि के जरिए स्वदेशी उत्पादन को संरक्षण, जहां भी आवश्यक हो, प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ख) औषध मूल्य समानीकरण निधि लेखे में देय कुल राशि को निश्चित नहीं किया गया है। नये औषध मूल्य आदेश में इस बात का सुनिश्चय करने के लिए व्यवस्था की जायेगी कि औषध मूल्य समानीकरण लेखे में जो राशियां पहले ही प्राप्त हो गई हैं और विगत समय की कारंवाई के परिणामस्वरूप जिनके प्राप्त होने की सम्भावना है, उनकी संरक्षा की जाये और विद्यमान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाये।

(ग) और (घ) मूल्य नियंत्रित औषधों की सूची को अन्तिम रूप देने के बाद राजस्व विभाग के परामर्श से प्रस्तावित प्रशुल्क क्रियाविधि के अधीन लाये जाने वाले औषधों का पता लगाया जायेगा।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड

8401. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड" को मेलेथियोन के अंधाधुंध उत्पादन के कारण

लगातार वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि 19 जनवरी, 1987 के "पैट्रियट" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार है;

(घ) क्या मेलेथिओ स्वास्थ्य और कृषि प्राधिकारियों को स्वीकार्य नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस सम्बन्ध में योजना की भूमिका क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान इसेक्टिसाइड्स लि० (एच० आई० एल०) की स्थापना, मुख्य रूप से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एन० एम० ई० पी०) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी और इसलिए एन० एम० ई० पी० द्वारा दिये गये क्रयादेशों से सम्बन्धित दीर्घावधि आधार पर मांग को पूरा करने हेतु इससे अपने उत्पादन प्रबन्धों को गतिशील बनाने की आशा की गई थी। जहां तक मलाथियान का सम्बन्ध है, एच० आई० एल० ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में पूर्णतः एन० एम० ई० पी० द्वारा दिये गये क्रयादेश आदेश के अनुसार आपूर्ति की। वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में एन० एम० ई० पी० ने 4,000 मी० टन के लिए क्रयादेश दिये अतः एच० आई० एल० के उत्पादन को इस मात्रा की आपूर्ति हेतु गतिशील किया गया था। तथापि, राज्य सरकारों ने एन० एम० ई० पी० के अन्तर्गत केवल 2535 मी० टन की मात्रा उठाई और इस प्रकार छोड़ा गया भण्डार एच० आई० एल० के पास फालतू हो गया। अतः मात्रा इस वास्तविक विश्वास के अधीन फालतू हुई कि पिछले वर्षों की तरह एन० एम० ई० पी० द्वारा आर्डर की गई पूरी मात्रा उठाई जायेगी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः स्टाक एच० आई० एल० के पास अभी भी पड़ा हुआ है। एच० आई० एल० की क्षमता का पूर्णतः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, जो एन० एम० ई० पी० को नियन्त्रित करता है, से मेलाथियान की आपूर्ति की योजना की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

(घ) मेलाथियान सहित एच० आई० एल० का उत्पादन, आई० एस० आई० मानकों की शर्तों को पूर्णतया पूरा करता है अतः उसके अस्वीकार्य पाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इस विषय से योजना आयोग का सम्बन्ध नहीं है।

———

"उद्योगविहीन जिलों" के स्थान पर विकास केन्द्रों के बारे में दिनांक 31 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5040 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : 27 मार्च, 1987 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 5040 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में

"उद्योग विहीन जिलों" के स्थान पर विकास केन्द्रों के बारे में दिनांक 31 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5040 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

निम्नलिखित पंक्ति असावधानी के कारण छूट दी गई थी :—

समिति की रिपोर्ट सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

उत्तर का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रकार से पूर्ण था।

त्रुटि के लिए खेद है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार का एक नोटिस दियाहै।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

आप एक चीज मुझे बताओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं 50 आदमियों की बात एक साथ कैसे सुन सकता हूं। आप एक-एक करके बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, जब हमने 'बोफोर्स' सौदे के इस मसले की चर्चा की थी तो हमें बताया गया था कि सरकार द्वारा जांच की जा रही है और तब सभा संतुष्ट थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप उसी की बात कर रहे हैं, जो आपने दिया है। मैं पता कर लेता हूं। यह आज ही आया है।

[अनुवाद]

श्री सी०माधव रेड्डी : परन्तु आज स्वीडन के प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह इसके बारे में नहीं जानते हैं। कोई जांच नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पता कर लूंगा, माधव जी। आपने मुझे दिया है और सभी का आया हुआ है।

[अनुवाद]

कृपया अब मुझे सुनें। मैं उत्तर दे रहा हूं और आप नहीं सुनते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दें। यह बात मेरे समक्ष रखी गई है। अब मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मुझे जानकारी हासिल करनी है। मैंने आज सुबह पढ़ा है और आपने भी मुझे यह दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधान मन्त्री यहां हैं। उन्हें यह स्पष्ट करने दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि वह चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं··· (व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इतना जोर क्यों लगाते हैं, आराम से बैठिए।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, आज कुछ समाचारपत्रों में एक समाचार छपा है जिसमें मैंने जो कुछ कल सेना के कमान्डरों के सम्मेलन में कहा था उसे गलत उद्धृत किया गया है और उस गलत उद्धरण को स्वीडन के प्रधान मंत्री के पास ले गये हैं और उनसे कतिपय सवाल किये हैं। इसलिए मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहूंगा। मैंने सेना के कमान्डरों के सम्मेलन में यह कहा था कि मैंने इस मामले पर स्वीडन के प्रधान मंत्री से बात की थी। स्वीडन के प्रधान मंत्री जिनसे मैंने बात की थी वह श्री ओलेफ पाल्मे थे और मैंने सेना के कमान्डरों के सम्मेलन में इस बात का जिक्र किया था कि मैंने 'ओलेफ पाल्मे' से बात की है तथा यह मैंने सभा में भी स्पष्ट कर दिया था कि मैंने स्वीडन के प्रधान मंत्री श्री ओलेफ पाल्मे से बात की है। मैंने उन्हें बताया था कि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई बिचौलिया सम्बद्ध हो। इस बात की बाद में, प्रधान मंत्री श्री ओलेफ पाल्मे ने मुझे पुष्टि कर दी थी कि कोई भी बिचौलिया इसमें सम्बद्ध नहीं होगा। वर्तमान स्वीडन सरकार ने हमें इस बात की पुष्टि कर दी है और यह बात हमने सभा को बताई है। यह बात वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कही गई थी कि उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है और मैंने स्वीडन के प्रधान मंत्री श्री ओलेफ पाल्मे से कहा था कि इसमें कोई भी बिचौलिया सम्बद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने अब पिछले वाद-विवाद में इस बात की पुष्टि की थी कि बोफोर्स ने स्वीडन की सरकार को आश्वासन दिया है कि इसमें कोई भी बिचौलिया सम्बद्ध नहीं होगा और जिस बात की पुष्टि उन्होंने ओलेफ पाल्मे को की थी उसी की पुष्टि करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें कोई भी बिचौलिया सम्बद्ध नहीं होगा। इसलिए हम उस बात पर बहुत कम स्पष्ट हैं और हाल ही में स्वीड़न सरकार द्वारा यह बात हमें स्पष्ट कर दी गई है।

मैंने प्रधान मंत्री कार्लसन पर यहां इस सभा में या सेना के कमान्डरों के सम्मेलन के दौरान कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने प्रधान मंत्री कार्लसन से 23 अप्रैल को बात जरूर की थी परन्तु यह एक बहुत छोटा वार्तालाप था। यह वार्तालाप उन्हें केवल उन सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद देने के लिए था जो स्वीडन सरकार ने ईस्टर छुट्टियों के दौरान किये थे, क्योंकि जब उन्होंने सरकार को कार्यप्रवर्त किया और कार्यालयों को खुलवाया तथा हमारे लिये कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त किये, उस समय वहां विशेष छुट्टियां थीं। यह वार्तालाप केवल उन्हें धन्यवाद देने के लिए था।

मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हमने स्वीडन सरकार को इस मामले में जांच करने के लिए कहा है। हमने उन्हें यह 21 अप्रैल को करने के लिए कहा है। इस बात की भी सबको जानकारी दी गई थी और मैं समझता हूं कि इस सभा में नहीं दी गई थी क्योंकि हमें उनसे इस बात की पुष्टि नहीं मिली

थी। हमने उन्हें पहले कहा था। हमें पुन: पुष्टि मिली और यह बात राज्य सभा में स्पष्ट कर दी थी। यदि मुझे ठीक से याद है तो लोक सभा में वाद-विवाद 20 तारीख को था और राज्य सभा में यह 21 तारीख को था। इसलिए 21 तारीख को यह बात राज्य सभा में स्पष्ट कर दी गई थी। एक बार फिर मैं सभा और राष्ट्र को यह बात दोहराना चाहूंगा कि हमें अभी तक कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिली है। समाचारपत्र यह कहते हैं कि उनको जानकारी है।

(व्यवधान)

मैं आपको उत्तर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

[हिन्दी]

क्या कर रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : आप मुझे सुनें, फिर खड़े हों।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आराम से बात कीजिए।

श्री राजीव गांधी : भई, एक बार तो कह चुके हो, दुबारा फिर क्यों कहना चाहते हो ?

अध्यक्ष महोदय : गर्मी करने से मामला गड़बड़ हो जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। हम स्वीडिश बैंक से आग्रह नहीं कर सकते हैं। हम स्वीडन सरकार से आग्रह कर सकते हैं और मैंने अभी-अभी वह तारीख पढ़ी थी जब हमने स्वीडन सरकार से आग्रह किया था और हमने उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इससे इन्कार किया है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : क्या आपने प्रधान मंत्री से पूछा था ?

श्री राजीव गांधी : जी, नहीं। मैंने प्रधान मंत्री से इसके बाद बात की थी। जिस तारीख को मैंने प्रधान मंत्री से बात की थी उससे पहले ही हमें स्वीडन सरकार से पुष्टि मिली थी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या राजनयिक माध्यमों के जरिये ?

श्री राजीव गांधी : जी हां, हमने उनसे राजनयिक माध्यमों के जरिये पूछा था। यह रिकार्ड में है कि वे इसकी जांच करेंगे और इसे फिर वे हमें देंगे। हमने उन्हें इस बात पर और आगे स्पष्ट किया कि हम उनकी अनुमति के लिए कहेंगे और हम चाहेंगे कि वे इस पर गौर करें तथा वे जो कुछ हमें बताएंगे उसे हम अपनी संसद की सभाओं में पेश करने के लिए भी अनुमति चाहेंगे, क्योंकि उनकी स्वीकृति प्राप्त किये बगैर हम उनसे कुछ भी प्राप्त करना और उसे उदघाटित करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वह एक शर्त है जिस पर वे सहमत हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसमें छुपा रहे हैं। हमने जांच के लिए कहा है। प्रश्न यह है···

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ? आप ऐसा मत करिये। आप बात सुन लीजिये।

[**अनुवाद**]

श्री राजीव गांधी : मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। मैंने समाप्त नहीं किया है। आपने देखा है, हमने स्वीडन सरकार से पूछा है और समाचार-पत्रों में क्या कहा गया है। मेरे पास इस समय वह कतरन नहीं है। यदि मुझे ठीक से याद है···

श्री बसुदेव आचार्य : यह यहां है।

श्री राजीव गांधी : यदि आप यह मुझे दें तो मैं वह बात पढ़ दूंगा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह सच्चा लोकतंत्र है।

श्री राजीव गांधी : आप देखें कि इस विशेष कतरन में क्या कहा गया है।

एक माननीय सदस्य : यह कौन-सा समाचार-पत्र है ?

श्री सी० माधव रेड्डी : हिन्दू।

श्री बसुदेव आचार्य : 'इण्डियन एक्सप्रेस' नहीं।

श्री राजीव गांधी : कृपया ध्यानपूर्वक सुनें, कृपया सुनें। इसमें कहा गया है :

"जब स्वीडन के प्रधान मंत्री के कार्यालय से सम्पर्क किया गया था तब उन्होंने यह कहा था कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने टेलीफोन वार्तालाप में अमुक-अमुक के लिए स्पष्टीकरण के लिये नहीं पूछा था···

मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि टेलीफोन वार्तालाप में हमने पूछा था। टेलीफोन वार्तालाप तो केवल उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद देने के सम्बन्ध में था। हमने राजनयिक माध्यमों के जरिये पूछा था हमने सरकारी स्तर पर पूछा था और यह हमारे पास रिकार्ड में है। हम उससे अधिक कुछ नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी छुपाने या दबाने की कोशिश करने का सवाल ही नहीं उठता है।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

भई मुझे खत्म करने दो न।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : कृपया सुनें। मैं इस अंश को फिर से पढ़ दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्वीडिश गवर्नमेंट को बोलना है और किसको बोलना है।

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : महोदय, अन्तिम पैरा पढ़ें। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : "...उन्होंने स्वीडिश प्रधान मंत्री से हाल के टेलीफोन वार्तालाप में स्पष्टीकरण आदि के लिए नहीं पूछा था और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।"

यह समाचारपत्र विशेषरूप से टेलीफोन वार्तालाप का जिक्र कर रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या कोई स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं ?

श्री राजीव गांधी : मैं आपको बता रहा हूं कि हमने इसके लिए कहा है। मैंने आपको वह तारीख बताई है जब हमने इसके लिए पूछा था। यदि आप तार संख्या भी चाहते हैं तो मैं आपको तार संख्या भी दे सकता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं। आयेगा तब आपके पास रखेंगे।

श्री राजीव गांधी : मुझे एक बार फिर दोहराना चाहिए। हमने स्वीडन सरकार से पूछा है। हम स्वीडन सरकार से एक प्रत्युत्तर का इन्तजार कर रहे हैं। मैं उस प्रक्रिया के बारे में नहीं जानता हूं जो स्वीडन सरकार को पूरी करनी है। इसलिए मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि इस मामले में उन्हें कुछ करने के लिए सात दिन क्यों लग गये हैं।

सरकार की प्रक्रियाओं में समय लगता है। उन्हें करने दीजिये। मुझे कोई संदेह नहीं है...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपने उनसे वास्तव में क्या पता लगाने के लिये कहा है क्योंकि केवल स्वीडिश सरकार ही पता लगा सकती है कि क्या बैंक में धन का भुगतान किया गया है ?

श्री राजीव गांधी : हमने जो कुछ कहा है वह मैं आपको बताता हूं। हमने उन्हें यह पता लगाने के लिये कहा है कि क्या स्वीडिश सरकार द्वारा हमें दिये गये इस वचन का उल्लंघन तो नहीं हुआ है कि बिचौलियों अथवा अन्य एजेंटों को कोई भुगतान तो नहीं किया गया है। हमने उनसे विशेष रूप से यही

पता लगाने के लिए कहा है। यह बहुत स्पष्ट है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : वह कहते हैं कि कोई वचन नहीं दिया गया है।

श्री राजीव गांधी : टेलीफोन पर। मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूं। टेलीफोन पर कोई वचन नहीं दिया गया है। (व्यवधान) मुझे अपनी बात कह लेने दीजिये। फिर आप चिल्लाना शुरू कर सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप केवल हमारा चिल्लाना जानते हैं, आप दूसरी तरफ के लोगों के चिल्लाने से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। मुझे खेद है··· (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मुझे दुबारा अपनी बात कहने दीजिये। हम स्वीडिश सरकार से सूचना प्राप्त करने का इन्तजार कर रहे हैं। जिस क्षण हमें सूचना प्राप्त होगी हम कार्यवाही करेंगे और हम आपको दिखा देंगे कि हमने कार्यवाही की है। हम राष्ट्र को दिखायेंगे कि हमने कार्यवाही की है। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए समाचार-पत्रों ने कई बार कहा है कि उनके पास यह सूचना है, उनके पास वह सूचना है। मेरे विचार में मैं नहीं जानता — दो सप्ताह या दस दिनों से हमने "हमारे पास यह हैं हमारे पास वह है" की जांच की है। इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना सूचना को छोड़कर कि यह किसने किया है हमें समाचार पत्रों से कोई सूचना नहीं मिली है। पहले उन्होंने कहा राजनीतिज्ञों ने, फिर उन्होंने कहा अधिकारियों ने, अब वे कह रहे है न अधिकारियों ने और न राजनीतिज्ञों ने यह किया है। बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है। भगवान के लिए अगर प्रेस के पास कोई सूचना है तो हमें दें। हम कार्यवाही करेंगे और आपको दिखायेंगे · (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है, क्या करते हैं आप। अभी कोई डिबेट तो हो नहीं रही है।

[अनुवाद]

अब कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है। इस समय कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है। कोई वाद-विवाद नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : इस समय वह राज्य सभा में चले गये है।

अध्यक्ष महोदय : कोई वाद-विवाद नहीं है। भगवान के लिए उत्तेजित न होइये उन्हें राज्य सभा जाना था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, ऐसा बिहेव करेंगे तो बहुत बुरी बात है। आप मत करिये, ऐसा मत करिये, फार गाड सेक, ऐसा मत करिये। अभी हो गया क्लेरिफिकेशन, उसके बाद कुछ होगा तो फिर डिसकस करते रहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

यह प्रश्नोत्तर सत्र नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : श्रीमन अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कल, हमने एक नोटिस दिया था ··

श्री सी० माधव रेड्डी : कल हमने फेयरफेक्स के मामले की जांच के लिए जांच आयोग के विचारार्थ विषयों को बढ़ाने लिए मूल प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय करने के लिए मुझे सूचना प्राप्त करनी है। मुझे इसपर विचार करना है। मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूं। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं हैं ? आपको बता तो दिया है, अब आप मेरे से दस दफा कहलवाइये या एक दफा कहलवाइए, बात तो वही रहेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कल, हमने एक नोटिस दिया था···

श्री सी० माधव रेड्डी : जांच आयोग के विचारार्थ विषय को व्यापक बनाना होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। यह मेरे विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कल आपने कहा था कि आप विषय पर विचार करेंगे···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

———

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.14 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1987

[अनुवाद]

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1 87, जो 25 फरवरी, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 112 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र, जो 16 अप्रैल, 19 7 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 405 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4281/87]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके लेखा परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—(1) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1985-86 तथा इसके समनुषंगी, अर्थात् हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1985-86 तथा इसके समनुषंगी, अर्थात् हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4282/87]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत स्नेहक तेल तथा ग्रीस (प्रसंस्करण, पूर्ति तथा वितरण विनियमन) आदेश, 1987, जो 28 मार्च, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 233 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4283/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 और सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 15 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 403 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—4284/87]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) सा० का० नि० 400 (अ), जो 15 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 474/86-सी०शु० के कतिपय संशोधन किए गए है ताकि "मृत तापित मैग्नीशिया" के लिए अनुकल्पी विनिर्देशन मुहैया कराया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या (एल०टी०—4285/87]

(दो) सा० का० नि० 401 (अ), जो 15 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 41/85-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार, तकनीकी विकास महानिदेशक को भी प्रदान किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० --4286/87]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 404 (अ), जो 15 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 452/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि तीन प्रकार के और रेलवे वैगनों, अर्थात्, एट-व्हीलर कवर्ड वैगनों, फोर-व्हीलर टैंक वैगनों तथा एट-व्हीलर टैंक वैगनों के लिए उत्पाद-शुल्क की विशेष प्रभावी दर निश्चित की जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4287/87]

केन्द्रीय मशीन औजार संस्थान बंगलौर का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं : (1) केन्द्रीय मशीन औजार संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय मशीन औजार संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4288/87]

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों को अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4289/87]

टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण और वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा तथा भारतीय तार अधिनियम (दूसरा संशोधन) नियम, 1987

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—4290/87]

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1987, जो 9 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 377 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०—4291/87]

12.15 म०प०

प्राक्कलन समिति

47वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी (चन्दौली) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—भारतीय रिजर्व बैंक—ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं खोलने के संबंध में प्राक्कलन समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

———

लोक लेखा समिति

89वां, 95वां, और 100वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) "पर्यटक विशेष गाड़ी—दि पैलेस आन व्हील्स" के बारे में 89वां प्रतिवेदन;

(दो) "कर वसूली के लिए कुर्क की गई अचल सम्पत्तियों का निपटान" के बारे में 95वां प्रतिवेदन; और

(तीन) "कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्यकरण की समीक्षा" के बारे में 100वां प्रतिवेदन।

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति

24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग) — यूको बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.16 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही—सारांश

[अनुवाद]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी राज्य सभा में जा चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

[हिन्दी]

मैं किसकी बात सुनूं मुझे कोई सुनने तो दे।

आपस में ही लगे हुए हैं।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मेहरबानी करके मेरी बात सुनें। हमेशा मर्यादा का प्रश्न रहा है। हमेशा एक समाधान होता है। हमेशा चर्चायें होती हैं और हम हमेशा उनके लिए अनुमति देते हैं।

[हिन्दी]

आज आपने उनसे कोई क्लेरीफिकेशन मांगा था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुनते नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। पहले आप ही बोल लीजिए। रेड्डी साहब आपको क्या हो गया है! आप तो भले आदमी हैं। आप सुनते नहीं, मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूं कि आप सुनें तो सही। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, क्लेरीफाइ करें···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उसी के लिए आए थे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर बुरा किया है तो मैं आइन्दा के लिए रोक देता हूं। अगर अच्छा किया है तो ठीक हो गया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने नहीं देते, मैं क्या करूं। आपने कहा कि क्लेरीफाइ हो गया। उन्हें संसद के दूसरे आउस में जाना था। क्वेश्चन अलाऊ नहीं किया था और कोई डिसकशन भी नहीं था। किसी वक्त डिसकशन मांगेंगे तो मैं सोच लूंगा। मैंने आपको रोका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आज ही होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट में नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

मुझे इस पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

कोई चीज होगी डिस्कशन के लिए तो जरूर करेंगे। न कभी बन्द किया है और न बन्द करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : दूसरे सदन में प्रतिदिन इसी मामले पर चर्चा की जा रही है। इस पर कल एक चर्चा हुई थी और आज भी वे इस पर चर्चा कर रहे हैं। यहां कुछ भी नहीं है। क्या हम लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए श्रीमान जी।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : राज्य सभा में कल डिसकशन हुआ और आज भी होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, यहां हम लोग डिसकशन नहीं कर पा रहे हैं। आप आज ही अलाऊ कीजिए।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : किस बात का डिसकशन हुआ।

श्री सी० माधव रेड्डी : आज ही अलाऊ कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : टाइम होगा तो करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने न किया है आपको?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने आपको किसी बात के लिए इन्कार किया है?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : प्रधान मंत्री जी ने सदन का विशेषाधिकार हनन किया है जो एक वाक्य पर आधारित है... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं।

[हिन्दी]

मैं देखकर बताऊंगा।

[अनुवाद]

अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है। उन्नी जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहले आपको मुझसे अनुमति लेनी होगी।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। मैंने माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : आप यह कैसे कह सकते हैं कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। मैंने उसी समय उनको मना कर दिया था। मैं चाहता हूं कि वे मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनें, मैं उन्नीकृष्णन जी से बात कर रहा हूं। मैं बात का जवाब दे सकता हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

आपको पहले मेरी अनुमति लेनी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात। आप फिर बीच में आ गये। मैं यहां बैठा हूं, आपने बैठाया है कि मैं कंडक्ट करूं। कंडक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप मेरे से परमीशन लें, अगर मैं परमीशन दूं तो बात करें। अगर मैं सबको एक साथ परमीशन दे सकता हूं तो मुझे बता दें।

[अनुवाद]

मुझे आपके द्वारा बनाये गये नियमों पर चलना पड़ता है। मैं कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूं जो नियमों से बाहर है।

[हिन्दी]

मैं आपको यह कहना चाहता था, जब आप शुरू कर रहे थे। जो आपने प्रिवीलेज का नोटिस दिया मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूं जैसे हरेक के किए करता हूं, वही करके मैं आपको जवाब देता, फिर आपको अलाऊ करता।

[अनुवाद]

फिर मैं आपको अनुमति दे देता।

[हिन्दी]

अब भी मैंने यह नहीं कहा कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा है कि आपका आया है।

[अनुवाद]

मैं इस पर उचित कार्यवाही करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मैं इसको अस्वीकार करूंगा या स्वीकार करूंगा। कितनी सीधी-सी बात है।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : आपने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एडजोर्नमेंट-मोशन का सवाल पैदा नहीं होता। आप अगर किताब पढ़ लें आपको भी पता लग जाये।

[अनुवाद]

मुझे कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

हिन्दी]

श्री० सी० माधव रेड्डी : हमारी शिकायत यह है कि वहां पर हो रही है, यहां पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हम नहीं कर रहे हैं। हमें किसी ने नहीं रोका है। हम जरूर करेंगे जो हम कर सकते हैं। वहां कुछ नहीं हो रहा है। आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक (पणजी) : क्या कृपया आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ? मैंने विपक्षी दलों के सदस्यों के विरुद्ध आपके द्वारा दिये गये विनिर्णय के विरोध में इसके विरुद्ध बहुत से वक्तव्य देते हुए सभा से उठकर चले जाने के लिए जो सदन की घोर अवमानना है, एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है।

[अनुवाद]

श्री शांता राम नायक : यह सदन की पूरी अवमानना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। मेहरबानी करके बैठ जाइये।

[हिन्दी]

कृपया बैठ जायें, क्यों जिद करते हैं, बिला वजह समय जाया करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। आप बैठिये मिस्टर डोरा आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं। ऐसा है।

[अनुवाद]

नायक महोदय, यह हमेशा सदन की अवमानना है। यह मेरी अवमानना नहीं हैं। अध्यक्ष की अवमानना सदन की अवमानना है और जो कोई भी अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय की अवज्ञा करता है वह सदन की अवमानना करता है, चाहे वे सदन से उठकर चले जाते हैं।

यह एक जुड़ी हुई बात है। वे भी इससे सम्बन्धित हैं। मैं अकेला ही नहीं हूं क्योंकि वे भी इस सभा के अभिन्न अंग हैं। यह एक जुड़ी हुई बात है। अतः वे इस पर विचार करें। यह संयुक्त अवमानना है। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह एक जुड़ी हुई बात है। यह आपकी अवमानना है, मेरी नहीं। मैं आपसे अलग नहीं हूं। मैं आपमें से ही एक हूं। मेरा सम्मान आपका सम्मान है। अध्यक्ष पीठ का सम्मान आपका सम्मान है मेरा नहीं। मैं आपका एक अभिन्न अंग हूं। यदि आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे अध्यक्ष पीठ की अववानना होती है तो यह आपके विरुद्ध है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने रोका कब। मुझे देख तो लेने दो, कोई चीज दो, तभी करूंगा। आप आकर मेरे से बात करें।

[अनुवाद]

आप मेरे पास आइये। मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं देखूंगा, चर्चा करूंगा और तब मैं निर्णय करूंगा। मैं इस तरह निर्णय नहीं करता हूं।

[हिन्दी]

मैं देखकर करूंगा।

12.25 म०प०

भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है। संयुक्त राज्य अमेरिका की फेयरफैक्स ग्रुप इंक के साथ हुए समझौते के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न घटनाओं और परिस्थितियों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 6-4-1987 को न्यायमूर्ति श्री एम० पी० ठक्कर और न्यायमूर्ति श्री एस० नटराजन क्रमशः अध्यक्ष और सदस्य को सम्मिलित करके एक जांच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना में, इस जांच आयोग के विचारार्थ विषयों का उल्लेख किया गया है जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 6-4-87 को प्रकाशित किया गया था और जिसका ब्यौरा मैंने 6-4-87 को सदन में दे दिया था।

2. यह जांच आयोग आर्थिक कार्य विभाग के अधीन कार्य करेगा। चूंकि इस आयोग का गठन बजटोत्तर हुआ है, अतः इसके लिए प्रावधान इस विभाग की अनुदानों की मांग मेंशामिल नहीं किया गया है। चूंकि तथापि, आयोग द्वारा कार्य तुरन्त आरम्भ करना आपेक्षित है और तीन महीने की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सरकार को रिपोर्ट पेश की जानी है अतः 8.50 लाख रुपया की एक अग्रिम राशि जिसका आयोग पर वर्तमान व्यय होने का अनुमान है भारत की आकस्मिक निधि से लेने का प्रस्ताव है। इस अग्रिम की पूर्ति हमेशा की तरह संसद के अगले सत्र में पेश की जाने वाली पूरक मांग के माध्यम से कर दी जाएगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मन्त्री ने हमारी बातों का उत्तर नहीं दिया है। हम इसके

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

12.26 म०प०

तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये

———

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे।

12.26 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

(एक) मलयालम में पालघाट में माइक्रोवेव के माध्यम से दूरदर्शन संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट) : पालघाट में स्थित कम शक्ति वाला टी० वी० ट्रांसमीटर त्रिवेन्द्रम से मलयालम कार्यक्रम संप्रेषित नहीं कर सकता है। सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि कालीकट के दूरदर्शन केन्द्र से माइक्रो वेव के जरिए मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। परन्तु इससे केवल कोचीन और कालीक्रट को ही लाभ होगा।

पालघाट एक वह जिला है जिसका बहुत तेज गति से औद्योगिक तथा शैक्षणिक विकास हो रहा है। दूरदर्शन विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारण होने के कारण दूरदर्शन की उपयोगिता कम हो गई है। स्थानीय लोग मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आनन्द नहीं ले सकते क्योंकि इनको अपरिचित सांस्कृतिक वातावरण में तैयार किया जाता है और इनमें स्थानीय रुचि की कमी होती है। पालघाट मुख्य रूप से एक जनजातीय जिला है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। दूरदर्शन को जनसंख्या के इन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जब वर्ष 1985 में प्रधान मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया था तो उन्होंने इन लोगों की समस्याओं में गहरी रुचि दिखायी थी। माइक्रोवेव के जरिए मलयालम कार्यक्रमों को 14 में से 10 जिलों में दिखाया जा सकता है। पालघाट और कुछ दूसरे जिलों को छोड़ दिया गया है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पालघाट में माइक्रोवेव के माध्यम से मलयालम में संप्रेषण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

(दो) देश में औद्योगिक इकाइयों को रेलगाड़ियों द्वारा कोयले की आपूर्ति करने की प्रणाली को पुनः चालू करने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना

*मूलत: मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी]

देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 1987 से कोयला वितरण की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसके अंतर्गत 120 वैगन स्टीम कोयला वार्षिक खपत करने वाली औद्योगिक इकाइयों को सीधे रेल द्वारा कोयला नहीं मिल सकेगा और इन औद्योगिक इकाइयों को अपनी कोयले की आवश्यकता अधिक धन देकर पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इसका कुप्रभाव उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों पर पड़ना स्वाभाविक है। इन इकाइयों को सीधे रेल द्वारा कोयला प्राप्त न होने से कोयला प्राप्त करने की लागत में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है और इस लागत की वृद्धि का प्रभाव उत्पादित वस्तु के मूल्य पर पड़ने के कारण उपभोक्ताओं को वस्तुएं अधिक मूल्य पर प्राप्त होंगी और जिसका परिणाम यह होगा कि मूल्य सूचकांक उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर होगा। साथ ही रेल द्वारा कोयला प्राप्त न होने के कारण इन औद्योगिक इकाइयों को डम्प कोयला प्राप्त करने के लिए अग्रिम अदायगी करनी पड़ेगी और इसका भी सीधा प्रभाव इकाई के पूंजी निवेश पर पड़ेगा और ब्याज के वृद्धि के कारण उत्पादनों की कीमत बढ़ जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता और औद्योगिक इकाइयां इस व्यवस्था के लागू हो जाने के कारण बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपभोक्ता और इन इकाइयों की रक्षा हेतु सीधे रेल द्वारा जैसे पहले व्यवस्था थी इन इकाइयों को कोयला आपूर्ति की व्यवस्था की जाए जिससे वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो और मूल्य सूचकांक को बढ़ने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

(तीन) हिमाचल प्रदेश की स्वान नहर निर्माण परियोजना सहित शिवालिक परियोजना का निर्माण कार्य सातवीं योजना के समाप्त होने से पूर्व शुरू करने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश के उना-हमीरपुर जिलों में शिवालिक परियोजना तथा स्वान नहर निर्माण परियोजना काफी वर्षों से भारत सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना की स्वीकृति और निर्माण भूमि के कटाव तथा हजारों एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने और इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक है।

इसलिए मैं जल संसाधन मन्त्री और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि विश्व बैंक अथवा और किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सी से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को अंतिम रूप देने तथा इसकी स्वीकृति और निर्माण के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठायें। इसके साथ-साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि कम-से-कम इस परियोजना पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पहले कार्य आरम्भ हो जाये।

(चार) तालचेर स्थित भारी जल संयंत्र को पुन: चालू करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा में तालचेर में पश्चिम जर्मनी से आयातित प्रौद्योगिकी और मशीनों के साथ 70 करोड़ रुपये के निवेश से भारत सरकार ने भारी जल संयंत्र 1973 में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य 65 एम०टी० भारी जल प्रतिवर्ष उत्पादन करना था। जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाना था। वहां पर कार्यरत 46 राजपत्रित और 340 गैर-राजपत्रित कर्मचारियों

के वेतन मंहगाई भत्ते आदि आवर्ती व्यय प्रतिवर्ष 48 लाख रुपए से भी अधिक होगा और 72 लाख रुपए संयंत्र को कच्ची गैस पहुंचाने में खर्च किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिन्थेसिस गैस और संयंत्र के लिए दूसरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए 14.4 मिलियन रुपए खर्च किए जाते हैं। परन्तु संयंत्र में 29-4-86 को हुई एक दुर्घटना के कारण उत्पादन रोक दिया गया और तब से संयंत्र में भारी जल का उत्पादन बन्द है जिससे सरकारी राजकोष में भारी नुकसान होता है। इससे राष्ट्रीय हित को भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इस संयंत्र का प्रबन्ध मंडल भी इसे पुनरुज्जीवित करने में रुचि नहीं ले रहा है। जानकार व्यक्तियों के अनुसार अगर काफी पहले प्रभावशाली कदम उठा लिए गए होते तो कुछ महीनों में ही संयंत्र को कार्य करने योग्य बनाया जा सकता था।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संयंत्र को पुन: चालू करने और भारी जल का उत्पादन करने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही की जाए।

(पांच) उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न रोगों के फैलने को रोकने के लिये आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) उड़ीसा से जनजातीय लोगों की भारी जनसंख्या है। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए निकट से निगरानी रखने और नियमित अनुवर्ती कार्यवाही करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उन्हें रोगों से बचाने के लिए कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन रोगों में से एक रोग 'रिकेबार्क' है अथवा इसे गरीब आदमी का रोग भी कहा जाता है। इस रोग से रोगी एनैमिक हो जाता है। शरीर के अंग मुड़ जाते हैं। जोड़ों में सूजन आ जाती है और वह रोगी धीरे-धीरे मर जाता है। ऐसा महसूस किया गया है कि आक्सीजन और लाल रक्त कणों की मात्रा कम हो जाती है और व्यक्ति मर जाता है। यह बड़ा कष्टदायक है। उड़ीसा में इस रोग का 11 प्रतिशत प्रभाव है यद्यपि यह पड़ोसी राज्यों बिहार और आन्ध्र प्रदेश में भी व्याप्त है। अभी तक इसका वास्तविक उपचार नहीं मिल पाया है। यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार इस बारे में अनुसंधान करे और उचित चिकित्सा सहायता के लिए विशेषज्ञों को वहां भेजे। इसके अतिरिक्त कुष्ठ रोग भी बढ़ रहा है। हमारे पास सिर्फ एक केन्द्र है परन्तु रोगियों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ जनजातीय लोग फेफड़ों की बीमारी से भी पीड़ित हैं। यह दमे का रोग नहीं है। यह दौरों में नहीं आता इसमें श्वास लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है और धीरे-धीरे रोगी मर जाता है। यह दुख की बात है कि हमारी जनसंख्या के किसी जातीय वर्ग की बीमारियों पर ध्यान न दिया जाए परन्तु हम वास्तव में उनकी सहायता करना चाहते हैं। अतः केन्द्र सरकार को इस बारे में न केवल आवश्यक कार्यवाही ही करनी चाहिये किन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से जिसका उपयोग सिर्फ शहरों के लिए होता रहा है, अब जनजातीय क्षेत्रों में बीमारियों का इलाज करने के लिए अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

(छह) पूर्वी गोदावरी जिले के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु आन्ध्रप्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने और पोलावरम परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री श्रीहरि राव (राजामुन्द्री) : मेरा निर्वाचन क्षेत्र राजमुन्द्री (आन्ध्र प्रदेश) सूखा क्षेत्र है जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां पिछले 4 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है। पूर्वी गोदावरी जिले की बुरुगुपुडी काडियन तथा अन्य विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्र भी सूखे से प्रभावित हैं। इस क्षेत्र में

[श्री श्रीहरि राव]

मनुष्यों तथा पशुओं के लिए पीने के पानी का नितांत अभाव है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीणों को पीने का पानी प्रदान करने के लिए ए०आर०डब्ल्यू०यू०एस० केन्द्रीय योजना के अधीन आन्ध्रप्रदेश राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि राज्य सरकार इस योजना को आरम्भ कर सके और इन विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के सूखा प्रभावित लोगों को पीने का पानी प्रदान किया जा सके। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि पोलावरम परियोजना को जल्दी से मंजूरी दी जाये ताकि इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों को स्थायी आधार पर पानी दिया जा सके। पोलावरम परियोजना विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र और दूसरे कस्बों को भी पानी की सप्लाई करेगी।

(सात) राजस्थान में बसे बंगाली परिवारों के लिये अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातयों के लिये आरक्षण फामूले की पुन: जांच करने की आवश्यकता

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : 1947 में हमारे देश के विभाजन के समय बंगला देश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) के हजारों बंगाली परिवार विस्थापित हो गये। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सम्मिलित करते हुए ये परिवार गैर-मुस्लिम जनसंख्या के सभी वर्गों और जातियों से सबंधित हैं। इनके भारत में आने के बाद ये राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में बस गए हैं। इनमें से कुछ बंगाली परिवार राजस्थान में कोटा जिले की शाहबाद, किशनगंज तहसीलों में भी बस गए थे। इन परिवारों में बहुत से परिवार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं किन्तु उन्हें सरकारी रिकार्ड में बंगाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कोटा जिले में बसे हुए अधिकतर बंगाली परिवार नामो-शूद्र, पांड्या क्षत्रिय, धोपा, मोची, पारामनिक जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं जिनको बंगलादेश और पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में समझा जाता है परन्तु राजस्थान में नहीं। इस प्रकार इन परिवारों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति को मिलने वाले लाभ से वंचित किया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजस्थान में बसे बंगाली परिवारों के प्रति भेदभाव अथवा दूसरी जातियों और जनजातियों के विरुद्ध अथवा में किए गए भेदभाव को ध्यान में रखते हुए भविष्य में योग्य समुदायों के साथ न्याय करने और राजस्थान की नामो-शूद्र तथा अन्य बंगाली परिवारों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण सम्बन्धी फार्मूले की उपयुक्त रूप में पुन: जांच की जानी चाहिए।

12.36 म०प

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

कृषि मन्त्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान को लेंगे। चूंकि मांगों पर भाग लेने के लिए हमारे पास कई माननीय सदस्यों के अनुरोध आए हैं

इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें क्योंकि समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, भारत जैसे देश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम सारे देश के लोगों को खिलाना और रूरल अन-एम्पलायमैंट को सोल्व करना है। इस बारे में यह डिपार्टमैंट टोटली फेल्योर है।

आपकी एनुअल रिपोर्ट के पेज 3, 4 में आपने कहा है —

[अनुवाद]

संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

[हिन्दी]

लेकिन आपने इसमें कितनी प्रोमीनेन्स दी है। आप इकनामिक सर्वे की रिपोर्ट देखिये—

एग्रीकल्चर में 6,1 था, सातवें प्लान में यह 5.9 परसैंट और 1986-87 का जो एनुअल प्लान है उसके आउट-ले में यह 5.6 है। यह आप प्रोमीनेन्स दे रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को एक्सेज करना चाहते हैं तो इसकी पहली शर्त होगी —

[अनुवाद]

कृषि औजारों को खरीदने के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता के साथ काश्तकारों को भूमि उर्वरक तथा बीज किसानों को लाभप्रद मूल्य और ग्रामीण बेरोजगारी को हल करना होगा।

[हिन्दी]

मैं पहले प्वाइंट में आपके लैंड रिफार्म के बारे में आपकी ही रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। दिसम्बर, 1986 तक सारे भारत में 76,06,131 एकड़ जमीन सरप्लस डिक्लेयर थी और अकेले वैस्ट बंगाल में 12 लाख 54 हजार एकड़ जमीन सरप्लस डिक्लेअर हुई जो टोटल लैंड का 1/6 है। आपने टोटल पोजेशन 5821723 एकड़ का किया है और उसमें से वैस्ट-बंगाल का 1107665 एकड़ आया है। इसी तरह से टोटल लैंड सारे भारत में डिस्ट्रीब्यूट 4465960 एकड़ हुई है और मेरे वैस्ट बंगाल में लैंड 8 लाख 33 हजार एकड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मेरा नहीं कहो, हमारा कहो।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : ठीक है, आपका वैस्ट बंगाल। टोटल बैनिफिशरी इण्डिया में जितने हैं उसके 50 परसेंट बैनिफिशरी हमारे वैस्ट बंगाल में है। आपका जो लैंड रिफार्म ऐक्ट है उसके जो लूप-होल्स हैं अगर आप उसको बन्द नहीं करेंगे तो रैडीकल लैंड का सपना ही बनकर रह जायेगा। एक तो आपने सीलिंग 262 यूनिट में बनायी है और उसके द्वारा सिंगल या डबल इअर में उसे सीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य आइटम्स जैसे कि टी, काफी, रबड़ आदि हैं, उनको उससे बाहर रखा है। सीलिंग का मतलब तो यही होगा कि एग्रीकल्चर लैंड कुल पांच हैक्टेयर होगी। लेकिन दूसरे स्टेट्स में आपने इसको अभी तक नहीं छेड़ा है।

[श्री सैयद मसूदल हुसेन]

[अनुवाद]

'धार्मिक, शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थाओं आदि को छूट उपलब्ध की गई है…"

[हिन्दी]

आपको जितनी भी वक्फ प्रापर्टी है चाहे वह मन्दिर के नाम पर हो या मस्जिद के नाम पर हो, उसको भगवान या अल्लाह तो खाते नहीं हैं। यह जो यू०पी० में राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का सवाल पैदा हुआ है उसके बारे में सब जानते हैं। अब तो कोर्ट ही उसका फैसला करेगा। इस कारण मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज हजारों मन्दिर और मस्जिद वीरान पड़े हुए हैं उस तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। आप राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद वाले झगड़े से सबक लें और देखें कि कहीं ऐसा झगड़ा और जगह न खड़ा हो जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्दिर और मस्जिद की जो जायदाद है उसको लेकर हिन्दू, मुसलमान, शिया और सुन्नी सब आपस में लड़ रहे हैं और कई मुकदमे भी चल रहे हैं। इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर आप पहले से ही मन्दिर और मस्जिद की जो सम्पत्ति है, उसको देख लेते तो यह राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का सवाल खड़ा नहीं होता। अगर अब भी आप कोशिश करें तो दोबारा राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद जैसा कोई दूसरा मामला पैदा नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : यह यहां असंगत है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : महोदय, यह पूरी तरह से संगत है।

श्री राज कुमार राय : बिल्कुल नहीं।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अब मैं फाइनेंशल असिस्टेंस के बारे में सैवंथ-प्लान में से कुछ कोट करूंगा। आप गांव-गांव में फाइनेंशल असिस्टेंट छोटे-छोटे किसानों को देते हैं। यह मैं पेज नम्बर 25 में से बोल रहा हूं—

[अनुवाद]

"जबकि सारे देश के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अल्पावधि के लिए दिए जाने वाले ऋणों का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, फिर भी क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान इन आठ राज्यों में कुल बांटे गये ऋण का 80 प्रतिशत हिस्सा बांटा गया है।"

[हिन्दी]

पेज 46 में इस के जो आंकड़े दिये हैं वह इस प्रकार हैं: केरल पर हैक्टेयर 718 रुपये, असम पर हैक्टेयर 4 रुपये, पश्चिम बंगाल 1240 रुपये और बिहार 1225 रुपये, यह कास्ट आफ लैंड है। आपका जो सैवेन्थ फाइव ईयर प्लान है उस में यह क्रिटिसिज्म आया है। इस डिस्पैरिटी को हटाने की कृपा करें।

इरीगेशन के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हर डिपार्टमैंट की जो रिपोर्ट है उसमें एक दूसरे

डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहीं कुछ मेल नहीं खाता है। इर्रीगेशन में जो ऐन्युअल रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्सेज की उसके पेज 5 पर दिया है कि मेजर मीडियम और माइनर इर्रीगेशन को मिलाकर 675 मिलियन हैक्टेयर इर्रीगेशन कम्पलीट हो चुका है सिक्स्थ प्लान में। लेकिन आपके एकोनामिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अप टु 80-86 इर्रीगेशन इलाके के अन्दर जो आया है वह सिर्फ 46.1 मिलियन हैक्टेयर है। दो विभागों की रिपोर्ट में इतना अन्तर है। आपके डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 72 परसेंट जमीन इर्रीगेशन के बाहर है। यह आपने स्वीकार किया है। लेकिन वाटर रिसोंसेज इतना रहने के बावजूद पानी के लिए जमीन सूखी रहे तो फसल की पैदावार कैसे आगे बढ़ेगी ? पैदावार बढ़ना बहुत मुश्किल है।

फर्टिलाइजर के बारे में आपकी रिपोर्ट में यह बात कही हुई है कि पर-हैक्टेयर कन्जम्प्पशन आफ फर्टिलाइजर सिर्फ 50 के०जी० है। फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है वह प्रोडक्शन पूरा कन्ज्यूम नहीं हो रहा है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि फर्टिलाइजर की कीमत हर रोज बढ़ रही है और इन्सेक्टिसाइड्स की कीमत हर रोज आप बढ़ा रहे हैं। इससे किसान फर्टिलाइज और इन्सेक्टिसाइड्स खरीद नहीं पाते हैं।

किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के बारे में आपकी सरकार जैसे चल रही है उस में किसान बिल्कुल मारे जा रहे हैं। यहां तो जब भी चर्चा होती सभी कह देते हैं कि हम किसान हैं। लेकिन किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के बारे में कितना ध्यान दिया जाता है ? 84-85 में पैडी की सपोर्ट प्राइस आपने दी थी। 137 रुपये, 85-86 में 142 रुपये 86-87 में 146 रुपये और 87-88 में अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया है। जूट की सपोर्ट प्राइस 84-85 में थी 195, 85-86 में 215, 86-87 में 225 और 87-88 में 240 रुपये। शुगर केन की सपोर्ट प्राइस 84-85 में थी सिर्फ 14 रुपये, 85-86 में 16 रुपये 50 पैसे, 86-87 में 17 रुपये और 87-88 में 18 रुपये। एक रुपया दो रुपया आप बढ़ाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप दाम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, सपोर्ट-प्राइस डिक्लेयर करने के वक्त क्या आपने सोचा कि 1986-87 में आपका रेट आफ इन्फ्लेशन 6.5 था ? जब रेट आफ इन्फ्लेशन 6.5 हो, उसके बाद आप एक-दो रुपये सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं, तो उससे प्राइस बढ़ती है या घटती है—यह भी आपको सोचना पड़ेगा। गल्ले में आपने जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना तो इन्सेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में ही खत्म हो जायेगा।

जहां तक पर-कैपिटा कंजम्शन की बात है, फसल तो पहले से ज्यादा हुई है, आल-टाइम रिकार्ड है और प्रोक्योमेंट का भी आल टाइम रिकार्ड है। इसको तो हम मानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन पर-कैपिटा अवेलिबिलिटी कितनी बढ़ी है ? प्रोडक्शन बढ़ने के बाद अगर देश के लोगों को सफीशेंट फूड न मिले, तब फिर प्रोडक्शन बढ़ा है, इसको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 1985-86 में पर-कैपिटा अवेलिबिलिटी आफ सीरियल्स 418,59 ग्राम थी। पल्सेज की पर-कैपिटा अवेलिबिलिटी 61.69 ग्राम थी। और टोटल पर-कैपिटा अवेलिबिलिटी 480.1 ग्राम थी। 1986-87 में पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी आफ टोटल सीरियल्स इंक्लूडिंग पल्सेज 478.1 ग्राम थी। यानी अवेलेबिलिटी 480.1 ग्राम पर-कैपिटा से घटकर 478.1 ग्राम ही रह गई थी। इसी तरह से एडिबल-आयल्स में 1981-82 में पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी 4.9 के०जी० थी जोकि 1985-86 में घटकर 4 के०जी० रह गई। शुगर की पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ी है। काटन क्लाथ की पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी 1960-61 में 15 मीटर थी जोकि आज 1985-86 में 14.8 मीटर घटकर रह गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है ? अगर आप कहें तो काफी या दूसरी चीजों की अवेलिबिलिटी के आंकड़े भी मैं आपके सामने रख सकता हूं।

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

अब मेरा नेक्स्ट प्वाइन्ट एन०आर०ई०पी० के बारे में है। इसके तहत जो आपकी असिस्टेन्स गल्ले के बारे में है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा। गेहूं और चावल आप देते है लेकिन आप इस बात को देखें कि जो आपकी टोटल प्रोक्योमेंट हुई है, उसमें से 1982 से 1986 तक 25.81 लाख मी० टन गल्ला आपके गोडाउन्स में ही सड़कर बर्बाद हो गया।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : लेकिन आप तो कहते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर सड़ कहां से गया ?

श्री सैयद मसूदल हुसैन : यह तो आपके मिस-मैनेजमेंट का नतीजा था। आपका जो सिस्टम है, उसकी वजह से इतना गल्ला गोडाउन्स में सड़ रहा है।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप खुद अपनी बात काट रहे हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपकी रिपोर्ट में ही विपरीत बातें है। मैं आपकी रिपोर्ट से ही उद्धृत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आपने एन० आर० ई० पी० की तहत 1980-91 में 13.34 लाख मी० टन फूड ग्रेन्स दिए, 1981-82 में ?.33 लाख मी०टन फूड ग्रेन्स दिए, 1982-83 में 1.72 लाख मी० टन फूड ग्रेन्स दिए। 1983-84 में 1.47 लाख मी० टन फूड ग्रेंस दिए और 1984-85 में 1.71 लाख मी० टन फूड ग्रेन्स दिए। यह सारी फीगर्ज आपकी रिपोर्ट में है। और अगर मैं फूड एण्ड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को कोट करूं तो आपकी जो रिपोर्ट है, उससे बहुत कम क्वांटिटी उसमें दी गई है। आपकी आर०एल०ई०जी०पी० की रिपोर्ट की भी यही हालत है। अब मैं आपका ध्यान एक लैटर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मिनिस्टर आफ स्टेट रूरल एण्ड डवेलपमेंट, श्री रामानन्द यादव, ने एक लैटर स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और मुझे भी दिया है। जिसमें लिखा है—

[अनुवाद]

डी०पी०डी०ए० कार्यक्रम में सभी संसद सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं कहूंगा कि मेरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में कमेटी है, जहां हर एम०पी० इन्वायटेड है, हर एम०पी० वहां जा सकता है। वहां पंचायत है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं टी०सी०सी० समिति की बात कह रहा हूं। आप भी टी०सी०सी समिति के सदस्य हैं। आप जिला परिषद और पंचायत समिति के पदेन सदस्य हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं इतना कहूंगा कि आपने डी०आर०डी०ए० प्रोग्राम की चिट्ठी दी है, वहां इलैक्टेड मैम्बर रहने के बावजूद भी इन्वल्यूड करने के लिए कह रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि पहले आप माननीय मंत्री, श्री जनार्दन पुजारी, को कहिए, जहां भी जिले के एम०एल०ए० और एम०पी० हैं, उनको बुलायें और उनसे सलाह-मश्विरा करें। कम से कम इतना तो काम करें।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी बात की अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। माननीय सदस्यों ने जो भी टिप्पणियां की हैं, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा, केवल श्री सैयद मसूदल हुसैन को ही बोलने की अनुमति है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब आपको अनुमति नहीं दे सकता। बारी आने पर आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अब मैं आपका ध्यान को-आपरेटिव की ओर दिलाना चाहता हूं। को-आपरेटिव लोग जानते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, सैन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो नार्म्स हैं···

1.00 म०प०

सेन्ट्रल गवर्नमैंट के नार्म्स से बाहर जाना स्टेट गवर्नमैंट के लिए मुश्किल है। एपेक्स बाडी आपने बनाया। नैबार्ड के नीचे स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक्स हैं और उसके नीचे प्राइमरी क्रैडिट सोसाइटी आपने बनाया है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी बोला गया है उसे कार्यवाही वृत्तांत से पूरी तरह निकाल दिया जायेगा। केवल उन्हीं का भाषण कार्यवाही-वृतांत में शामिल किया जाएगा इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कुछ गलत बोला गया है तो उसे मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। फिक्र न करें। मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा। अगर हर रोज मैं इसी प्रकार अनुमति देता रहा तो वही लड़ाई होती रहेगी। इस प्रकार मैं कैसे कार्य कर सकता हूं ? मैं कार्यवाही कैसे चला सकता हूं। मुझे बहुत खेद है। आप दोनों पक्ष शोर करते रहिए। यह क्या हो रहा है ? मैं कैसे संचालन कर सकता हूं ? मैं जब भी कुछ कहता हूं, आप सुनते तक नहीं हैं।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कोआपरेटिव स्टेट सबजेक्ट है लेकिन नेशनल लेबिल पर आपने जो बोडी बनाया है, हर कोआपरेटिव सोसाइटी को उसकी डाइरेक्शन के मुताबिक चलना पड़ रहा है। एन०सी०सी०ए० के नीचे स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट ब्होलसेल कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी है और उसके नीचे प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटी है। इसी तरह से एन०सी०डी०सी० है और एन०सी०यू०आई० है। ये जितनी भी हैं ये सब एपेक्स बोडी हैं और इनकी डाइरेक्शन्स के नीचे सोसाइटी चल रही हैं और स्टेट गवर्नमैंट का इनके ऊपर कोई बस नहीं है। आपकी जो पब्लिक एकान्ट्स कमेटी है, उसकी 26वीं रिपोर्ट में यह लिखा है :

[अनुवाद]

संस्थाओं से संबंधित लोकलेखा समिति की 26वीं रिपोर्ट में कहा गया है :

"समिति महसूस करती है कि कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संबंधित बिना राज्य सरकारों को सम्बद्ध किये बिना सीधे ही राज्य सहकारी बैंकों को अनुदान देती रही है।"

[हिन्दी]

आपने एन०सी०डी०सी० के जितने भी स्पीनिंग मिल्स बनाए हैं, 1983-84 में आपने लाइसेंस दिया था 193 का और 1985 तक सिर्फ 82 इन्सटाल हुए हैं। कोआपरेटिव शूगर मिलों का 1983-84 में लाइसेंस दिया था 216 का और 1985 तक इन्सटाल हुए हैं 165 कोआपरेटिव राइस मिल के हैं 689 जिन में से···

[अनुवाद]

184 कार्य नहीं कर रहे थे और 113 घाटे में चल रहे थे।

[हिन्दी]

यह 1985 की रिपोर्ट है। यह आपकी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : लेकिन वह कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आप उन्हें सम्बोधित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वह आपसे प्रश्न पूछेंगे। आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : स्टेट गवर्नमेंट जान नहीं पाती है कि किस को आप कितना पैसा देते हैं। वे पैसा अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। तो मेरा इतना कहना है कि आपकी डाइरेक्शंस के मुताबिक, एपेक्स बोडी की डाइरेक्शंस के मुताबिक इनको चलना पड़ रहा है। इन में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। इन सब कर्मचारियों की हालत खराब है।

[अनुवाद]

91,000 में से सिर्फ 60,000 पूर्णकालिक वेतनभोगी सचिव हैं।

[हिन्दी]

मैं यह और कहना चाहता हूं कि नेवार्ड की डाइरेक्शंस के मुताबिक आपने हाई पावर कमेटी बनाई थी 1983 में। ये जो एपेक्स सोसायटी के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी के बारे में हाई पावर कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट का आपने अभी तक क्या किया, किसी को पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस रिपोर्ट को आप जल्दी से जल्दी सदन में लाने की कोशिश कीजिए और सोसाइटीज के कर्मचारियों को यूनिफार्म पे-स्केल्स देने की कोशिश कीजिए। सो-काल्ड कोआपरेटर्स का सोसाइटी उठ जाने से कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है, तो कर्मचारियों का नुकसान होता है। अगर सोसाइटी खत्म हो जाएगी, तो कर्मचारी खत्म हो जाएंगे।

इतना कहते हुए, ये जो डिमाण्ड्स हैं, मैं इनका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। सम्पूर्ण विकासशील देशों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में काफी तीव्र प्रगति की है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम में हमें सफलता मिली क्योंकि इससे अतिरिक्त खाद्यान्न समाज के कमजोर वर्गों को पहुंचा है। भारत ने एक लाख टन गेहूं इथोपिया को दान किया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई, अन्य आदान जैसे कि उर्वरक, समय पर ऋण दिलवाना, कीटनाशक दवाइयां, जल उपलब्ध कराने का वैज्ञानिक तरीका आदि पर भी ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा आवश्यक है कृषकों को समय पर अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध कराना। अब हमें देशी, ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज, अधिक उपज देने वाले बीज तथा प्रमाणित बीज की किस्में पैदा करनी चाहिएं। ऐसा किये जाने की आवश्यकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1982-83 से अन्य वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि सरकार ने कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के लिए सिर्फ 10 से 19 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह खेद की बात है कि आम लोगों की धारणा यह है कि देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के हित में खाद्यान्नों का मूल्य कम रखा जाना चाहिए। महोदय, इसके विपरीत, उन्नत देशों में स्थिति भारत से एक दम उलट है। उन देशों में किसानों को उचित मूल्य मिलें इसके लिए वहां के उद्योगों द्वारा गारंटी लिये जाने का कुछ भार उठाना पड़ता है। यहां पर भी इसी सिद्धान्त को अपनाया जाना चाहिये।

1972 में भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया था, इसको सभी राज्यों में क्रियान्वित नहीं किया गया है। फसल बीमा योजना स्वागत योग्य है। लेकिन इस समय यह सिर्फ उन किसानों तक ही सीमित है जो कि बैंक, सहकारिता ऋण संस्थाओं से ऋण लेते हैं। दरअसल यह ऋण

[श्री सोमनाथ रथ]

अदायगी के लिए बीमा योजना है। यह सभी किसानों को दी जानी चाहिये। इस बारे में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि नाबार्ड कुछ सहकारी समितियों को योजना-वार उड़ीसा में ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है तथा इससे उन्हें राज सहायता भी नहीं मिलती है, इससे उत्पादन में कमी तो अवश्य ही आयेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ विशिष्ट उपाय करें ताकि उड़ीसा में किसानों को इस ऋण सुविधा का लाभ मिल सके।

गन्ने के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि चीनी के आयात पर हमें अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इस वर्ष चीनी की खपत 86 लाख टन से लेकर 87 लाख टन होने की सम्भावना है। लेकिन इस बात की आशंका है कि हमारे द्वारा लगाया गया 76 लाख टन अनुमान के प्रति शायद उत्पादन 70 लाख टन से अधिक न हो। 1981-82 में चीनी मिलों में 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। इससे पता चलता है कि चीनी मिलों में 84 लाख टन या इससे अधिक चीनी का प्रति वर्ष उत्पादन किया जा सकता है। कारण क्या है? चीनी मिलें अपनी अधिकतम क्षमता को उपयोग में क्यों नहीं ला रही हैं? हम चीनी का क्या आयात कर रहे हैं? इसका कारण है कि हमने गन्ने के लिए समर्थन मूल्य 17 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिये और गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये जाने चाहिएं ताकि हम चीनी के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बन सकेंगे।

कृषि लागत और मूल्य आयोग में मन्त्रालय ने तीन सदस्यों को किसानों में से चुना है परन्तु ये पूर्ण-कालीन सदस्य नहीं हैं। ये अंशकालीन हैं। इन्हें भी कृषि लागत और मूल्य आयोग के अन्य सदस्यों की भांति कार्य करना चाहिये।

उर्वरक का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए नये कारखाने खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है। देशी तथा आयातित उर्वरक के लिए 1986-87 तथा 1987-88 में निम्न राज सहायता दी गई:

देशी	1986-87	17,00 करोड़ रुपये
	1987-88	1750 करोड़ रुपये
आयातित	1986-87	193 करोड़ रुपये
	1987-88	160 करोड़ रुपये

भारत में, उर्वरक का आन्तरिक उत्पादन नहीं है और इसके लिए हम पूरी तरह आयात पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश में पोटासिक उर्वरक का उत्पादन करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं। यदि उर्वक की उत्पादन लागत कम नहीं की जा सकती तो राजसहायता को कम करने का एक ही उपाय है उर्वरक के बिक्री मूल्य में वृद्धि करना जो कि कृषक के लिए अलाभकारी है।

बजट पेपर के अनुसार 1987-88 में सरकार चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा का उत्पादन होने की आशा रखती है।

गेहूं	110 लाख टन
चावल	92.67 लाख टन

केन्द्रीय भंडारण से खाद्यान्नों के वितरण में 78.76 रुपये प्रति क्विंटल राजसहायता दी जाती है

तथा वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजसहायता 2000 करोड़ रुपये होने की आशा है। अतः राजसहायता को कितना कम किया जा सकता है यह देखना सरकार का काम है।

पिछले 35 वर्षों में कृषि में लगे प्रति व्यक्ति की आमदनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है जबकि 70 प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है। 1951 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत 181.80 किलो थी। इस समय यह बढ़कर सिर्फ 185.18 किलोग्राम पहुंची है। हेक्टेयर से कम वाले किसानों की प्रतिशतता, यानि कि नाममात्र के किसान 56.5 है। आप देखेंगे कि इन नाममात्र के कृषकों को कृषि श्रमिक बना दिया गया है। और इससे श्रमिकों की आबादी बढ़ी है। 1960-61 के दौरान कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता 22.9 थी। 1971 में यह 30.1 हो गई तथा 1981 में 36.3 इसी कारण से गांवों में प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है तथा हमारे छोटे किसान यानि कि सीमान्त कृषक केवल नाममात्र किसान बनकर रह गये हैं। नाममात्र के किसान मजदूर बन गये हैं। हरित क्रान्ति को कुछ ही क्षेत्रों में सफलता मिली है। पिछले 35 वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में तीन गुनी बढ़ोतरी हुई है। परन्तु धान का उत्पादन 40 से 41 प्रतिशत के बीच ही स्थिर बना रहा। वास्तव में गेहूं का उत्पादन 11 प्रतिशत से बढ़कर 30.3 प्रतिशत हो गया। चने के उत्पादन में कमी आई है। तिलहन का उत्पादन भी वास्तव में स्थिर ही रहा। तिलहनों का उत्पादन 100 लाख टन से 130 लाख टन के बीच ही रहा जिसकी वजह से हमें खाद्य तेलों के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। 1979-80 तथा 1985-86 के बीच की अवधि में उत्पादन में चार करोड़ तथा चार लाख टन की वृद्धि हुई तथा इसमें से तीन चौथाई तो पांच राज्यों— पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश द्वारा हुई। परन्तु उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में उत्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ है। बढ़ती हुई आबादी के कारण इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में निश्चित रूप से गिरावट आई है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि 1951 से पूर्व इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन सबसे अधिक था। परन्तु हरित क्रान्ति के बाद इसमें कमी आई है। एक जमाने में जो क्षेत्र बहुत ही समृद्धशाली थे अब उनके उत्पादन में कमी हुई है। इस संदर्भ में मैं सिर्फ यह निवेदन करूंगा कि रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त की थी तथा श्री सेन ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि इन सभी क्षेत्रों में, पूर्वी पर्वतीय राज्यों में, बीज, उर्वरक, पम्पसैट, उठाऊ-सिंचाई प्रणाली, ड्रेनेज, जल प्रबन्ध, भंडारण, विपणन सुविधाएं आदि प्रदान करनी हैं। मुझे आशा है कि सरकार सेन समिति की सिफारिशों को दक्षिण-पूर्वी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू करेगी। 1951 से पूर्व ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध थे, हरित क्रान्ति के बाद इनके उत्पादन में गिरावट आई है।

उड़ीसा राज्य में गंजम जिला एक कृषि प्रधान जिला है। लेकिन वहां पर कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहिये। भारत सरकार ने गंजम जिले के भंजनगर में एक के०वी०के० केन्द्र खोला है। परन्तु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कार्य नहीं कर रहा है। यह कब कार्य करना शुरू करेगा ? ये कृषि विकास केन्द्र···

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कृषि विज्ञान केन्द्र करते हैं···

श्री सोमनाथ रथ : सुधार करने के लिए धन्यवाद। हम इन्हें कृषि विज्ञान केन्द्र भी कह सकते हैं। इन केन्द्रों का कार्य है कृषकों को शिक्षा देना तथा उत्पादन में वृद्धि करना। परन्तु यदि एक कृषि विकास केन्द्र दो वर्ष में पूरा होना है और यह सात वर्ष लेता है तो ऐसे केन्द्र के होने का फायदा क्या है ? अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस बारे में कड़े कदम उठाने चाहिएं तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उड़ीसा में जितने भी कृषि विकास केन्द्र हैं वे अपने कार्य को यानि कि कृषकों को उचित अनुदेश देने आदि का अपना कार्य सुमुचित ढंग से करें।

[श्री सोमनाथ रथ]

महोदय सरकार ने कुछ राज्यों में 'ज्यादा चावल उगाओ कार्यक्रम' शुरू किया है। ऐसा उड़ीसा में भी है। नाममात्र के तथा सीमान्त किसानों को 2 या तीन किलो के उर्वरक के छोटे पैकेट सप्लाई नहीं किये गये हैं। उन्हें 40-50 किलोग्राम के पैकेट आपस में बांट लेने के लिये दिये गये हैं। अतः ये लोग इन्हें खरीद नहीं सकते और इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। दूसरी बात है बैंकों की—शीर्ष विपणन समितियां किसानों को राजसहायता नहीं लेने दे रही हैं। वे इसका दुरुपयोग करते हैं, किसानों का शोषण करते हैं तथा राजसहायता का उपयोग उनके द्वारा उठाये गये नुकसान के लिए करते हैं। इसी तरह से, सम्बल आदि किसानों को दी जानी चाहिये। शुरू में तो उड़ीसा में यह अच्छी तरह कार्य कर रहा था परन्तु इस समय यह योजना ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे वहां पर एक समिति यह देखने के लिए भेजें कि अब यह किस तरह का कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। कृषि विभाग हमारा सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। देश की चालीस प्रतिशत इनकम हमें कृषि क्षेत्र से मिलती हैं। इसलिए इसके विकास के बारे में हमें बहुत ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता है। मैं खास-खास मुद्दे हैं उन पर ही अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह बात सही है कि पिछले तीन दशकों में हमारे कृषि विभाग ने उन्नति की है। जो देश आज से तीन दशक पूर्व घाटे में जा रहा था उसको सरप्लस में लाया गया है। हमारे पास आज काफी बड़ा अनाज का भंडार है और दूसरे देशों को भी हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं कृषि विभाग के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किया है वह सराहनीय है। यह तथ्य है हमारी आज से तीस बरस पहले जो स्थिति थी उसमें काफी सुधार आया है, लेकिन दूसरे देशों से हम मुकाबला करें और उनकी प्रोडक्शन को देखें तो हमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और दूसरे देशों के मुकाबले हम अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। इस दिशा में मैं आपको प्रोडक्शन के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। गेहूं में आयरलैंड में सात हजार दो सौ इक्यानवें किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डेनमार्क में सात हजार पच्चानवें किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नीदरलैंड में छः हजार 770 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसके मुकाबले में भारत में एक हजार एक सौ अड़तालीस किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है जो करीब-करीब 1/3 से कम आती है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि हमारी इतनी उपलब्धि के बाद भी जो हमारा पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन है वह दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। इसको कैसे सुधारें और कैसे उत्पादन बढ़ायें यह कृषि विभाग को सोचना चाहिये। इसी तरह से चावल के फिगर्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। साउथ कोरिया मे छः हजार दो सौ पैंतीस किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर नार्थ कोरिया में छः हजार 187 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर, जापान में छः हजार दो सौ पैंतीस किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर और भारत में दो हजार पच्चीस किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर में चावल की पैदावार है 1/3 की। गेहूं और चावल जो हमारी मुख्य फसल है उसकी यह स्थिति है। अन्य क्षेत्रों में हमारी पैदावार के बढ़ने की गुंजाइश है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं जिसके ऊपर माननीय मंत्री जो का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह है कि पिछले चार सालों में हमारी प्रोडक्शन करीब-करीब स्टेटिक है। 1986-87 में हमारा टार्गेट 160 मिलियन टन का था, उसके मुकाबले 150-151 मिलियन टन हम पैदा कर पाएंगे। यह आंकड़े पिछले चार सालों से इतने ही चले आ रहे हैं, यह भी सोचने की बात है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं उनके पूरा न होने के भी कई फैक्टर्स हो सकते है जैसे मानसून का स्टेडी न होना आदि इन कारणों से पैदावार पर फर्क पड़ता है। पर

यह भी सही है कि जिस अनुपात में हमें पर हेक्टेयर में उत्पादन बढ़ाना चाहिये था वह हमने नहीं बढ़ाया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 180 मिलियन टन पैदावार का हमारा लक्ष्य है उसको मौजूदा समय में हम कैसे पूरा कर पाएंगे, यह भी चुनौती का विषय है। मैं इस दिशा में एक बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह कि हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर पापुलेशन आज 75 प्रतिशत है···जब हम आजाद हुए थे तब भी हमारी कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत हिस्सा कृषि या कृषि कार्यों से सम्बन्धित था, परन्तु उस समय उनकी तादाद मात्र 25 करोड़ थी, क्योंकि उन दिनों हमारी जनसंख्या कम थी। आज कृषि या कृषि कार्यों से सम्बन्धित लोगों की संख्या 53 करोड़ हो गई है, वह भी कुल जनसंख्या का यह 75 प्रतिशत के लगभग ही है। उसके प्रतिशत में आजादी प्राप्त होने के बाद, आज तक कोई कमी नहीं हुई है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो 28 करोड़ अधिक की वृद्धि हुई है। कृषि पर आधारित लोगों की संख्या तब से अब तक लगभग डबल हो गई है, और उसके प्रतिशत में किसी तरह का अन्तर नहीं पड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप किस परसैंटेज में इस देश में एग्रीकल्चरल पोपूलेशन को मेन्टेन करना चाहते हैं। क्या आप इसी तरह से कृषि पर हैवी पोपूलेशन को डालकर ? विकास करना चाहते हैं और इस स्थिति को कहां तक सस्टेन कर सकेंगे। मैं आपको अमेरिका और कनाडा के आंकड़े देना चाहता हूं कि उन देशों में कृषि पर आधारित जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से कितना उतार-चढ़ाव आया है।

अमेरिका में 1970 में 3.7 परसेंट लोग कृषि से जुड़े थे, 1975 में उनका प्रतिशत घटकर 2.8 रह गया, 1980 में वह और घटकर 2.10 रह गया, 1982 में 2 परसेंट रह गया तथा 1983 में उसमें और गिरावट आई तथा वह मात्र 1.9 प्रतिशत रह गया। इसी तरह से कनाडा में जहां 1970 में 8.2 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से सम्बद्ध थी, 1975 में उसका प्रतिशत घटकर 6.5 रह गया, 1980 में 5.7 तक घटा, 1982 में और घटकर 4.6 पर आ गया और 1983 में उसमें और ज्यादा गिरावट आई और वह सिर्फ 4.3 प्रतिशत रह गया। यदि आप चाहें तो मेरे पास 7 देशों के आंकड़े है, मैं उन सब के फीगर्स कोट कर सकता हूं। रूस के बारे में बताना चाहता हूं, जहां 1970 में 25.7 परसेंट पोपूलेशन कृषि से सम्बद्ध थी, 1975 में वह प्रतिशत घटकर 20.5 रह गई, 1980 में उसमें और भी गिरावट आई और वह 16.4 परसेंट रह गई, 1982 में 15.1 परसेंट हो गया तथा 1983 में और गिरावट आकर 14.9 रह गई है।

आपके सामने इन आंकड़ों को रखने का मेरा मतलब यह है कि जिन देशों में ज्यों-ज्यों आर्थिक तरक्की होती गई, वहां एग्रीकल्चर पोपूलेशन की परसेंटेज लगातार घटता ही चला गया और तभी उनका जनरल स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ा है। किसी भी देश की तरक्की का मानदंड यही होता है कि धीरे-धीरे एग्रीकल्चर से पोपूलेशन दूसरे फील्ड्स में डाइवर्ट होती जाए, चाहे इंडस्ट्रीज में बढ़े या किसी दूसरे फील्ड में, परन्तु कृषि से हट जाए। मैं नहीं समझता कि आप इतनी सारी पोपूलेशन का एग्रीकल्चर पर निर्भर करके कैसे विकास कर पाएंगे। वह कदापि सम्भव नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आपकी पोलिसी क्या है और अल्टीमेटली आप एग्रीकल्चरल पर कितने परसेंट पोपूलेशन को लेकर चलाना चाहते हैं ताकि खाद्यान्न के मामले में भी आत्म-निर्भरता बढ़े और अधिक जनसंख्या का दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन भी हो। इस दिशा में हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर से सम्बद्ध जितने दूसरे एलाइड सब्जेक्ट्स हे, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, ओर्चार्ड्स, गार्डनिंग, आदि, उनकी तरफ भी हम अभी सब्सटैंश्यल पोपूलेशन को डाइवर्ट नहीं कर पाये हैं। वैसे मैं मानता हूं कि डेरी की तरफ डाइवर्ट करने की काफी कोशिश की गई हैं और देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने जो 51 मिलियन टन का टार्गेट रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस

[श्री जुझार सिंह]

टार्गेट को एचीव कर पाएंगे लेकिन इन टर्म्स आफ पोपूलेशन, उसे हम डेयरी उद्योग की ओर डाइवर्ट नहीं कर पाये हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को अधिक से अधिक केवल 10 मिनट दिए गए हैं। इस समय आप 8 मिनट ले चुके हैं। संक्षेप में कहने की कोशिश कीजिए।

[अनुवाद]

श्री जुझार सिंह। मैं ने केवल 5 मिनट लिए हैं।

मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है।

[हिन्दी]

अभी तो मैंने शुरू किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक वक्ता हैं। कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक इसमें भाग लेना चाहता है।

[हिन्दी]

श्री जुझार सिंह : अभी तो बोलने के लिए बहुत शेष हैं। मैं यह कहना चाहता था कि जब तक आप यह टार्गेट फिक्स नहीं करेंगे कि एग्रीकल्चर पर कितने परसेंट पोपूलेशन को सस्टेन करना चाहते हैं तब तक आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। जब-जब पोपूलेशन बढ़ती है, हर टाइम आप एक ही फार्मूला लगाते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग कम करो। यदि आबादी बहुत हो गई परन्तु आप आबादी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की क्यों नहीं सोच रहे हैं। बढ़ी हुई पोपूलेशन को आप एग्रीकल्चर के काम में ही लगाकर क्यों काश्तकारों के दिमाग में बार-बार अनसर्टेन्टी पैदा करना चाहते हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की है, अब प्रोडक्शन बढ़ाया है और उसे निरन्तर बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। हर दूसरे, चौथे या पांचवें साल आप एक नया फार्मूला ले आते हैं कि अब एग्रीकल्चर की लैंड सीलिंग और कम कर दी जाए। यह उचित और व्यावहारिक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, लैंड सीलिंग के बारे में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गांवों में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में रहने वाले लोग हैं व शहर के लोगों के मुकाबले में काफी पिछड़े हुए हैं दोनों में बहुत इम्बैलेंस है। इसका नाम यह है कि एग्रीकल्चर लेबर को डली वेजेज मात्र रु० 9.50 से लेकर 14 रुपए तक हैं। यह इसलिए है कि वहां पर ज्यादा वेजेज देने की पोजीशन नहीं है। शहरों की इंडस्ट्रियल लेबर दो हजार रुपए तक पर मंथ ले रही है जो गांव के बड़े से बड़े काश्तकार को भी नहीं मिलती है। दोनों का भेद आपको स्वयं सोचना चाहिए। आप तो एक ही बात सोचते हैं कि एग्रीकल्चर की सीलिंग कम कर दो जिससे बढ़ी जनसंख्या को रोजगार मिल जाएगा। यह बात ठीक है कि रोजगार मिल जाएगा, लेकिन उससे एग्रीकल्चर को काफी नुकसान होगा और जो रोजगार मिलेगा वह फाल्स भुलावा मात्र का रोजगार होगा क्योंकि आपने जो अपनी एग्रीकल्चर रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी आपने यह बताया है कि आप छोटे व सीमांत कृषकों का पर कैपीटा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए हैं। यह इस बात का ही सबूत है कि आप छोटे-छोटे

टुकड़ों में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते हैं और यही कारण है कि पिछले सालों में देश का प्रोडक्शन स्टेगनेट हो गया है।

महोदय, अब मैं फिर सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से आता हूं। देश में राजस्थान जिओग्राफिकल एरिया की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आता है। वहां लैण्ड मास अधिक है। इरिगेशन काफी बढ़ा है और प्रदेश की जो पापुलेशन है, उसमें लेबर पापुलेशन दूसरों के मुकाबले बहुत कम है।

1.32 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, मैं लैण्ड सीलिंग के बारे में बात कर रहा था। राजस्थान में सबसे पहले 1966 में लैण्ड सीलिंग लाया गया और सरकार ने जो लैण्ड सीलिंग लगाया उसके अनुसार मात्र दो सौ मन पैदावार दे सकने जितनी भूमि पर लैण्ड सीलिंग लगाई। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में पैदावार पर सीलिंग नहीं है राजस्थान में ही पैदावार पर यह लेण्ड सीलिंग क्यों लगी है। क्या 200 मांड्स के पैदावार पर एक परिवार ऊपर प्रापरली सस्टेन हो सकता है? पिछले 20 वर्षों में कृषकों ने उस लैण्ड को मेहनत करके इम्प्रूव किया और 200 मांड्स की पैदावार से अधिक उत्पादन करने लगे हैं तो अब आप उसको फिर डीस्टेबिलाइज करना चाहते हैं और उनके ऊपर नये-नये लैण्ड सीलिंग के फार्मूले एप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर लैण्ड मास अधिक है और लेबर पापुलेशन दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। इसके मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं—आंध्र प्रदेश में एग्रीकल्चर लेबर 52.90 परसेंट, बिहार में 44.9 परसेंट, कर्नाटक में 41.17, केरल में 61.61 और राजस्थान में मात्र 10.63 परसेंट है जबकि हमारे यहां एग्रीकल्चर का एरिया बहुत अधिक है। अब उस एरिया में राजस्थान कैनाल भी आ गई है, इंदिरा गांधी कैनाल आ गई और लेबर पापुलेशन बहुत कम हो रही है। इसके बावजूद भी आप एक तरह की ही नीति सब स्टेट्स पर लागू करते हैं जो व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि किसी स्टेट की तरफ से सीलिंग की डिमाण्ड यदि उठती है, तो उस डिमांड को बिना सोचे और बिना एग्जामिन किए हर स्टेट के लिए लागू करना बिलकुल ठीक नहीं है। अतः मेरी प्रार्थना है कि कोई भी पालिसी आए, कोई भी डिमांड आए, उस इंडीविजुअल स्टेट की पोजीशन और रियलिटीज को समझकर, इंडीविजुअल स्टेट के हिसाब से, आप पालिसी निर्धारित करें। एक फ्लैट पैमाने पर सामान्य रूप से आप उसको सब स्टेट पर एप्लाई करते हैं, इससे लोगों को नाराजगी होती है और उसमें व्यावहारिकता भी नहीं है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सालों में जो हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है उसका कारण सोयल इरोजन भी है, वाटर लागिंग प्राब्लम भी है। हमारे क्षेत्र में दोनों बहुत ज्यादा है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसमें काफी रेन-फाल होता है परन्तु सरकार की लैण्ड यूज पालिसी ठीक नहीं है। उसकी वजह से रेट आफ इरोजन काफी बढ़ा हुआ है और पैदावार कम होती जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सोयल इरोजन, वाटर लागिंग और लैण्ड यूज की पालिसी पर ज्यादा ध्यान दे ताकि हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन न गिरे।

आप समय नहीं दे रहे हैं, इसलिये इतना ही कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कृषि मंत्रालय की मांग का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले 40 वर्षों के दौरान जो उपलब्धियां हमने प्राप्त की उस पर कोई भी भारतीय गौरवान्वित हो सकता है। जहां तक खाद्यान्न उत्पादन का संबंध है, हम न केवल आत्म निर्भर हुए हैं बल्कि हम सोवियत संघ समेत अन्य विदेशी देशों को इसका निर्यात कर रहे हैं। महोदय, अभी भी एक लम्बा रास्ता तय करना है। इस विशाल देश में सिंचित भूमि का दो-तिहाई अधिक संभाग अभी भी अनिश्चित बरसात पर निर्भर है। महोदय, हमें देश में सभी किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करनी हैं।

महोदय, मैं अपने सीमित समय में इस देश की कृषि के व्यापक और सभी पहलुओं पर या कृषि के संपूर्ण पहलू पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं अकेले अपने राज्य की कुछ ज्वलंत समस्याओं पर केन्द्रित रहना पसन्द करूंगा। महोदय, केरल में, वर्ष में दो बार, बहुत अच्छी बरसात होती थी और हमारे कृषि संबंधी कार्य मुख्यत: बरसात पर निर्भर थे। लेकिन, अब मेरे राज्य में बरसात का होना बहुत ही अनिश्चित है। महोदय, परिस्थिति-विज्ञ कहते हैं कि यह बड़े पैमाने पर वनों को काटने के कारण हुआ है ? लेकिन, हमारे यहां अक्सर सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है जो संपूर्ण खेती को तबाह कर देती है। अब केरल में भयंकर सूखा पड़ रहा है। अधिकांश कृषि फसलें पूर्णतया या अंशत: नष्ट हो गई हैं। धान, केला, सब्जी, कालीमिर्च, इलायची, रबड आदि लगभग सभी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। महोदय, अनेक स्थानों में नारियल वृक्षों के पत्ते पूरी तरह सूख गए हैं और कच्चे फल गिर रहे हैं। हम इन नारियल के वृक्षों से तीन वर्षों तक कोई आमदनी की आशा नहीं कर सकते।

महोदय, अकेले मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, सूखे के कारण लगभग 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। महोदय, राज्य में कुछ शहरों को छोड़कर जहां कुशल जल सप्लाई प्रणाली कार्य कर रही है, पेय जल उपलब्ध नहीं है। महोदय, राज्य सरकार ने अकेले कृषि क्षेत्र में कुल हानि का अनुमान 595.90 करोड़ रु० लगाया है। उन्होंने सरकार के समक्ष राहत कार्य के लिए विशेष सहायता देने की, जिसमें उन्होंने 281.64 करोड़ रुपये की सहायता की मांग रखी है और इसके लिए अभ्यावेदन दिया है। महोदय, केरल राज्य को इस सूखे की गम्भीर समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए तुरन्त सहायता दी जानी होगी।

यद्यपि केरल एक छोटा राज्य है, उसमें लगभग 44 नदियां हैं। वास्तव में, इस संबंध में हमारा राज्य सौभाग्यशाली है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन नदियों का समूचा जल समुद्र में गिरता है। इसलिए, इन नदियों पर चैक-बांध बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाने होंगे जिससे हम इस जल का भण्डारण कर सकें और सूखे के समय प्रयोग में ला सकें। राज्य सरकार ने 27.50 करोड़ की कुल लागत से हमारे राज्य में लगभग 565 चैक-बांध बनाने के लिए एक योजना तैयार की है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सरकार को इन नदियों पर ये चैक-बांध बनाने के लिए पर्याप्त सहायता देने हेतु तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मैं राज्य और केन्द्रीय सरकारों को इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता देने की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता हूं विशेष रूप से तब जब इन प्राकृतिक आपदाओं से समूचा भारत प्रभावित हो। वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन में, यह कहा गया कि सूखे के फलस्वरूप लगभग 1661 लाख मनुष्य और 915 लाख पशु प्रभावित हुए हैं। प्राय: सभी राज्यों में सूखा पड़ा था। अत: यह एक बहुत गम्भीर समस्या है।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : प्रभावित व्यक्तियों सम्बन्धी आंकड़े केवल सूखे से ही सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि सभी आपदाओं से संबंधित हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मैं सरकार से हमारे मामले में सहृदयता तथा अनुकूल दृष्टि से विचार

करने का अनुरोध करता हूं और हमारे राज्य में व्याप्त इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए और हमारी सहायतार्थ पर्याप्त मात्रा में कुछ राशि जुटाने का निवेदन करता हूं।

केरल की जनता चावल खाती है और इसलिए राज्य में धान बहुत महत्वपूर्ण फसल है। लेकिन ऊंची मजदूरी और अन्य आदानों की ऊंची लागत के कारण हमारे राज्य में खेती करने के लिए धान एक लाभप्रद फसल नहीं है। किसान धान के खेतों का ऐसी नकदी फसलें उगाने हेतु जिनमें श्रम बहुत कम लगता है, प्रयोग कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : कुछ लोग धान के खेतों को आवास स्थानों में भी बदल रहे हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : हां। इन सबसे अन्ततः कृषि सम्बन्धी मजदूरों के रोजगार अवसरों पर प्रभाव पड़ेगा। अब भी इस सम्बन्ध में उस वर्ग द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे धान की खेती की लागत में पर्याप्त कमी की जा सके या कुछ अनुदान या किसी भी रूप में सहायता हमारे राज्य में धान उत्पादकों को अवश्य दी जा सके जिससे वे धान के खेतों को बरकरार रख सकें।

महोदय, कुटानड मेरे राज्य का अन्न भण्डार है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र अल्लेप्पी में स्थित है। यहां, धान का लगभग दो लाख एकड़ का समूचा क्षेत्र समुद्र स्तर से नीचे है। धान के खेतों से खेती के पूरे समय लगातार पानी बाहर निकालने की आवश्यकता है। जिसके कारण खेती की लागत बहुत अधिक आती है। राज्य सरकार ने केरल भूमि विकास निगम का निर्माण कुटानड में मुख्यतः पक्के और स्थायी बांध बनाने हेतु किया जिससे बाढ़ों पर कुछ हद तक नियन्त्रण किया जा सके। उस समय शर्त यह थी कि इन बांधों की लागत की अदायगी किसानों द्वारा आसान किस्तों में की जाएगी। किन्तु कृषि की अधिक लागत और अप्रत्याशित सूखे और बाढ़ आने से किसान ऋण लौटाने की स्थिति में नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार की कुटानड में धान की खेती की विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए। इन किसानों के ऋणों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। मैं जानता हूं कि भूमि विकास निगम राज्य सरकार के अंतर्गत आता है किन्तु राज्य सरकार के पास उनके लिए धन नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को इस बारे में केरल सरकार को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए।

केरल में अधिकांश किसान नारियल की खेती करते हैं। हमारे राज्य 'केरल' का नाम 'नारियल पेड़' से ही निकला है। मलयालम में नारियल को हम नलिकेरम कहते हैं। नारियल के पेड़ को केरम या केरावृक्षम कहा जाता है। अतः केरल का अर्थ है केरम की भूमि। यह खेती करने वाले लोग बहुत निर्धन होते हैं। भूमि सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन होने के बाद में अडागुड्डी या अडागुडी के काश्तकार जिनके पास भूमि सुधार से हुए लाभ के फलस्वरूप उसकी थोड़ी सी भूमि में भी 10 से अधिक नारियल के पेड़ हैं। नारियल की खेती करने वाले कृषक बड़े उत्पादकों जैसे रबर उत्पादकों या कॉफी उत्पादकों या चाय उत्पादकों की तरह शक्तिशाली अथवा प्रभावी नहीं हैं। सरकार उनकी सहायता के लिए बहुत कुछ कर रही है किंतु नारियल की खेती करने वाले इन निर्धन कृषकों की सहायता नहीं कर रही है। नारियल के मूल्यों में गिरावट का अभिप्राय है कि इस राज्य की समूची आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अतः हमें नारियल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने होंगे। जनता तथा केरल सरकार काफी अर्से से यह मांग कर रहे हैं कि नारियल के तेल का आयात नहीं किया जाना चाहिए। नारियल के तेल के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नारियल को तिलहन घोषित किया जाना चाहिए।

नारियल की खेती के विकास के लिए भारत सरकार ने नारियल बोर्ड का गठन किया है।

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन]

नारियल बोर्ड के गठन में मेरा भी कुछ हाथ रहा है क्योंकि जब मैं प्रभारी कृषि मंत्री था तब मैंने सरकारी तंत्र तथा पार्टी के सदस्यों के माध्यम से भारत सरकार को नारियल बोर्ड के गठन के लिए दबाव डालने में पहल की। किंतु अब दुर्भाग्यवश इस बोर्ड की हालत काफी खराब है। इसके पास कोई अधिकार नहीं है। महोदय, इसका, क्या कारण है ? अन्य वस्तुओं जैसे रबर उद्योग, चाय उद्योग कॉफी बोर्ड, आदि को जो अधिकार मिले हैं, इस नारियल बोर्ड को वे अधिकार क्यों नहीं दिए गए हैं ?

अन्य बोर्डों को बहुत से अधिकार दिए गए हैं किंतु इस बोर्ड को, जिसका गठन निर्धन कृषकों की सहायता के लिए किया गया था, पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। नारियल बोर्ड ने माननीय मंत्री श्री ढिल्लों जी को एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि इस बोर्ड को भी अन्य वस्तुओं के बोर्ड के समान माना जाए। इसे भी सभी बोर्ड की भांति अधिकार दिए जाएं।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। केरल के अन्य दो क्षेत्र, जिनमें विकास की अत्याधिक संभावना है—पर्यटन और मछली पालन है।

जहां तक मछली पालन का संबंध है, मैं जानता हूं कि स्वतन्त्रता के बाद पिछले 30-35 वर्षों में इसमें कितना विकास हुआ है समुद्री उत्पादों तथा अंतर्देशीय मत्स्य-ग्रहण में चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है। किंतु पिछले 25 वर्षों के दौरान हमारे आयात में 100 गुना वृद्धि हुई है। 1960-61 में 3.92 करोड़ रुपये मूल्य की मछली का निर्यात किया जाता था किंतु 1985-86 में 398 करोड़ रुपये का आयात हुआ। इससे अर्जित होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा का बड़ा अंश केरल से ही मिल रहा है। मेरे राज्य में अभी भी इस क्षेत्र में विकास और इसके आयात की काफी संभावनाएं हैं। हमारे राज्य में 600 किलोमीटर तटीय रेखा है। इस समग्र तटीय रेखा के साथ-साथ पृष्ठफल भी है। मेरे राज्य मे अंतर्देशीय मत्स्य-ग्रहण का अभी तक विकास नहीं किया गया है। केरल में चूंकि बेरोजगारी बहुत अधिक है, और जहां खेती के लिए अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, अंतर्देशीय जल मत्स्य ग्रहण ऐसा क्षेत्र है जिससे हम पर्याप्त रोजगार दे सकते हैं और इस तरह लघु तथा सीमांत कृषकों को इससे आय भी हो सकती है। उसके लिए पूरे राज्य में मछली विकास एजेंसियां बनाई जानी चाहिए तथा अंतर्देशीय जल मत्स्य ग्रहण के विकास के लिए विभिन्न किस्मों की मछलियों के अंडों की सप्लाई भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

केरल की अत्यन्त लम्बी तटीय रेखा होने से वहां समुद्री-मत्स्य ग्रहण क्षमता के विदोहन की काफी संभावना है। मैं समझता हूं कि अब हमारे देश में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए 96 नौकाएं हैं तथा 63 नौकाएं निर्माणाधीन है। मेरा अनुरोध है कि यदि ज्यादा नहीं तो कम से कम मछली पालन के विकास के लिए केरल को उसका उचित हिस्सा तो दिया जाए।

यद्यपि मेरे राज्य में और भी कई समस्याएं हैं किंतु समय के अभाव के कारण मैं उन्हें विस्तार में नहीं बताऊंगा। मैं पुन: कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, इस बात को सभी लोग मानते हैं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार तभी आ सकता है जब कृषि का विकास हो और जब तक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं आयेगा, तबतक देश का विकास नहीं होगा। कारण ह है कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है, जहां 80 फीसदी आबादी गांवों में बसती है लेकिन जब ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की बात आती है, उसके लिए कुछ करने का समय आता है, तब बात उल्टी हो जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल पूंजी निवेश का जो लक्ष्य है सरकार का, उसका 19.1 प्रतिशत भाग

ही कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए रखा गया है, यानी देश की आबादी के 80 प्रतिशत लोगों के विकास के लिए कुल पूंजी निवेश का 19.1 प्रतिशत ही रखा जाना, मेरी समझ से अपर्याप्त है। लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है। आज जिस तरह से इस देश में किसानों का शोषण हो रहा है वह पहले से होता आया है। इसके अनेक उदाहरण देश के सामने, हमारे और आपके सामने तथा इस सदन के सामने हैं। इसलिए जबतक सम्पूर्ण दृष्टि से कृषि का विकास नहीं होगा, तबतक देश का विकास नहीं होगा। किसानों के शोषण, जिसकी मैंने चर्चा की है, उसके कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए दाम के मामले में ही आप देख लीजिए, गेहूं का समर्थन मूल्य 166 रुपए रखा गया है यानि 1970-71 में जो गेहूं का समर्थन मूल्य था उसको यह 2.18 गुना अधिक है, परन्तु इसी बीच में गैर-कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य में चौगुनी वृद्धि हुई है। 1971 में किसान अपने किसी काम के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि एक क्विटल गेहूं बेचता था तो आज उसको उसी काम के लिए दो क्विटल गेहूं बेचता पड़ रहा है। इस तरह से आज किसान की आय रोज-रोज घटती जा रही है। 1970-71 में कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 47.4 प्रतिशत था लेकिन 1985-86 में वह घट करके 30.8 प्रतिशत पर आ गया है।

1.54 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

यानि किसानों की क्रय शक्ति, किसानों की आमदनी रोज-रोज घटती जा रही है। इतना ही नहीं, जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और जो लोग गैर-कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनकी आमदनी में जो पहले खाई थी, वह खाई भी अब काफी चौड़ी हो गई है।

एक अनुमान के अनुसार 1985-86 में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में आमदनी के बारे में जो अनुमान लगाया गया है। उस अनुमान के अनुसार 1985-86 में कृषि की आय 60.721 करोड़ रुपए है और किसानों की संख्या 16.2 करोड़ रही है। ठीक इसके उल्ट, गैर कृषि क्षेत्र में 1976.77 में आय 26.069 करोड़ रुपए है। 1985-86 में एक किसान की एक साल में आय 3,748 रुपए है। और 1976-77 में ही गैर कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे हुए थे, उनकी आय इसकी चौगुनी है। इसी साल 24 मार्च को एक श्री के० बी० जिंदल हैं, जिन्होंने बड़ी तफतील से, विस्तार से एक लेख लिखा है। उस लेख के माध्यम से उन्होंने चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री पर हर साल 2,69,900 रुपए खर्च होते हैं। यानि किसान की आज जितनी आमदनी है, उसके चौगुनी गैर कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों की आमदनी है और एक मंत्री की आमदनी सत्तर गुना है। इस नतीजे को देखकर कृषि के क्षेत्र से लोगों का मन भाग रहा है यदि कोई कृषि के क्षेत्र में लगा हुआ है, तो मजबूरी की वजह से लगा हुआ है। क्योंकि उसके सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

जिस तरह से किसानों का शोषण होता है, उसी तरह से जमीन का भी शोषण होता है। जमीन से हम सोना ले सकते हैं, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। आप कहेंगे, पैदावार बढ़ी है। मैं भी मानता हूं कि पैदावार बढ़ी है। पैदावार में वृद्धि हुई है। लेकिन जिस मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए थी, उस मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। देश की कुल कृषि भूमि के 15 प्रतिशत में पैदावार बढ़ी है। खास कर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य सीमित क्षेत्रों में पैदावार की वृद्धि हुई है, बाकी सारी की सारी जमीन ज्यों की-त्यों पड़ी हुई है। कोई उसको देखने वाला नहीं है और उसका कोई मां-बाप नहीं है। आई० सी० ए० आर० की रिपोर्ट के अनुसार कृषि के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है, वह है—सिंचाई। यदि केवल सिंचाई का प्रबन्ध हो जाए तो हमारी पैदावार 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। एक सर्वे के अनुसार 30.5 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता का और सृजन हुआ है। और सिंचाई

[श्री राम बहादुर सिंह]

होती है 2:.2 में, यानि बाकी सारी जमीन भगवान के भरोसे है। इन्द्र की कृपा हुई और उचित मात्रा में पानी बरसा, तो खेतों में फसल लहलहाती है और यदि इन्द्र कुपित हो गया तो किसान की फसल खत्म हो जाती है और किसान 'हाय" करके रह जाता है। 40 वर्षों की आजादी के बाद कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे हुए लोगों को आसमान के भरोसे टकटकी लगाए रहना पड़ता है और फिर भी हम कहते हैं कि हम कृषि का विकास करते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इससे तो सरकार की कथनी और करनी में कहीं मेल नहीं दिखाई देता है।

आपने कृषि को शोषण किया है। और ऐसा इसलिए कहना पड़ता है, क्योंकि न आपने समय से खाद दी, न समय से बीज दिया दिए और न ही उचित मात्रा में पानी दिया और न ही आपने जमीन की हदबन्दी कायम की। आजादी के समय में एक नारा लगता था—जमीन किसकी—जोतने वाले की। लेकिन यह नारा आज तक अमल में नहीं आया। कानून बन गया, लेकिन वह कानून धरती पर नहीं आया। मेरे बिहार में दस हजार किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक हजार एकड़ से लेकर दस हजार एकड़ जमीन है। बिहार में मठ-मंदिर ऐसे हैं, जिनकी संख्या पांच हजार है और उनके पास एक सौ एकड़ से लेकर दस हजार एकड़ तक जमीन है तथा चीनी मिलों के पास जो है, वह बात अलग है। मेरे यहां 10-15 हजार मुकद्दमें पिछले पन्द्रह सालों से जमीन को लेकर न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। आपने सुना होगा, रोज बिहार में खून होता है, कत्ल होते हैं। पिछले वर्ष पंजाब में जितनी हत्यायें हुई है, उससे चौगुनी हत्यायें बिहार में हुई हैं। उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह जमीन है। जमीन को लेकर आजकल गरीबों में और अमीरों में द्वन्द चल रहा है। और जहां जिसकी चलती है, वह अपने मन के अनुकूल विरोधी को विरोधी समझ कर उसकी हत्या कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भूमि हदबन्दी कानून को जल्दी से जल्दी लागू करें यदि आप चाहते हैं कि सारे देश में अमन का राज्य कायम हो।

2.00 म० प०

एक चीज मैं जंगलों के बारे में कहना चाहता हूं। 67 लाख हैक्टेयर जमीन जंगल विभाग के कब्जे में है, जिसमें से 30 लाख हैक्टेयर जमीन में जंगल हैं और बाकी में जंगल नहीं हैं। इसलिए वहां जंगल लगवाये जहां आप जंगल कटवाते हैं, वहां आप जंगल लगवाएं लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां जंगल कटवाते है, वहां जंगल नहीं लगाए जाते और दूसरी जगहों पर जंगल लगाते हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि जहां आप जंगल कटवाते हैं, वहां अवश्य ही जंगल लगने चाहिए: जंगलों का मतलब है मिश्रित वनस्पति लेकिन आज कल अपने देश में केवल युकलिप्टस के पेड़ लगाने की होड़ मची है। इसलिए कि यह जल्दी तैयार हो जाता है और इससे पैसा भी ज्यादा मिलता है लेकिन इससे जंगल का मकसद पूरा नहीं होता है। जंगल का मकसद तो पूरा होगा मिश्रित वनस्पति से।

एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि लकड़ी से उत्पादित वस्तुओं पर टैक्स लगाने से जंगलों की रक्षा होगी और इसलिए उन्होंने लकड़ी से उत्पादित वस्तुओं पर टैक्स लगाया है लेकिन प्लाईवुड पर ज्यादा टैक्स लगाया है, जो मेरी समझ से उचित नहीं है। प्लाईवुड की खपत बढ़ाने के लिए उस पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि लोग खिड़कियों में, दरवाजों में और शटरिंग में उसको ज्यादा इस्तेमाल कर सकें जहां कीमती लकड़ी लगाई जाती है। जब उसकी खपत बढ़ेगी, तो कीमती लकड़ी का बचाव होगा। इसलिए आपको उसमें कुछ रियायत देनी पड़ेगी।

अन्त में एक वाक्य मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। यदि आप लोकतंत्र में विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं, तो जिस तरह से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अधिकारों का बंटवारा

किया गया है, उसी तरह से संविधान के तहत पंचायतों को भी अधिकार मिलने चाहिएं। जब पंचायतों को अधिकार और जिम्मेवारी दोनों मिलेगी, तो वे देश के विकास के कामों में सहयोग देंगी। आज देश के विकास में आम आदमी का सहयोग नहीं है। हम लोग लाख चिल्लाएं सहयोग के लिए लेकिन वह नहीं मिलेगा जब तक उनको अधिकार और जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। इससे देश की भावनात्मक एकता मजबूत होगी और देश के विकास के कामों में आम लोगों का संवेदनात्मक लगाव होगा।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० या आई०आर०डी०पी० के लिए आप जो पैसा देते हैं, उसका उचित जगह पर और उचित काम में इस्तेमाल नहीं होता है और उसमें लूट मची हुई है। मैं चुनौती देता हूं कि केवल मेरे गृह प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय के माध्यम से से जो काम एन०आर०ई०पी० के तहत हुआ है, उसकी अगर जांच की जाए, तो आप पाएंगे कि एक रुपये में चार आने ही काम हुआ है। यह तो प्रखंड की बात हुई। मेरा जिला तो शंकर के त्रिशूल पर है। आज भी 1986-87 के करीब 5 करोड़ रुपया विकास के भिन्न-भिन्न मदों में जिला कलक्टर के पास पड़े हुए है लेकिन उनके पास न कोई स्कीम है और न कोई योजना है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि जो आप पैसा देते हैं, खर्चे के बाद उसका मूल्यांकन करें कि कहां वह खर्च हुआ है और कितना उससे लाभ हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, इसमें कोई शुबाह नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धि है, वह काबिले-तारीफ है और उसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है और काफी कहा जा चुका है। मैं इसके बारे में यह कहूंगा कि यह एक असलियत है लेकिन दूसरी असलियत भी है, जिसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि पिछले 8-9 सालों में और माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वह उस गति से नहीं बढ़ रहा है जितना कि बढ़ना चाहिए था। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं 1970 से 1980 तक के। जो हमारी 70 से लेकर 80 तक औसतन सालाना बढ़ोतरी है वह 1.9 परसेंट है। जो हमारा लक्ष्य था उससे बहुत कम है। करीब-करीब यही स्थिति अभी तक चली आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर यही रफ्तार रही तो क्या होगा। इस वक्त तो हालत संतोषजनक है। हमारे पास गल्ला भी है, हमारे पास बफर स्टाक भी है। इस वक्त हमारे सामने समस्या कोई नहीं है। लेकिन भविष्य को देखते हुए, जबकि हम जानते हैं कि हमारे देश की पापुलेशन, आबादी बढ़ रही है, हमारे जो गरीब भाई हैं उनको परचेजिंग पावर, मजदूरी भी बढ़ती जा रही है तो आने वाले जमाने में जो खाद्यान की मांग हमारे सामने होगी उसको हम पूरा नहीं कर पायेंगे। हमारे सामने एक यह समस्या है।

अब सवाल यह है कि हमारी पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है? उसके बारे में मैं दो-चार बातें कहना चाहूंगा क्योंकि और अधिक कहने का मौका भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। क्या वजह है कि हमारी पैदावार लक्ष्य के मुताबिक नहीं बढ़ रही है? सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि हमारे देश में दो-तीन तरह के किसान हैं। कुछ बड़े किसान हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के किसान हैं और कुछ छोटे किसान हैं। जो बड़े किसान हैं उनकी प्रति एकड़ पैदावार अधिक लेवल तक पहुंच चुकी है, वह अब उससे आगे बढ़ने वाली नहीं है। जो छोटी श्रेणी के किसान हैं, उनकी पैदावार बड़े किसानों के मुकाबले में एक-तिहाई है। जब हमारे देश में सीलिंग लायी गयी थी तो इसीलिए लायी गयी कि जो हमारे देश में छोटे-छोटे किसान होंग व बड़ी मेहनत से, मशक्कत से अपने खेतों की पैदावार को बढ़ायेंगे। लेकिन अब वास्तविकता यह है कि छोटे किसान की पैदावार बड़े किसान की पैदावार से एक तिहाई है।

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे मैं साबित कर सकता हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में गेहूं की बढ़िया-से-बढ़िया पैदावार प्रति एकड़ 16 क्विंटल है और छोटे किसान की प्रति एकड़ पैदावार पांच-छः क्विंटल है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे देश में छोटा किसान है, उसके पास साधन नहीं है। उसके पास पैसा लगाने को नहीं है। खेती में लागत लगाइये तो खेती होगी। बगैर लागत के उसमें पैदावार नहीं होती है। बड़े-बड़े जो किसान हैं वे साधन सम्पन्न हैं। वे सरकार पर निर्भर नहीं हैं। उनके पास पैसा है। वे पैसा खर्च करके सारे इनपुट्स लगा देते हैं। अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है तो उनके पास ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी पैदावार उच्च लेवल तक पहुंचा दी है।

छोटे किसान की आर्थिक हालत खराब है। उसका दारोमदार सरकार पर ही है या कोआप्रेटिव्ज पर है। उसके पास इनपुट्स लगाने के लिए रुपया नहीं है, दूसरे साधन नहीं हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या स्कीम है जिसके जरिये से आप इन छोटे किसानों की पैदावार को बढ़ा सकें? वह स्कीम हमें इस हाऊस में समझाएं। आप यह बतलाने की कृपा करें कि छोटे किसान की पर एकड़ पैदावार जो कम है, उसको आप बड़े किसान के मुकाबले पर कैसे लाएंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। आपकी फी एकड़ प्रोडक्शन एक-दो साल के अन्दर 40 परसेंट तक बढ़ सकती है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि यह होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? आप छोटे किसान को ऋण या लोन देंगे, सॉफ्ट लोन देंगे फिर उसकी वापसी भी चाहेंगे। आप उसकी पैदावार की इतनी कम कीमत देंगे कि उसके पास आपके कर्जे का वापस करने के लिए इतना पैसा नहीं होता जिससे कि वह आपके कर्जे को वापस करके अपनी जरूरियात को पूरा कर सके। मेरी समझ में नहीं आता कि यह समस्या कैसे हल होगी।

सभापति महोदय, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको सारे आंकड़े दे सकूं। सब इस बात को जानते हैं कि एक एकड़ में गेहूं पैदा करने के पीछे किसान को करीब साढ़े चौदह सौ रुपये लागत आती है। मान लीजिए औसतन उसकी पैदावार पर एकड़ 12 क्विंटल है तो उसकी कीमत 1,944 रुपये बनती है। ढाई सौ-तीन सौ रुपए का वह भूसा बेचता है। कुल उसकी आमदनी 22?4 रुपए होती है और लागत आती है 1424 रुपए, इसका फर्क आता है तकरीबन 8?0 रुपए। एक एकड़ में गेहूं पैदा करने के लिए 850 रुपए एक साल में बचते हैं। छोटा किसान जिसके पास पांच-छह एकड़ है, अगर दो एकड़ में उसके पास गेहूं है तो सालाना आमदनी उसकी 1700 रुपए होती है। एक एकड़ में गन्ना भी लगा ले तो 1300 रुपए फालतू मिलते हैं। इस तरीके से एक साल में उसकी आमदनी तीन हजार रुपए होती है। मुश्किल से ढाई सौ रुपए महीना उसको पड़ता है। मंत्री महोदय मुझे बता दें कि कौन सा किसान ऐसा है जो ढाई सौ रुपए की आमदनी पर आपके कर्जे को वापिस कर दे, इन-पुट्स वक्त पर ले आए, अपने बच्चों को पढ़ा दे, बीमारी में इलाज भी कर दे, कपड़ा, मकान और शादी का प्रबन्ध भी करे, तो खुशहाली कैसे आयेगी। एक जमाना ऐसा था, जब आपने सीलिंग लगाकर यह चाहा कि इस तरीके से जमीन बटें। जमीन तो आपने बांट दी है लेकिन जब तक आपकी इकोनॉमिक होल्डिंग नहीं होगी तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ेगी। आप सबको गरीब बना देंगे तो इससे आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है कि सीलिंग एक्ट को दोबारा देखें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी वित्तीय पालिसी में, अपनी इकोनॉमिक पालिसी में संशोधन किया है। मैं चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि सीलिंग की जो पालिसी है, सरकार उसपर गौर करे। यह कोशिश करे कि सीलिंग का अर्थ यह नहीं है कि फ्रैगमेन्टेशन आफ होल्डिंग्स होता रहे, छोटी जोत बढ़ती रहे और देश की पैदावार कम हो जाए। अगर

आपको मौजूदा स्तर रखना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐसा रास्ता निकालिए ताकि छोटे किसान की पैदावार बढ़ सके। उसी लेवल पर आ जाए जो बड़े किसान की है। मैं समझता हूं कि तब ही यह स्कीम कामयाब होगी। अन्यथा नहीं तो आपको अपनी नीति में संशोधन करना पड़ेगा। और भी दो-तीन बातें ऐसी हैं जिससे पैदावार रुकी हुई है। जमीन की हालत खराब होती जा रही है। सॉयल का स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी और सॉयल का ह्यूमस आहिस्ता-आहिस्ता खराब होता जा रहा है इसलिए कि छोटे किसान के पास उपजाऊ शक्ति को कायम रखने की गुंजाइश नहीं है। जमीन से जितना वह लेता है, उतना जमीन को वापिस नहीं दे सकता। अंग्रेजी में कहते हैं, वन-वे-ट्रैफिक है। जमीन से बहुत कुछ ले रहे हैं लेकिन जमीन को वापिस नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि दे नहीं सकते। बड़े-बड़े किसान खाद लाते हैं और क्राप्स का रोटेशन भी रखते हैं जिससे सॉयल की फर्टिलिटी कम न हो। अस्सी फीसदी छोटे किसान हैं। उनके पास न तो समय है और न साधन है कि इन सब बातों को कर सके। नतीजा यह है कि आपके सॉयल की फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। एकतरफा ट्रैफिक है। आज आप पांच किलो यूरिया डाल रहे हैं तो अगले साल छह किलो, उसके बाद सात और फिर आठ किलो डालना पड़ेगा। नतीजा यह होगा कि आपकी तमाम जमीन बंजर होने वाली है। यह बड़े ध्यान देने की बात है। अगर आपने यह तरीका बंद नहीं किया तो बहुत भारी नुकसान दस पन्द्रह साल में देश को होने वाला है। यह जरूरी है कि ग्रीन मैन्यूरिंग हो। इस पर आपकी तवज्जह नहीं है। छोटा किसान है मजबूर है, वह कुछ नहीं कर सकता। उसको बताने वाला कोई नहीं है। सॉयल टैस्टिंग की कोई लैबोरेटरी गांव में नहीं है। किसानों को यह मालूम नहीं है कि जमीन क्या चाहती है और क्या डालना चाहिए। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बड़े गौर करने की बात है। छोटा किसान कुछ नहीं कर सकता। उसको साधन उपलब्ध कराने होंगे। कैसे करायेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। समस्या बड़ी गम्भीर है, इसपर आपको गौर करना पड़ेगा। जहां तक कीमत का सवाल है, रेम्युनरेटिव प्राइस हम दे रहे हैं। उसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। यह कीमत कतई गलत है। यह अगर किसान को जिन्दा रखने के लिए है तो हां मैं मान सकता हूं लेकिन आप समझते हैं कि जितना मिल रहा है उसके अन्दर खुशहाली आ जायेगी, यह कतई नहीं होगा। मैंने अभी आपको आंकड़े दिये हैं, 250 रुपये साल के उसे मुश्किल से बचते हैं। आप उससे उम्मीद करते हैं कि उसकी खुशहाली आ जायेगी। इस कीमत को और जो बाजार से वह चीजें खरीदने के लिए जाता है इनमें न तो रिलेशनशिप है और न ही कोई रेशो है। बाजार में किसान खरीदने के लिए जाता है तो हर दो महीने में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जब वह दुकानदार से शिकायत करता है कि इतने पैसे क्यों मांग रहे हो तो दुकानदार कहता है कि लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाइये। लेकिन किसान को यह कहने का अधिकार नहीं है कि आप गेहूं लें या नहीं लें। सरकार तो उससे गेहूं लेती है, जबर्दस्ती लेती है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। किसान की कीमत और जो बाजार की आवश्यक चीजें हैं उनमें रेशो ऐसा होना चाहिए कि बाजार की चीजों के दाम बढ़ें तो किसान जो पैदा करता है उसके भी दाम बढ़ने चाहिए। दोनों में ऐसा सम्बन्ध हो जिससे उसके ऊपर भारी बोझ न आये। मैं जानता हूं यह माननीय मंत्री जी के स्कोप से बाहर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह इसको आगे बढ़ायें और प्रधान मंत्री जी से बात करें कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान का शोषण होता ही रहेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है।

दूसरी बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। जैसे और क्षेत्रों में बिजली की जरूरत है ऐसे ही कृषि क्षेत्र में भी बिजली के बिना काम चलने वाला नहीं है। किसान के पास न रहट है और न तनाव चरख है। उसका सारा दारोमदार बिजली पर है, उसके बिना उसका काम नहीं चलता बिजली उसे मिल नहीं रही है। प्रदेश सरकारें आपको आंकड़े दे देती हैं कि हम आठ-दस घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश की बात मैं करता हूं, सभापति महोदय, आप भी उसी राज्य से आते हैं, क्या-क्या बातें वहां हो रही हैं, लेकिन वायदे सब झूठे और गलत हैं। मैं अभी सब जगह घूमकर

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

आया हूं। कहीं दो घंटे बिजली मिलती है तो कोई कहता है यहां चार घंटे बिजली मिल रही है, इससे ज्यादा कहने वाला कोई नहीं है। जबकि सरकार कहती है कि हम दस घंटे बिजली दे रहे हैं। किसान अपना काम कैसे चलायेगा ? बड़े किसान हैं उनके पास और भी साधन हैं सिंचाई के, वह कर लेते हैं। लेकिन आम किसान के लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि दिन-रात वह उन्नति करे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? छोटा किसान जो गेहूं पैदा करता है उसको दो-तीन पानी मिलता है, जबकि नये बीज की फसल को आठ-नौ पानी चाहिए। आप कैसे मदद करेंगे कि उसकी सिंचाई हो और पैदावार बढ़े। बिजली किसान को तमाम साल में कम से कम सात-आठ घंटे रोजाना मिलनी चाहिए। आज थ्रेशिंग का काम चल रहा है इसमे उसको ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन वह नहीं मिल रही है। मैं आखिरी एक बात कहना चाहूंगा। विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि किसान यह जरूर महसूस करता है कि उसकी आमदनी में और उसका भाई जो शहर में रहता है उसकी आमदनी में बहुत फर्क है। शहर वालों को बहुत सहूलियतें मिली हुई हैं, उनकी आमदनी बढ़ी हुई है : वह उसको समझता है और महसूस करता है कि मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। आप छोटी-छोटी बातें देखें। शहरों में डाक्टरों की सुविधा मौजूद है, लेकिन गांवों में नहीं है। देश के दो तिहाई डाक्टर शहरों में रहते हैं और एक तिहाई गांवों में रहते हैं, वह भी पहुंचते नहीं हैं। वहां न डाक्टर मिलते हैं, न दवाई मिलती है, न स्कूल मिलते हैं, न कालेज मिलते हैं। बहुत-सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, उन पर आपको गौर करना चाहिए। आप अगर गांवों में खुशहाली लाना चाहते हैं तो आपको यह सुविधायें देनी होंगी ताकि हमारा किसान भाई भी खुशहाल हो। जैसाकि और भाइयों ने कहा कि किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। यह कृषि प्रधान देश है और रहेगा। इसलिए जैसी स्थिति किसानों की होगी वैसी ही देश की होगी।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इन समस्याओं पर गौर करेंगे।

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अब तक मेरे मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लिया है। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सभी महत्वपूर्ण सुझावों पर उचित ध्यान दिया जायेगा। परन्तु सभी सदस्य जिस एक समान बात को चर्चा में जिक्र करते आये हैं वह है कृषि क्षेत्र में उन्नति। प्रत्येक सदस्य ने यह बात मानी है कि कृषि में उन्नति हुई है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में देश में कुल उत्पादन 51 मिलियन टन था जो अब बढ़कर 150 मिलियन टन तक हो गया है। वर्ष 1986-87 में हम 150 मिलियन से अधिक उत्पादन की अपेक्षा करते हैं, अर्थात यह 150 से 15..5 मिलियन टन के आस-पास हो सकता है। इस वर्ष यह आशा है।

इससे स्थिरता आ गई है। इससे इस देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता में स्थिरता आई है। विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य इस देश में व्यक्ति की आवश्यकताओं, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति आवश्यकता और दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में बता रहे थे और इनकी अनुपलब्धता को लेकर वह बहुत निराशावादी थे। उत्पादन कम है इसलिए उपलब्धता भी कम है। आंकड़ों से अपने-आप पता चल जाता है। हमारा उत्पादन दिन-प्रतिदिन कैसे बढ़ता है, यह दर्शाने के लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 1979 से 1982 तक के कमी वाले तीन वर्षों के दौरान भी औसत उत्पादन 124.2 मिलियन टन

था। वर्ष 1982-83 जो भयंकर सूखे का वर्ष था, तब भी उत्पादन 129.5 मिलियन टन था। इससे पूर्व के तीन वर्षों में औसतन उत्पादन इस सूखा प्रभावित वर्ष से कम था। इससे प्रतीत होता है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। और इसमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। वर्ष 1983-84 में 152.2 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ और 1985-86 में यह उत्पादन 150.47 मिलियन टन था। यह सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मिली कि हमारे किसान अच्छी तरह से खेती कर रहे थे बल्कि कुछ और बातें भी थीं विशेषकर कृषि आदान जो किसानों को न केवल आसानी से उपलब्ध कराये गये बल्कि सरकार द्वारा इनको विभिन्न उपायों के माध्यम से लोकप्रिय भी बनाया गया है। इस आवश्यक कृषि आदानों में सात मुख्य वस्तुएं आती हैं :—

(एक) **उत्तम बीज** : अगर किसानों को उचित मूल्य पर तथा पर्याप्त मात्रा में ठीक समय पर उनके नजदीक स्थान पर बीज उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि किसान अपना खेत नहीं जोत सकेंगे।

2.24 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस देश में बीज उत्पादन के बारे में मैं आंकड़े देना चाहता हूं। बीजों का उत्पादन पर्याप्त है और ये किसानों को दिए जाते हैं। प्रमाणित और उत्तम किस्म के बीजों का वितरण वर्ष 1983-84 में 44.97 लाख क्विंटल, 1984-85 में 48.46 लाख क्विंटल, 1985-86 में 55.01 लाख क्विंटल था और वर्ष 1986-87 के लिए 65.59 लाख क्विंटल का लक्ष्य है। उत्तम किस्म के बीजों की उपलब्धता से किसानों को पर्याप्त आदान मिले हैं और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। महोदय दूसरा प्रमुख आदान प्रौद्योगिकी है। अगर उचित प्रौद्योगिकी का विकास किया जाए और विस्तारण सेवाओं के जरिए इसे किसानों तक पहुंचाया जाए तो वे इसे अपना लेते हैं और उसके बाद उत्पादन में चमत्कार दिखाते हैं। हमने ऐसा देखा है। इस तकनीक का विकास हमारे आई०सी०ए०आर०, जिसकी दोनों सभाओं में आलोचना की जाती है, के वैज्ञानिकों ने किया है जो प्रशंसा के पात्र हैं। परन्तु इस देश में वैज्ञानिकों ने अद्भुत कार्य किया है, सिर्फ प्रौद्योगिकी के विकास में ही नहीं बल्कि हमें बीजों की ऐसी नई किस्में देने में भी जो सूखा-सह, अल्पावधि वाले अधिक उपज वाले, उन्नत किस्म के और रोग-प्रतिरोधक हैं। इन बीजों का विकास प्रयोगशालाओं में किया जाता है और भारतीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम इनको ज्यादा संख्या में बनाकर किसानों को देते हैं। इस प्रकार स्थान विशेष के लिए विभिन्न फसलों के अनुरूप हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी से भी हमारे देश में खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादनों को बढ़ाने में काफी सहायता मिली है।

तीसरा प्रमुख आदान उर्वरक है। किसानों को उर्वरक खंड स्तर तक उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, परिवहन आर्थिक सहायता भी दी जाती है और उर्वरकों की गुणवत्ता का भी राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और जब भी कोई शिकायत होती है तो हम भी राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं। चौथा आदान कीटनाशक दवायें हैं। उन्नत किस्म के बीजों की नई किस्मों के साथ हानिकारक कीड़ों और रोगों में भी वृद्धि हुई है और इसके लिए अच्छे किस्म की कीटनाशक दवाओं की जरूरत है जो हानिकारक कीड़ों और दूसरे पौध रोगों पर नियंत्रण कर सकें। मैं इन सभी वस्तुओं पर बाद में एक-एक करके चर्चा करूंगा। परन्तु ये मुख्य आदान हैं। पांचवां आदान सिंचाई है। अगर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो इससे भी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। महोदय, वर्ष 1950-51 में लगभग 22.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी। अब यह आंकड़ा

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

लगभग 67.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, अर्थात 68 मि० हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। निस्संदेह, सिंचाई इससे अधिक भूमि पर हो सकती है। 113.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकती है। परन्तु हम किसानों को लगभग 25 से 26 प्रतिशत तक भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाते हैं। यदि हमारे पास अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध हुई तो सातवीं योजना के लिए 12.9 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है। छठी योजना के लिए अनुमानित निवेश 10,786 करोड़ रुपये का था। इस धनराशि से प्रतीत होता है कि हमारी सरकार देश में किसानों के लिए अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कितनी चिन्तित है।

छठा और अन्तिम महत्वपूर्ण आदान ऋण सुविधा का है। अगर किसान के पास धन है और उसको ऋण दिया जाता है तो वह सारे आदान खरीद सकेगा और अपने खेतों में उपयोग कर सकेगा। परन्तु यदि उसके पास धन नहीं है तो उसके लिए खेती करना बहुत मुश्किल होगा। महोदय, किसानों को दी गई अब तक की आर्थिक सहायता के मेरे पास आंकड़े हैं। मैं सिर्फ पिछले तीन वर्षों के आंकड़े दूंगा। वर्ष 1984-85 में सहकारी क्षेत्र ने 2995.99 करोड़ रुपये और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों ने 2560 करोड़ रुपये प्रदान किए। वर्ष 1985-86 में सहकारी क्षेत्र ने 3206.5 करोड़ रुपये और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों ने 3680 करोड़ रुपये प्रदान किए और वर्ष 1986-87 में हमारा लक्ष्य सहकारी क्षेत्र में 4380 करोड़ रुपए तथा वाणिज्यिक बैंकों में 4455 करोड प्रदान करने का है। इसका अर्थ यह है कि किसानों को 9000 करोड़ रुपए के ऋण दिये गये हैं और इन ऋणों से किसान खेती में काम आने वाली सामग्री खरीद सकते हैं और अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि लगभग सभी मुख्य फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मैं फसलों के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। महोदय, मैं फिर से सिर्फ तीन वर्षों के बारे में ही बताऊंगा। वर्ष 1983-84 में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 1457 किलोग्राम था जो वर्षा की कमी की वजह से कम होकर वर्ष 1984-85 में 1417 किलोग्राम हो गया और वर्ष 1985-86 में बढ़कर 1568 किलोग्राम हो गया।

जहां तक गेहूं के उत्पादन का संबंध है, वर्ष 1983-84 में इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 1843 किलोग्राम था जो वर्ष 1984-85 में बढ़कर 1870 किलोग्राम और वर्ष 1985-86 में बढ़कर 2032 किलोग्राम हो गया।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं, वह बताने जा रहा हूं। कुछ माननीय सदस्य हमारे देश के उत्पादन की तुलना दूसरे देशों विशेषकर रूस, अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान और दूसरे देशों के उत्पादन के साथ करते हैं। माननीय सदस्य श्री जुझार सिंह अभी-अभी आंकड़ों की तुलना कर रहे थे और यह बता रहे थे कि हमारी उपज कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं हैं। अब हम तुलना करते हैं। मेरे पास सारिणी है। भारत में धान की अधिकतम उपज वर्ष 1984-85 में 4609 किलोग्राम है। अब हम इसकी तुलना विश्व के अन्य देशों से करें। बंगलादेश में 2100 किलोग्राम है, बर्मा में 3208 किलोग्राम, चीन में इससे थोड़ी अधिक 5345 किलोग्राम, इंडोनेशिया में हमसे कम 4052 किलोग्राम, जापान में अधिक अर्थात 6225 किलोग्राम है, पाकिस्तान में 2250 किलोग्राम है। इस तरह से अनेक तुलनाएं की जा सकती हैं। हमारा गेहूं की उपज 3288 किलोग्राम है। हम दूसरे देशों से तुलना करें जैसे बंगलादेश की उपज 2166 किलोग्राम है, बर्मा की 1719 किलोग्राम, यहां तक कि पंजाब में गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर से तुलना करने पर चीन की इससे कम है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं नहीं चाहता कि आप बीच में बोलें। अगर आप चाहते हैं तो भाषण के अन्त में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई संदेह है तो मैं उसे स्पष्ट करूंगा परन्तु भाषण के बीच में नहीं।

महोदय, उत्पादन लागत के बारे में भी तुलनाएं की गई हैं और कहा गया है कि भारत में उत्पादन लागत बहुत अधिक है। मेरे पास एक तैयार की गई सारिणी है क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर दोनों सभाओं में आलोचना होती है। इसलिए मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं और मैं अपने आंकड़े माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं ताकि वे दूसरे देशों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। अब अमेरिका, इंगलैंड और फ्रांस से भारत की स्थिति की तुलना की जाये। भारत में वर्ष 1979 में गेहूं की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत 99.32 रुपये थी। यह उत्पादन लागत है, जबकि अमेरिका में यह 107.58 रुपये है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या यह उत्पादन लागत है ?

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : ये डाटा किसने निकाले हैं ?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं ये आंकड़े आपको फार्म सैक्टर के आर्थिक सूचक उत्पादन लागत 1984, राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग, आर्थिक अनुसंधान सर्वेक्षण, अमेरिका···

(व्यवधान)

श्री राजकुमार राय : हम भी किसान हैं। हम भी सब जानते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं चर्चा में नहीं पड़ना चाहता। अगर आपको अपने वैज्ञानिकों और सांख्यिकीविदों में कोई विश्वास नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। परन्तु ये आंकड़े विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा और पूर्व कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाने जाने वाले, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इकट्ठे किये गये हैं। उनके द्वारा हिसाब लगाया गया है।

ये आंकड़े गेहूं से सम्बन्धित हैं। भारत में, वर्ष 1982 में उत्पादन लागत प्रति क्विंटल 128.53 रुपये थी। अमेरिका में यह 145.07 रुपये, इंगलैंड में 134 रुपये और फ्रांस में 129 रुपये थी। वर्ष 1984 में हमारी उत्पादन लागत 137.44 रुपये थी। अमेरिका में यह 170.86 रुपये और इंगलैंड में 137 रुपये थी।

मैंने जो आंकड़े यहां पर दिये हैं वे 'भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत के अध्ययन के लिए व्यापक योजना", अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय से लिए गए हैं। ये आंकड़े वहां से लिए गए हैं। इस प्रकार, यह कहना गलत है कि भारत में उत्पादन लागत बहुत अधिक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने समय पर बोलना। अब व्यवधान मत डालिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं जो माननीय सदस्यों को उद्वेलित कर रहा है। वे प्राय: इसकी शिकायत करते हैं, विशेषकर लाभकारी मूल्यों के बारे में जिन्हें हम घोषित करके किसानों को दे रहे हैं। इस सभा तथा दूसरी सभा में बहुत चर्चा है। उनका कहना है कि

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

मूल्य लाभकारी नहीं हैं। मैं सिद्ध करूंगा कि ये लाभकारी हैं। किसी ने यह बात कही, वास्तव में दूसरी सभा में कही थी कि यह समर्थन मूल्य है। जी हां, हम कहते हैं कि यह समर्थन मूल्य है परन्तु यह लाभकारी मूल्य है। लेकिन "समर्थन" से आपका क्या तात्पर्य है? महोदय, लाभकारी स्तर पर यह समर्थन मूल्य दिया जाता है, न कि बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर, अर्थात उत्पादन लागत का हिसाब लगाकर उस स्तर पर समर्थन मूल्य देना। इसे बिल्कुल न्यूनतम स्तर कहा जाता है। लेकिन यह लाभकारी स्तर पर समर्थन मूल्य है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के सबसे पहले निदेश पद के अनुसार : मोटे तौर पर राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर तकनीकी अपनाने तथा उत्पादन पद्धति के विकास के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। पहले ही निदेश पद के अनुसार मूल्य किसानों को प्रोत्साहित करने वाले हों। दूसरा निदेश पद भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में है। तीसरा निदेश पद मूल्य नीति का, बाकी की अर्थ-व्यवस्था, विशेषकर निर्वाह लागत, वेतनों का स्तर, औद्योगिक लागत ढांचा इत्यादि पर सम्भावित प्रभाव के बारे में है।

अगला विषय व्यापार से संबंधित है, जिसका हमेशा माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किया जाता है। वे कहते हैं कि व्यापार की शर्तें किसानों के पक्ष में नहीं हैं। यह बात ठीक नहीं है। मूल्य निर्धारित करते समय हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। पहले उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है। आप पूछ सकते हैं कि लागत कैसे निकाली जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 18 मदों को ध्यान में रखता है। माननीय सदस्यों के लाभ के लिए, मैं यहां उनका उल्लेख करना चाहूंगा : किराये के मानव श्रम का मूल्य, स्वयं के बैलों के श्रम का मूल्य, किराये के बैल श्रम का मूल्य, किराये पर ली गई मशीनों का भाड़ा, स्वयं की मशीनों के कार्य का मूल्य, बीजों का मूल्य खेत से उत्पादित तथा खरीदे गए दोनों प्रकार के बीजों का मूल्य, कीटनाशक तथा कृमिनाशक दवाइयों का मूल्य, स्वयं की तथा खरीदी गई देशी खाद का मूल्य, रासायनिक उर्वरकों का मूल्य, उपकरणों तथा फार्म भवनों का मूल्यह्रास, सिंचाई खर्चे, भूमि राजस्व उपकर तथा अन्य कर, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, मिश्रित खर्चे, कारीगरों को अदायगी इत्यादि, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, स्वयं की पूंजी आस्तियों के मूल्य पर ब्याज जिसमें भूमि, आदान, अपनी भूमि का आंकलित किया गया किराया मूल्य सम्मिलित नहीं है, इस पर दिया गया भू-राजस्व तथा आंकलित पारिवारिक श्रम। यहां तक कि लागत का हिसाब लगाते समय पारिवारिक श्रम को भी ध्यान में रखा जाता है। कौन से घटक हैं जिन पर विचार किया जाता है? वे इस प्रकार हैं। लागत मूल्य पर विचार किया जाता है। आदानों के मूल्यों के परिवर्तन पर भी विचार किया जाता है। अगर उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होता है तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाता है। आदान उत्पादन मूल्य अर्थात व्यापार की शर्तें, बाजार के मूल्यों के रुख, मांग और सप्लाई की स्थिति, बीच की फसल के मूल्य में समानता, औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, निर्वाह लागत पर प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति—इसे शामिल किया गया था क्योंकि ऐसे सदस्य थे जो शिकायत करते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, मूल्य बहुत ऊंचे हैं। अतः, हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य स्थिति पर भी ध्यान रखते हैं तथा किसानों द्वारा दिये गये मूल्यों तथा उनके द्वारा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता पर भी ध्यान रखा जाता है। ये घटक हैं जिन पर विचार किया जाता है।

अतः व्यापार की शर्तों के संबंध में, अर्थात किसानों द्वारा दिये गये मूल्य तथा उनके द्वारा प्राप्त मूल्यों पर, उचित रूप से विचार किया जाता है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि लागत का हिसाब लगाते समय, लागत की वस्तुओं में लाभ नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि लाभ नहीं दिया जाता है, लाभ

उद्यमी द्वारा कमाया जाता है, क्योंकि वह जोखिम उठाता है और इसके लिए गुणवत्ता का जो जोखिम उठाया जाता है, उद्यमी को इनाम के रूप में लाभ प्राप्त होता है। अत: लागत का हिसाब करते समय, लाभ को शामिल नहीं किया जाता है और हम शुद्ध रूप से लागत निकालते हैं, लेकिन लाभकारी मूल्य घोषित करते समय तथा मूल्यों की सिफारिश करते समय सी० ए० सी० पी० खुदरा उत्पादन लागत में लाभ को भी जोड़ा जाता है, और उसके बाद वे मूल्य की सिफारिश करते हैं और सरकार भी मूल्य घोषित करते समय, इस पहलू पर ध्यान रखती है कि किसानों को लाभ मिले।

अब, मैं माननीय सदस्यों को व्यापार की शर्तों के बारे में बताना चाहूंगा, किसानों द्वारा दिया गया मूल्य तथा उनके द्वारा प्राप्त मूल्य कैसे तय किया जाता है। मैं गत पांच वर्षों के समय को, वर्ष 1980-81 से शुरू करके लेना चाहूंगा और 1979-80 में किसानों द्वारा अदा किये गये मूल्य तथा उनके द्वारा प्राप्त मूल्य को आधार मानकर उसे 100 के बराबर रखूंगा।

1980-81 के दौरान प्राप्त मूल्यों का सूचकांक 11 .2 था जबकि किसानों द्वारा अदा किये गये मूल्यों का सूचकांक 117 था। अत: 1.5 प्रतिशत का घाटा है क्योंकि हिसाब से व्यापार की शर्त 98.5 आती है। यह 1.5 प्रतिशत घाटा है। यह कम आंकड़ा क्यों ? किसान को कैसे पुरस्कृत किया जाता है ? उत्पादकता सूचकांक 100 से बढ़कर 114 प्रतिशत हो गया है। वर्ष का उत्पादकता सूचकांक यह है।

वर्ष	प्राप्त मूल्य	अदायगी मूल्य	उत्पादकता सूचकांक
1981-82	120.1	129.2	116.7
1982-83	127.8	133.7	114.7

इस उत्पादकता सूचकांक से क्या पता चलता है ? उत्पादकता को कैसे प्राप्त किया जाता है ? उत्पादकता प्राप्त करने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें सरकार द्वारा किया जाता है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, नये आदान उपलब्ध कराये जाते हैं, आदानों तथा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई तकनीकी पर दी गई राज सहायता। इन सबको ध्यान में रखते हुए इस लाभ का कुछ अंश उपभोक्ता तक भी पहुंचना चाहिए और इसलिए, हमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के बीच समन्वय रखना पड़ता है।

इसके पश्चात्, ये मूल्य तय करते हैं। कभी-कभी कुछ सदस्यों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी ध्यान में रखने की वकालत की है। इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। यह वेतन भोगियों के लिए है··· (व्यवधान) ···यह वेतन भोगियों के लिए है अर्थात् औद्योगिक तथा कृषि श्रमिकों लिए हैं। अतः ये सूचकांक किसानों के लिए नहीं हैं तथा किसानों को प्रभावित नहीं करते हैं। अत:, इन्हें ध्यान में रखा जाता है। अतः, आप देखते है कि सरकार द्वारा जो मूल्य तय किये जाते हैं वे न केवल लाभकारी हैं बल्कि किसानों को कुछ लाभ भी प्रदान करते हैं। किसी का भी यह कहना गलत है कि किसानों को दिये गये मूल्य लाभकारी नहीं हैं। मैंने हिसाब लगाया है। कल मैंने अपने अधिकारियों से वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए गेहूं और धान की उत्पादन लागत का हिसाब लगाने के लिए कहा था। आंकड़ों को दर्शाने के उद्देश्य से तथा ठीक आंकड़े देने के प्रयोजन से, वर्ष 1980-81 में पंजाब में उत्पादन लागत 124.7 रुपये प्रति क्विंटल थी। उत्तर प्रदेश में यह 121.52 रुपये प्रति क्विंटल थी। यह गेहूं के बारे में है। खरीद मूल्य 130 रुपये प्रति क्विंटल था। वर्ष 1981-82 में उत्पादन लागत उत्तर प्रदेश में 121.52 रुपये से बढ़कर 138.95 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गई थी। इसका आशय है 14 प्रतिशत वृद्धि और किसानों को जो

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

मूल्य प्राप्त हुआ अर्थात खरीद मूल्य 142 रुपये था। अत: गत वर्ष के लाभकारी मूल्य पर 9 प्रतिशत बढ़ोतरी दी गई है···(व्यवधान) मैंने हिसाब लगाया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे मंत्रालय के पास चर्चा के लिए कम समय है और बहुत सारे सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य इन आंकड़ों में अधिक रुचि रखते हों तो वे मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। मैं उसके साथ बैठकर उसे आश्वस्त कर सकूंगा कि इस मूल्य के लेने में किसान को कोई घाटा नहीं हो रहा है। मूल्य लाभकारी हैं और सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने को बहुत उत्सुक है। ये ऐसे मित्र हैं जिनका किसानों को भड़का कर राजनीतिक फायदा उठाने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, ये सड़कों पर जाकर शोर मचाते रहते हैं। किसान इसके पीछे उनके उद्देश्य को नहीं समझते है। यही कारण है कि ये गरीब किसान सड़कों पर आते हैं। मैंने उन्हें आमन्त्रित किया है। जो सी०ए०सी०पी० के साथ इस पर बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए स्थायी आमंत्रण है···(व्यवधान) हम उन्हें आमंत्रित करते है। उन्हें हमारे पास आने दें ··(व्यवधान)···तो हम उन्हें आश्वस्त कर सकेंगे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध करें ··

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : 70 प्रतिशत खेती सूखे क्षेत्र में की जाती है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अधिक वक्ताओं को बोलने का अवसर प्रदान कर रहा हूं। उस समय उन्हें बोलना चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : शुष्क भूमि क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर कृषि वर्षा पर आधारित है। 70 प्रतिशत खेती शुष्क भूमि पर की जाती है जिसका लगभग प्रत्येक एक-तिहाई भाग वहां पर, सामान्य वर्षा पर और कम वर्षा पर आधारित है। अत: कृषि क्षेत्र में 70 प्रतिशत भूमि संवेदनशील क्षेत्र अर्थात शुष्क भूमि खेती के रूप में उल्लेख की जा सकती है। इस क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान जा रहा है और सरकार ने इन शुष्क भूमि क्षेत्रों को सुविधाएं और नई तकनीक देने की अनेक योजनायें बनाई हैं। वर्षा पर आधारित क्षेत्र प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी से कृषि उत्पादन में सुधार करने तथा इसे कायम रखने के लिए शुष्क भूमि कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को वर्ष 1971 में मंजूरी मिली थी। ये सभी राज्य अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत आते हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को कम से कम पांच और इससे अधिक केन्द्रों की भी व्यवस्था की गई हैं। मुझे बताया गया है कि एक वहां है, कर्नाटक में तीन केन्द्र हैं। आन्ध्र प्रदेश में दो केन्द्र हैं। मध्य प्रदेश में दो है। महाराष्ट्र में दो और उत्तर प्रदेश में चार केन्द्र हैं (व्यवधान) राजस्थान में दो हैं। श्री व्यास हमेशा राजस्थान के बारे में चिन्तित रहते हैं।

शुष्क भूमि कृषि सम्बन्धी इस अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक कंटूर खेती अपनाने के लिए बांध बनाकर समुचित भूमि पर प्रबन्ध करना, ढलान के पाट समय पर जुताई करना, बुवाई जल्दी करना, उचित और विविध फसलों का चुनाव करना, इष्टतम पौध स्टेन्ड की व्यवस्था, समय पर खरपतवार निकालना और नाशी जीव पर नियन्त्रण और उर्वरकों का सामान्य प्रयोग हैं। ये कुछ घटक ऐसे हैं जिनका कार्यात्मक अनुसंधान परियोजना क्षेत्रों में मूल्यांकन और

निर्धारण किया जा रहा है। जिन्हें 47 स्थानों में शुरू किया गया है जिसमें ऐसे किसानों को शामिल किया गया है जो केवल शिक्षित ही नहीं है अपितु जिन्होंने उस क्षेत्र की कृषि जलवायु स्थिति के अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन भी किया है। इससे कुछ फसलों में उपज में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई है और कुछ क्षेत्रों में यह 50 से 75 प्रतिशत है। जहां शुष्क भूमि में ये उन्नत तरीके अपनाए जाते हैं वहां किसानों द्वारा उपज में वृद्धि की गई है। कृषि विश्वविद्यालय भी कुछ आदर्श जलसंभर प्रबन्ध कार्यक्रम चला रहे हैं। विश्व बैंक के तत्वावधान में वर्षा पर आधारित खेती में उपलब्ध उन्नत प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक राज्य में 25000 हे० वाले चार बड़े जलसंभरों का चयन किया गया है। वर्ष 1986-87 से भारत सरकार ने वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम 16 राज्यों में पचास-पचास प्रतिशत धनराशि वहन करने के आधार पर शुरू किया है जिसका कुल परिव्यय 239 करोड़ रुपये है और वर्ष 1986 के 20-सूत्री कार्यक्रम के दूसरे सूत्र, जो शुष्क भूमि खेती के सम्बन्ध में है, के अनुरूप इससे शुष्क भूमि में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कुछ योजनाओं को भारत सरकार ने शुरू किया है जिनसे किसानों को कुछ लाभ प्राप्त होता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को मदद देने की प्रति विकास खण्ड पांच लाख रुपये की एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत 3.50 लाख रुपये की राज सहायता छोटे सिंचाई कार्यों के लिए दी जाती है। 50,000 रुपये की राशि बीजों, विशेषकर तिलहन और दालें के बीजों के मिनीकिट के वितरण के लिए और भूमि विकास, जिसमें स्टाफ पर व्यय भी शामिल है, एक लाख रुपया है। इस प्रकार जहां योजना लागू है, वहां शुष्क भूमि क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में किसानों को 5 लाख रुपये प्रति खंड के हिसाब से दिए जाते हैं।

मैं अभी कृषि आदान निवेश के बारे में उल्लेख कर रहा था। उर्वरक एक महत्वपूर्ण कृषि आदान है। उर्वरक की खपत पर्याप्त रूप से बढ़ी है। प्रत्येक वर्ष उर्वरक की खपत में वृद्धि होती है। इसके लिए हमें सरकारी नीतियों और विस्तार सेवाओं की को धन्यवाद देना चाहिए। हमने कृषि मेले लगाए, हमने कृषि आदान पखवाड़े मनाए और राज्य विस्तार सेवाओं में उर्वरक के प्रयोग के बारे में भी प्रचार किया गया। वर्ष 1985-86 में ~7.37 लाख टन उर्वरक का प्रयोग किया गया जबकि वर्ष 1986-87 में यह लगभग 90.02 लाख टन है। अब तक यह देश में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्तर पर आ चुका है। 3 अप्रैल, 1986 को सम्पूर्ण देश में किसानों को उर्वरक प्रदान करने के लिए 1.6 लाख बिक्री केन्द्र थे। वर्ष 1986-87 में, केवल उर्वरक पर 2000 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई थी। अब शुष्क भूमि के मामले में, हम उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं। अतः जो डिपो का एजेंट किसानों के लिए उर्वरक रखना चाहती हैं और उन्हें समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें इन फुटकर दुकानों में अग्रिम माल का स्टाक रखने के लिए राजसहायता दो जाएगी। विकास खंड मुख्यालय से गांव तक उर्वरक पहुंचाने के लिए परिवहन खर्चा भी दिया जायेगा। यह शुष्क भूमि के लिए है विशेषकर इन क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए है।

महोदय, जैसा मैंने कहा कि 70 प्रतिशत खेती मानसून, वर्षा देवता पर निर्भर है और इसलिए अक्सर सूखा, अभाव, बाढ़, ओला वृष्टि, तूफान, हिमपात की घटनायें होती रहती हैं। अनेक मामलों में पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन होते हैं और इससे समस्यायें पैदा हुई हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए, एक माननीय सदस्य श्री वक्कम पुरुषोत्तमन, जब वह बोल रहे थे, केरल के लिए वकालत कर रहे थे। महोदय, 1986-87 वर्ष में 20 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बाढ़, ओला वृष्टि, तूफान, हिमपात आदि से प्रभावित हुए हैं। अब, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि केवल

राहत ही नहीं बल्कि मानसून से पूर्व की स्थिति को बनाए रखे और किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत तथा भूमिहीन किसानों को, जो रोजगार से वंचित हो गए हैं, इस सूखे के कारण रोजगार प्रदान करे। उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में पेयजल की आवश्यकता है और अनेक क्षेत्रों में चारे की आवश्यकता है। अतः यह राज्य सरकारों की पहुंच में नहीं है। उनके संसाधन भी सीमित हैं। अतः, आठवें वित्त आयोग ने यद्यपि यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, भारत सरकार उनके प्रयासों में योगदान देना चाहती है और हम उनके प्रयासों को जहां तक सम्भव हो सकता है, पूरा करते हैं और यही कारण है कि 1985-86 में राहत के लिए खर्च की सीमा 1,035 करोड़ रुपये मंजूर की गई थी। 1986-87 में, यह 1,046,24 करोड़ रुपये थी। यह प्राकृतिक आपदाओं के कारण है।

1986-87 में जहां तक सूखा का सम्बन्ध है, यह 16 राज्यों में पड़ा है और 317.48 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है। 1986-87 में बाढ़, आदि के लिए, 17 राज्यों में 355.71 करोड़ रुपये राहत, मरम्मत और पुनर्वास कार्यों के लिए मंजूर किये गये हैं। अतिरिक्त धनराशि में भी वृद्धि हुई है। यह 240.75 करोड़ रुपये, करीब-करीब दुगनी है। अतः राज्य सरकारों के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और डी० पी० ए० पी० और डी० डी० पी० जैसे कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किये जाने चाहिए।

डी० पी० ए० पी० में, छठी योजना के अन्त में, 13 राज्य, 70 जिले और 511 खण्ड शामिल किये गये थे : यह केन्द्र प्रायोजित योजना है—50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा और शत-प्रतिशत केन्द्रीय योजना भी है, अर्थात रेगिस्तान विकास कार्यक्रम। छठी योजना के अन्त में, 5 राज्य, 21 जिले और 126 खण्ड इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये गये थे। अतः महोदय, भारत सरकार देश में वर्षा पर आधारित क्षेत्रों की दशा के बारे में अवगत है जो किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है और राज्य सरकारों को सलाह देती है।

3.00 म० प०

पशुपालन भी कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनेक माननीय सदस्य—मैं प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र श्री भानु प्रताप सिंह अब आ गए हैं—पशुपालन के बारे में विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं। इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया है। 1985-86 में 423 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ और वर्ष 1986-87 में 440 लाख टन उत्पादन हुआ। 1985-86 में, 15.4 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 1986-87 में 15.9 बिलियन अंडों का उत्पादन हुआ। 'ब्राइलर' का उत्पादन वर्ष 1985-86 में 700 लाख था और अब 800 लाख हो गया है। 1985-86 में 398 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 1986-87 में 410 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ अर्थात 3 प्रतिशत वृद्धि दर है। वर्ष 1985-86 में 85 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम पूरा हुआ जबकि वर्ष 1986-87 में 92 लाख पशुओं पर यह प्रयोग हुआ।

केवल यही नहीं, इस क्षेत्र में नये अविष्कार किये गये हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने भ्रूण आरोपण पर प्रयोग किये हैं और भ्रूण का गर्भाधान होना प्रारम्भिक चरण में है। इस समय वे भ्रूण को दो या तीन या चार हिस्से में विभक्त कर रहे हैं क्योंकि फ्रांस जैसे देश में एक भ्रूण को चार या पांच भागों में विभक्त किया जाता है और उसका आरोपण किया जाता है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० कुलनदईवेलू : श्रीमन, उन्हें अनुमति क्यों दी जा रही है ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह क्या है, श्रीमन्। आपने हमें अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह निर्णय मुझे लेना है कि किस की बात मानूं और किसकी नहीं। मैं शोर के आगे नहीं, बल्कि तर्क के आगे झुकता हूं। अगर कोई माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते हैं तो मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन मैं शोर सुनने का आदी नहीं हूं, अत: मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूं।

हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कई क्षेत्रों में अनुसंधान किया जा रहा है और मैं कह रहा कि "एम्बरो ट्रांसप्लान्टेशन" के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ कार्य किया है।

मेरे मित्र श्री भानु प्रताप सिंह ने 'रेड सिंधी' का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि यह 10,000 लीटर दूध देती है। मेरे पास आंकड़े हैं। 'वैल्थ ऑफ इंडिया, रॉ मेटेरियल, वोल्यूम VI; पशु धन और मुर्गीपालन पर अनुपूरक, सी०एस०आई०आर० (1983 में पुन: प्रकाशन सेन्ट्रल कैटल ब्रीडिंग और इण्डो स्विस प्रोजेक्ट, केरल (1983 का प्रकाशन) में यह आंकड़े दिए गये हैं। इन प्रकाशनों में यह आंकड़े दिये गये हैं। 'रेड सिंधी' गाय अधिकतम 5440 किलोग्राम न कि लीटर दूध देती है। हर्ड नस्ल की गाय का औसत 1725 कि० ग्राम दूध देती है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में यह नई नस्ल है। इस नस्ल की कुछ गाएं हमारे पास भी हैं।

एक वर्ष में 305 दिन तक दूध देने वाली साहिवाल नस्ल की गाय का अधिकतम रिकार्ड 4,335 कि० ग्राम है। हर्ड नस्ल का औसत 2725 से 3175 कि०ग्रा० है। वह भी पंजाब, पाकिस्तान में है।

थारपारकर नस्ल की गाय, एक वर्ष में 305 दिन दूध देकर 4,375 कि०ग्रा० दूध देती है। हर्ड का औसत 1815 से 2720 कि०ग्रा० है।

ये नस्ल भी ज्यादातर सिंध, पाकिस्तान में हैं, हमारे यहां भी इसकी कुछ गायें हैं। मेरे राज्य गुजरात में गिर नस्ल की गाय का दूध का अधिकतम रिकार्ड 3175 कि०ग्रा० है और नस्ल का औसत 1675 कि०ग्रा०। यह सौराष्ट्र, भारत मे है।

इसके अलावा एक्सौटिक पशु हैं। होलस्टेन नस्ल की प्रति गाय का अधिकतम रिकार्ड 4690 किं०ग्रा० और हर्ड नस्ल का औसत 3,956 कि०ग्रा० है। यह रेड सिंधी, साहिवाल आदि से कम है। यह सब स्थानीय नस्लों के विषय में है। भारत सरकार ने कुछ चुनींदा नस्लों के सुधार का कार्यक्रम बनाया है। हम इन गायों की असली अनुवंशिकी को बनाए रखना चाहते हैं और इनकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने इनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाया है और हम 'एक्सोटिक' नस्लों से मेल नहीं कराते। यह पशुपालन और मुर्गीपालन के सम्बन्ध में है।

कृषि का एक अन्य क्षेत्र है डेयरी विकास। डेयरी विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को रोजगार और अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। हमने इस देश में डेयरी विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है। डेयरी विकास का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को हटाने के लिए किसानों को सहकारी आधार पर संगठित होने की प्रेरणा देकर पशु-व डेयरी विकास की समेकित नीति के माध्यम से

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

उत्पादन में वृद्धि करना और दूध उपलब्ध कराना है। आनन्द डेयरी के आधार पर इस कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है और तीन चरणों का कार्यक्रम है। श्वेत क्रान्ति कार्यक्रम 167 दुग्ध केन्द्रों (मिल्क शेड्स) में लागू किया जा रहा है, 47,230 सहकारी डेरियां काम कर रही हैं, जिनमें 49.15 लाख किसान परिवार भाग ले रहे हैं। दिसम्बर, 1986 में इन डेरियों द्वारा प्रतिदिन करीब 94 लाख किलोग्राम दूध प्राप्त किया जा रहा था। जबकि मेट्रो डेयरियों का औसत उत्पादन प्रतिदिन करीब 31 लाख लीटर है। डेयरी सहकारी समितियों द्वारा 9081 गांवों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं प्रदान की गईं। 24826 सोसाइटियां संतुलित पशु चारे का विपणन कर रही हैं। वे किसानों को पशु चारा उपलब्ध करा रही हैं। अब हम श्वेत क्रान्ति-III की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम इस विषय में यूरोपीय देशों और विश्व बैंक से बातचीत कर रहे हैं। विश्व बक का रवैया काफी सहानुभूतिपूर्ण है। हम इस विषय पर यूरोपियन साझा बाजार के देशों से भी बातचीत कर रहे हैं। इस योजना की कुल लागत 681.29 करोड़ रु० होगी। इसे हम इस प्रकार पूरा करना चाहते हैं :—

दूसरे चरण का शेष जिसेतीसरे चरण में शामिल किया गया	238.18 करोड़ रु०
आई०डी०ए० को पहले ट्रेन्चक्रेडिट का शेष	25.17 करोड़ रु०
आई०डी०सी० के आंतरिक स्रोतों की परियोजना	93.24 करोड़ रु०
विश्व बैंक/ई० ई० सी० से मिलने वाली सम्भावित सहायता	324.70 करोड़ रु०
कुल	681..29 करोड़ रु०

शहरी क्षेत्रों को असली दूध उपलब्ध करवाने और छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार और अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराने के लिए श्वेत क्रान्ति-IV परियोजना आरम्भ की जा रही है।

इस मंत्रालय का एक अन्य प्रभाग है मत्स्य उद्योग। इस देश में समुद्रों में अपार मत्स्य सम्पदा विद्यमान है। हम इसका उपयोग करना चाहते हैं। इस समय हमारे पास मछली पकड़ने के 113 पोत काम कर रहे हैं। हम इनकी संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं। हम इनकी संख्या 1500 तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई०ई०जेड०) बहुत बड़ा है। इस देश का ई०ई०जेड० दो मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में अनुमानत: 4.5 टन की क्षमता है। अत: हम अपने आर्थिक जोन में 1,500 पोत चला सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा, अभी 113 पोत कार्य कर रहे हैं। सातवीं योजना के अन्त तक हमारा करीब 500 पोतों का बेड़ा हो जायेगा। इसके लिए हमने अभी पुनरक्षित चार्टर नीति की घोषणा की है इसके लिए संयुक्त क्षेत्र में काम होगा। अभी तक पोतों को किराये पर लेने में भारतीय पक्ष को पकड़ी गई मछली का केवल 15% ही हिस्सा मिलता था। लेकिन संशोधित नीति के अन्तर्गत भारतीय हिस्सेदारों को 20 प्रतिशत भाग मिलेगा। यह एक वर्ष के लिए होगा। इस अवधि को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। अंततः यह संयुक्त उद्योग में बदल जायेगा। संयुक्त उद्यम में भारतीयों और विदेशियों का अंश 60:40 का हो जायेगा। जहां तक मत्स्य उद्योग का संबंध, नई चार्टरिंग नीति की यह रूपरेखा है।

मछली उत्पादन, जोकि 1981-82 में 24.44 लाख टन था। 1985-86 में बढ़कर 28.76 लाख टन हो गया। यानि इसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समुद्री उत्पाद का निर्यात इसी अवधि में 286.36 करोड़ रु० से बढ़कर 398 करोड़ रु० हो गया। 1981-82 में यांत्रिकृत मछली पकड़ने वाले पोतों की संख्या 17,000 थी जो 1985-86 में बढ़कर 23,000 हो गई। पिछले 15 वर्षों में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। यह 50 कि० ग्रा०/हैक्टेयर से बढ़कर 80 कि० ग्रा०/हैक्टेयर हो गया है।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए हमने कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। मछुआरों के लिए सामूहिक बीमा योजना आरम्भ की गई है। इसका प्रीमियम 9 रु० है जोकि बराबर-बराबर राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता। मछुआ कल्याण निधि भी बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत हम मछुआरों के लिए आदर्श गांव बना रहे हैं, जिनमें सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं जैसे—पीने का पानी, सामुदायिक केन्द्र, टट्टियां आदि की सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी। श्रीमन, संक्षेप में कृषि मंत्रालय यह सब कार्य कर रही है।

माननीय सदस्यों ने जो कुछ मुद्दे उठाये हैं, मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की है। माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल सिंह अभी उठने वाले थे। अतः मुझे याद आया। लेकिन मुझे खेद है कि मैं उनका उत्तर देना भूल गया। उन्होंने छोटे किसानों का जिक्र किया था। उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए? अगर उनके खेत का क्षेत्रफल न भी बढ़ सके, वे अच्छे बीज, नई तकनीक और नये आदानों और अन्य सुविधाओं से उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार ने छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। उन्होंने कहा है कि भूमि के छोटे-छोटे भाग हो रहे हैं। हां—इसका कारण है भारतीय परिवार प्रणाली। हमारे यहां बच्चों को खानदानी भूमि मिलती, लेकिन वे अन्य कार्यों में नहीं लगते। इसका एक ही उत्तर है ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाएं ताकि वे इस पर निर्भर हो सकें।

मैंने लाभकारी मूल्यों की चर्चा की है। माननीय सदस्य ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा बिजली के बारे में उठाया है। कई राज्यों में बिजली की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है। राज्यों में बिजली की कमी है, अतः, वे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : क्या मंत्री जी की यह राय है, कि भारत में अलाभकारी जोत नहीं है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हो सकती है, मैं यह नहीं कहता कि देश में अलाभकारी जोत नहीं है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों ने चकबन्दी कार्यक्रम आरम्भ किया है।

1986-87 के दौरान की गई कुछ महत्त्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार हैं—प्रधान मंत्री के निदेशानुसार दालों की खेती के लिए तकनीकी मिशन तथा राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्र तिलहन विकास कार्यक्रम आदि आरम्भ किया जाना। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम हैं, जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूं।

मैंने सभा का पहले ही काफी समय ले लिया है, अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्री ने भी चर्चा का उत्तर देना है और मुझे विश्वास है कि वे माननीय सदस्यों के सभी मुद्दों का भी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां चर्चा समाप्त नहीं हो रही है। कृषि मंत्री जी अब चर्चा का उत्तर देंगे तो अन्त में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

3.17 म०प०

तत्पश्चात श्री एम० रघुमा रेड्डी सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि हमारे देश का आधार है और इससे अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन से गरीबी पर भी प्रभाव पड़ता है।

अपनी निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हम हर वर्ष अपने कृषि उत्पादन को सुधार सके हैं और हमने 5(0 लाख टन प्रति वर्ष से 1510 लाख टन प्रति वर्ष की वृद्धि की है। यह एक महान उपलब्धि है; वास्तव में यह मात्रा वृद्धि है। इसीलिए हम इसे हरित क्रांति कहते हैं। आज हम खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भर हैं। फिर भी खाद्य तेलों में कमी है, और हमें तिलहन तथा दालों के उत्पादन में अभी बहुत कुछ करना है। इसमें भी हम पीछे हैं।

तिलहन के उत्पादन के संबंध में हमारे पास अधिक उत्पादन देने वाली किस्में नहीं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा अन्य अनुसंधान संस्थाएं अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का पता नहीं लगा पायी हैं। इसी कारण खाद्य तेल तथा तिलहन के उत्पादन में कमी है।

विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न फसलों की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खोज कर रहे हैं। किंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में गरीब किसानों को मिल रही हैं?

महोदय, हमारे पास "लैब टु लैंड" (प्रयोगशाला से भूमि) नामक कार्यक्रम भी है। मुझे संदेह है कि क्या इसे पूर्णतया कार्यान्वित किया जायेगा। वास्तव में यह गरीब किसानों को नहीं मिल रहा है और इसी कारण गरीब किसान को अधिक उत्पादन देने वाली किस्म नहीं मिल रही है। वह उन सभी आदानों का उपयोग नहीं कर सकता जो उसे उपलब्ध कराए जायें।

अनुसंधान तथा विकास के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भी राजनीति का बोलबाला है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कुछ अधिकारी अच्छे परिणामों के लिए प्रेरित नहीं हैं। इसी कारण हम तिलहन में पीछे हैं और अधिक दालों का भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। यही मुख्य समस्या है।

कृषि मूल्य आयोग के सम्बन्ध में, कुछ सदस्य अपने राजनीतिक प्रभाव से आयोग में जा रहे हैं और यही लोग सारी गड़बड़ कर रहे हैं। वह विभिन्न कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। धान, गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों के लिए भी उत्पादन लागत के अनुसार उचित मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। महोदय, उत्पादन की लागत तो अलग बात है किंतु वास्तव में आप न्यूनतम समर्थन

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मूल्य देते हैं। और साथ ही आप कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर मूल्य निर्धारित करते हैं। महोदय, मंत्री ने भी अपने उत्तर में कहा है कि धान का प्रति क्विंटल उत्पादन मूल्य 120 रु० है किंतु आप 130 रु० निर्धारित करते हैं। इसका क्या अर्थ है। आपके आंकड़ों के अनुसार भी किसान को केवल लगभग 9 से 10 रु० मिलते होंगे। बस। क्या इससे किसान को सहायता मिलती है ? क्या कोई किसान केवल 9 या 10 रु० के लाभ पर जी सकता है ? ऐसा किसान कैसे जी सकता है जिसके पास केवल एक या दो एकड़ जमीन है ? क्या यह लाभकारी मूल्य है ? आप सुनिश्चित कीजिए और देखिए कि गरीब किसान को उसके उत्पाद के लिए अच्छा मूल्य मिले। किंतु मैं समझता हूं कि आप इसका कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। आप सदा आंकड़ों पर निर्भर करते हैं और कुछ आंकड़े दिखाते हैं। क्या आप समझते हैं कि क्या किसान आंकड़ों से संतुष्ट होते हैं ? मैं भी तमिलनाडु राज्य में कृषि मंत्री था और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किस प्रकार लाभप्रद मूल्य तथा समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

कृषि मूल्य आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सम्बन्ध में मैं मंत्री को यह सच्चा सुझाव देता हूं कि वह स्पष्ट तथ्य लेकर सामने आए। अनुसंधान और विकास से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किंतु यह लाभ किसानों को नहीं मिल रहे हैं। आप विभिन्न रूपों में जैसे, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डी०पी०ए०डी०, पश्चिमी घाट विकास योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना आदि में आर्थिक सहायता देते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह आर्थिक सहायता उन किसानों को मिलती है जिनको इनकी आवश्यकता है ? महोदय, मुख्य बात तो यह है कि आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत भी गरीब किसान को नहीं मिलता है। हमें एक उचित प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए जिससे यह गरीब किसान को प्राप्त हो। केवल ऐसा करने से उसका लाभकारी मूल्य प्राप्त होना और उत्पादन की लागत के अनुरूप उसको मूल्य प्राप्त होगा। केवल तब उसको कुछ लाभ मिल सकता है।

गरीबी मिटाओ कार्यक्रम के संबंध में मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने गत वर्ष की तुलना में अधिक राशि आबंटित की है। गत वर्ष के आबंटन से 63 प्रतिशत अधिक आबंटन किया गया है। यह भारी वृद्धि है। जहां तक गरीबी मिटाओ कार्यक्रम का संबंध है, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा। कुछ कार्य दिवस निर्धारित करने से रोजगार ढूंढने वाले गरीब लोगों की सहायता नहीं होगी, क्योंकि आप केवल सृजित कार्य दिवसों को ही गिनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जहां एक व्यक्ति को बार-बार रोजगार मिलता हो, और किसी अन्य व्यक्ति को एक बार भी अवसर नहीं मिलता होगा। आप लोग गिनते हैं न कि कार्य दिवस। कृपया पता लगाइए कि कितने लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ होता है। वास्तव में आपके आंकड़ों से पता चलता है कि आप 4882 लाख कार्यदिवस सृजित करते हैं। इनका क्या लाभ है ? कितने लोगों को लाभ होता है। मुख्य बात तो यही है। हमारे पास किसी प्रकार के आंकड़े नहीं हैं कि कितने लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम अथवा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा लाभ होता है। अत: वास्तविक लाभभोगियों का हिसाब हमें लगाना है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए आप 33.3 प्रतिशत आर्थिक सहायता देते हैं। कभी-कभी 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आप 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देते हैं। किंतु वास्तविक लाभभोगियों का कौन देखता है ? क्या पशु गरीब लोगों को दिए जाते हैं अथवा इन्हीं पशुओं को बार-बार दिखाया जाता है और इन्हें 'शंडी' में बेचा जाता है ? कृपया तथ्यों का पता लगाइए। इन सब बातों का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन समिति होनी चाहिए।

बजट में आपने केवल बाढ़ के लिए राशि आबंटित की है। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए

[श्री पी० कुलनदईवेलु]

आपने लगभग 16" करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। किंतु सूखे के संबंध में बजट में आपने कोई राशि अलग नहीं रखी है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वित्त मन्त्री को राजी करें कि सूखे के लिए भी राशि आबंटित करें। ऐसा किया जाना चाहिए। वर्ष में सूखे के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिए। केवल ऐसा करके ही हम उन राज्यों को शीघ्र कुछ रकम दे सकते हैं जहां वास्तव में सूखा पड़ा है।

तमिलनाडु में गत तीन वर्षों से सूखा पड़ रहा है। वास्तव में न हमारे पास पर्याप्त पेय जल है और न ही पर्याप्त सिंचाई क्षमता है। हम गम्भीर सूखे का सामना करते हैं। 168 तालुकों में से, 128 गम्भीर सूखे से प्रभावित हैं। लगभग सभी जिलों में सूखा पड़ा है। हमने पहले ही जनवरी में और फिर मार्च में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक केन्द्रीय दल तमिलनाडु में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने आया। इसने भी एक रिपोर्ट दे दी है। राज्य सरकार स्तर पर हमने केन्द्रीय सरकार से 347 करोड़ रुपये का आबंटन करने का निवेदन किया था। किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना ही, राज्य सरकार ने अभी तक कुएं खोदने और हैण्ड पम्प के लिए अपने आप ही लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। और वह अन्य कार्यक्रमों का भी कार्यान्वियन कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु के लिए 347 करोड़ रुपये का आबंटन करने की कृपा करें।

तमिलनाडु में गत तीन वर्षों से वर्षा वर्ष प्रति वर्ष कम होती जा रही है। हम सदा दक्षिण-पश्चिम मानसून अर्थात् जून से सितम्बर तक निर्भर करते हैं। यह नहीं आया है। हम भी उत्तर-पूर्वी मानसून अर्थात् अक्तूबर से जनवरी की वर्षा पर निर्भर करते हैं। यह भी गत तीन वर्षों से नहीं आया है। अतवर्ती शुष्क अवधि फरवरी से मई तक है। अब तो भीषण गर्मी है। वास्तव में हमारे यहां जल ही नहीं है। वर्ष 1986 में दक्षिण-पश्चिम मानसून भी नहीं आया। औसत वर्षा 942.88 मि०मी० हुई, किंतु यहां केवल 648 8 कि०मी० हुई। अत: इससे सभी जिले प्रभावित हुए। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता तथा बचाव करना चाहिए।

सिंचाई के मामले में हम सदा मेट्टूर पर निर्भर करते हैं। मेट्टूर में कावेरी नदी से पानी पहुंचाया जाता है। आप जानते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के सम्बन्ध में विवाद है। इस विवाद का अभी समाधान नहीं किया गया है। गत दो वर्ष से हम सरकार पर न्यायाधिकरण बनाने के लिए जोर देते हैं किंतु उन्होंने नहीं बनाया है।

मेरे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा माननीय प्रधान मन्त्री और सिंचाई मंत्री के पास जाने के बावजूद उन्होंने न्यायाधिकरण नहीं बनाया है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि समस्या का समाधान करने के लिए न्यायाधिकरण का निर्माण करने का यह उचित समय है। यदि न्यायाधिकरण का गठन किया भी जाता है फिर भी अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में कमी है। धारा 4 के अनुसार यदि न्यायाधिकरण द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। अत: अधिनियम में संशोधन होना चाहिए और संशोधन इसी सत्र में होना चाहिए। मैंने जल संसाधन मंत्री श्री बी० शंकरानन्द से निवेदन किया कि अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करे। मेरे विचार में वह इसी सत्र में संशोधन पेश करेंगे।

जिलों में पेय जल के संबंध में हमारे पास लगभग 53 हजार निवासी हैं जिनमें से 28 हजार निवासियों के पास सूखे के कारण पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए तमिलनाडु जल तथा विकास बोर्ड द्वारा सुलझाने के लिए प्रत्येक उपाय कर रही है।

वह जनता को पीने का पानी गाड़ियों में भी ले जा रहे हैं। मद्रास नगर में भी सूखा पड़ा है। आपको यह पूरी तरह मालूम होगा। मेरे विचार में आंध्र प्रदेश के सदस्य भी यहां हैं। तेलुगु गंगा परियोजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा विलम्ब किया जा रहा है और उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। वह पेय जल के लिए पूंडी चोलावरम और 'रेड हिल' प्रणाली पर निर्भर करते हैं। मानसून न आने के कारण तालाब खाली पड़े हैं। उनमें पानी ही नहीं है। गत तीन वर्षों से वह इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। जहां तक तमिलनाडु में सूखे का संबंध है केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार को सहायता के लिए 347 करोड़ रुपये देकर इसकी सहायता करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, समय ज्यादा नहीं है हालांकि विषय बहुत बड़ा है। कुछ मुख्य-मुख्य बातें आपकी सेवा में निवेदन कर दूं। 1952 में इस देश में खाद्यान्न का उत्पादन 500 लाख मीट्रिक टन था और पिछले वर्ष के आसपास 1500 लाख टन अन्न का उत्पादन हो गया। इस तरह से इस देश में अनाज का, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है और बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके लिए पं० जवाहर लाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, कृषि कार्यकर्ता और सबसे अधिक हमारे किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके परिश्रम के कारण गल्ले का उत्पादन बढ़ा है और यह देश अनाज के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, आत्म निर्भर हो गया है, किन्तु श्रीमान अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खेती का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन किसानों की हालत नहीं सुधरी।

श्रीमन्, 1971 में किसानों की औसत आय एक सौ रुपए थी और दूसरी तरफ रोजगार करने वाले, नौकरी करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले लोगों की औसत आय 234 रुपए थी और अब इस समय किसान की औसत आय वही सौ रुपए ही है और गैर-किसान की आय 442 रुपए हो गई है। इस प्रकार से गैर-किसान की आय पहले से दोगुनी हो गई है जबकि किसान जहां का तहां रहा। किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि किसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पैदा करता है, किन्तु उसकी उपज का उपयुक्त दाम नहीं मिलता है। किसान मोटा पहनता है, मोटा खाता है और मेहनत करके देश की जनता का पेट भरता है, लेकिन उसके जीवनस्तर में कोई तरक्की नहीं हुई। यह एक शोचनीय बात है। इसलिए इस देश का किसान निरुत्साहित हो रहा है। इस देश का किसान डिसकरेज हो रहा है। इसलिए इस देश का किसान अब आवाज उठाने लगा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, गुजरात में किसानों के आन्दोलन हुए हैं। अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे शामली का उदाहरण है। किसान ने अपनी गर्दन उठानी शुरू कर दी है। वह कब तक बर्दाश्त करेगा। इसलिए सरकार को सावधान हो जाना चाहिए और किसान को उसके परिश्रम का फल देना चाहिए। और किसान कमजोर रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और फिर हम भिखमंगे हो जाएंगे, 1967 की तरह से।

श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्रों के और किसानों के विकास में इसमें संदेह नहीं है कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बड़ा भारी विकास हुआ है। इन योजनाओं के द्वारा गांवों का भी विकास हुआ है, लेकिन जिस औसत से गांव का विकास होना चाहिए था और जिस उत्साह से सन् 1952 में इसे शुरू किया गया था वह उत्साह अब नहीं रहा है, उसमें कमी आई है। मैं आपके सामने आर्थिक आंकड़े पेश करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में व्यय का जो प्रावधान है, वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं—1951 से पहले जो योजना शुरू हुई, उसमें कृषि ग्रामीण विकास पर 14.81 खर्च हुए। सातवीं योजना में जो एलाटमैंट है, जो इन्वेस्टमैंट है वह 10.9 है।

सिंचाई पर पहली योजना में 22.2 परसैंट है और अब 9.4 परसैंट है। ग्रामीण शिक्षा में

[श्री उमाकान्त मिश्र]

पहली योजना में 7.6 परसैंट था और इस समय 3.5 परसैंट है। ग्रामीण चिकित्सा पर पहली योजना में 5 परसैंट था और सातवीं योजना में 3.7 परसैंट है। फर्क आया है कि नहीं आया है ? आज जो गांव के विकास पर, किसानों की मद पर अगर खर्च कम करेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी।

3.36 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, कुछ और आंकडे भी मैं आपकी सेवा में पेश करता हूं। सातवीं योजना में कुल पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमैंट 32,23,066 करोड़ पब्लिक सैक्टर को छोड़कर है। जिसमें ग्रामीण कार्यक्रमों में 61,622 करोड़ रुपए रखा गया है यानि कुल पूंजी जो निवेश होगी उसका 19 परसैंट गांव के लिए है।

जो टैक्स आप लगाते हैं, उसका भी विवरण आप सुन लें। पहली योजना की निस्बत इस समय प्रत्यक्ष कर का बोझ उद्योग पर पड़ता है और जो परोक्ष कर लगाया जाता है, उसका असर किसान पर पड़ता है, गांव पर पड़ता है। तो अप्रत्यक्ष कर बढ़ा है और प्रत्यक्ष कर घटा है, मगर किसानों पर और गांव के विकास पर कम खर्च हुआ है।

कैश-क्राप की बात चल रही है। एडिबल आयल का आयात हो रहा है। देश में तिलहन का उत्पादन होगा तो आयात घटेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसान की उन्नति होगी। किसान से तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया। पिछले एक वर्ष पहले हमारे पूर्वी क्षेत्र में तिलहन का दाम 700 रुपए प्रति क्विंटल था और इस वर्ष एक साल बाद 550 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आप बतायें कि किसान क्यों तिलहन पैदा करे ? चने का दाम डेढ़ वर्ष पहले 600 रुपए क्विंटल था, इस साल 250 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह अरहर और उड़द की दाल पहले 750 रुपए क्विंटल थी और इस साल 400 रुपए क्विंटल हो गई। ऐसी स्थिति में किसान क्यों पैदा करे ? किसान गन्ना बोना नहीं चाहता है। इस कारण आप चीनी का आयात करते हैं। इस देश का किसान किसी साल गन्ना ज्यादा बोता है तो उसका गन्ना सस्ता हो जाता है। इससे वह यह सोचता है कि वह इसे क्यों बोये ? इससे किसान की तरक्की नहीं हो सकती है। इसी तरह से जब किसान कैश-क्राप का अधिक उत्पादन करता है तो भी उसके दाम घट जाते हैं। आप इस देश में जो चीजें आयात करते हैं, उनका आयात अगर बन्द करना चाहते हैं तो आप उसके द्वारा उत्पादित की गई चीजों का उसे उचित दाम दीजिए।

आज कपास की यह स्थिति है कि फाइबर का प्रयोग होने लगा है। एक हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि फाइबर का उपयोग होने से कपास की खपत कम हो रही है। इस पर कपास का किसान क्या करें ? आप किसान को डिसक्रेज करते हैं और उद्योगपतियों को, शहर के लोगों को, नौकरी वालों को और पैसे वालों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। बड़े-बड़े पैसे वालों की आमदनी बढ़ती जा रही है और गरीब किसान दरिद्र पड़ता जा रहा है। अगर वह नकद फसल बोना चाहता है तो भी डिसक्रेज हो जाता है। आज किसान का भविष्य अच्छा नहीं है और खेती का भविष्य भी अंधकारमय है। आज 1500 लाख मीट्रिक टन अनाज हमारे देश में है और हमारे गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन सन 2000 में खाने के लिए दो हजार लाख मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होगी क्योंकि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कारण देश फिर भिखमंगा न हो जाये इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर किसानों ने खेती करना बन्द कर दिया तो हमें अच्छी आमदनी नहीं होगी और देश का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। मेरा

आपसे निवेदन है कि आप किसानों की तरफ ध्यान दें क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की आधार कृषि है और इस देश का रीढ़ भी हमारा किसान है। इसलिये उसको प्रोत्साहन दिया जाये और उसकी उपज का दाम बढ़ाया जाये।

आपने गेहूं का दाम 165 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। आप देहातों में जाकर देखें कि किसानों को गेहूं 80-90 रुपये क्विंटल में बिक रहा है। छोटे किसान ज्यादा दिन तक गल्ला नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की शादी करनी है, कपड़ा लेना है, दवा देनी है और बच्चों की फीस देनी है। ऐसी स्थिति में वह उसे ज्यादा दिन तक रख नहीं पाते हैं और मजबूर होकर बेच देते हैं। इससे बिचौलिए फायदा उठा लेते हैं। इतना ही नहीं हमारे यहां तो यह 65 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। इस प्रकार किसानों की दशा बहुत ही खराब है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप समर्थन मूल्य तय करते हैं तो कम से कम न्याय पंचायतों में ऐसे केन्द्र खोलें कि वहां से ही उचित दाम पर वह गल्ला खरीदें। इससे व्यापारी वर्ग भी किसान को उचित दाम देगा। लेकिन राज्य सरकार ऐसा कर नहीं पा रही है। अतः इस ओर आप पूरा ध्यान दें। मैं कृषि नीति की आलोचना नहीं कर रहा हूं। हमारी कृषि नीति बहुत अच्छी है लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। आप गेहूं का समर्थन मूल्य कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल, धान का 175 रुपये प्रति क्विंटल कर दीजिए। इसके साथ ही तिलहन, गन्ना और कपास की भी ऊंची कीमत निर्धारित करें और कोई ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे किसान की ही उपज खरीदी जा सके। ऐसी व्यवस्था न होने से हमारा किसान दास हो जायेगा और अगर किसान का अहित होगा तो देश का भी अहित होगा और देश भिखमंगा हो जायेगा।

अब मैं दुग्ध उत्पादन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। देश में दूध का उत्पादन बढ़ा है। किन्तु हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन की ठीक व्यवस्था नहीं है। वहां दूध का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दूध की नदियां बहती थीं। लेकिन आज दूध का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। दूध स्वास्थ्य और समृद्धि का द्योतक है। अगर कहीं सूखा पड़ जाये तो दूध मिलता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था करें। इसमें भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर सकती है।

श्री वी० तुलसीराम (नगरकुरनूल) : पानी तो है नहीं, आप दूध की बात कर रहे हैं।

श्री उमाकान्त मिश्र : अब मैं भूमि सुधार के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। भूमि सुधार के बारे में कई सदस्यों ने जिक्र किया। भूमि सुधार अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि इससे छोटी होल्डिंग हो जाएगी तो उत्पादन घटेगा मैं और सीलिंग नहीं चाहता मैं इस पक्ष का आदमी हूं कि जो सीलिंग की जमीन अधिक घोषित हुई है, जो ग्राम समाज की जमीन है, जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसको गांवों के भूमिहीनों में तेजी से बांटा जाये और कब्जा दिलाया जाये ताकि कम से कम गांवों के गरीब हरिजन, आदिवासी को बसने के लिए, रहने के लिए, रास्ते के लिए जमीन मिल जाये।

भूमि सुधार के काम में तेजी न लाना, गांव में क्रान्ति फैलाना होगा। जिस प्रकार से इन्दिरा जी ने भूमि सुधार के काम को प्राथमिकता दी थी, तेजी से चलाया था उसी प्रकार मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि भूमि सुधार के कार्यक्रमों को तीव्रता से अमल में लाएं।

अन्तिम बात – कृषि विभाग बहुत बड़ा है। मेरा सुझाव यह है कि यह कृषि विभाग अलग किया जाये और ग्राम विकास अलग किया जाये। ग्राम विकास का काम बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना और शिक्षित बेरोजगार योजना, ये अत्यन्त उत्तम योजनाएं हैं। इनका नियन्त्रण केन्द्र सरकार को करना

[श्री उमाकान्त मिश्र]

चाहिए ताकि रुपये का दुरुपयोग न हो और जिस काम के लिए रुपया दिया जाए उस काम में वह लगे। इस रुपये से ग्रामीण क्षेत्रों में बन्धी, नलकूप, कुएं, स्कूल भवन, सड़क इत्यादि उपयोगी परिस्थितियां तैयार हों, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो और गांव के किसानों को अगर आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो गांवों के किसानों की उपज का दाम बढ़ाइए। किसानों के लिए अधिक से अधिक सिंचाई मुहैया कीजिए। अभी तक इस देश में जो कृषि योग्य भूमि है, मुश्किल से उसका 30 प्रतिशत सिंचित है, शेष असिंचित है। तो भूमि जब सिंचित नहीं होती तो वे खेती क्या करें? इसलिए अधिक से अधिक सिंचाई दें, बीज की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें और कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करें। बिजली, पेय-जल औषधालय, विद्यालय इत्यादि की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि किसान समझे, गांव का आदमी समझे कि उसके विकास के लिए कुछ काम किया जा रहा है। इस देश के 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, 25 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। 75 प्रतिशत लोगों की ज्यादा दिन तक उपेक्षा मत करें। काम हो रहा है। उस पर और ज्यादा ध्यान दें, उनका हिस्सा दें, हक दें ताकि गांव के लोग विकसित हों, देश विकसित हो, देश का भला हो। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : संस्कृत का श्लोक तो बोले ही नहीं···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें और समय लेने के लिए उत्तेजित मत करिए।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र : एक श्लोक बोल दूं। प्राचीन काल में राजा का मुख्य कर्त्तव्य होता था कि जनता के सारे दुःखों को दूर करे। कालीदास ने रघुवंश में सूर्यवंशी आदर्श राजाओं का वर्णन करते हुए कहा है :

प्रजानाम् विनया ध्यानात् रक्षणात् भरणादपि।
स पिता पितरस्तासाम् केवलम् जन्म हेतवः ॥

प्रजा को शिक्षा देने से, भरण-पोषण करने से, प्रजा का दुःख दूर करने से राजा प्रजा का पिता होता था और प्रजा के पिता माता केवल जन्म के कारण होते थे। शेष काम राज्य की तरफ से होता था। यह आदर्श राज्य था, रामराज्य था, रघुवंश का राज्य था। चाहे जिस तरह की आज की प्रणाली हो लेकिन राज्य से यही अपेक्षा की जाती है कि शासन उनकी जिम्मेदारी ले। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अनुदानों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं बड़े भारी दिल से कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोल रहा हूं। मैं एक कृषक परिवार से आया हूं। मैं कृषकों का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए जब मैंने मांगों को देखा तो महसूस किया कि मुझे उन लोगों की शिकायतों की चर्चा जरूर करनी चाहिए जो हमारी खाद्यान्न सम्बन्धी जरूरतों को, हमारी प्रमुख जरूरतों को पूरा करते हैं।

संसद ने इस देश का सबसे बड़ा नुकसान वस्त्र नीति को, जिसे दुर्भाग्य से हमने स्वीकार कर लिया, अपना कर किया है। वस्त्र नीति को अपना कर सरकार कपास उत्पादकों को सबसे अधिक हानि पहुंचा रही है। कपास से केवल रेशा ही नहीं मिलता बल्कि बिनौला भी मिलता है और उस बिनौले से 7 प्रतिशत

खाद्यान्न तेल हमें मिलता है।

दो साल पहले आप खाद्य तेल का आयात करते थे। खाद्य तेलों में हमारा योगदान 7 प्रतिशत है। हमारा योगदान रेशे में भी है। हम खाद्य तेलों में भी योगदान कर रहे हैं। यही नहीं गाय और भैंसों को ठीक से रखकर हम दूध में भी योगदान कर रहे हैं ताकि वे अधिक दूध दें। इसका इस्तेमाल उनके लिए चारे के रूप में किया जा सकता है। यह इसका तीसरा उपयोग है। इसकी डालियों से आप हार्ड बोर्ड बना सकते हैं और रासयनिक गूदे से आप कागज की फैक्टरी लगा सकते हैं। बताइए क्या मानव निर्मित रेशे के कच्चे माल से आप रेशे के अलावा आप इस तरह की कोई वस्तु तैयार कर सकते हैं? क्या दूध का उत्पादन कर सकते हैं? क्या खाद्य तेल का उत्पादन कर सकते हैं? क्या कागज का उत्पादन कर सकते हैं? अगर नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसानों को क्यों मारना चाहते हैं? माननीय मंत्री इसका उत्तर दें। दुर्भाग्य से वह अबोहर-फाजिल्का निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में कपास का सबसे बड़ा खरीद केन्द्र है। आशा है वे कपास उत्पादकों की तकलीफ को समझते हैं।

(व्यवधान)

हमारे साथ बहुत से धोखे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक धोखा ए० पी० सी० है। इसे कृषि मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। आशा की जाती है कि यह हमें लाभकारी मूल्य देगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह गुजरात के श्री मकवाना का कहना है कि समर्थन मूल्य लाभकारी मूल्य ही होता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? आप वकील रह चुके हैं। क्या आप विश्वास करेंगे—दूसरे विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर कुछ राज्यों में लोगों ने "मैत्री करार" करना शुरू कर दिया। क्या आप उन्हें एक पत्नी या पति के रहते दूसरा विवाह करने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत सजा दे सकते हैं। यह सरासर धोखा है। मकवाना जी भी हमारे साथ वही धोखा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वे सफल नहीं होंगे। कृषि मूल्य आयोग ने पहले कहा हम काश्तकारों को 2000-3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। लेकिन क्या कीमत-निर्धारण के समय इसका पता चलता है ऐसा किया जाता है। किया गया। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि कीमतों का निर्धारण करते समय उर्वरक कीटनाशकों, किसान द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत पर विचार किया जाता है। अच्छी बात है। आप केवल वास्तव में भुगतान की गई कीमत को शामिल करते हैं। यह अच्छी बात है। आपने हमें आर्थिक सहायता दी है। आर्थिक सहायता का कुछ हिस्सा आप हमसे खाद्यान्नों को नियंत्रित मूल्य पर खरीद कर वापस ले रहे हैं। हम बाजार में नहीं जा सकते।

मुख्य बात यह है कि आप जानते हैं कि कृषि में क्या कठिनाइयां होती हैं। आप जानते हैं कि हम कृषि से प्रेम करते हैं। हम कोई और व्यवसाय नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि जो कुछ हम उगाते हैं वह तीसरे साल नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप हमारे साथ यह धोखा कर रहे हैं।

उन्होंने ऋण सुविधाओं के बारे में बताया है। सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने बीमा के बारे में भी बताया है।

बहुत से देशों में खाद्यान्न उगाने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाता। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें परेशानी नहीं हुई है? क्या हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात नहीं किया है? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर कोरिया जैसा छोटा सा देश ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर हम तैयार नहीं हैं। हम हर वस्तु उससे लेना चाहते हैं। हम अभी भी सामंतवादी युग में हैं। हम अभी भी उसे उस स्तर पर रखना चाहते हैं जिस स्तर पर वह केवल

[श्री उत्तम राठौड़]

जीवन निर्वाह कर सके। आप नहीं चाहते कि वह आगे बढ़े। यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहनी चाहिए। इससे हमारे देश को अधिक नुकसान होगा। महोदय, मेरा निवेदन है कि कृषि मूल्य आयोग ने जो कुछ मूल्य वृद्धि दी है वह मामूली है। अब कृषि मूल्य या लागत आयोग अपना काम कर रहा है। महोदय निर्मित वस्तुओं और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से कहीं अधिक है। 1982-83 और 1986-87 के बीच हमने देखा कि कृषि मूल्य आयोग ने कृषि उत्पादों के मामले में अधिकतम वृद्धि 19.3 प्रतिशत दी लेकिन वस्तुओं के मामले में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 31.6 प्रतिशत था और अन्य वस्तुओं के मामले में 30.6 प्रतिशत था जबकि कृषि उत्पादों के मामले में यह बहुत कम था। केवल 19.5 प्रतिशत था। यह भेदभाव क्यों?

महोदय, कीमत निर्धारण करते समय वे सिंचित और गैर-सिंचित फार्मों के उत्पादों की गणना करते हैं। महोदय, आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शायद आप जानते होंगे कि स्थान-स्थान की और गांव-गांव की भूमि की प्रकृति में अन्तर होता है। यहां तक की एक खेत से दूसरे खेत की भूमि में भी अन्तर होता है। सारे राज्य के लिए भूमि राजस्व निर्धारित नहीं किया जाता। एक गांव से दूसरे गांव और यहां तक की एक फार्म से दूसरे फार्म में भूमि राजस्व में अन्तर होता है। लेकिन वे केवल मानक उत्पादन पर ही विचार करते हैं। स्वाभाविक है कि किसी क्षेत्र विशेष में यह मानक बहुत ऊंचा होता है। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में मानक समान नहीं होता है। इन स्थितियों में मालूम नहीं कि इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। वे हमें 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हम अभी भी 17वीं-18वीं शताब्दी में है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें और उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो। अपनी मौजूदा आय से क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

किसान अपने उत्पादों के लिए अधिक कीमतों की मांग कर रहे हैं। महोदय, हमारे अपने राज्य में ही 10-20 लोगों की मौत हो गई। निर्दोष लोग पुलिस द्वारा गोली चलाने से मारे गए। किसानों का कहना है कि उनके उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें लाभकारी नहीं हैं। महोदय मेरे अपने क्षेत्र अर्थात् मराठवाड़ा में 4 लोग मारे गए। तो क्या आप इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को मारना चाहते हैं? हमें अपनी नई कपड़ा नीति पर विचार करना होगा क्योंकि कपास से हमें रेशा, खाद्य तेल, दुधारू पशुओं के लिए चारा और कच्चे माल से कागज और हार्ड-बोर्ड मिलता है। इसलिए कपास उत्पादकों के लिए नए मानव निर्मित फाइबर यूनिटों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए और किसी नई यूनिट की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कपास उत्पादकों के हित में नई यूनिटें नहीं खोली जानी चाहिए।

अन्त में, महोदय महाराष्ट्र भयंकर सूखे की चपेट में है और पेय जल की कमी का सामना कर रहा है। राज्य सरकार पिछले 6 महीने से केन्द्र सरकार के दरवाजे खटखटा रही है। राज्य सरकार ने पहली मांग सूखा राहत के लिए 476 करोड़ रुपए की, की है। लेकिन राज्य को क्या धनराशि दी गई? केवल 36 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार रोज इस उद्देश्य से अधिकाधिक धनराशि खर्च कर रही है। हमारे मुख्य मंत्री बहुत अवसरों पर यहां उपस्थित हुए और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह तत्काल धनराशि जारी करे। मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ही वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त जारी कर देंगे। इस तरह क्या आप जनसंख्या को कम करना चाहते हैं? ऐसा मत करिए। 1942 में बंगाल में हमने ऐसा देखा है। हम नहीं चाहते कि भारत के किसी दूसरे हिस्से में ऐसा दोबारा हो। इसलिए कृपा करके वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त तत्काल जारी करिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हममें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ

नारियल उत्पादन क्षेत्र का, कुछ गेहूं उत्पादन क्षेत्र का और कुछ चावल उत्पादन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सब एकजुट होकर किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग करते हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने खेतों में अधिक से अधिक उत्पादन करते रहें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हम कृषि के मामले में इतने पिछड़े हुए क्यों हैं।

4.00 म० प०

ऐसा हम कहते हैं कि हमने अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है लेकिन आत्मनिर्भरता में बहुत सी चीजें आती हैं। सिर्फ एक अन्न का सवाल ही उसमें नहीं उठता है। मेरा कहना यह है कि हम उपभोक्ता के मामले में आगे बढ़ें। 1984-85 के दौरान अनुमानित कृषि योग्य क्षेत्र 155 मिलियन हैक्टेयर के लगभग हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पैदावार में ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए। जितनी हमारे पास उपजाऊ जमीन है, अगर हम उस जमीन को सिंचित किये होते, तो हम आज जितना पैदा करते हैं, उससे तीन गुना पैदा कर सकते थे क्योंकि हमारे यहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। हमारे यहां जो कृषि का उत्पादन है, वह घटता, बढ़ता रहता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो पूर्ण सिंचित हैं और जो एरिया सिंचित नहीं हैं, वहां वर्षा पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि में जितना हम कर सकते थे, उतना कर नहीं पाए हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा पीछे रखा है। अगर कृषि को एक उद्योग का रूप दिये होते तो आज जो कृषि पर निर्भर लोग हैं, वे लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें रुचि लेते लेकिन आज के जो हालात हैं, उनमें लोग इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृषि को उन्नत करने के लिए जो बीज निकाले हैं, कुछ दिनों तक तो अच्छे-अच्छे बीज निकले, जिनसे ज्यादा पैदावार हुई लेकिन बाद में बीजों में मिलावट हो गई और अच्छा बीज लोगों को नहीं मिल रहा है और उसके चलते किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। हम यह बात कहना चाहते हैं कि जो बीज ब्लाक स्तर पर पहुंचता है, उसकी हालत यह है कि उसमें से 50 परसेन्ट यानी आधा बीज जन्म ही नहीं लेता है और इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यह सिर से ऊपर चल रहा है। इसी तरह से पौधों को बचाने के लिए दवाइयों का अगर प्रबन्ध करते हैं, तो उत्तम किस्म की दवाएं हम किसानों को नहीं दे रहे हैं। दवाइयों में भी मिलावट है और आपको इस बारे में बराबर शिकायत मिली होगी कि बहुत सी दवाइयों से, जिनसे कीड़ों को मरना चाहिए था, उनसे कीड़े मरते नहीं हैं और किसानों की फसल को कीड़े खा जाते हैं और इस तरह से किसानों को घाटा होता है। इस पर भी आप कोई पाबन्दी नहीं लगा रहे हैं।

हमारे देश में नदियों की भरमार है और उसकी कोई कमी नहीं है लेकिन नदियों के पानी का सही इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। देश की एक-एक इंच भूमि को अगर हम सिंचित बना सकें, तो हम आर्थिक मामले में बहुत मजबूत बन सकते हैं लेकिन हम यह काम नहीं कर पा रहे हैं।

बजट में कृषि के विकास के लिए जो आपने पैसा रखा है, वह बहुत कम है और इससे ऐसा लगता है कि कृषि के हालात में कोई खास सुधार होने वाला नहीं है। दूध है, मांस है और मछली है, इसको भी आपने बहुत कम मात्रा में पूरा किया है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में नदियों से बाढ़ हर एक दो साल के बाद आ जाती है।

4.05 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

उसने वहां की जमीन को नष्ट कर दिया है। यहां तक कि जो वहां प्रथम श्रेणी की भूमि है, वह सब बालू से भर गयी है। वह अब खेती योग्य नहीं रही है। वहां ऐसे किसान रहते हैं जिनके पास जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है और वे अब इसकी वजह से बेकार हो गये हैं। ये सब लघु और सीमांत किसान हैं। मैं ऐसे-ऐसे गांव बता सकता हूं जिनकी हजारों एकड़ जमीन बालू से भर गयी है। उस जमीन से इस बालू को निकालना राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। राज्य सरकार उस जमीन को उपजाऊ नहीं बना सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी केन्द्रीय सरकार, हमारे मंत्री जी इसके लिए कोई योजना बनाएं। घोसी प्रखंड के अरहिर, दौलतपुर मैंमा कोणु, गोविन्दपुर, मन्डई, चुनूकपुर, बन्धूगंज, कोरमां, सहताजपुर, माधोपुर, बड़हिबिगहा, दरियापुर, करवा, साहोबिगहा, रामगंज ये सब गांव हैं जो कि नदी के किनारे पर हैं। इन सब गांवों की जमीन में बालू भर गया है। कहीं भी खेती के लायक जमीन नहीं रही है। ऐसी स्थिति में यहां से एक योजना बने और उस योजना के माध्यम से उसमें से बालू निकालने का काम हो। बालू निकाल कर उस जमीन को कृषि योग्य बनाया जाए। इसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

साथ-ही-साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां-जहां हमारे क्षेत्र में आपने नलकूप लगाए हैं वे सभी-के-सभी बेकार पड़े हैं। लगता है कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। उन पर सरकार का करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च हुआ है और उनसे कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि कहीं नलकूप की मशीन खराब है, कहीं बिजली की सप्लाई नहीं है। आप बताइये कि इतना रुपया खर्च होने के बाद भी उनसे लाभ नहीं मिले तो देश मे क्या होने वाला है। आप यहां बैठे हुए हैं, वहां उनको कोई देखने वाला नहीं है। हजारों नलकूप ऐसे हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूं। यहां तक हुआ है कि हमारे क्षेत्र में 1974 में तीन नलकूपों के लिए छेद हुए। वे आज भी उसी तरह से पड़े हुए हैं। उनका कहीं भी कोई विकास नहीं किया गया है। ये गांव हैं घोसी प्रखण्ड के कसियांसा, सकरोरा, अतिआमा। ये तीन गांव ऐसे हैं जिनमें नलकूपों के लिए जो काम किये गये थे वे ऐसे ही पड़े हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इनको कोई नहीं देखता।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि मसौढ़ी प्रखंड में बेरागांव है जो कि नदी के किनारे है। उसमें हरिजन बसे हुए हैं। हरिजनों का वह गांव नदी के किनारे कट रहा है। उस जगह नदी के छोर को आप मजबूत कीजिए, वहां किनारे पर बोल्डर कीजिए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में वहां की जो उपजाऊ जमीन है वह जमीन मरुभूमि बन जाएगी और गरीब किसान बेकार हो जाएंगे।

आप गरीब किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी०, डी०आर०डी०ए० जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं। ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं जिनके बारे में प्रधान मन्त्री जी ने और राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह पैसा कहां जा रहा है। या तो कहीं योजना में गड़बड़ी है, या योजना की क्रियान्विति में कहीं गड़बड़ी है। मैं मानता हूं कि इसकी क्रियान्विति में गड़बड़ी हो रही है। यह क्रियान्विति का काम राज्य सरकार का है लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि गरीब लोगों की आर्थिक तरक्की की क्या हालत है। आपने दुधारू जानवर दिये हैं। अगर वे दुधारू जानवर मर जाते हैं तो उनका इंश्योरेंस कम्पनी से पैसा मिलना है वह नहीं मिलता है। वहां पर सैंकड़ों-सैंकड़ों ऐसे केसिज हैं जिनके लिए चार-चार साल से कागज पड़े हुए हैं। उन गरीबों को जिनके कि दुधारू जानवर मर गये हैं इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है। इंश्योरेंस कम्पनी में कागज चले गये हैं। इंश्योरेंस कम्पनी के पास जब क्लेम लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि पहले आधा पैसा यहां जमा करा दीजिए, तब यहां से चैक भेजेंगे। आप देखिए कि कितना भ्रष्टाचार है। आज नतीजा यह है कि गरीब आदमी जो खेती करता था, हल चलाता था, आज बैंक का लोन चुकाने के लिए उसको मजदूरी करनी पड़ रही है। एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मैं अपने इलाके में परसों घूम रहा था, एक मोची रामबलि मेरे पास आया और दर्ख्वास्त दी, उसने बताया कि वह थक गया है, उसका जानवर 1985 में मर गया, उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट, मुखिया और सरपंच को रिपोर्ट सब भेज दी गई है, बैंक वाले भी कहते हैं कि उन्होंने युनाइटेड इंश्योरेंस कम्पनी के पास भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मैं परेशान हो गया हूं। यह दर्ख्वास्त मैं आपके पास भेज रहा हूं और चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराइए, वित्त विभाग का मामला है इसलिए वित्त विभाग के किसी अधिकारी को भेजकर जांच कराइए, इस तरह से सारा मामला पकड़ा जा सकता है, सारा रिकार्ड पकड़ा जा सकता है। ऐसे अधिकारी को आप जेल में डालिए तभी इस तरह की चीजों को रोक सकते हैं।

तीसरी बात मैं मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो मजदूरी करता है, उसको जो मजदूरी मिल रही है, उससे उसको लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि जो सम्पन्न आदमी है, उसको लाभ मिल रहा है, आज इन सब चीजों की तरफ ध्यान देने का समय आ गया है। अगर इनकी ओर अब ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हमको पश्चाताप करना पड़ेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : सभापति महोदय, समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात कहना चाहती हूं। आजादी के बाद यदि किसी को हार्दिक बधाई देनी होगी या किसी के उपकार मानने होंगे तो एक तो देश की रक्षा करने वाला जवान और दूसरा फसल उगाने वाला किसान है, जिसने आजादी के बाद से अपनी आवश्यकताओं का ध्यान न रखते हुए पूरी ईमानदारी और लगन से देश की सेवा की है। आज इतनी जल्दी-जल्दी हम बात करने की कोशिश करते हैं, अगर संसद का समय गिना जाए तो जो लोग शांति और व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, अपनी तंख्वाह के लिए, फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए सड़कों पर आते हैं और शांति तथा अमन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आन्दोलन करते हैं, उनके लिए हम यहां पर घंटों चर्चा करते हैं, लेकिन जो शांति से देश की तरक्की कर रहा है, शांति कायम रखने का प्रयास कर रहा है, उस किसान के लिए हम कितना समय देते हैं, यह सवाल आज हमारे मन में आता है। हम कितनी जल्दी-जल्दी बात करते हैं, अगर पूरा समय गिना जाए तो इनके लिए काफी कम समय यहां पर बात की जाती है। इसलिए इतने कम समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ बातें कहना चाहती हूं।

मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन के खर्च को देखते हुए अच्छी तरह से कीमत अदा कर रहे हैं, पूरी नहीं लेकिन ठीक तरह से हम कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सांसद भाई श्री राठौर जी ने जो आंकड़े दिए हैं वे सही हैं। हम 19 परसैंट किसान की फसल का दाम देते हैं और 30—36 परसैंट अदर कमोडिटीज पर दाम देते हैं। यह आज कृषि की हालत है। हम कृषि को उद्योग समझते हैं या नहीं, आज हर किसान यह पूछता है। काफी आंकड़े दिए गए, लेकिन मैं यह समझती हूं कि हम ईंट पर ईंट रखते जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे हैं कि कहीं दीवार टेढ़ी तो नहीं बन रही, मकान टेढ़ा तो नहीं बन रहा। कितनी ईंट रखी जाती हैं, इस बात महत्व नहीं है, महत्व सीधी

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

दीवार बनने का है। हम कितनी तरक्की करते हैं, यह देखने की चीज है, सोचने और समझने की चीज है। जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उनको देखने से पता चलता है कि आज हमारा किसान मेहनत करते-करते, फसल उगाते-उगाते इस मुकाम पर पहुंच गया है कि अगर एक साल अकाल भी पड़े तो वह देश की जनता को अनाज दे सकता है, यह स्थिति किसान के लिए अभिनंदनीय है और इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि हम अपनी तरक्की आंकड़ों से नहीं गिने। वह किसान जो फसल उगाता है, फिर बेचने जाता है और वही अनाज खरीदने जाते हैं तो दुगुनी कीमत में क्यों हमें खरीदना पड़ता है। यह जो अन्तर है, दूरी है, यह किसान का सवाल है, जिसका जवाब मांगने के लिए हम यहां खड़े हुए हैं। हम आंकड़ों से नहीं गिनना चाहते हैं। हम दूसरे देशों की तरक्की से किसान की ऊंचाई नहीं देखना चाहते हैं। शहरी सम्पत्ति बढ़ती चली गई और देहात सूने पड़ गये और पूरे देहात से लोग वहां आने लगे। उसका जवाब अपने पास क्या है। हमसे लोग जवाब मांगते हैं कि शहरी सीलिंग अभी तक किसी तरह से नहीं हो पाई। हमने जमीन के टुकड़े यानि बंटवारा कर दिया। हमें नाज है कि इन्दिरा जी ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जमीन की सीलिंग की। शहरी सम्पत्ति बढ़ रही है क्योंकि एक ही परिवार में दस-दस लोग नौकरियां कर रहे हैं। देहात में जो बच्चे शिक्षा में ड्राप-आउट के शिकार बन चुके हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। यह समस्या दूर होनी चाहिए। हमारा आरोप है कि कृषि मूल्य आयोग हो या फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इनमें ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व है जिसका इतना नियंत्रण है कि उसमें किसानों के बहुत ही कम प्रतिनिधि नजर आते हैं। मूल्य निर्धारित करने से पहले यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कृषि मूल्य आयोग में कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं। जो मजदूरी किसानों को देते हैं या जो बीज अथवा खाद उसको देते हैं, उसके खर्चे के दाम पर हमें फसल का दाम भी निर्धारित करना चाहिए। यहां मन्त्री महोदय ने अच्छे बीज और अच्छे खाद के बारे में बताया। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने भारत की तरक्की के लिए कड़ा प्रयत्न किया। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहती हूं कि एक तिहाई जमीन को खाद मिलती है, पूरी जमीन को नहीं मिलती है। जो खाद हमें चाहिए वह हम अपने देश में पूरी नहीं कर पाते और बाहर से मंगाते हैं। यह सच्चाई है। इसलिए, एक तिहाई जमीन में इतना इम्बैलेंस है। बजट के समय माननीय प्रधान मन्त्री जी ने भी जिक्र किया था कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि असंतुलन न हो। आज की स्थिति यह है कि हम तरक्की कर रहे हैं। हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ किसान फसल के दाम मांग रहा है, आन्दोलन छेड़ रहा है और आप नई-नई व्यवस्थाएं पैदा कर रहे हैं तथा सुशिक्षित व्यक्ति नौकरी मांग रहा है। यह जो व्यक्ति-व्यक्ति में विषमता आती जा रही है, वह दूर होनी चाहिए। जो खाद दी जा रही है और पंजाब में यदि 150 प्रतिशत मदद करेंगे तो उसका असर महाराष्ट्र, गुजरात में भी होगा चाहे वह इर्रीगेशन या कोई अन्य मामला हो। हमें देखना चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों में कितने इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यह असंतुलन जो बना हुआ है, वह किस तरह से दूर हो सकता है, यह भी देखना चाहिए और संशोधन आवश्यक हो तो वह भी होना चाहिए। उत्तर राठौड़ जी ने जो राष्ट्रीय कपड़ा नीति के बारे में बताया, मैं उसका समर्थन करती हूं। हमारे महाराष्ट्र में 22 से 30 मिलें बंद पड़ी हैं। यह देखना चाहिए कि क्यों बन्द पड़ी हैं। किसानों को कहा जाता है कि रॉ मैटेरियल से पूरे प्रोसेसिंग तक उसकी मदद करेंगे। वह धागा बनायेगा, कपड़ा बनायेगा और उसके क्षेत्र में मिलें खड़ी करेंगे। आज की राष्ट्रीय कपड़ा नीति की वजह से हमारी मिलें बन्द पड़ी हैं। किसान, जिसे गन्ने का टैक्स देना पड़ता है, वह गन्ना बोना बन्द कर देगा। इसी प्रकार हमारे यहां तेल की पैदावार बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि हमें इसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता है इसलिए तेल का उत्पादन किसान ने बन्द कर दिया। हो सकता है कल को कपास या गन्ना बोना भी बन्द कर दे। इसलिए इस ओर अवश्य ध्यान दिया

जाना चाहिए। राष्ट्रीय कपड़ा नीति यानि नई टैक्सटाइल पालिसी सरकार ने बनाई है।

उसकी वजह से किसानों को कपास उगाने और इस व्यवसाय पर असर पड़ा है, इस बारे में दुबारा सोचने की आवश्यकता है।

आखिर में मैं किसानों के लिए चार आयोग बनाने की सरकार से मांग करूंगी। पहला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कार्पोरेशन, दूसरा है एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्पोरेशन, तीसरा है एग्रीकल्चर टेक्नोलोजी डवलपमेंट कार्पोरेशन और चौथा है एग्रीकल्चर इनफर्मेटिक्स कार्पोरेशन। जिससे किसानों को पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और एडवांस आदि की व्यवस्था दी जाये। यह किसानों के लिए चार आयोग उनके कृषि व्यवसाय और कृषि के विकास के लिए आवश्यक है इनकी मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1987-88 के लिए कृषि मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा सुन रहा हूं। उर्वरकों के उपयोग उर्वरक उत्पादन और साधारणतः उर्वरक उद्योग में कुछ बातें कही गई हैं। सदस्यों द्वारा उठाये गये मद्दों का दुबारा उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

चर्चा के दौरान सदन के सब तरफ से विभिन्न विरोधी विचार व्यक्त किए गये लेकिन सदन की सर्वसम्मति हैं कि हमने खाद्य उत्पादन का एक रिकार्ड प्राप्त कर लिया है और हम अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। वास्तव में हमने 1983-84 में रिकार्ड अन्न उत्पादन किया था और वह उत्पादन 15240 लाख टन था यह ही नहीं बल्कि हमने अन्न सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया है और अन्न वितरण प्रणाली को भी जिससे कई विकासशील राष्ट्रों और विकासशील देशों को ईर्ष्या है यद्यपि वर्षा के देवता हमारे प्रति कठोर हो गये हैं और लगातार तीन मानसून बेकार हो गये लेकिन फिर भी हमने अपने अन्न उत्पादन को बनाये रखा है। इसका कारण यह है कि इस देश में किसानों ने आधुनिक कृषि तकनीकों और आधुनिक कृषि विज्ञान प्रक्रियाओं को अपनाया है।

आधुनिक कृषि में रसायनिक उर्वरकों का उपयोग एक मुख्य निवेश है। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बोलने के लिए अभी बहुत सदस्य हैं और कृषि मंत्री जी को भी उत्तर देना है। लेकिन मैं उर्वरकों के बारे में एक या दो मुद्दे उठाना चाहूंगा। वर्ष 1980-81 में छठी योजना के प्रथम वर्ष में उर्वरकों की खपत 55.16 लाख टन थी। 1985-86 की सातवीं योजना में यह 87.37 लाख टन थी और पिछले वर्ष यह 90 लाख टन थी। यद्यपि उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु माना गया है। मूलतः उर्वरक में तीन पौष्टिक तत्व होते हैं जो उर्वरक में सक्रिय कारक है पहला, नाइट्रोजन, दूसरा फासफोरस, तीसरा पोटाशियम है। कुछ माननीय सदस्यों ने इसे उठाया था मेरा विचार है आपने उठाया था। हमें देश में पोटासिक उर्वरक पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास म्यूरिएट आफ पोटाश प्राप्त करने का कोई ज्ञात स्वदेशी स्रोत नहीं है। आजकल हमें पोटाशिक उर्वरक का आयात करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं कि उर्वरक फसल सापेक्ष और भूमि-सापेक्ष होते हैं। एक विशेष प्रकार की भूमि में और विशेष प्रकार की फसल में विशेष प्रकार के उर्वरक का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। मूलतः जैसा कि मैंने कहा हमारे देश में उत्पादित कोई पोटाशिक उर्वरक नहीं है, लेकिन हमने नाइट्रोजन और फासफोरिक उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाया है।

पिछले कुछ वर्षों के उर्वरक उद्योग के विकास को दिखाने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखूंगा। छठी योजना शुरू होने से पहले 1979-80 में हमारी उर्वरक पौष्टिकता का उत्पादन केवल

[श्री आर० प्रभु]

29.83 लाख टन थी। 1984-85 में छठी योजना के अन्तिम वर्ष में उर्वरक की उत्पादन पौष्टिकता का 51.8 लाख टन था। छठी योजना के दौरान उर्वरक उद्योग की विकास दर 73 65 प्रतिशत हो गई। सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान उर्वरक उद्योग में और अधिक विकास किये गये वास्तव में 1985-86 के दौरान हमारा उत्पादन 57.56 लाख टन हो गया; 1986-87 में उत्पादन 70.60 लाख टन हो गया। इस वर्ष के अन्त में उर्वरक उत्पादन में 22.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह उर्वरक उद्योग के विकास की दर है। यह हमारे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर को प्रभावित करेगा जो पिछले वर्ष लगभग 8 प्रतिशत था और जी०एन०पी० के विकास की दर 4.5 प्रतिशत थी।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : खपत का प्रतिशत क्या है ?

श्री आर० प्रभु : मैं उस पर आ रहा हूं आप मुझसे यह आशा नहीं कर सकते हो कि मैं सब कुछ तुरन्त ही कह दूं। सातवीं योजना के शेष समय के दौरान में आशा करता हूं प्रतिवर्ष उर्वरक उद्योग की विकास दर 10 प्रतिशत हो जायेगी। अपने उर्वरक के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने 15 उर्वरक परियोजनाएं जिसमें नई और विस्तार योजना भी शामिल हैं, को शुरू करने की योजना है। नौ नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक परियोजनाएं और छ: फासफोरिक उर्वरक परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन है। 1990 से 1991 तक चरणों में शुरू हो जाएगी। तब अधिष्ठापित क्षमता 124 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। जबकि आज अधिष्ठापित क्षमता केवल 89.1 लाख टन है। इनमें से मुख्य छ: परियोजनाएं जो कि एच०बी०जे० पाइपलाइन के साथ-साथ है और तीन परियोजनाएं शीघ्र पूरी होने जा रही हैं। मध्यप्रदेश के गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड प्रोजेक्ट दिसम्बर 1987 में पूरी हो जायेगी। और उत्तर प्रदेश के आंवला की परियोजना अप्रैल 1988 में पूरी हो जायेगी और उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर में भी जुलाई 1988 में पूरी हो जाएगी। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के और समय पर पूरा किया जायेगा। अन्य तीन परियोजनाएं जो कि एच०बी०आई० पाइपलाइन के साथ-साथ हैं एक राजस्थान के सवाई माधोपुर में और अन्य दो उत्तर प्रदेश में हैं 1990 में पूरा होने की संभावना है।

श्रीमन् दूसरा मुद्दा जो कल श्री रेड्डी जी ने उर्वरकों के आयात के बारे में किया था। निसंदेह उर्वरकों के विकास की दर में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। लेकिन हमारे स्थानीय उत्पादन और खपत के अन्तर को कम करने के लिए हमें उर्वरकों की एक निश्चित मात्रा आयात करनी पड़ेगी। पिछले कुछ वर्षों से 1984-85 में हमने कुल 36.24 लाख टन की कुल मात्रा आयात की है। जिसका वित्तीय मूल्य 1500 करोड़ रुपये है। 1985-86 में हमने 33.99 लाख टन आयात किया जिसका वित्तीय मूल्य 1405 करोड़ है। 1986-87 में जनवरी 1987 तक हमने 20.43 लाख टन पौष्टिक मात्रा आयात की जिसका वित्तीय मूल्य 650 करोड़ रुपये है। इन सब आयातित उर्वरकों में प्रत्येक वर्ष लगभग 9 से 10 लाख टन पोटाशिक उर्वरक शामिल होता है।

एक माननीय सदस्य : आत्मनिर्भरता के बारे में क्या स्थिति है तथा किस समय तक आत्मनिर्भरता हो जाएगी।

श्री आर० प्रभु : मेरे विचार से हम इस योजना काल में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते और हमें स्थानीय उत्पादन, स्वदेशी उत्पादन तथा आयात को अनुकूलतम-निधि के आधार पर प्राप्त करना होगा। मेरे विचार से स्वदेशी उत्पादन का 80-85 प्रतिशत और आयातित लगभग 15—20 प्रतिशत अधिकतम होगा। अपने संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण हम आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते और जैसा कि

आप जानते हैं उर्वरक संयंत्र बहुत मंहगे होते जा रहे हैं और पूंजीगत लागत बहुत ज्यादा है। लेकिन सदस्यों के मन में किसी प्रकार की आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसी उत्पादक संघ के शिकार होकर हम नष्ट हो जाएंगे। जो हमारे ऊपर अपने उर्वरकों का भार डाल देंगे और हमें ऊंचे मूल्यों पर उर्वरकों का आयात करना पड़ेगा।

श्रीमन् यद्यपि सदस्यों द्वारा विशेष रूप से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है, आज उर्वरक उद्योग में इस आधिक्य की स्थिति के बारे में कुछ वाक्य कहना चाहूंगा। विभिन्न सदस्यों ने तारांकित और अतारांकित प्रश्नों द्वारा पूछे हैं। लेकिन वास्तव में तारांकित प्रश्न अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं इस संबंध में स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। आज हमारे पास आरम्भिक भण्डार हैं। 1-4-87 को हमारे पास देश में 35 लाख टन का पोषाहार का आरम्भिक भण्डार है। कई वर्षों से अधिक आयात होने के कारण यह स्थिति विकसित हुई है। पिछले दो वर्षों में हमारे यहां मानसून आया नहीं है और पूर्वानुमान से कुछ कम खपत थी। खरीफ या रबी मौसम के प्रारम्भ में अधिकतम 15 से 18 लाख टन उर्वरक का स्टाक होगा। मैं आपको कुछ वर्ष पहले की बात बताता हूं। 1-4-1984 को हमारे यहां 9.92 लाख उर्वरक का भण्डार था। उस समय इसके अभाव की स्थिति थी। उर्वरक की बिक्री में गलत तरीके अपनाये जा रहे थे तथा किसानों को उर्वरक आवश्यकता के समय नहीं मिलता था। हम उस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था एकदम किनारे पर है। यदि हमारे यहां 15 प्रतिशत अधिक स्टाक होगा तो अधिकता हो जाएगी और यदि 15 प्रतिशत कम होगा तो अभाव हो जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार अभाव की स्थिति नहीं पैदा होने देगी अधिकता होने से तो ठीक है परन्तु इसके अभाव में देश को काफी नुकसान होगा। मैं यह भी कहूंगा कि यदि कोई गलती करनी भी है तो सरकार हमेशा किसानों का ही पक्ष लेगी कि बजाय उत्पादकों या आयातकों का पक्ष लेने के।

हम वास्तव में यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां उर्वरक की अधिकता हो ताकि किसानों को उचित कीमत पर बिना किसी कठिनाई के उर्वरक हर समय मिल सके। यह सब कहने का यह अर्थ नहीं है कि सरकार अधिकता की स्थिति से और उन कठिनाइयों से वाकिफ नहीं है जिसका देश में इस उद्योग द्वारा सामना किया जा रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने इस वर्ष उर्वरक के आयात को काफी कम कर दिया है तथा पहले छह महीनों में यूरिया, डी॰ ए॰ पी॰ का कोई आयात नहीं किया जाएगा। हम अक्तूबर, 1987 में स्थिति की समीक्षा करेंगे।

हमारे वर्तमान में आंकड़ों से पता चलता है कि हमें अक्तूबर में उर्वरक का आयात न करना पड़े। परन्तु हमें कम मात्रा में तो आयात करना ही पड़ेगा इसका कारण है विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौते एवं द्विपक्षीय व्यापार संधियां। परन्तु सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जहां तक हो सके हम आयातित उर्वरक को बाजार में तब तक नहीं लायें जब तक देशी उर्वरक स्टाक में है।

एक और विषय जो आपने उठाया है वह है किसानों को रियायत दिए जाने के बारे में। जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारी सरकार किसानों के प्रति वचनबद्ध है। आज किसानों को जिस कीमत पर उर्वरक उपलब्ध है उसकी उत्पादन लागत देश में कहीं ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के एक सदस्य ने सुबह कहा था कि दिन-प्रतिदिन उर्वरक की कीमत बढ़ती जा रही है। और इसीलिए खपत 50 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से ज्यादा नहीं होगी। मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं क्योंकि सदस्यगण जानते हैं कि देश में उर्वरक की खपत 4 किलोग्राम से 150 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है तथा पंजाब में यह 150 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। राष्ट्रीय औसत लगभग 50 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। और मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि उर्वरक के दाम दिन-प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उर्वरक की कीमत आज भी वही है जोकि

[श्री आर० प्रभु]

1981 के मध्य में थी। यूरिया की कीमत 2350 रुपये प्रति टन है, डी०ए०पी० की कीमत 3600 रुपये प्रति टन है तथा पोटासिक उर्वरक की कीमत 1300 रुपये प्रति टन है। ये वही कीमतें हैं जोकि जुलाई, 1981 में थीं।

हमारे यहां देशी उर्वरक की उत्पादन लागत काफी ज्यादा है लेकिन किसानों को दी जाने वाली उर्वरक की कीमत कम होती है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : कृपया हमें बताएं कि जनता शासन के दौरान 1979-80 में क्या दरें थीं।

श्री आर० प्रभु : 1979-80 के आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री जंगा रेड्डी, कृपया बीच में मत बोलिए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मंत्री जी से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि उनके पास सभी आंकड़े उपलब्ध हों।

श्री आर० प्रभु : मैं एकदम अभी सदस्य की बात पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं...

श्री सी० जंगा रेड्डी : इस समय 1987 है और मंत्री जी 1981 की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ 1979-80 के आंकड़ों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री आर० प्रभु : मैं सदस्य की बात पर कुछ बोलता खास तौर पर कीमत पर लेकिन इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पिछले सात वर्षों से देश में कांग्रेस सरकार का राज है न कि जनता सरकार का। 1980 से 87 तक मुद्रा स्फिति हुई है परन्तु उर्वरक के दाम 1981 वाले ही हैं। इसका मतलब हुआ मुद्रा स्फिति के कारण हमने उर्वरक की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की है। जहां तक रियायत का सम्बन्ध है तो देश में उर्वरक का किस कीमत पर उत्पादन किया जाता है वह उससे बहुत ज्यादा है जिस कीमत पर यह किसानों को दिया जाता है। यूरिया की और उत्पादन कीमत 3390 रुपये प्रति टन है तथा डी०ए०पी० की कीमत 4780 रुपये प्रति टन है।

महोदय, आपने स्वयं कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। 1985-86 में कुल आर्थिक सहायता 1926 करोड़ रुपये की दी गई थी तथा 1986-87 में 1893 करोड़ रुपये की इसमें आयातित उर्वरक भी शामिल होगा। यह आर्थिक सहायता काफी ज्यादा है इसमें कोई संदेह नहीं है परन्तु इस आर्थिक सहायता के बारे में हम क्या कर सकते हैं? यह आर्थिक सहायता है क्या? हमें इसे समझना चाहिए। प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि आप देश में उर्वरक उद्योग का इकट्ठा मुनाफा देखें यानि कि 75 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारिता क्षेत्र का तथा 25 प्रतिशत गैर-सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र का तो पिछले वर्ष का इन दोनों का इकट्ठा मुनाफा 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं था। इस वर्ष यह बहुत ही कम होगा। यह हमारी रियायत का सिर्फ 15 प्रतिशत ही है। बाकी धन का क्या होता है। बाकी बचे हुए धन को उर्वरक कम्पनियों द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अगर भारतीय गैस प्राधिकरण तथा ऐसी कम्पनियों को, जोकि उर्वरक के क्षेत्र में विभिन्न उपकरण प्रदान करती है तथा राज्य सरकारों को, विद्युत प्रभार के लिए दिया जाता है। यदि विभिन्न उपकरणों की कीमतें स्थिर रखी जाती हैं या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रखी जाती हैं तो आर्थिक सहायता कम दी जायेगी क्योंकि जिस कीमत पर उर्वरक बेचा जाता है वह 1981 से वही है। मैं नहीं समझता कि यह बड़ी समस्या है क्योंकि उर्वरक कम्पनियों के माध्यम से यह पैसा सरकार की एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है। लेकिन सरकार इस अधिक आर्थिक सहायता पर निगरानी रख रही है तथा स्थिति की बराबर पुनरीक्षा कर रही है तथा इस आर्थिक सहायता को कम

करने के लिए कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रही है क्योंकि यह काफी ज्यादा रकम है।

उर्वरक उद्योग भी इसकी उत्पादन लागत को कम करके आर्थिक सहायता में कमी लाने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा क्षमता उपयोगिता को बढ़ाकर एवं इसकी खपत को कम करके किया जा रहा है तथा साथ ही ऊर्जा के बारे में कुशलता से काम किए जाने की भी कोशिश की जा रही है। मैं बताऊंगा कि पिछले वर्ष अप्रैल में उर्वरक उद्योग की क्षमता उपयोगिता 50.69 प्रतिशत थी तथा दिसम्बर में यह सबसे अधिक 96·34 प्रतिशत हो गई तथा 1987 के शुरू के तीन महीनों में यह 89 प्रतिशत बनी रही। इससे 1986-87 के 79.3 प्रतिशत का औसत बना रहा। बहुत से व्यक्ति यह नहीं जानते होंगे परन्तु उर्वरक उद्योग में बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है तथा 85 ट्रीलियन किलो कैलोरीज विद्युत 8.45 मिलियन टन तेल के बराबर इसमें लगती है। आजकल की दरों के मुताबिक एक टन यूरिया का उत्पादन करने के लिए 150 रुपए प्रति मिलियन किलो कैलोरी वाली 8 मिलियन कैलोरी चाहिए होती है और इसमें प्रत्येक एक प्रतिशत की बचत से प्रतिवर्ष हमें 12.75 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां ऊर्जा का लेखा-जोखा रख रही है तथा ऊर्जा का संरक्षण करने की कोशिश कर रही हैं। तथा ऊर्जा की बचत के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। इन उपायों से दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कमी आएगी।

मैं नहीं समझता कि कोई और भी मुद्दा उठाया गया है परन्तु समाप्त करने से पूर्व मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने उर्वरक मंत्रालय तथा उर्वरक उद्योग के बारे में बहुत से मुद्दे उठाए तथा सदन में मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे उर्वरक मंत्रालय की मांगों में बिना कोई कटौती किए उन्हें पारित करें।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : सभापति महोदय, आपने कृषि विभाग की मांगों पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं कृषि मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की लगभग 70-80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और खेती और किसानी पर आधारित है। इसलिए जब इस देश के विकास की बात आती है, उसकी बेहतरी की बात आती है तो सबसे पहले हमारे सामने गांव और वहां के किसान आते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस देश की बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों की तरफ ध्यान दें। माननीय इन्दिरा जी कहा करती थीं कि अगर इस देश को विकसित होते देखना है तो सबसे पहले किसानों और गांवों की तरफ देखना होगा। मैं 2-3 बातों की तरफ कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। खेती एक ऐसा पेशा है जिसकी पहले बहुत सराहना होती थी। इसके बारे में हमारे गांव में कहा जाता था कि "उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान" यानी कि सबसे ऊंचा काम खेती का माना जाता था। वैसे भी इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि आजादी के बाद हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने किसानों की भलाई के बारे में बहुत कुछ किया है। यही कारण है कि इस देश में हरित क्रान्ति आई।

मान्यवर, आप किसानों की हालत के बारे में तो जानते ही हैं। किसानों की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। आज न तो कोई गांव में रहना चाहता है और न ही वहां किसान बनकर रहना चाहता है। आखिर क्यों? यही सवाल आज कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्री जी के समक्ष है। इस विषय पर हर साल डिबेट होती है और कई माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डालते हैं। कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह

[श्री राज कुमार राय]

से इतना सब करने के बाद भी किसान आज गांवों में खुश नहीं हैं और गांवों में रहना नहीं चाहता है। इस पर हम सबको विचार करना होगा। आज आप किसानों को उसके द्वारा पैदा की हुई चीजों के अच्छे दाम दे रहे हैं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं, रिम्युनरेटिव प्राइस दे रहे हैं। अगर यह सारी चीजें अप टू स्टेंडर्ड हैं तो भी वह खुश क्यों नहीं हैं इस सबका आपको हल निकालना होगा और इस पर तहेदिल से विचार करना होगा। आप कहते हैं कि 1981 से फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़ाये गये हैं लेकिन फिर भी किसान को सबसिडी देनी होगी। इसके साथ ही आप किसान को समय पर बिजली नहीं देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसानों को आवश्यकतानुसार बिजली दें।

मेरा अपना अनुमान यह है कि फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं, सीड्स और कीटनाशक जो दवायें हैं उनके दाम बहुत बढ़ गये हैं। किसान को यह सब चीजें उचित दाम पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि चारे की एक समस्या खड़ी हो गई है। मैंने इस सम्बन्ध में एक 377 के अधीन सूचना भी दी थी लेकिन वह स्टेट सबजैक्ट मानकर रिजैक्ट कर दिया गया। हमारे यहां एक नील गायें होती हैं। इन नील गायों को पहले मुसलमान और मेशाकार मार देते थे और हवाई फायर करके भगा देते थे। लेकिन चूंकि वह हिन्दू धर्म को मानने लगे हैं, इस कारण उनको मारना छोड़ दिया है। नतीजा यह हो रहा है कि सैकड़ों-हजारों एकड़ हरी फसल चट हो रही है। अब इन्हें जो भी हांकने जाता है उन्हें भी वह गायें मार रही हैं और पीछा कर रही हैं। इससे किसान को बहुत परेशानी होती है। आप इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करें कि आपका हरित क्रान्ति का जो सपना है वह पूरा हो सके, नहीं तो यह नील गायों के कारण सफल नहीं हो सकता है।

दो-तीन बातें और कहूंगा। कृषि विज्ञान केन्द्र की घोषणा माननीय बूटा सिंह जी जब कृषि मन्त्री थे तो उन्होंने की थी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र कर दूंगा। मैं सयोग से उत्तर प्रदेश पार्लियामेंट्री पार्टी (आइ) का उन दिनों कन्वीनर था। मुझसे बड़ा नजदीकी रिश्ता था मीटिंग्स में और मैं धन्यवाद दूंगा श्री प्रसाद साहब को, उन्होंने कहा कि अगर पचास एकड़ जमीन मुफ्त दे दें तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो मैंने अपने क्षेत्र में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, गोरखपुर और देवरिया का लाभ हो सकता है, इस दृष्टिकोण से कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए 50 एकड़ की जगह 55 एकड़ जमीन का ग्राम सभा का प्रापोजल लाकर दे दिया, उसका खसरा-खतौनी दे दिया, गांव सभा ने यूनानिमस पास किया कि यह कृषि विज्ञान केन्द्र परधा ब्लाक, तहसील मऊ, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में खोल दिया जाय जो पहले मोहम्मदाबाद तहसील का नाम था, हम जमीन डोनेट कर रहे हैं, पर जब फाइल कृषि मंत्री के यहां गई,—मकवाना साहब ने भी मुझसे कहा था—जब फाइल गई तो व्हाई नाट गुजरात, व्हाइ नाट सच ऐंड सच स्टेट इस तरह से करके दिक्कत हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब चीजों में हमारी रेकमेंडशन का क्या हुआ ? बड़ी उपेक्षा हो रही है मान्यवर।

मैं बताऊं हमारे फैजाबाद में कृषि की इकाई है और वहां कृषि विद्यालय है। वहां लैब टु लैंड प्रोग्राम चलता है और वहां जो वाइसचांसलर जाते हैं हमारी कांस्टीच्यूएंसी में तो मेम्बर असेम्बली या मेम्बर पालियामेंट को कंसल्ट नहीं करते, इन्वाल्व नहीं करते, कोई नोटिस नहीं देते। पता नहीं कौन सा प्रोग्राम वह करते हैं। हम लोक सभा के चुने हुए लोग, विधान सभा के चुने हुए लोग जो हैं हमारा सीधा रिश्ता है किसानों से, हमारा सीधा रिश्ता है कृषि है, गांवों से तो हम उम्मीद करते हैं, कृषि मंत्री से कि जब सभी इस किस्म के प्रोग्राम गांवों में हों तो हम लोगों को कम से कम नोटिस तो दे दें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर दें। मैं एक दो चीजें और निवेदन करूंगा ··· (व्यवधान) ··· एक-दो मिनट

और नहीं दे सकते। तो मैं आपकी बात मानूंगा, खत्म करता हूं।

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : सभापति महोदय, यहां मैम्बर पार्लियामेंट बनने से पहले मैं अपने हाथों अपना ट्रेक्टर चलाया करता था, अपनी पोड्यूस खुद मार्किट में बेचा करता था और खुद लाइन में लगकर फर्टिलाइजर मैंने लिया है। तो मेरे को बोलने का टर्न कब दिया जब पांच मिनट बाकी हैं और बीस-बीस मिनट यहां संस्कृत के श्लोक सुन रहे हैं। यहां से इसका पता चलता है कि खेती के लिए या किसानों के लिए इनका कितना ख्याल है और किस तरह से इनका इरादा बना हुआ है ? मंत्री जी आते हैं, बड़ी-बड़ी लम्बी चिटें ले आते हैं अफसरों से कि हमने यह दिया, वह दिया किसानों को। मैम्बर साहबान थपथपाहट कहते हैं और यह पास करवाकर चले जाते हैं। पिछले 35 वर्षों से ऐसा मजाक किसानों के साथ हो रहा है। रिअलिटी क्या है ? रिअलिटी यह है कि जब किसानों को जय जवान, जय किसान का नारा हमारी सरकार ने दिया तो वहां हमारे कृषि विद्यालयों में बैठे साइंसदानों ने, आइ० सी० ए० आर० ने उनकी मदद की और उन्होंने इस मुल्क को जो पी० एल० 480 के तहत कभी भिखारी हुआ करता था, उसको आज भंडारी बना दिया। लेकिन आज उसकी अपनी खुद की हालत क्या है यह सभी जानते हैं। मैं दो मिनट में एक्सप्लेन करूंगा कि जो 21 हजार में ट्रैक्टर लिया करता था, चार सौ रुपये क्विंटल काटन बेचता था, 18 रुपये क्विंटल गन्ना बेचता था वह आज एक लाख रुपये का ट्रैक्टर लेते हैं और 26 रुपये देते हैं उसका और उसके बाद जो खाद है, सब्सिडी उसके लिए देते हैं। हम क्या भिखारी हैं जो सब्सिडी दे रहे हैं या यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं ? गवर्नमेंट से कोई भीख मांग रहे हैं किसान जो यह कहते हैं कि हम यह दे रहे हैं वह दे रहे हैं ? देता तो किसान है सरकार को। ऊंचा सिर तो किसान ने किया है और आप क्या देते हैं ? अगर कोई कुदरती आफत आ जाती है, कोई मारी आ जाती है, गड़ेमारी आ जाती है, तूफान आ जाता है तो उसमें कहते हैं हम यह दे रहे हैं, वह दे रहे हैं तो सरकार की मर्जी। दिल्ली वाले जब तक भेजते हैं और स्टेट वाले जब तक देते हैं तब तक किसान की क्या हालत होती है ? अब पिछले दिनों गड़ेमारी हमारे सब-डिवीजन में हुई। आज तक किसी को एक पैसा नहीं मिला जबकि दूसरी फसल होने का समय हो गया है। तो वे कहां से पैसा लायेंगे और कैसे सफल हो पायेंगे —इस बात का कोई ख्याल नहीं करता है। आप पैसा देते हैं तो एक खेवट में। खेवट तो 25-30 एकड़ का भी हो सकता है, लेकिन देते हैं खेवट का पैसा। जब एक एकड़ में, एक किले में बिजाई हुई तो एक किले में फर्टिलाइजर डाला तो उसका जो कम्पेन्सेशन देना है वह खेवट में देंगे। यह क्या अंधाधुंधी है ? करने वाली बात जो है वह बड़े लम्पसम में करनी चाहिए गवर्नमेंट को। आप हमारे कृषि विश्वविद्यालयों को, आई० सी० ए० आर० को मदद दें, खूब खुले दिल से पैसा दें।

यह जो किसान के लिए आप सपोर्ट-प्राइस देते हैं, उसका हिसाब आप कहां से लगाते हैं —यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका 420 रुपया लगा दी सपोर्ट प्राइस, इसकी 480 लगा दी और उसकी 510 लगा दी—यह सारी चारसोबीसी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब किसी भी मुजरिम को सजा देनी हो, दो फरीकों का फैसला किसी जज ने देना हो, तो जज दोनों की बातें सुनता है और फिर उसके बाद सजा देता है। लेकिन यहां पर जो एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन बनता है, उसमें किसानों का कौन-सा नुमाइन्दा होता है ? वह एअरकण्डीशन्ड कमरे में बैठकर किसानों की किस्मत का फैसला कर देता है। ये क्यों नहीं भारतीय किसान यूनियन का कोई नुमाइन्दा उसके अन्दर बिठाते ? जबकि फैसला किसान की किस्मत का करना हो, तो क्या वह फैसला सैक्रेटरी और मिनिस्टर करेगा ? उसमें किसान का नुमाइन्दा क्यों नहीं हो ? ये फैसला करें क्योंकि ये गवर्नमेंट हैं, लेकिन किसानों के नुमाइन्दों को, किसानों की यूनियन को साथ लेकर फैसला करें, तभी आप किसानों की कोई भलाई कर सकते हैं।

आज बहुत जरूरी है आयलसीड्स का प्रोडक्शन, आज बहुत जरूरी है। पल्सेज का प्रोडक्शन।

[श्री शमिन्दर सिंह]

इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने, हमारे साइन्सदानों ने दुनिया भर में अपनी रिसर्चेज की धाक जमा दी है। आप उनसे कहें कि वे बीज की नई-नई किस्में तैयार करके किसानों को दें। जहां तक सपोर्ट-प्राइस की बात है, उसके लिए आप किसानों के नुमाइन्दे को अन्दर बिठाकर प्राइज फिक्स करें। भले ही आप 5 परसेन्ट प्रोफिट दें जबकि इण्डस्ट्रियलिस्ट 25 परसेन्ट कमाता है और व्यापारी 50 परसेन्ट कमाता है। मैं कहता हूं आप उसको 5 परसेन्ट प्राफिट दें, 8 परसेन्ट प्राफिट दें या 10 परसेन्ट प्राफिट दें, जितना भी दें लेकिन प्राफिट तो दें। उचित मूल्य देखने के बाद आप उसकी कीमत फिक्स करें: आप कहें कि पल्सेज इतने में पड़ेंगी, आयलसीड्स इतने में पड़ेंगे और इस-इस भाव पर इनको खरीद लिया जायेगा। इसमें तो यह भी होता है कि एक सपोर्ट-प्राइस दे दी जाती है, लेकिन क्या गवर्नमेंट यह भी देखती है कि मार्केट में उस सपोर्ट-प्राइस पर कितनी पर्चेज की गई? काटन में सी० सी० आई० आ जाती है लेकिन सी० सी० आई० क्या है? इसको तो एक प्राफिटेबल इदारा बनाकर रखा हुआ है। उसमें तो मैनेजर्स के बिल्स भी घुस जाते हैं प्राफिट में। सी०सी०आई० तो जब तक प्राफिट में मिलता है तब तक लेती है। इस बार क्या हुआ काटन के साथ? जो सपोर्ट-प्राइस थी, उससे 50 रुपये कम पर पंजाब की मण्डियों में काटन बिक रहा था। कहां गई थी सी० सी० आई० और कहां सो रही थी हिन्द की सरकार? मैं कहता हूं प्रोडक्शन में सब्सीडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान दाता है, भिखारी नहीं है। किसान अन्नदाता है, उसे सब्सीडी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इस बात की कि पूरे मुल्क में उसके साथ चारसौबीसी न की जाए। उसको आप पूरी कीमत दो और पूरी कीमत देकर पल्सेज और आयलसीड्स तो क्या, सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए तो क्या, हिन्दुस्तान के किसान से बेशक दुनिया भर के लिए आप पैदा करवा लो, लेकिन 5-10 परसेंट प्राफिट आप उसको जरूर दो।

एक दूसरी बात और कहकर समाप्त करूंगा। आज तक आप क्राप-इंश्योरेंश स्कीम नहीं लायेंगे, तब तक ये जो थोड़े-थोड़े पैसे हैं, इनसे पूरा नहीं होगा। बड़े शर्म की बात है कि दस वर्षों से आप क्राप-इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक वह लागू नहीं हो सकी है। इस बार क्राप-इंश्योरेंस लागू हो जानी चाहिए।

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : लागू है।

श्री शमिन्दर सिंह : मिली तो है नहीं ढिल्लों साहब, अभी तक ?

डा० जी०एस० ढिल्लों : एक पंजाब ही ऐसा प्रदेश है जो नहीं मानता, बाकी सारे देश में लागू है।

श्री शमिन्दर सिंह : हम भी पंजाब से हैं और आप भी पंजाब से हैं। यह गड़ेवारी जो हुई है उसका पैसा भी नहीं मिला है हमारे मलोट क्षेत्रों में। कौन नहीं मानता है? हम कहते हैं तो मान लेंगे। क्राप-इंश्योरेंस होनी चाहिए।

और जहां तक मिल्क प्रोडक्शन की बात है, इसमें इतने हजार गायें लेकर कुछ नहीं बनेगा। अगर करना है तो एकदम से सभी नसलें चेंज करनी चाहिए। बाहर से अच्छे किस्म के जानवर लाये जायें। मैं समझता हूं दो साल में ही मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ जायेगा।

बस इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : सभापति महोदय, कृषि भारत की सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्ति

है। बहुत प्रसन्नता होती है, भारत सरकार के प्रयासों से आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। कृषि के मामले में सरकार ने बहुत सुधार किया है, खेती का विस्तार किया, किसानों को खाद भी मुहैया कराई गई। इन सबके बावजूद भी किसानों की हालत दयनीय है। आज खेती पर जो संकट है, जो आपदायें हैं,उसका निवारण अभी तक अच्छी तरह से नहीं किया गया है। भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है, खासकर उत्तर बिहार की भूमि, लेकिन प्रकृति का प्रकोप भी वहां बहुत होता है। कभी अतिवृष्टि, तो कभी अनावृष्टि, तो कभी सूखाड़, तो कभी बाढ़। इन सबकी चपेट में आकर हर साल हजारों एकड़ जमीन की फसलें बर्बाद होती हैं। उत्तर बिहार में तो पानी को जितनी आवश्यकता है, प्रकृति उससे सौ गुना अधिक पानी दे रही है। यदि इस पर कंट्रोल कर लें तो आपको इरिगेशन की सुविधा देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह क्षेत्र एक महीने पानी से प्लावित है और दूसरे महीने वहां पर सूखाड़ है। उत्तर बिहार के लिए योजनायें बहुत बनी हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। जैसे कमलाबलान बांध, वेस्टर्न कोसी कैनाल, गंडक योजनाएं और दूसरी भी योजनाएं हैं, जिन पर भारत सरकार का काफी रुपया खर्च हुआ है। इतना रुपया खर्च होने के बावजूद भी बाढ़ के दिनों में बांध टूट जाता है। जब बांध टूट जाता है, तो हजारों एकड की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गरीबों के घर गिर जाते हैं और उनके पशु मर जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जब योजनाएं नहीं थीं, उस समय इतनी क्षति नहीं होती थी। अब जबकि फ्लड कंट्रोल के लिए योजनाएं बनी हैं, तो अधिक से अधिक क्षति होने लगी है। पहले एक-दो हजार एकड़ में फसलें नष्ट होती थीं, लेकिन अब बीस हजार एकड़ में फसलें नष्ट होती हैं। अब आपसे हम आग्रह करेंगे कि कमलाबलान बांध को आगे बढ़ाया जाए, वैस्टर्न कोसी कैनाल को पूरा किया जाए। उत्तर बिहार में एक सबसे बड़ी बात है कि एक-एक मील पर नदियां हैं, लेकिन वे सूख जाती हैं। यदि उनको गहरा कर दिया जाए, तो उन में पानी रहेगा और किसानों को सुविधा होगी।

4.59 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है, जो जमीन जोतना जानता है, उसके पास भूमि नहीं है। जो खेती करना नहीं चाहते हैं, उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। अभी एक ऐसा परिवार है, जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है और एक ऐसा परिवार है, जो खेती नहीं करता है और उसके पास 500 से लेकर एक हजार एकड़ तक जमीन है। उन्हीं को बिजनेस चाहिए, उनके लड़के को सर्विस चाहिए। जो आदमी खेती करता है, खून-पसीना एक करता है, उसका भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। आप लैंड सीलिंग का कानून लाए, गरीबों को जमीनें दी गई हैं। लेकिन बाद में पता लगा, जिसको पोजेशन नहीं दिया गया, उससे अब जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है।

5.00 म० प०

लोग क्या करते हैं कि उसको क्रिमिनल साबित कर देते हैं और इस तरह से उनको जमीन नहीं मिलती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो जमीन आपने दी है, उसकी प्राटेक्शन होनी चाहिए।

आपने रूरल सीलिंग तो लगाई लेकिन अर्बन सीलिंग नहीं लगाई है। कितने ही राजा-महाराजा और बड़े-बड़े लोग हैं, जिनकी शहरों में हजारों एकड़ जमीन है और उनके पास जमीन के टुकड़े हैं, जो 50-50 वर्ष से ऐसे ही पड़े हैं और उन पर खेती नहीं हो रही है। इस तरह से देश की बहुत सी जमीन बेकार पड़ी हुई है। उनसे भूमि लेकर सघन खेती हो ताकि अन्न की कमी न रहे।

देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है लेकिन व्यक्ति खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं

[श्री राम भगत पासवान]

है। आज 5 करोड व्यक्ति अल्पाहार पर रहते हैं और 5 करोड़ व्यक्ति निराहार रहते हैं। इसलिए उन तक भी हमको अन्न पहुंचाना चाहिए। आज जिसके पास 10-15 एकड़ जमीन है, वह अनाज को नहीं बेचता है और जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, वह अनाज बेचता है। इसलिए मेरा कहना है कि अनाज की प्राइस उतनी ही बढ़नी चाहिए जितनी कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी हो और लोग उसको खरीद सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने के लिए समय देना चाहिए, ताकि हम राजस्थान की समस्या यहां सदन में रख सकें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास टाइम नहीं है।...(व्यवधान)...जितना टाइम है, उतना है। अब मैं टाइम बना नहीं सकता। टाइम तो भगवान बनाता है।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : यहां शोर-शराबे में बहुत सा टाइम चला जाता है और हमें बोलने के लिए टाइम नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय : 6 बजे गिलोटीन होना है। आप इन का जवाब नहीं चाहते हैं तो ठीक है। ...(व्यवधान)...दो और दो-चार हो सकते हैं, पांच नहीं हो सकते और न तीन हो सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हां बोलने का दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप समझदार हैं व्यास जी। इस समय पांच बजे हैं और ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारा नम्बर पांचवां था...

अध्यक्ष महोदय : यह क्यों हुआ, यह तो आप देखिए। मैंने इसको कैसे रखवाया, यह मैं जानता हूं। सारा टाइम दूसरे कामों में जाया हो जाता है, मैं क्या करूं।

श्री प्रकाश वी० पाटिल।

श्री प्रकाश वी० पाटिल (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हम लोग फूडग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफीशियेन्ट हैं लेकिन अभी हमें आगे भी देखना है क्योंकि हमारी जो डिफीकल्टी है वह पापूलेशन की डिफीकल्टी है और नेशनल केलेमिटीज की डिफीकल्टी है। उसको देखते हुए हमें भविष्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। देखा जाए तो रूस की पापूलेशन हमारी पापूलेशन से 50 परसेन्ट कम है और वहां का फूड प्रोडक्शन 250 मिलियन टन है पापूलेशन कम होते हुए भी उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं। हमारा प्रोडक्शन 150 मिलियन टन है और उसमें हम गुजारा करने की कोशिश करते हैं। लोगों को न्यूट्रियेन्ट वेल्यू ज्यादा मिले और खाने की खपत ज्यादा हो, इसके लिए प्रोडक्शन में और भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनमें इर्रीगेशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1951-52 में जो स्कीम्स दी थी, उसमें से एक-चौथाई स्कीम भी अभी तक कम्पलीट नहीं हो पाई है और जो कम्पलीट हुई हैं, उनमें 25 परसेन्ट पानी ही हमको मिलता है यह जो ट्रेडीशनल तरीका एग्रीकल्चर का है, इसको बदल कर साइंटीफिक तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। अभी हम पुराने

जमाने की ही खेती करते हैं और बुलककाटं को इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीनों का यूज करना चाहिए और साइंटीफिक तरीके अपनाने चाहिए। एक बात यह भी कहूंगा कि लैंड का जो डिवीजन होता जा रहा है, उनको फरदर डिवीजन किसी देश के लिए यूजफुल नहीं होगा। खेती पर जो लोग डिपेन्डेंट हैं, उनको दूसरी इंडस्ट्रीज में डालना पड़ेगा। नेशनल कान्सेसनैस बढ़ाने के लिए जैसे एजूकेशन में नारा दिया है, वैसे ही खेती में सुधार लाने के लिए आल ओवर इंडिया एक डिबेट होनी चाहिए। राष्ट्र में शिक्षा के बारे में इसका मन्थन हो गया। इसी तरीके से इसका भी मन्थन होना चाहिए। एग्रीकल्चर पर डिस्कशन करने के लिए हाऊस में बहुत कम टाइम मिलता है और अभी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं लेकिन टाइम नहीं है और मिनिस्टर साहब अपना भाषण सवा पांच बजे शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि एग्रीकल्चरल इशू का ग्रास-रूट लेविल पर साइंटीफिक तरीके से मन्थन होना चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर बराबर लोग बोलते रहेंगे और उसमें ज्यादा सुविधाएं देने के लिए कोशिश करते रहेंगे।

अभी एग्रीकल्चर की प्राइस के बारे में लोग बोलते थे। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि अगर हम प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कास्ट कम आयेगी। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना उसका कास्ट कम होगा। हमारी प्रोडक्शन कास्ट कम होने से हमको उसकी प्राइस भी अच्छी मिलेगी। यह प्राइस सीलिंग है यह भी हमको बहुत अच्छी लगेगी।

मैं पिछले महीने इटली गया था। इटली में मैंने देखा कि जैसा कि हम इनपुट्स पर सब्सीडी देते हैं तो वहां सेल्स पर सब्सीडी देते हैं। मैं वहां ओरेंज का सर्वे करने के लिए गया था। वहां ओरेंज की कीमत साढ़े तीन रुपये है। साढ़े तीन रुपये में दो रुपये सरकार बियर करती है और डेढ़ रुपये ही प्रोड्युसर का लगता है। इस तरह से प्रोड्युसर को उसमें डेढ़ रुपये का फायदा हो जाता है। जब किसान को प्राइस ज्यादा मिलता है तो वह ज्यादा प्रोडक्शन करता है। हम इनपुट्स में जो सब्सीडी देते हैं वह अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है या नहीं, यह हमको मालूम नहीं पड़ता।

सोयल कंजरवेशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इसका रेपिडली डवलपमेंट होना चाहिए। अगर हम सोयल कंजरवेशन मनुष्य के बल पर करते हैं तो इसमें बहुत साल लगते हैं। इस तरह से हम 50 वर्ष में सोयल कंजरवेशन पर सक्ते हैं। लेनि अगर मशीन से सोयल कंजरवेशन किया जाए तो वह बहुत जल्दी होता है और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। वाटर स्टोरेज भी अच्छी से हो जाएगा और लेण्ड यूज भी जल्दी हो जाएगा।

जहां तक एग्रीकल्चर की मार्किटिंग का सवाल है, जो एग्रीकल्चर मैटीरियल हम बनाते हैं उसकी सेल्स पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसमें ट्रांस्पोर्ट और प्रिजरवेशन की सुविधा भी दी जानी चाहिए। एग्रीकल्चर में बहुत सारा पेरिशेबल गुड्स होने की वजह से उसमें नुकसान होता है। हम पब्लिक सैक्टर की तरफ ध्यान देते हैं, हमें एग्रीकल्चर इनपुट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यह कहते हुए मैं इन डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

सरकार ने कहा है कि हमने रिकार्ड उत्पादन किया है। किन्तु साथ ही हमारी आधी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अथवा गरीबी रेखा पर जीवन यापन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कम कैलोरी मिलने से बच्चे बहुत कम उम्र में ही अंधे हो जाते हैं। वहां ऐसी स्थिति है। जबकि हम रिकार्ड

[श्री पीयूष तिरकी]

उत्पादन की बात कर रहे हैं। वितरण प्रणाली खराब है। यही कारण है कि रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, जनता अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और उन्हें आवश्यक मात्रा में कैलोरी नहीं मिल रही है।

सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की जनता का जीवन स्तर विश्व में सबसे नीचा है। अत: हमें इस बात की जांच करनी होगी कि अच्छा उत्पादन होने के बावजूद हमारा जीवन स्तर विश्व में निम्नतम क्यों है। हमारे यहां बहुत-सी भूमि बंजर है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे देश में कितने हेक्टेयर बंजर भूमि है। न ही सरकार उस बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करती है। बंजर भूमि ऐसे ही पड़ी है।

नगर बनाने या उद्योग लगाने के लिए कृषि भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। सरकार को यह समझना चाहिए कि हमारी कृषि भूमि का क्षेत्रफल कम न हो। इसके अलावा हमें बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहिए। कृषि मन्त्रालय सिंचाई मन्त्रालय से सम्बद्ध है। दोनों मंत्रियों को एक साथ बैठकर स्थिति का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम दोनों दिशाओं में —चाहे जल का मामला हो या सिंचाई का— प्रगति कर सकें। उर्वरकों का प्रयोग भी यों ही नहीं करना चाहिए। सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य पर इससे कैसे कुप्रभाव पड़ रहा है।

कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीके होने चाहिए जिससे आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि हमारी जनता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।

जब हम कीटनाशक या खाद या कुछ अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी कुछ खराबी होती है और जनता के स्वास्थ्य पर उसका भी असर पड़ता है। अतः सरकार को ऐसे कार्यक्रम अपनाने चाहिए जिससे हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े और यह देखना चाहिए कि देश की जनता का स्वास्थ्य अन्य देशों की जनता की तुलना में अच्छा रहे। सरकार कृषि के विकास के लिए बहुत कुछ कर रही है। उन्हें अन्य ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे कृषि के विकास में सहायक है और उन्हे तदनुसार आगे काम करना चाहिए। इस तरह वे कृषि में और सुधार ला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अकाल की स्थिति है, परन्तु सबसे अधिक अगर भयंकर अकाल की स्थिति है तो वह राजस्थान में है और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा सूखे की स्थिति मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर में है। (व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान के नुमाइंदे हैं, आप भी देखिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सारे राजस्थान का ख्याल है, सारा राजस्थान पीड़ित है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैंने पहले वाक्य में यही कहा है, ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2 करोड़ 52 लाख जनता अकाल से प्रभावित है, 3 करोड़ मवेशी अकाल से प्रभावित हैं। राजस्थान सरकार ने 345 करोड़ 82 लाख रुपए की मांग की है और मैं इस अवसर पर विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की जनता को सूखे से बचाना चाहते हैं, पशुओं को बचाना चाहते हैं तो इस ओर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है। पहले आपने 3 लाख

टन अनाज हमको दिया था, अब साढ़े 5 लाख टन अनाज सप्लाई करें, फ्री सप्लाई करें और पशुओं को बचाने के लिए संवर्द्धन के लिए 32 करोड़ रुपए और पशु आहार के लिए 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें।

पीने के पानी के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पायेगी, जब तक इसके लिए 7 हजार 7 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जब अप्रेजल आफ प्लान हो तब इसके लिए राशि को बढ़ाया जाए। अभी जो पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया है वह राजस्थान के हितों के विरुद्ध है। 50 प्रतिशत जो जनसंख्या को आधार माना जाता है, वर्षा कम हो इसको आधार माना जाना चाहिए। आपने जनसंख्या को आधार बना लिया है, यह गलत है। इसलिए इस आधार को बदलने की आवश्यकता है। छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में पीने के पानी के लिए सबसे ज्यादा राशि दी गई थी, अब भी सबसे अधिक राशि दी जानी चाहिए और रेगिस्तानी क्षेत्रों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री बूटा सिंह जी ने भी इस बारे में आश्वासन दिया था, मैं चाहता हूं कि पीने के पानी के लिए पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को जो ऋण दिए गए हैं, 4-5 साल सूखा पड़ने के कारण वे उनको अदा करने की स्थिति में नहीं है। शार्ट टर्म लोन को मिड टर्म लोन में परिणित कर दिया गया है और उसमें भी 3-4 साल का फेस-आउट कर दिया गया है, फिर भी वे उस कर्ज को अदा करने की स्थिति में नहीं है। इस अकाल की स्थिति में आपको उनकी मदद करनी चाहिए और उनके ऋण माफ कर देने चाहिए, नहीं तो डिफाल्टर होने की स्थिति में उनको और भी कोई लोन प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर उनका कर्ज माफ नहीं किया जाएगा तो किसी भी तरह से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। इसलिए उनके ऋण माफ कर दिए जाएं और अकाल तथा सूखे की स्थिति को सुधारने की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों से सहमत हूं, वे सब मुद्दे संगत हैं और सभी सदस्यों की भांति मैं भी जानता हूं कि सम्बन्धित मंत्रियों की भी हमारी भांति इन मुद्दों में बहुत दिलचस्पी है। लेकिन उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। मैं यहां ऋण पर ब्याज की दरों से सम्बन्धित प्रश्न के बारे में कुछ मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं। जब कभी फसल खराब हो जाती है, तो ऋण चुकाने की अवधि पुन: भुगतान की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए, और उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए और जिन क्षेत्रों में फसल अच्छी होती है, वहां जो भी किसान समय पर ऋण चुका देते हैं उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अगली फसल के लिए ब्याज की कम दर पर अग्रिम ऋण दिया जाना चाहिए।

यह उचित समय है जबकि कृषि मूल्य आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए जिसमें लघु कृषकों और कम से कम खेतिहर मजदूरों के एक प्रतिनिधियों सहित, ऐसे किसानों के, जिनकी अपनी जमीन हो, प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। वायदे किए गए हैं किन्तु अभी पूरा नहीं किया गया है। उर्वरक और कीटनाशकों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि मिलावट को रोकने के लिए हमने कानून बनाया है किन्तु इसे उचित तरीके से कार्यान्वित किया जाना है।

पूरे देश में फसल कटाई के बाद विपणन की सुविधाएं होनी चाहिए। विपणन बोर्ड तथा खुले

[प्रो० एन० जी० रंगा]

बाजारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही यह देखने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए कि न्यूनतम मूल्य अथवा समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाएं। किसानों को न्यूनतम मूल्य निश्चय ही दिये जाने चाहिए तथा जब कभी उन्हें उचित मूल्य न मिलें तो उत्पादों के भंडारण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि किसान अपने उत्पादों को वापस ले जाने अथवा उसे बहुत कम मूल्यों पर बेचने की बजाय अपने उत्पाद विपणन बोर्ड क्षेत्रों में रख सकें।

अब इन कृषि वैज्ञानिकों का भी प्रश्न उठता है। उन्हें बहुत कठिनाई है। यहां बहुत से वैज्ञानिक हैं किन्तु हर वर्ष केवल कृषि वैज्ञानिक ही आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।

अन्त में, हम सब यह कहते रहते हैं "ओह! कुछ नहीं किया जा रहा है, आदि आदि।" हम सब, सभा के अधिकांश सदस्य ऐसा कहते हैं। वह क्यों नहीं किया जा रहा है? कुछ किया जा रहा है। बहुत कुछ किया जाना है। मैं कृषि मन्त्री को शुभकामनाएं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मैं बोलना चाहता हूं। जिस वक्त मैं तम्बाकू के बारे में सदन में बोल रहा था तो आपने कहा था कि डिमांड्स पर बोल लेना··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अब टाइम नहीं है। ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई मोशन दिलवा देंगे।··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम बैठ जाएंगे नहीं तो चले जाएंगे। ·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब ठीक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस अब ठीक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी सीट ग्रहण करने के लिए कह रहा हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं बैठ जाऊंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे पास बहिर्गमन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

5.21 म०प०

(तत्पश्चात् श्री सी० जंगा रेड्डी सभा-भवन से बाहर चले गए)

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आखिर इस वाद-विवाद के लिए कुछ समय निश्चित किया गया है। (व्यवधान)

मेरे विचार से आपकी इसमें दिलचस्पी है।

मैं इस बारे में बड़ा जागरूक हूं कि शुरू में इस चर्चा के लिए जितना समय निर्धारित किया गया था, उतना समय नहीं दिया गया है। हमें केवल 6 घंटे दिए गए हैं। मुझे अपने समय से 15 मिनट कम देने के लिए राजी किया गया था लेकिन अब 20 मिनट कम हो गए हैं। मैं सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस वाद-विवाद में बहुत रुचि ली। कई मुद्दे उठाए गए। मेरे दो सहयोगियों ने बहुत से मुद्दों का जवाब दे दिया है। वाद-विवाद की शुरूआत श्री एम० रघुमा रेड्डी ने की थी और मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने पूरे मामले का बड़ा निराशाजनक वर्णन किया है और मैं चाहता था कि जब मैं जवाब दूं तो वह यहां उपस्थित रहें। मैंने उनसे बैठे रहने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि उत्पादन बहुत स्थिर है। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि 1985 में खरीफ की फसल वाले जिन जिलों में पर्याप्त वर्षा हुई 1986 में ऐसे जिलों की संख्या 20% कम होने के बावजूद खाद्यान्नों का उत्पादन 1985 में खरीफ की फसल के बराबर ही होगा। पूरे वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 1985-86 के 150.47 मिलियन टन से अधिक ही होने का अनुमान है। यदि इस साल उत्पादन 1983-84 में हुए 152.37 मिलियन टन रिकार्ड उत्पादन, जबकि मौसम बहुत अच्छा रहा था, के बराबर या उससे अधिक हो तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि तिलहनों का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम से कम 11% अधिक होगा। इस बात के भी संकेत हैं अंतिम आंकड़े 1984-85 के 129.5 लाख से बढ़कर एक नया रिकार्ड स्थापित कर सकते हैं। यह सब इसलिए सम्भव हुआ है क्योंकि हमने बहुत से विस्तार कार्य किए हैं और आदान सप्लाई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनसे बीजों, उर्वरकों की सप्लाई में तथा सिंचाई और अन्य सेवाओं में काफी प्रसार हुआ है। महोदय, मैं सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ तथ्यों और कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में भी तथ्यों को लूंगा। मेरे साथी श्री मकवाना ने सारी पृष्ठभूमि का विस्तार में जिक्र किया है और उल्लेख किया है कि 1965 से हमने खेती के लिए इतनी अधिक हेक्टेयर भूमि को शामिल किया है कि विस्तार के लिए अब अधिक गुंजाइश नहीं है। मैं इस सभा में स्वयं कई बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं कि आयोग ने केवल एक छोर से शुरू किया था और यह केवल मूल्य आयोग नहीं है अपितु कृषि लागत और मूल्य आयोग भी है। मुझे पंजाब के श्री धमिन्दर सिंह द्वारा की गई टिप्पणियों को सुनकर आश्चर्य हुआ था, जिनका न कोई सिर है न पैर, न ही उसमें कोई उचित तथ्य है। यदि वह इस सभा में बैठे रहते तो उन्होंने वे सभी विस्तृत वर्णन सुने होते कि मूल्य कैसे निर्धारित किये जाते हैं। उन्होंने कहा है कि यह कुछ मुट्ठीभर लोगों का कार्य है जो केवल बांहदार कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, केवल वातानुकूलित कमरों में बैठे रहते हैं। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसानों से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसी सभा में मैंने कहा था कि जब आयोग पहले से मूल्यों का निर्धारण करता है तब वे न केवल लागत के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करते हैं अपितु अन्य सम्बद्ध आंकड़े भी एकत्र करते हैं। वे राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं। वे विभिन्न कृषक संगठनों से परामर्श करते हैं। वे उन्हें लिखते हैं और उनकी राय प्राप्त होती है। सम्पूर्ण प्रश्न के सभी तकनीकी और अन्य पहलुओं पर गौर करने के पश्चात वे मूल्यों का निर्धारण करते हैं। आयोग द्वारा मूल्यों की सिफारिश करने के पश्चात्, राज्यों को पुन: सूचित किया जाता है कि हमारा यह विचार है और यह मूल्य स्तर हमने निर्धारित किया है। जब यह सूचना समय पर मिल जाती है तो उसके पश्चात् कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये इन मूल्यों को योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय को पेश किया जाता है और अंतत: मंत्रिमंडल के जरिये पारित किया जाता है। मंत्रिमंडल उसे स्वीकार कर सकता है या उन्हें अस्वीकृत कर सकता है या यदि वे चाहते हैं कि वह इतने संतोषजनक नहीं हैं तो उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। इस तरह मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं, ये किसी मद के अन्तिम मूल्य नहीं है। मेरे साथी ने जो कुछ कहा है मैं उसमें केवल इजाफा कर रहा हूं। वे न्यूनतम मूल्य हैं जिनसे नीचे इन्हें नहीं आने देना

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

चाहिए क्योंकि वे उत्पादन की लागत के साथ-साथ उचित पारिश्रमिक पर निर्धारित किये जाते हैं। परन्तु जैसा कि कुछ समय पहले मैंने इस सभा में उल्लेख किया था, कितनी ही मदों में—लगभग 99 प्रतिशत मदों का बाजार में चल रहा मूल्य स्तर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य स्तर से काफी ऊंचा था।

कुछ सज्जनों ने पंजाब के एक हिस्से में, कुछ दिनों तक कपास के मूल्यों के बारे में पूछा है। यह केवल एक बाजार विशेष की बात थी। उसके पश्चात हमारी सी०सी०आई० के साथ एक चर्चा हुई थी। भारत सरकार द्वारा निर्यात की अनुमति देने के उपरान्त मूल्य स्थिर हो गये थे। सिवाय कुछ स्थानीय परिस्थितियों के या समस्या के निपटान के, उसके बारे में कोई समस्या न थी। परन्तु अन्य सभी मामलों में मूल्य काफी स्वीकार्य थे।

दुग्ध उत्पादन के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। हम तीसरी दुग्ध क्रान्ति शुरू करने जा रहे हैं। आंकड़े यहां दिये गये थे···

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : कपास के मूल्य किसानों को स्वीकार्य नहीं हैं। केवल छह लाख गांठों का निर्यात करना भारत जैसे देश के लिए, सागर में एक बूंद के समान है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैंने टिप्पणियां देने के लिए नहीं कहा है। मैं केवल वास्तविक जानकारी दे रहा हूं।

यह तीसरी दुग्ध क्रान्ति है। हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बातचीत कर पाये हैं। विश्व बैंक ने 150 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये तक देना मंजूर किया है और हम इसे प्रारम्भ करने ही वाले हैं।

मछली का उत्पादन 20 प्रतिशत बढ़ा है। तालाब मत्स्य ग्रहण और गन्दा पानी टैंक मत्स्य ग्रहण के विकास के लिए दो नये कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। हम सबको यह मालूम है कि गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण पोतों, संयुक्त उद्यमों आदि के लगाये जाने सहित, गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति की पहल की गई है। उन सबका पहले उल्लेख किया गया था।

भाई शमिन्दर सिंह ने उल्लेख किया है कि फसल बीमा इतना अधिक उपयोगी है तो इसे क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। मैं उनकी अनभिज्ञता पर चकित मात्र हूं। वह नहीं जानते कि हमने 1985 से फसल बीमे को अपनाया है। केवल पंजाब में ही हमने इसे नहीं अपनाया है। वे कहते हैं कि हमारा 85 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, हम कभी भी प्राकृतिक आपदा आदि से पीड़ित नहीं हुए हैं। परंतु उसके बावजूद जैसा आप जानते हैं हमने पहले मानदंड निर्धारित किया था तथा उसमें पांच वर्षों की कटाई को देखा जाता था और फिर हमने औसत निकाल कर इसे घटाकर तीन वर्ष कर दिया और इसे उन राज्यों में जारी करने के लिए जहां वे फसल बीमे को स्वीकार नहीं कर रहे थे, हमने इसे 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया। फिर हमने इसकी जांच करने के लिए विशेष समिति बनाई। समिति ने इसे 90 प्रतिशत तक बढ़ाया। पंजाब से फिर क्या उत्तर मिला ? मैं वर्तमान मुख्य मन्त्री का या पिछले मुख्य मंत्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम काफी समय से उनसे इस बात पर विचार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अब इसे 100 प्रतिशत कर दिया जाये। अब यदि आपको 100 प्रतिशत मिल जाता है तो फसल बीमे की आवश्यकता कहां है ? हमने उन्हें राजी करने की कोशिश की। मैंने उन्हें लिखा, मैं उन्हें मिला और उनसे कहा कि कृपया समझदारी की बात करें। यह योजना जो हमने देश में आरम्भ की है एक अनिवार्य योजना है। आश्चर्य

की बात यह है कि विपक्षी दल के एक सदस्य थोड़ा-सा भी यह जाने बगैर कि उनके अपने राज्य में क्या हुआ है इसके बारे में ऐसे ही बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि वे इस प्रकार के उपयोगी मसलों पर सोचने की बजाय अन्य मामलों में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : क्या आप मौजूदा फसल बीमा योजना से संतुष्ट हैं ? आप ऐसा नहीं समझते हैं कि यह फसल बीमा योजना नहीं है बल्कि ऋण गारन्टी योजना है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : जब मैंने गुजरात के लाभांश और जो धन हमें उन्हें पिछले वर्ष भुगतान करना पड़ा था, उसे देखा, तो पाया कि यह कभी भी बहुत आशाप्रद न था। लेकिन बाद में मैं इसके भविष्य के प्रति बहुत आशावान हो गया हूं। यह काफी अच्छा चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में भी यदि इस बार मानसून सामान्य रहा तो हम अपने ऋण के पैसे की वसूली कर पाएंगे। यदि हम अपने ऋण के पैसे की वसूली नहीं करते हैं तो वे हमसे अधिकाधिक पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं।

श्री के० एस० राव (मछलीपत्तनम) : कुछ तकनीकी कारणों की वजह से किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए। आन्ध्र में किसानों को बीमा नहीं करने दिया जा रहा है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैंने इसके बारे में सुना है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि कुछ स्थानों पर धन की अदायगी में देर की गई है। ऐसे ही लाभांश की भी स्थिति है।

श्री के० एस० राव : जब आप फसल बीमा योजना लाये तब समस्त देश खुश हुआ लेकिन वास्तविक रूप से हानि उठाने वाले को यह नहीं मिल रहा है, क्योंकि वे कहते हैं कि मण्डल या खण्ड इसका आधार है और इसी प्रकार की कुछ अन्य बातें कहते हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : हमें इसे खंड स्तर पर करना है न कि ग्राम स्तर पर। पहले यह जिलेवार था, बाद में हम खण्डवार करने लगे। इसे ग्राम स्तर तक नीचे लाना असम्भव है। वे जो कहते हैं हमें स्वीकार करना पड़ता है। मैं इस बारे में बहुत निश्चित हूं कि इन थोड़ी हानियों के बावजूद हम घाटे में नहीं होंगे।

ग्रामीण विकास विभाग दूर करने का कार्यक्रम चला रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 1985-86 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30.6 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी जबकि लक्ष्य 24.7 लाख परिवारों का था। रोजगार के 5540 लाख से अधिक कार्य दिवस उत्पन्न किये गये— लक्ष्य से 28 प्रतिशत अधिक 1986-87 में प्रगति संतोषजनक है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत साल के समाप्त होने के दो माह पहले राज्यों को केन्द्र के हिस्से का लगभग 90 प्रतिशत भाग जारी किया गया और एन०आर०ई०पी० तथा आर०एल०ई०जी०पी० के अन्तर्गत उपलब्धि 155 प्रतिशत और 135 प्रतिशत रही। जहां तक आदिवासियों के कल्याण का सम्बन्ध है, आप जानते हैं कि माननीय सदस्यों को इस विशेष कल्याण कार्यक्रम के लिए एक प्रकार की आसक्ति है। 1987-88 में हम खामियों को दूर करने के लिए और आदिवासी भूमि के हस्तान्तरण को रोकने और उनके कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु विपणन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहते हैं। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कई लालची निगाहें चारों ओर से इस भूमि पर लगी हैं अत: हमें इन प्रयासों द्वारा उनकी भूमि को बचाने के लिए विशेष प्रयत्न करने हैं। यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए आदिवासी क्षेत्रों को दी जाने वाली राजसहायता को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाये।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि सरकार गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक बल देती है। इस प्रयोजन के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है। प्रत्येक 50 समस्या प्रधान क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक लागत प्रभावी तकनीकी मिशन बनाये जा रहे हैं। 1987-88 में हम, ऐसे 50 हजार से अधिक समस्याग्रस्त गांवों की और बाद में सातवीं योजना के अन्त तक सभी 2.27 लाख बच रहे समस्याग्रस्त गांवों की सहायता करने की आशा करते हैं।

हमने यह भी फैसला लिया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कम से कम 30 प्रतिशत औरतों को शामिल किया जाये ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो मोल भाव करने की क्षमता आये तथा वे घर में भी कुछ नियन्त्रण बनाये रखने में सफल हों।

नवीन प्रशिक्षण तकनीक को, क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्त्ताओं जैसे खंड विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनाया जाएगा।

मेरा समय काट दिया गया है मैं जल्दी खत्म करूंगा।

फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लगातार प्रयासों के अतिरिक्त, नये प्रयास भी किये गये हैं। एक नया बागवानी डिवीजन आई०सी०ए०आर० मुख्यालय में बनाया गया है और दो नये संस्थान, आठ राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा एक परियोजना निदेशालय भी खोले जायेंगे। पूर्वी क्षेत्र में एक नया जल प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है। फसल की कटाई के पश्चात् इंजीनियरी तथा तकनीक विषयक एक केन्द्रीय संस्था खोलने का भी प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

केवल दो मिनट बाद मैं दूसरे विषयों की बात करूंगा।

पशु विज्ञान अनुसंधान भी पीछे नहीं है। पशु अनुवांशिकी पर एक नया संस्थान तथा मांस और मांस उत्पादों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र खोला जायेगा। भैंस पर अनुसंधान हेतु केन्द्रीय संस्थान और पशु अनुवांशिक संसाधन के राष्ट्रीय ब्यूरो तथा ऊंट, याक आदि पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

हमारे यहां स्वच्छ जल, ठंडे जल के लिए कई मत्स्यपालन अनुसंधान केन्द्र भी हैं और इन सभी क्षेत्रों में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं।

विशेषज्ञता प्राप्त मानव शक्ति उत्पन्न करने के लिए कृषि, शिक्षा पर खर्चा किया गया है। धारवाड़, रायपुर और सोलन में तीन नये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं। प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण पर निगरानी रखने के लिए परिषद की प्रत्येक समन्वय इकाई को प्रभावी रूप से स्थापित किया गया है।

भावी प्रयासों में, उत्पादन में स्थिरता लाने के प्रयत्न, शुष्क भूमि, कृषि, पहाड़ी खेती, कृषि वानिकी, ऊर्जा तथा बायो प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग शामिल हैं।

कई प्रश्न पूछे गये थे।

श्री रघुमा रेड्डी समझ रहे थे कि उत्पादन किसी एक बिन्दु पर स्थिर है। छठी योजना में खाद्यान्न का औसत उत्पादन पांचवीं योजना के 1181 लाख टन के मुकाबले 1381 लाख टन था। यह पांचवीं योजना से 260 लाख टन अधिक है। इसे स्थिर कैसे कहा जा सकता है? 1985-86 के दौरान खाद्यान्न

उत्पादन में रिकार्ड उपलब्धि हुई थी चावल का उत्पादन 1984-85 के 580 लाख टन से बढ़कर 1985-86 में 640 लाख टन हो गया जबकि गेहूं का उत्पादन उसी समय में 441 लाख टन से बढ़कर 469 लाख टन हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मेरे विचार में आपको अच्छी खबर सुना ही देनी चाहिए। राजस्थान से माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां पर न तो कोई उर्वरक कारखाना है और न कोई दूसरा प्रतिष्ठान है। इसलिए, हमने आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक प्रस्ताव है। महोदय, आखिर, मेरे दिल में अपने उत्तराधिकारी के प्रति विनम्रता होनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लगवा दें तो बात मानी जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पक्का वायदा करो।

डा० जी० एस० ढिल्लों : अगर सीट पर बैठा हूं तो पक्का ही समझो।

[अनुवाद]

सलादीपुर में सुपर-फास्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। महोदय, श्री रघुमा रेड्डी ने ऋण सुविधाओं के बारे में समस्या पर ध्यान दिलाया है। मैं उन्हें बताता हूं कि वर्ष 1984-85 में यह सिर्फ 10 प्रतिशत थी। वर्ष 1985-86 में यह 24 प्रतिशत और 1986-87 में 28% थी। मैं यह नहीं समझ सका कि किस आधार पर उन्होंने यह बयान दिया है। माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शर्मा ने "नैफेड' निर्यातों के मुख्य भाग के लिए बागबानी की मदों के बारे में उल्लेख किया है। वर्ष 1985-86 में 'नैफेड' द्वारा किए गए कुल 79.42 करोड़ रुपये के निर्यात में से 52.50 करोड़ रुपये के बागबानी मदों का हिस्सा था जो 70 प्रतिशत है। इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, इस तरफ बैठे मेरे माननीय साथी श्री मधुसूदन वैराले ने एक बहुत ही रोचक मद्दा उठाया है। इस सभा में मैंने उनको दूसरी बार सुना है। महोदय, कृषीय मूल्य निर्धारण करते वक्त, जिन्हें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, अगर कई दूसरी बातों को भी ध्यान में रख लिया जाए तो बहुत अच्छा रहे। परन्तु ये जैसे भी हों, औद्योगिक मूल्यों तथा कृषीय मूल्यों के बीच समता होनी चाहिए। जैसा कि अपने साथी ने उल्लेख किया है कि दूसरे तत्वों के अतिरिक्त हमने ट्रेड टर्म्स को भी शामिल कर लिया है अर्थात किसान को क्या प्राप्त होता है और क्या उसे देना पड़ता है, इस पर भी विचार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए एक अध्ययन से उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं इसे फिर से दोहराता हूं क्योंकि बाद में इस सभा में यह बात उठाई गई थी अगर वर्ष 1979-80 में मूल्यों को आधार (100 के रूप में) मान लिया जाए तो—प्राप्त किए गए मूल्य भी 100 थे और दिए गए मूल्य भी 100 थे और व्यापार दर भी एक समान ही थी अर्थात्—100 वर्ष 1980-81 में मूल्य—सूचकांक के अनुसार यह 115.2 थी और दी गई कीमतें 117 थी। अन्तर सिर्फ 1.5 का था, अर्थात् व्यापार दर 9 .5 थी। वर्ष 1981-82 में कीमत सूचकांक के अनुसार यह 120.1 थी और दी गई कीमतें 129.2 थीं और व्यापार दर 93 थी। वर्ष 1982-83 में कीमत सूचकांक 127.8 और दी गई कीमतें 133.7 थीं। व्यापार दर कुछ ऊपर उठ गई अर्थात् 95.6 हो गई। इन सभी वर्षों के पश्चात वर्ष 1983-84 में कीमत दर्ज सूचकांक 144.6 तक पहुंच गया और दी गई कीमतों का सूचकांक 144.5 था और 100 की पुरानी ट्रेड टर्म्स फिर से आ गई। थोड़ा-सा कम प्रतिशत के साथ ठीक अब से ही अगर यह उसी आंकड़े के साथ-साथ चलता रहता है तो मेरे विचार में इससे माननीय सदस्य को संतुष्टि मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही इस बात को उठाया था जोकि उचित है। मूल बात जो यह

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

सभा जानना चाहेगी वह यह है कि कृषि को उद्योग के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। यह एक उद्योग होना चाहिए। आजकल उद्योग में सीमित शेयर क्षेत्र और कुछ बाजार वगैरह होते हैं। कृषि अब इस देश सभी राज्यों तक फैली हुई है, इसलिए वे एक उद्योग की तरह इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। परन्तु राज्य सभा में इस तकनीकी कमी और तकनीकी कठिनाई को दूर करने के लिए मैंने यह टिप्पणी की थी और उस पर मैं कायम हूं कि हमारे दृष्टिकोण में कृषि उतनी ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है जितना कि उद्योग। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त नहीं हो जाता है तो कम से कम इसे उचित महत्व देने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं,

[हिन्दी]

पुराने जमाने में तो कृषि प्रधान होती थी।

[अनुवाद]

और उनका बहुत आदर और सम्मान था। मैं उनको बताता हूं कि अब भी कृषि का बहुत आदर और सम्मान होता है। अगर हम अपना उत्पादन बढ़ाते रहते हैं तो सारा विश्व हमारे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में जान जायेगा। आजकल, 100 वर्ष अथवा 50 वर्ष पूर्व, पुरानी हल से की जाने वाली खेती नहीं है···

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : मैंने यह कहा कि वह इज्जत, वह सम्मान नहीं रह गया है, उत्तम खेती नहीं रह गई है।

डा० जी० एस० ढिल्लों : उत्तम तो पता लग जायेगा, आप पैदा करोगे तो उत्तम हो जाओगे। आप पैदा करते हैं, आपकी सब इज्जत करते हैं, आपका मान करते हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने सहकारी क्षेत्र द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में कहा। जब मैं माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था तो मैंने पहले ही इस बात का उत्तर दे दिया था। कृषि विज्ञान केन्द्रों के बारे में एक प्रश्न किया गया था। यहां पर 89 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। इस बात का मुझ पर बहुत दबाव है कि सदस्य तथा कई संगठन कृषि विज्ञान केन्द्र चाहते हैं। 'के०वी०के०' का अर्थ कृषि विज्ञान केन्द्र है। मैं इनको बताता हूं कि सातवीं योजना के लिए योजना आयोग ने हमें अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं दिए हैं, जो हमारे पास थे वे हमने पहले ही आबंटित कर दिए हैं। परन्तु जब भी कोई रिक्त स्थान होता है तो मैं उस पर ठीक ध्यान देता हूं। मुझे यहां पर यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि उड़ीसा में हमने 5 या 6 कृषि विज्ञान केन्द्र दिए थे और वे सभी ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे कि उनका कार्यनिष्पादन कैसा है और अगर वे ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं तो मैं दूसरे राज्यों के कुछ अन्य सदस्यों को संतुष्ट कर सकता हूं। किन्तु मैं नहीं चाहता कि इनको वापस लिया जाए। कुछ करने से पहले हम इन केंद्रों को चलाने का भरसक प्रयास करेंगे। बलियापाल में एक कृषि विज्ञान केन्द्र में···

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उड़ीसा में कृषि विज्ञान केन्द्र ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि हालांकि भूतपूर्व कृषि मन्त्री ने उनको 40 लाख या इससे अधिक रुपये देने का वायदा किया था परन्तु सिर्फ 4 लाख रुपये दिये गये। यही वजह है। (व्यवधान)

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं इसका पता लगाऊंगा। हमने रिपोर्ट देखी है। अगर देश में वे सभी ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो, सिर्फ इन्हीं लोगों के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बालियापाल में हमने उनको एक कृषि विज्ञान केन्द्र दिया है। वे इसे आरम्भ नहीं कर रहे हैं। स्थानीय राजनीति और भूमि के बारे में कुछ झगड़ा होने के कारण इस बारे में कुछ समस्यायें हैं और मेरे विचार में हमें उनसे बातचीत करनी होगी। अगर वे इसे यहां चलाना नहीं चाहते हैं तो हम इसे किसी दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर सकते हैं। यह मेरी टिप्पणी है। अगर वे इस बारे में सुनते हैं तो शायद वे उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि सहकारी बैंकों द्वारा दिए ऋणों पर बहुत कम ब्याज दर होनी चाहिए या वर्तमान दर जारी रहनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि धन जमा करने की प्रक्रिया के माध्यम से सहकारी बैंक ऋण देने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। क्योंकि इन बैंकों को जमा धन को ब्याज सहित वापस देना पड़ता है इसलिए बैंकों से कुछ निश्चित अदायगी के मामले के सिवाय, इनके लिए नीची दर पर ब्याज लेना बहुत मुश्किल है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि कई राज्यों में मैंने देखा है कि और मैंने इस बारे में एक प्रश्न के उत्तर में पहले भी बताया है कि सहकारी बैंकों में चुनाव नहीं हुए हैं। मैं इस बारे में उनको लिखता रहा हूं। हालांकि यह राज्यों का मामला है परन्तु हमें इस बारे में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हें सभी सहकारी बैंकों का लोकतंत्रीकरण करना चाहिए। कई जगहों पर इनका प्रबन्ध नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। जहां तक इन अतिदेयों का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि क्योंकि हमने यह मामला राज्यों के साथ उठाया है, तो कुछ राज्यों ने रुचि दिखाई है और अब ये अतिदेय घटते जा रहे हैं। परन्तु फिर भी ये काफी मात्रा में हैं। मुझे आशा है कि जैसे ही सहकारी संस्थाओं में चुनाव हो जायेंगे और सामान्य काम-काज पुन: आरम्भ होगा तो ये अतिदेय स्वत: ही समाप्त हो जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष जी, एक बात रह गई क्लैरिफिकेशन के लिए उसको मन्त्री जी ने नोट भी किया था। मैंने 377 के अन्तर्गत भी इस बात को उठाना चाहा था लेकिन स्टेट सब्जैक्ट मानकर आपने एक्सेप्ट नहीं किया। नील गायों का प्रकोप बहुत हो रहा है जिससे कृषि की रक्षा नहीं हो पा रही है। हर जगह सैंकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। इसके बारे में मन्त्री जी क्या करेंगे—यह बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : सहकारी बैंकों के बारे में मैंने एक बात का उल्लेख किया है। उड़ीसा में 'नबार्ड' सहकारी बैंकों को ऋण नहीं दे रहा है। किसानों को इन ऋणों और राजसहायता से वंचित रखा जा रहा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : महोदय, मैं आपको बताता हूं कि कृषि क्षेत्र में राजसहायता की बात हमारे लिए कुछ हद तक असाधारण है। परन्तु मैंने पश्चिमी देशों में देखा है कि वहां पर कृषि क्षेत्र मूलत: राजसहायता पर आधारित है। उनको आधी भूमि खाली रखनी पड़ती है। वहां पर किसानों को राजसहायता किसी फसल की बुआई करने या उपज करने के लिए दी नहीं जाती बल्कि भूमि को परती छोड़ने के लिए दी जाती है। यह संतुलन है। परन्तु विपणन के सम्बन्ध में आपका सुझाव मेरे पास आया है। मैं इस पर गौर करूंगा और फिर आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊंगा।

माननीय सदस्य श्री कुलनदईवेलू ने एक बात कही है कि सूखे से राहत देने के लिए 500 करोड़ रुपये नियत किए जाने चाहिएं। वास्तव में, सभी प्राकृतिक विपदाओं के लिए वित्त मन्त्रालय बजट में

[डा० जी० एस० ढिल्लों]

नियतन करना है। वित्त मन्त्रालय ने वर्ष 1987-88 के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। अतिरिक्त धन भी प्रदान किया जायेगा। यह 500 करोड़ रुपये की धनराशि सिर्फ सूखे के लिए अथवा एक राज्य के लिए नहीं है परन्तु यह हमें दिया गया समूचा धन है। परन्तु सिर्फ एक राज्य इसके लिए मांग कर रहा है। जहां तक तमिलनाडु के मामले का सम्बन्ध है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में हमने तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया है और मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वहां पर लगभग सामान्य वर्षा हुई है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : केरल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे के आपके क्या विचार हैं ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : तमिलनाडु ने जुलाई, 1986 में ज्ञापन दिया था। 31.77 करोड़ रुपये की धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई थी।

श्री सुरेश कुरूप : सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए केरल राज्य को वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में आपका क्या विचार है ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : आपने इस बारे में व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे बातचीत की थी। हमारे दल ने उस राज्य का दौरा किया था। रिपोर्ट आ गई है। उनकी सिफारिश का इन्तजार किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, गत वर्ष से हम पहले से ही उनको सहायता दे रहे हैं। मेरी समस्या यह है कि बाढ़ और सूखा कभी भी नहीं रुकते और मेरा सिर दर्द बढ़ता आ रहा है।

श्री सुरेश कुरूप : सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से लगभग तीन सप्ताह गुजर चुके हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं कितना समय ले सकता हूं ? 6 बजे मेरे मंत्रालय की मांगों को गिलोटीन में पास किये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं उनमें से बची हुई मांगों को छोड़ सकता हूं। परन्तु अब इस पर मतदान किया जाये।

श्री सुरेश कुरूप : आपने हमें बताया था कि केरल राज्य के बारे में प्रश्न उठाये जा सकते हैं। यहां तक कि माननीय मन्त्री आश्वासन तक भी नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको प्रश्न करने से नहीं रोका। आप इसे बाद में भी उठा सकते हैं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : उन्होंने आई०आर०डी०पी० मूल्यांकन के बारे में कहा था। वर्तमान मूल्यांकन जारी है। इससे हमें वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिली है। उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था और मैंने उनके सुझाव को नोट कर लिया है। परन्तु उनका मूल प्रश्न यह था कि जब हमे एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० से इतनी अधिक अपेक्षा थी तो क्या मापदण्ड हैं और इनसे कितने लोगों को फायदा हुआ है ? मेरे पास कोई भी आंकड़ा नहीं है परन्तु अगर मुझे कोई भी आंकड़ा मिला तो मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : लगता है इससे आपको लाभ नहीं हुआ।

डा० जी० एस० ढिल्लों : समवर्ती मूल्यांकन हर तीन माह, छः माह, नौ-महीने के बाद और एक वर्ष में एक रिपोर्ट आती रही है।

समवर्ती मूल्यांकनों की जांच विभिन्न स्वैच्छिक सगठनो द्वारा की जाती है। उनमे से लगभग 29

अथवा 30 विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ समितियों से लिए गए हैं जो विशेषतौर पर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से सम्बन्ध रखते हैं और जिनका सम्बन्ध इन सभी कार्यक्रमों एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० और आई०आर०डी०पी० से है। मेरे विचार में सैम्पल सर्वेक्षण, हमारे लिए बहुत अधिक सहायक हैं। अगर माननीय सदस्य भी इन रिपोर्टों को नियमित रूप से देखें तो—ये मुद्रित हैं—इनको पढ़ना बहुत अच्छा है—अगर कोई गलत मूल्यांकन है अथवा अनावश्यक ढंग से लक्ष्यों से हटाया गया है तो माननीय सदस्य सुझाव दे सकते हैं। मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होगी। वे मुझे सूचना भी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें आफिसर लोग एयर-कंडीशन्ड कमरों में बैठकर फिक्स करते हैं। किसान को उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे एयर-कंडीशन्ड कमरे में बैठकर तय करें या कहीं पर भी बैठकर करें। किसान चाहता है कि उसको अपनी मेहनत का बराबर दाम मिले। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। एयर-कंडीशन्ड कमरे में बैठिए, हम यह कहते हैं कि किसान को रेट कम मिल रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों : क्या मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूं? मैंने कहा है कि जब वे बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं करते। वे राज्य सरकार से परामर्श करते हैं। वे विभिन्न किसानों के संगठनों से परामर्श करते हैं। वे विशेषज्ञों के पास भी जाते हैं। इसके बाद, अब मैंने बता दिया है कि मैं यह भी कहना चाहता था कि विभिन्न विषयों में पहले किसानों का सिर्फ एक प्रतिनिधि और तीन कर्मचारी प्रतिनिधि विशेषज्ञ होते थे। जबकि, अब तीन किसानों के प्रतिनिधि और तीन सरकारी प्रतिनिधि होंगे जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होंगे और मुझे आशा है कि भविष्य में संतुलित विचार और निर्णय होंगे।

श्री सुरेश कुरूप : माननीय मन्त्री महोदय ने देश में और विशेषकर केरल में सूखे की स्थिति के बारे में नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा था कि वह इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप : यह उन्होंने तीन सप्ताह पहले कहा था।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैंने आपको बताया था कि सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रक्रिया है: कि राज्य सरकार ज्ञापन भेज सकती है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद हम स्थल पर अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन देने के लिए एक दल भेजते हैं। जब दल आता है, तो उनके प्रतिवेदन को प्रतिवेदन के विवरणों का अध्ययन करने के लिए तथा राज्यों को दी जाने वाली राहत के बारे में कुछ जायजा लेने के लिए उच्च-स्तरीय समिति के पास भेजा जाता है…(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : आपको प्रतिवेदन पर कार्यवाही करनी होगी। (व्यवधान)

6.00 म०प०

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 1 से 5 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1987-88 के लिए कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13, मार्च, 1987 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
कृषि मंत्रालय					
1.	कृषि	42,10,00,000	2,06,00,000	1,84,99,00,000	10,28,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	36,17,00,000	21,63,00,000	1,80,87,00,000	1,08,17,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	28,82,00,000	...	1,44,12,00,000	...
4.	ग्रामीण विकास विभाग	6,91,96,00,000	6,00,000	13,75,02,00,000	30,00,000
5.	उर्वरक विभाग	4,62,10,00,000	72,11,00,000	23,10,53,00,000	3,60,53,00,000

अध्यक्ष महोदय : कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें पारित हुईं।

6.01 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1987-88

[—जारी]

वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय,,पर्यावरण और वन मंत्रालय, आदि

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : गिलोटिन नाम किसने दिया ?

अध्यक्ष महोदय : किसी ने फ्रांस की क्रांति को देखा होगा और वहां से इसे लिया होगा। केवल फ्रेंच ही गिलोटिन तरीके का प्रयोग करते थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदानों की मांगों को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों से सम्बन्धित निम्नलिखित मांग संख्याओं के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

(1) वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 6 और 7;

(2) संचार मंत्रालय के सम्बन्धित मांग संख्या 8 से 10 तक;

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 20;

(4) वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 22 से 25, 27, 28 और 30 से 34 तक;

(5) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 35 और 36;

(6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 37 और 38;

(7) उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 48 से 51 तक;

(8) विधि और न्याय मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 55;

(9) संसदीय कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 56;

(10) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 57;

(11) योजना मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 59 और 60;

(12) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 61;

(13) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 62 से 64 तक;

(14) इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 और 66;

(15) वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 67;

(16) पर्यटन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 68;

(17) जल भू-तल परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 69 से 71;

(18) नागर विमानन मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 72;

(19) शहरी विकास मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 73 से 75 तक;

(20) कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 77;

(21) परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 78 और 79;

(22) इलेक्ट्रानिकी विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 80;

(23) महासागर विकास विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 81;

(24) अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 82

(25) लोक सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 83;

(26) राज्य सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 84 और

(27) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से सम्बन्धित मांग संख्या 86।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1987-88 के लिए वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय आदि से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13, मार्च 1987 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
वाणिज्य मंत्रालय					
6.	वाणिज्य विभाग	1,69,05,00,000	37,70,00,000	8,45,26,00,000	1,88,49,00,000
7.	पूर्ति विभाग	3,12,00,000	...	15,61,00,000	
संचार मंत्रालय					...
8.	संचार मंत्रालय	1,22,00,000	...	6,13,00,000	...
9.	डाक सेवाएं	1,64,98,00,000	6,17,00,000	8,24,91,00,000	30,83,00,000
10.	दूर संचार सेवाएं	3,02,62,00,000	1,59,85,00,000	15,13,08,00,000	7,99,26,00,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
20.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	28,71,00,000	39,00,000	1,43,53,00,000	1,97,00,000
वित्त मंत्रालय					
22.	आर्थिक कार्य विभाग	65,00,00,000	16,21,00,000	3,24,99,00,000	81,05,00,000
23.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	48,63,00,000	32,52,00,000	2,43,17,00,000	1,59,48,00,000
24.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	56,69,00,000	9,62,53,00,000	2,82,60,00,000	4,31,71,00,000
25.	पेंशन	79,55,00,000	...	3,97,77,00,000	...
27.	राज्य सरकारों को अन्तरण	9,90,92,00,000	14,16,00,000	21,82,66,00,000	70,84,00,000
28.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	20,83,00,000	...	1,04,17,00,000
30.	व्यय विभाग	50,61,00,000	...	2,53,05,00,000	...
31.	लेखा परीक्षा	29,22,00,000	...	1,46,10,00,000	...
32.	राजस्व विभाग	29,99,00,000	33,00,000	39,86,00,000	1,65,00,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
33.	प्रत्यक्ष कर	23,00,00,000	20,00,00,000	1,15,00,00,000	1,00,00,00,000
34.	अप्रत्यक्ष कर	77,48,00,000	8,93,00,000	2,25,67,00,000	44,66,00,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय					
35.	खाद्य विभाग	3,51,94,00,000	17,47,00,000	17,59,72,00,000	87,37,00,000
36.	नागरिक पूर्ति विभाग	2,26,00,000	58,00,000	11,31,00,000	2,89,00,000
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
37.	स्वास्थ्य विभाग	58,18,00,000	22,13,00,000	2,90,92,00,000	1,10,66,00,000
38.	परिवार कल्याण मंत्रालय	1,08,05,00,000	18,00,000	5,40,26,00,000	87,00,000
उद्योग मंत्रालय					
48.	औद्योगिक विकास विभाग	76,03,00,000	13,94,00,000	2,60,55,00,000	69,68,00,000
49.	कम्पनी कार्य विभाग	1,06,00,000	1,00,000	2,27,00,000	...
50.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	2,28,00,000	59,17,00,000	11,40,00,000	1,45,83,00,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूँजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
51.	सरकारी उद्यम विभाग	1,63,00,000	50,25,00,000	8,17,00,000	2,51,28,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय					
55.	विधि और न्याय	4,47,00,000	...	22,35,00,000	...
संसदीय कार्य मंत्रालय					
56.	संसदीय कार्य मंत्रालय	12,00,000	...	59,00,000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय					
57.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय	5,48,00,000	...	27,38,00,000	...
योजना मंत्रालय					
59.	आयोजन	1,91,00,000	...	9,56,00,000	..
60.	सांख्यिकी विभाग	5,13,00,000	...	25,63,00,000	...
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
61.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	12,00,000	...	60,00,000	...

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
62.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	25,19,00,000	1,44,00,000	1,26,18,00,000	7,19,00,000
63.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	29,72,00,000	73,00,000	1,48,60,00,000	3,67,00,000
64.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	6,83,00,000	...	34,16,00,000	...
इस्पात और खान मंत्रालय					
65.	इस्पात विभाग	5,54,00,000	1,39,07,00,000	27,73,00,000	6,95,34,00,000
66.	खान विभाग	17,66,00,000	44,99,00,000	88,30,00,000	2,24,96,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय					
67.	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	68,94,00,000	41,68,00,000	3,44,78,00,000	2,08,41,00,000
पर्यटन मंत्रालय					
68.	पर्यटन मंत्रालय	4,32,00,000	2,34,00,000	21,60,00,000	11,68,00,000
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय					
69.	जल-भूतल परिवहन	3,38,00,000	22,39,00,000	16,90,00,000	89,97,00,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
70.	सड़कें	41,52,00,000	68,50,00,000	2,07,59,00,000	3,42,51,00,000
71.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	21,24,00,000	36,13,00,000	1,05,88,00,000	2,58,76,00,000
नागर विमानन मंत्रालय					
72.	नागर विमानन मंत्रालय	9,31,00,000	1,45,00,000	46,55,00,000	7,22,00,000
शहरी विकास मंत्रालय					
73.	शहरी विकास और आवास	12,86,00,000	15,54,00,000	54,25,00,000	77,72,00,000
74.	लोक निर्माण कार्य	23,83,00,000	11,83,00,000	1,19,15,00,000	59,13,00,000
75.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	11,23,00,000	58,00,000	56,17,000,00	2,90,00,000
कल्याण मंत्रालय					
77.	कल्याण मंत्रालय	43,36,00,000	12,00,000	2,16,41,00,000	58,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
78.	परमाणु ऊर्जा	42,09,00,000	80,03,00,000	2,10,43,00,000	4,05,54,000,000
79.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	75,71,00,000	48,97,00,000	1,88,38,00,000	2,44,88,00,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
इलेक्ट्रानिकी विभाग					
80.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	13,18,00,000	9,53,00,000	65,88,00,000	47,66,00,000
महासागर विकास विभाग					
81.	महासागर विकास विभाग	4,07,00,000	39,00,000	20,35,00,000	1,92,00,000
अन्तरिक्ष विभाग					
82.	अन्तरिक्ष विभाग	31,49,00,000	29,07,00,000	1,65,14,00,000	1,22,39,00,000
संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग					
83.	लोक सभा	2,13,00,000	...	10,67,00,000	...
84.	राज्य सभा	82,00,000	..	4,09,00,000	...
86.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	3,00,000	...	13,00,000	...

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालय/विभागों से सम्बन्धित शेष अनुदानों की मांगें पारित हुईं।

6.05 म० प०

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं विधेयक** को पुर:स्थापित करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। काफी समय से हमारी यह परम्परा रही है कि वित्त विधेयक को पारित करने से पहले हम विनियोग विधेयक पारित करते हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विनियोग विधेयक को वित्त विधेयक, जिसमें कर प्रस्ताव है, से पहले पारित करना हमारे लिए उचित नहीं है। अगर वित्त विधेयक में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं हैं, जिससे रोजकोष को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, तो यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां यह वित्त विधेयक है जिसमें कर प्रस्ताव है और हमें उससे लगभग 300 करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त होंगे। जब तक वह धन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप राशि का विनियोग किस प्रकार करेंगे। अत:, मेरा मुद्दा यह है कि ऐसे सभी मामलों में जहां कोई कर प्रस्ताव है, वित्त विधेयक में कोई नया कर प्रस्ताव है, तो वित्त विधेयक पर पहले विचार किया जाना चाहिए और इसके पारित करने के बाद, विनियोग विधेयक को लिया जाये। अन्यथा यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर भी,

---

*दिनांक 28-4-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत।

इस परम्परा का बहुत समय से अनुसरण किया जा रहा है। और चूंकि इसका पालन बहुत समय से किया जा रहा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह एक अच्छी परम्परा है। संविधान के अनुच्छेद 114 और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 219 के अन्तर्गत, हम इस विनियोग विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत सिर्फ यह कहा गया है कि जैसे ही अनुदानों की मांगें पारित हो जायें वैसे ही विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जाये तथा उस पर विचार शुरू किया जाये। बस इसमें यह नहीं कहा गया है कि आप पहले वित्त विधेयक को और इसके बाद विनियोग विधेयक को नहीं लेंगे। आप इसकी जांच कर सकते हैं और अगर ठीक समझें तो हम उस प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं जिसका हम अभी तक अनुसरण करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माधव जी, बजट के सम्बन्ध में क्रम संविधान के अनुच्छेद 112 से 115 तक में दिया गया है और क्रम को प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के 204 से 221 तक के नियमों में किया गया है। अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करने के बाद अनुच्छेद 114(1 के अन्तर्गत, विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित और पास किया जाता है और कर प्रस्ताव वाले वित्त विधेयक पर, अनुदानों की मांगें स्वीकृत होने और कुल व्यय का पता होने के पश्चात् लोक सभा द्वारा विचार और पास किया जाता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यही है। इस बारे में संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। आप इसे पढ़िये और अगर कुछ कमी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हम फिर चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

अब, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की इस मांगें अन्य कई मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की तरह चर्चा के लिए प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः, मैं अवसर पर, जबकि माननीय प्रधान मन्त्री भी इस सभा में उपस्थित हैं, सरकार का ध्यान देश के विद्युत-करघा उद्योग के बहुत पुराने तथा गम्भीर संकट की तरफ दिलाना चाहूंगा। केवल एक विद्युतकरघा केन्द्र अर्थात् महाराष्ट्र के मालेगांव, में आज की स्थिति, एक अनुमान के अनुसार यह है कि कुल 5000 विद्युतकरघों में से 2000 बन्द हो गये हैं जिससे विद्युतीकरघा मालिकों तथा हजारों श्रमिकों को बहुत कठिनाई हो रही है। मध्य प्रदेश के बरहानपुर के विद्युतकरघा उद्योग से संबंधित 20,000 लोग बहुत बड़े संकट में हैं।

अतः मैं सरकार से स्थिति को हल करने के लिए शीघ्र अल्पकालीन, तथा दीर्घकालीन उपाय करने का आग्रह करता हूं। धागे को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाये। आसान ऋण सुविधाएं दी जाएं तथा सरकारी एजेंसियों सहित बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। महोदय, मैं कहना

चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा नीति के संदर्भ में विद्युतकरघा उद्योग की मांगों पर भी सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अपना भाषण समाप्त करने से पहले, महोदय मैं सरकार से इस विद्युतकरघा संकट का, जो लगातार काफी समय से बहुत ही गम्भीर संकट के रूप में बार-बार आता रहता है, अध्ययन करने और इस उद्योग के विकास तथा उत्थान के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त केन्द्रीय समिति स्थापित करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : इसे हथकरघों की कीमत पर नहीं किया जाये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मत विभाजन की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं इस बात से सहमत हूं कि हथकरघा उद्योग को नुकसान पहुंचाने का सवाल ही नहीं है। मैं सहमत हूं कि हथकरघा उद्योग को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और प्रश्न यह है कि हथकरघा उद्योग को पूरक के तौर पर लेना चाहिए न कि प्रतिकूल।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त जरूर करना चाहता हूं। सर, यह जो काटन का मिक्सचर है, यह जरूर करना चाहिए अपने को। सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं सारे के सारे, सिंथेटिक ही सिंथेटिक जाता रहा है, इसको जरूर देख लें जरा।

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढ़वी : सरकार का सम्बन्ध सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग—हथकरघा, विद्युतकरघा और वस्त्र से है। हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को संबंधित विभाग के पास भेज देंगे और वह निश्चित ही इस पर गौर करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : न केवल उनके सुझाव बल्कि हमारे सुझावों को भी भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1987-88 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 4 और अनुसूची विधयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।"

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बी० के० गढ़वी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० पर पुनःसमवेत होने के लिए स्थगित होती है। धन्यवाद।

6.13 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार, 29 अप्रैल, 1987/9 वैशाख, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग सीलमपुर दिल्ली-53